वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2018-19

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory & Development Authority

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2018-19

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory & Development Authority

बी–14/ए, छत्तरपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थान क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Fax : 91-11-26517507 www.pfrda.org.in

यह रिपोर्ट पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
(रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियमों 2015
के प्रारूप अनुसार है ।

रवि मित्तल, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
Ravi Mital, IAS
Chairperson

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
बी–14/ए, प्रथम मंजिल, छत्रपति शिवाजी भवन
कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011-26517095
फैक्स : 011-26517507
ई–मेल : chairman@pfrda.org.in
वेबसाईट: www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, First Floor,
Chhatrapati Shivaji Bhawan
Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai
New Delhi-110016
Ph : 011-26517095
Fax : 011-26517507
E-mail : chairman@pfrda.org.in
Website : www.pfrda.org.in

प्रेषण पत्र

सन्दर्भ: फा.सं.पीएफआरडीए/09/02/11/0001 वार्षिक रिपोर्ट विभाग 12 दिसम्बर, 2019

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
संसद मार्ग, जीवनदीप भवन,
नई दिल्ली -110001

विषय- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट।

महोदय,

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 46(2) के प्रावधान के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक कार्य रिपोर्ट की प्रतियाँ आपको प्रेषित करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय

(रवि मित्तल)

विषय–वस्तु

लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वक्तव्य 11
उद्देश्य 11
परिकल्पना 11
अध्यक्ष का संदेश 13
बोर्ड के सदस्य 15
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी 16
संक्षिप्तियां 17
भाग–I
नीतियां और कार्यक्रम
1.1 वै ि वक आर्थिक परिदृ य की सामान्य समीक्षा 20
1.1.1 वै ि वक वस्तु मूल्य 21
1.1.2 मुद्रास्फीति 21
1.1.3 वै ि वक आर्थिक परिवे ा 22
1.1.4 बॉन्ड और इक्विटी बाजार 22
1.1.5 वर्श 2019–20 के लिए वै ि वक वृद्धि दृश्टिकोण 24
1.1.6 उभरते बाजार और विकास ाील अर्थव्यवस्थाएं 24
1.2 घरेलू अर्थ ाास्त्र 25
1.2.1 भारत में समश्टि अर्थ ाास्त्र विकास 25
1.2.2 मुद्रास्फीति 26
1.2.3 मौद्रिक प्रबंधन 27
1.3 वित्तीय बाजार 27
1.3.1 जी–सेक बाजार 27
1.3.2 कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार 28
1.3.3 इक्विटी बाजार 28
1.4 वै ि वक पें ान बाजार की समीक्षा 29
1.4.1 वर्श 2018 में ओईसीडी क्षेत्र में पें ान निधि आस्तियां 29
1.4.2 वर्श 2018 में इक्विटी निवे ा 30
1.5 बजट 2019 में एनपीएस के लिए प्रमुख घोशणाएं 31
1.6 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा 31
1.7 भारतीय पें ान परिदृ य 32
1.8 वर्श के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा 34
1.9 एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयां 36
1.9.1 राश्ट्रीय पें ान योजना से संबंधित मध्यस्थ तथा अन्य इकाईयां तथा अधिनियम के तहत आने वाली पें ान योजनाएं 36
1.9.2 खाते के प्रकार 38

भाग–II

एनपीएस के तहत निधियों का निवेश

2.1 पें ान निधियां (पीएफ्स) 41

2.1.1 पें ान निधियों के कार्य 41

2.1.2 सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं अर्थात् सीजी और एसजी, एनपीएस स्वावलम्बन और एपीवाई के लिए पें ान निधियों (पीएफ्स) की सूची 41

2.1.3 निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पें ान निधियों (पीएफ्स) की सूची 41

2.2 योजनाएं 41

2.3 पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्र ाासित विभिन्न योजनाओं का विभिन्न निवे ा श्रेणियों में एक्सपोजर 44

2.4 पें ान निधियों से सम्बंधित विनियम, अधिसूचना, प्रमुख परिपत्र/दि ाानिर्दे ा जारी 46

भाग–III

प्राधिकरण के कार्य

3.1 मध्यस्थों का पंजीकरण तथा ऐसे पंजीकरण का स्थगन, निरसन आदि तथा मध्यस्थ इकाईयां जो राश्ट्रीय पें ान प्रणाली या अन्य पें ान योजनाओं के साथ संलग्न हो, की गतिविधियों का नियंत्रण 49

3.2 योजनाओं, उनकी नियम और भार्तों का अनुमोदन, जिनमें पें ान निधियों के कोश के प्रबंधन के सम्बन्ध में नियम है तथा ऐसी योजनाओं के तहत निवे ा दि ाानिर्दे ा हैं। 51

3.3 राश्ट्रीय पें ान प्रणाली से अभिदाताओं का निकास 52

3.3.1 पीएफआरडीए(एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, और उसके तहत किए गए सं ाोधन 52

3.3.2 एनपीएस के तहत आं ाक प्रत्याहरण 55

3.4 वार्शिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपीज) तथा अभिदाताओं द्वारा चयनित वार्शिकी योजनाओं का विवरण 56

3.5 राश्ट्रीय पें ान प्रणाली तथा अधिनियम के अंतर्गत अन्य पें ान योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई गतिविधियाँ 58

3.6 अभिदाताओं की ि ाकायतों के निवारण के लिए तंत्र तथा ऐसी ि ाकायतों के निवारण के लिए किये गए क्रियाकलाप 60

3.7 सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणपत्र कार्यक्रम 61

3.8 प्राधिकरण तथा मध्यस्थों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसंधान तथा परियोजनाओं को भाुरू करना भाामिल है 62

3.9 अभिदाताओं तथा सामान्य जनता के लिए पें ान, सेवानिवृत्ति बचत तथा सम्बंधित मुद्दों पर उठाये गए कदम तथा मध्यस्थ इकाईयों के प्रि ाक्षण विवरण 62

3.9.1 वित्तीय साक्षरता 62

3.9.2 वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय के लिए कार्यक्रम 63

3.9.3	एनपीएस जागरूकता, संचार तथा सो ाल मीडिया	63
3.9.4	जनसंपर्क अभिकरण	64
3.9.5	प्र िक्षण	64
3.10	एनपीएस और एपीवाई सूचना सहायता पटल	65
3.11	वित्त वर्श 2018–19 के दौरान हुए सम्मलेन	66
3.12	पें ान निधियों के प्रद ान	69
3.13	विनियमित आस्तियां	72
3.14	वित्त वर्श के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संकलित किए जाने वाले अन्य भाुल्क या प्रभार	74
3.15	मध्यस्थ इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई सूचना, किये गए निरीक्षण, जांच, अन्वेशण तथा पें ान निधियों से सम्बंधित अन्य इकाईयां संगठन	74
3.15.1	जांच और अन्वेशण	74
3.15.2	निरीक्षण और लेखापरीक्षा	74
3.16	अन्य	75
3.16.1	राश्ट्रीय पें ान प्रणाली तथा अधिनियम के अधीन अन्य पें ान योजनाओं के तहत भाामिल अभिदाताओं (श्रेणीवार) की संख्या	75
3.16.2	उपस्थिति अस्तित्व	78
3.16.3	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति	78
3.16.4	केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, उसकी भूमिका तथा कार्य	79
3.16.5	पें ान निधियों के कार्य	86
3.16.6	न्यासी बैंक	86
3.16.7	राश्ट्रीय पें ान प्रणाली के तहत अभिरक्षक	89
3.16.8	राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास	91
3.16.9	सेवानिवृत्ति सलाहकार	92
3.16.10	पें ान के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई अन्य गतिविधियाँ	93

भाग–IV

4.1	पें ान सलाहकार समिति	96
4.2	निर्मित और सं ोधित विनियम	96
4.3	अभिदाता ि क्षा तथा सुरक्षा निधि के उपयोगीकरण पर समिति का गठन	97
4.4	पीएफआरडीए में सूचना तकनीकी और साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति	97

भाग–V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए संगठनात्मक मुद्दे

5.1	पीएफआरडीए बोर्ड का गठन	98
5.2	प्राधिकरण की बैठकें	98
5.3	पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या	99
5.4	पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोश्ठ और ओबीसी प्रकोश्ठ की स्थापना	99

5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति 99
5.6 कर्मचारी कल्याण समिति 99
5.7 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्र ि क्षण 99
5.8 राजभाशा का प्रचार 99
5.9 सूचना का अधिकार 99
5.10 संसदीय प्र न 100
5.11 सूचना प्रौद्योगिकी क्रियाकलाप 100
5.12 अन्य गतिविधियाँ 101
5.13 पीएफआरडीए के खाते 101

भाग–VI

कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जो अभिदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है

6.1 एपीवाई में भाामिल होने के लिए 40 साल की आयु सीमा 102
6.2 वैधानिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने पालन नहीं किया है 102
6.2.1 न्यूनतम आ वासित रिटर्न्स योजना (मार्स) 102

भाग–VII

अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कोई भी अन्य उपाय

7.1 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदम। 103

अनुलग्नक I

विभिन्न वितरण चेनलों के माध्यम से एपीवाई के तहत पंजीकृत अभिदाताओं की संख्या (जारी किये गए प्रान) 105

अनुलग्नक II

31 मार्च, 2019 तक के अनुसार एनपीएस के तहत एनएसडीएल–सीआरए के साथ पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व की सूची 112

31 मार्च, 2019 तक के अनुसार एनपीएस के तहत कार्वी–सीआरए के साथ पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व की सूची 114

अनुलग्नक III

31 मार्च, 2019 तक के अनुसार एनपीएस के तहत उपस्थिति अस्तित्वों (संकलनकर्ता) की सूची 116

अनुलग्नक IV

पुनर्गठित पें न सलाहकार समिति निम्नानुसार है 118

अनुलग्नक V

तुलनपत्र 119

लक्ष्य और उद्देश्यों का वक्तव्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 के नियम 9 (2) (ग) के तहत

उद्देश्य

पीएफआरडीए के व्यापक उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना में शामिल हैं जो कि निम्नलिखित है :

ऐसे प्राधिकरण की स्थापना करना, जो कि वृद्धावस्था आय को बढ़ावा दे, पेंशन निधियों को विकसित और विनियमित करे, जिससे पेंशन निधियों की योजनाओं के अभिदाताओं तथा उनसे जुड़े एवं प्रासंगिक मामलों की रक्षा की जा सके।"

परिकल्पना

नागरिकों की वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति हेतु एक संगठित पेंशन प्रणाली का प्रसार एवं विकास करते हुए एक आदर्श विनियामक की भूमिका अदा करना।

अध्यक्ष का सन्देश

वित्त वर्श 2018–19 के लिए पीएफआरडीए की वार्शिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। इस उपलक्ष्य पर, हम भारत के सभी नागरिकों के लिए, स्थायी आधार पर आय सम्बन्धी आव यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित पें ान प्रणाली को बढ़ावा देने और विकसित करने के अपने जनादे ा के लिए किये गए प्रयासों को ताजा करते हैं।

भारत, वि व के अधिकतम जनसंख्या वाले राश्ट्रों में से एक है, जो अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से गुजर रहा है। दीर्घायुता और घटती प्रजनन क्षमता के परिणामस्वरूप वयस्कों की आबादी में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों तरह से नाटकीय वृद्धि हुई है। बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृ यों के कारण, कई वृद्धों के घरों में पारंपरिक पारिवारिक सहयोग प्रणाली समाप्त हो रही है। यह परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को लेकर आता है, जिसके लिए इस विविधता युक्त दे ा को तेजी से अनुकूल बनना चाहिए।

यह समय दे ा में, एक स्थायी पें ान प्रणाली के लिए कार्य करने और उसके निर्माण के लिए उचित है, जो दे ा की अधिकां ा जनसंख्या को भाामिल करती हैं। पीएफआरडीए, वर्शों से राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस) की सहायक संरचना के तहत सभी हितधारकों के लिए उत्पादों, योजनाओं और कार्यक्रमों में नवाचारों के लिए संस्था निर्माण, क्षमता विकास और सक्षम ढांचे पर प्रमुख रुप से ध्यान देने के साथ निर्दे ित विकास और विवेकपूर्ण विनियम के माध्यम से पें ान क्षेत्र को विकसित करने में लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में पें ान कवरेज की पर्याप्तता और दायरा बढ़ाना है।

एनपीएस का संवर्धन और विकास अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी वि ाल वृद्धावस्था आबादी के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण विकास प्रधान क्षेत्रों और पूंजी बाजारों में निवे ा की आव यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक धन के रूप में संसाधनों को उपलब्ध कराने के दोहरे उद्दे यों को पूरा करता है। एक विकसित पें ान क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक निवे ा के साथ दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

एनपीएस एक असमूहीकृत संरचना है, जहाँ प्रत्येक कार्य को भिन्न इकाई द्वारा निश्पादित किया जाता है। यह वि िाश्ट उत्पाद है क्योंकि यह अभिदाताओं को मध्यस्थों द्वारा, जो अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं, वह भी कम लागत पर सेवा देने का अवसर प्रदान करता है। यह तकनीकी मंच अभिदाताओं को उपस्थिति अस्तित्व, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पें ान निधि प्रबंधक, वार्शिकी सेवा प्रदाता, आवृति और अन्यों के बीच में अं ादान रा ि ा के विकल्प के सम्बन्ध में पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है।

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत एक विनियमों का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है, जिनकी नियमित आधार पें ान संपत्ति की सुरक्षा सुनि ित करने के लिए समीक्षा की जाती है ताकि सेवानिवृत्ति लाभों को प्रदान करने के लिए संचित की गई पें ान निधियों के जोखिम को कम किया जा सके और समयबद्ध निकासी सुनि ित की जा सके।

पीएफआरडीए ईएनपीएस, मोबाइल एप, ईकेवाईसी के माध्यम से अभिदाताओं के लिए एनपीएस को प्रभावी बनाने और एनपीएस तक पहुँच सरल बनाने के लिए मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी का नियमित रूप से लाभ उठा रहा है। अटल पें ान योजना (एपीवाई) अभिदाताओं को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करते हुए डिजिटल रुप से स ाक्त बनाने के लिए भी विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, भारत की वृद्धावस्था आय सुरक्षा के सम्बन्ध में नीति निर्माण में

एक हितधारक के रूप में और पें ान अभिदाताओं के हित में पीएफआरडीए अधिनियम के आदे ा को पूरा करने के लिए, पीएफआरडीए लगातार हर प्रकार के साइबर खतरों को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाने में सतर्क है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 31.01.2019 को केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खातों में सरकार के अं ादान में 10% से 14% तक की वृद्धि को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पें ान फंड और निवे ा के पैटर्न को चुनने में दी जाने वाली अधिक स्वतंत्रता को भी सूचित किया गया। इसके अलावा, प्रक्रिया से निकास पर एकमु त निकासी के लिए छूट की सीमा 60% तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पूरी निकासी पर अब आयकर से छूट मिलेगी। ये वि ोश उपाय नि चत रूप से एनपीएस के तहत अं ादान स्तर को बढ़ावा देंगे।

पें ान एक दीर्घकालिक वित्तीय उत्पाद है, जिसके लिए किसी व्यक्ति की कामकाजी उम्र के दौरान संचय चरण में उसके कोश के लिए निरंतर योगदान की आव यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए पें ान नियामक पीएफआरडीए ने जनसमूह को पें ान, सेवानिवृत्ति योजना/बचत के मामलों पर वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के महत्वपूर्ण कार्य की भुरुआत की है, जो कि विभिन्न डिजिटल/सो ाल मीडिया के माध्यम से पें ान क्षेत्र के विकास के व्यापक जनादे ा को पूर्ण करने का कार्य किया है और पें ान संचय नामक एक समर्पित वेबसाइट का निर्माण किया है। पें ान और सेवानिवृत्ति योजना के संबंध में वर्धित वित्तीय समावे ान और साक्षरता से व्यवहारगत पक्षपातों का सामना करने में मदद मिलेगी।

इस सन्दे ा के माध्यम से, मैं वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए, भारत को एक पें ानयुक्त समाज बनाने के लिए पीएफआरडीए की प्रतिबध्दता और निश्ठा को दोहराना चाहता हूं।

अध्यक्ष

बोर्ड के सदस्य

(दिनांक 31.03.2019 तक के अनुसार पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 23) की धारा 4 के तहत नियुक्त।

(i) अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर 7 अक्टूबर से अब तक।

(ii) पूर्णकालिक सदस्य

1. डॉ. बी.एस. भंडारी, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थ ाास्त्र) 16 मई 2014 से अब तक ।

2. श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) 12 मार्च 2018 से अब तक ।

(iii) अल्पकालिक सदस्य

1. सुश्री. एनी जॉर्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग 12 दिसम्बर 2014 से अब तक अल्पकालिक सदस्य ।

2. श्री संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव, पें ान और पें ान भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक ि ाकायत तथा पें ान मंत्रालय, 11 अगस्त 2017 से अब तक अल्पकालिक सदस्य।

3. श्री मदने ा कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय,03 नवम्बर 2017 से अब तक अल्पकालिक सदस्य।

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण

(31.03.2019 तक के अनुसार)

कार्यकारी निदेशक

श्री अनंत गोपाल दास

श्री प्रवीण त्रिवेदी

मुख्य महाप्रबंधक

श्रीमती ममता रोहित

श्रीमती सुमीत कौर कपूर

श्री वेंकटे वर्लू पेरी

श्री आ ीश कुमार

महाप्रबंधक

श्री के. मोहन गाँधी

श्री प्रवे ा कुमार

श्री मोनो मोहन गोगोई फूकोन

श्री अखिले ा कुमार (एनपीएस न्यास में तैनात)

श्री विकास कुमार सिंह

श्री पी. अरुमुगारंगराजन

श्री सुमित कुमार

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री सती ा के. नागपाल

लोकपाल

श्री विनोद कुमार पांडे

वार्षिक रिपोर्ट दल

श्री वेंकटे वर्लू पेरी, मुख्य महाप्रबंधक

श्रीमती मंजू भल्ला, उपमहाप्रबंधक

श्री मनीश मणी, प्रबंधक

संक्षिप्तियां

एआईएफ	वैकल्पिक निवे ा निधि
एपीवाई	अटल पें ान योजना
एपीवाई एसपी	एपीवाई–सेवाप्रदाता
एएसपी	वार्शिकी सेवा प्रदाता
एयूएम	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति
बीएसई	बम्बई भोयर बाजार
सीएबी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सीएजीआर	संयुक्त वार्शिक वृद्धि दर
सीबीएलओ	संपा ्र्वकीकृत उधार लेन–देन संबंधी दायित्व
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीबीओ	कॉर्पोरेट भााखा ऑफिस
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीएफपीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीजी	केंद्र सरकार
सीजीएमएस	केंद्रीय ि ाकायत प्रबंधन प्रणाली
सीएचओ	कॉर्पोरेट मुख्य कार्यालय
सीआईएसओ	मुख्य सूचना और सुरक्षा अधिकारी
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई–सी	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक– मिश्रित
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीआरए	केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण
सीएसजीएल	ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
डीए	महंगाई भत्ता
डीबी	परिभाशित लाभ
डीसी	परिभाशित अं ादान
डीडीओ	आहरण और संवितरण कार्यालय
डीसीसीबी	जिला केंद्रीय सह–कारी बैंक
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीटीए	खजाना और लेखा निदे ालय
डीटीओ	जिला खजाना कार्यालय
ईसीबी	यूरोपियन केंद्रीय बैंक
ईएमडीई	उभरते बाजार और विकास ील अर्थव्यवस्थाएं

ईपीएफ	कर्मचारी भविश्य निधि
ईपीएस	कर्मचारी पें ान योजना
ईआरएम	त्रुटि आ ाोधन मोड्यूल
ईटीएफ	विनिमय व्यापार निधि
एफएटीसीए	विदे ाी खाता कर अनुपालन अधिनियम
एफएक्यू	अधिकां ातः पूछे जाने वाले प्र न
एफआईआई	विदे ाी संस्थानिक निवे ाक
फिन–टेक	वित्तीय तकनीकी
एफआरसी	निधि प्राप्ति पुश्टिकरण
एफआईआई	विदे ाी संस्थागत निवे ाक
एफपीआई	विदे ाी संविभाग निवे ा
एफआरसी	फण्ड प्राप्ति पुश्टिकरण फाइल
एफवाई	वित्त वर्श
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीओआई	भारत सरकार
जी–सेक	जी–सेक
जीपीएफ	सामान्य भविश्य निधि
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईएमएफ	अन्तर्राश्ट्रीय मुद्रा कोश
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईपिन	इन्टरनेट पर्सनल आइडेंटीफिके ान संख्या
टीपिन	टेलीफोनिक पर्सनल आइडेंटीफिके ान नंबर
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईवीआर	इंटरैक्टिव वोइस रिस्पांस प्रणाली
केवाईसी	अपने ग्राहक को जाने
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
एनबीएफसी	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीएफई	राश्ट्रीय वित्तीय ि ाक्षा केन्द्र
एनआईएसएम	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्किट
एनपीएस	राश्ट्रीय पें ान प्रणाली
एनपीएससीएएन	एनपीएस कॉन्ट्रिब्यू ान एकाउंटिंग नेटवर्क
एनपीएसटी	राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास
एनएसडीएल	ने ानल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसई	राश्ट्रीय भोयर बाजार

ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएमओ	खुले बाजार के परिचालन
ओपीजीएम	ऑनलाइन प्रान जनरे ान मॉडयूल
ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड
पीएमआई	क्रय प्रबंधक सूचकांक
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीएओ	वेतन एवं लेखा कार्यालय
पीआरएओ	प्रमुख लेखा कार्यालय
पीएफ	पें ान निधि
पीओपी	उपस्थिति अस्तित्व
पीओपी दृएसपी	उपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता
पीपीएफ	लोक भविश्य निधि
प्राण	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
एससीएफ	अभिदाता अं ादान फाइल
एसडीएल	राज्य विकास ऋण
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसजी	राज्य सरकार
एसएचसीआईएल	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरे ान ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसओटी	संव्यवहार प्रकथन
टीबी	न्यासी बैंक
टीजीएफआईएफएल	वित्तीय समावे ा और साक्षरता पर तकनीकी समूह
टीआरएनआईडी	समव्यावहार आईडी
यूएनपीएफ	संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या निधि
यूओएस	असंगठित क्षेत्र
डब्ल्यूईओ	वि व आर्थिक परिदृ य
डब्ल्यूएचओ	वि व स्वस्थय संगठन
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

भाग I

नीतियां और कार्यक्रम

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना, भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करती है। एनपीएस प्रणाली को एक सुसंगत और वित्तीय रूप से स्थायी पें   ान प्रणाली की परिकल्पना करने और उसे लागू करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण रखने के लिए परिकल्पित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय पें   ान प्रणाली की भाुरूआत ने, परिभाशित लाभ से परिभाशित अं   ादान प्रणाली में स्थानांतरित होकर एक बड़ा उदाहरण पे   ा किया है। इस प्रणाली की सफलता नियमित/एकस्वरूप बचत तंत्र, विवेकपूर्ण निवे   ा दि   ाा निर्दे   ा और वि–संचंयीकरण के दौरान आहरण के कारण न्यायिक गिरावट पर निर्भर करती है। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र में वै   वक और घरेलू विकासों द्वारा इन तीन चरणों की परिकल्पना बहुत प्रभावित होती है । एक महत्वपूर्ण संख्या तक पहुँचने पर, पें   ान परिसंपत्तियाँ भी असंख्य तरीकों से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना भाुरू कर देती हैं, जिसमें वांछित क्षेत्र जैसे बुनियादी ढाँचे में छोटी बचत को भाामिल करना, पूँजी बाजारों की परिपक्वता, पूँजी बाजारों को बाई एंड होल्ड रणनीतियों द्वारा स्थिर रखना आदि भाामिल है ।

जैसा कि वै   वक और घरेलू विकास जैसे वृद्धि दर, वस्तुओं की कीमतें, मुद्रास्फीति आदि सभी प्रकार के वित्तीय बाजारों पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि इक्विटी बाजार, जी–सेक बाजार या बॉन्ड बाजार, यह वस्तुओं की उत्कृश्टता पर निर्भर है जिसके द्वारा वै   वक और घरेलू पें   ान बाजारों में विकास की समीक्षा करने से पहले उन्हें वै   वक और घरेलू अर्थव्यवस्था पर तीव्र दृश्टि रखनी चाहिए।

1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की सामान्य समीक्षा

अंतर्राश्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ) ने अपने वि   व आर्थिक परिदृ   य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2019 में बताया कि वर्श 2017 में और 2018 की भाुरुआत में मजबूत वृद्धि के साथ, वै   वक आर्थिक गतिविधि वर्श के दूसरे भाग में काफी धीमी हो गई, जिसने प्रमुख अर्थव्यवस्था को कारकों के बड़े समूह द्वारा प्रभावित होते हुए दिखाया गया। छाया बैंकिंग में आव   यक कड़े नियमों का पालन करने और संयुक्त राश्ट्र के साथ व्यापार तनाव के बढ़ने के कारण चीन के विकास में गिरावट आई है। व्यापारिक तनाव ने व्यावसायिक वि   वास को कम किया है जिससे बाजार का रुख बदत्तर हुआ है। वर्श 2019 में स्थिति कुछ सरल हुई क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अधिक उदार मौद्रिक नीति के रुख का संकेत दिया और बाजार यूएस–चीन व्यापार सौदे को लेकर अधिक आ   ाावादी बन गए।

वै   वक विकास 2018 के 3.6 प्रति   ात से घटकर 2019 में 3.3 प्रति   ात रहने का अनुमान है, 2020 में 3.6 प्रति   ात पर लौटने से पहले होगा। वर्श 2018 के लिए विकास को अक्टूबर 2018 वि   व आर्थिक परिदृ   य (डब्ल्यूईओ) के सापेक्ष 0.1 प्रति   ात अंक से सं   ाोधित किया गया था, जो कमी को द   ाति है। वर्श के दूसरे भाग में, और 2019 और 2020 के पूर्वानुमान क्रम   ाः 0.4 प्रति   ात अंक और 0.1 प्रति   ात बिंदु को अंकित करते हैं। वर्तमान पूर्वानुमान में यह अनुमान लगाया गया है कि वै   वक वृद्धि 2019 की पहली छमाही में कम हो जाएगी और उसके बाद वृद्धि होगी ।

वर्श 2019 के दूसरे भाग में अनुमानित गतिचीन में नीतिगत प्रोत्साहन के हालिया बिल्ड–अप, वै   वक वित्तीय बाजार की धारणा में हालिया सुधार, यूरो क्षेत्र में वृद्धि में कुछ अस्थायी घर्शण की कमी, और अर्जेंटीना और तुर्की सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में परिस्थितियों के क्रमिक स्थिरीकरण पर आधारित है। उभरते हुए बाजार और विकास   ाील अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहतर गति 2020 में जारी रहने का अनुमान है, अर्थव्यवस्थाओं में मुख्य रूप से विकास को द   ाता है जिन्हें वर्तमान में व्यापक आर्थिक संकट दृजो उल्लेखनीय अनि   चतता का एक पूर्वानुमान है, का सामना करना पड़ रहा है ।

वर्श 2020 के बाद, वै ि वक विकास मध्यम अवधि से लगभग 3.6 प्रति ात की ऊँचाई पर जाएगा, अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष आकार में निरंतर वृद्धि, जैसे कि चीन और भारत, जिनका धीमी गति से बढ़ने वाली उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत वृद्धि का अनुमान है। उभरते हुए ए ि ाया के लिए आधारभूत दृश्टिकोण अनुकूल बना हुआ है , चीन की वृद्धि धीरे–धीरे स्थायी स्तर की ओर बढ़ने और सीमांत अर्थव्यवस्थाओं के समान उच्च आमदनी के स्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। अन्य क्षेत्रों के लिए, दृश्टिकोण संरचनात्मक बाधाओं, उन्नत अर्थव्यवस्था के धीमे विकास और, कुछ मामलों में, उच्च ऋण और तंग वित्तीय स्थितियों के संयोजन से जटिल है।

पें ान निधियों का वित्तीय विकास पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। मात्रात्मक रूप से, पें ान निधियां वित्तीय बाजारों में पूँजी आपूर्ति को बढ़ाती हैं । गुणात्मक रूप से, पें ान निधियों के प्रबंधन संगठन संस्थागत निवे ाक हैं जो कॉर्पोरेट प्र ाासन और सूचना प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं और इसलिए वित्तीय बाजार स्थापित करने में मदद करते हैं।

1.1.1 वैश्विक वस्तु मूल्यः

डब्ल्यूईओ की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2018 के लिए संदर्भ अवधि के बीच वै ि वक ऊर्जा की कीमतों में 17 प्रति ात की गिरावट आई और तेल की कीमतें अक्टूबर में चार साल के उच्चतम स्तर 81 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर फरवरी में 61 डॉलर हो गई। हालांकि कुछ दे ाों में ईरानी तेल निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों द्वारा उल्लेखनीय रूप से अस्थायी तौर पर आपूर्ति प्रभावित की गई है और अमेरिकी कच्चे तेल के उत्पादन को उच्च किया– जिससे वै ि वक विकास कमजोर हुआ और 2018 के अंत में कीमतों पर गिरावट का दबाव बड़ा। वर्श 2018 की भाुरुआत के बाद से तेल निर्यातक दे ाों द्वारा उत्पादन में कटौती के कारण तेल की कीमतों में सुधार आया। वै ि वक मांग में गिरावट को संतुलित करने से अधिक कुछ धातु बाजारों में आपूर्ति व्यवधान के परिणामस्वरुप अगस्त के बाद से मूल धातुओं की कीमतों में 7.6 प्रति ात से वृद्धि हुई है ।

1.1.2 मुद्रास्फीतिः

मुद्रास्फीति एक वर्श से अगले वर्श तक कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति है। एक आर्थिक अवधारणा है कि, मुद्रास्फीति की दर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस दर का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर एक निवे ा का वास्तविक मूल्य । यह समय के साथ किसी व्यक्ति की क्रय भाक्ति निर्धारित करने में मदद करता है । मुद्रास्फीति यह भी बताती है कि निवे ाकों को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए वास्तव में उनके निवे ा को कितना रिटर्न (प्रति ात मामले में) प्रदान करने की आव यकता है। इसलिए, रिटर्न की वास्तविक दर को प्राप्त करने के लिए पें ान की परिकल्पना करते समय अनिवार्य रूप से मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता महंगाई दर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दब कर रह गई। कुछ उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए, उच्च घरेलू कीमतों से मुद्रा मूल्यह्रास हुआ है, वस्तु की कम कीमतों से आं ि ाक रूप से नीचे की ओर दबाव बढ़ा है।

अधिकां ा दे ाों के लिए, पिछले दो वर्शों में घरेलू मांग में आई तेजी जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, यह 2 प्रति ात के करीब है, के बावजूद मूल मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से काफी नीचे है । उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वेतन वृद्धि अधिक रही है यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, वि ोश रूप से कम बेरोजगारी दर और कम श्रम बाजार की कमी के बावजूद यह धीमी है। मंद पड़े समग्र मूल्य और वेतन के दबावों के साथ, और संभवतः विकास की गति धीमी होने से, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की उम्मीद बनी हुई हैं, और, कई मामलों में, हाल ही में नरम हो गई हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच, चीन में मुख्य मुद्रास्फीति 2 प्रति ात से नीचे बनी हुई है क्योंकि गतिविधि में कमी आई है। अन्य मामलों में, मुद्रास्फीति दबाव केंद्रीय बैंक की लक्ष्य सीमा के निचले हिस्से तक कम हुआ है जो कि वस्तु मूल्यों में कमी और खाद्य मुद्रास्फीति (भारत) में कमी के कारण हुआ है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं के लिए, उच्च घरेलू कीमतों से मुद्रा मूल्यह्रास हुआ है, वस्तु की कम कीमतों से आं ि ाक रूप से नीचे की ओर दबाव बढ़ा है।

चार्ट 1.1 वैश्विक मुद्रास्फीति

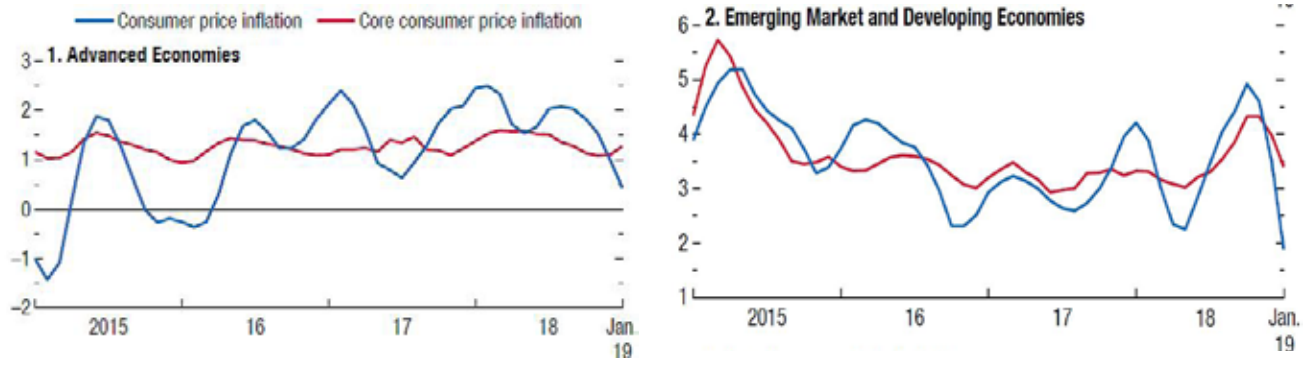

स्रोतः आईएमएफ, डब्ल्यूईओ रिर्पोट अप्रैल 2019

1.1.3 वेशविक आर्थिक परिवेश

एक अन्य प्रमुख मुद्राओं के सापेक्ष राश्ट्रीय मुद्रा की विनिमय दर का पता रखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि, दे ाों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के कारण राश्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। अस्थिर विनिमय दर अस्थिर अर्थव्यवस्था का कारण बनती हैं यह दे ा के आयात और निर्यात की लागत को प्रभावित करती है। इसलिए, विनिमय दरें दे ा की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

डब्ल्यूईओ की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की भारुआत में उभरते बाजारों में वित्तीय स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अक्टूबर, 2018 की तुलना में कुछ हद तक कठोर रही है। कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (चिली, इंडोनेि ाया, मेक्सिको, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका) में सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर, 2018 से नीति दरों को बड़ा दिया है, इस चिंता के कारण कि 2018 में तेल की कीमतों में वृद्धि और कुछ दे ाों में पूर्व मुद्रा मूल्यह्रास के परिणाम स्वरुप मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। चीन में, केंद्रीय बैंक ने तरलता समर्थन प्रदान किया और सभी बैंकों के लिए आरक्षित निधि अपेक्षाओं को कम कर दिया, इस प्रकार वृद्धि को नियंत्रित किया गया।

दीर्घकालिक राश्ट्रिक प्रतिफल और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर परिव्याप्ति अक्टूबर के स्तर पर वापस आ गए हैं। मैक्सिको में, नए प्र ाासन के तहत नीतिगत उलटफेर की चिंताओं के कारण नवंबर, 2018 और दिसंबर, 2018 के दौरान राश्ट्रिक प्रतिफलों का एक व्यापक विस्तार हुआ, लेकिन यह संकुचित हो गया। ब्राजील में, नई सरकार के तहत पें ान सुधार की संभावनाओं के बारे में आ ाावाद के बीच अक्टूबर से प्रसार में गिरावट आई है। अर्जेंटीना और तुर्की में वित्तीय असंतुलन पर रोक लगाने के लिए चल रहे समायोजन के बाद, दोनों के लिए प्रसार में कुछ हद तक गिरावट आई है लेकिन उन्नत बना हुआ है। इस साल जोखिम की धारणा में सुधार के साथ, उभरते बाजार इक्विटी इंडेक्स ने 2018 के अंत में हुए कुछ नुकसानों को ठीक कर लिए है और अब अधिकतर मामलों में अक्टूबर के स्तर को पार कर गए हैं।

इक्विटीज़, बांड्स और संपत्ति जैसी आस्तियों ने पिछले कुछ वर्शों में अधिक वैि वक राह पकड़ी है क्योंकि पें ान निधियों ने जोखिम को उठाना प्रारंभ किया है । इसके परिणाम स्वरूप, निवे ा ढांचें में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का मुद्रा निवे ा एक महत्त्वपूर्ण कारक बन गया है। पें ान योजनाओं पर मुद्रा के उतार चढ़ाव का प्रभाव, निवे ाक के उद्दे यों को पूरा करने में जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

1.1.4 बॉन्ड और इक्विटी बाजार

लगभग सभी वित्तीय परिसंपत्तियां निवे ा के अवसर प्रदान करती हैं, इसलिए एफआईआई, बैंक और निवे ाक जोखिम को कम करने के लिए अपने विभागों में विविधता लाने की कोि ा ा करते हैं। वे आमतौर पर अपने पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों को भाामिल करते हैं, प्रतिभूतियों में स्टॉक

और बॉन्ड भागिल होते हैं और वैि वक स्तर पर कारोबार किया जाता है, इसलिए बांड और इक्विटी के लिए अंतर्राश्ट्रीय बाजार का घरेलू बाजारों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसलिए इसकी जानकारी रखने की आव यकता होती है।

अप्रैल 2019 की आईएमएफ डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के अनुसार , 2018 के अंत में वित्तीय स्थितियों में उल्लेखनीय कठोरता के बाद , 2019 की भुरुआत में बाजार की धारणा में तेजी आई है। 2018 के अंत की स्थिति के कारण वैि वक वृद्धि को धीमा करने के संकेत, मध्यम रूप से कम उछाल वाली कॉर्पोरेट आय, और फेडरल रिजर्व नीति की गति के बारे में बाजार की चिंताओं को कम किया गया। इक्विटी मूल्य में गिरावट और उच्च जोखिम प्रसार होने पर 2018 के अंतिम महीनों में तेजी से मजबूत होने के बाद, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थितियों ने वर्श की भुरुआत से सुधरी है। मार्च की भुरुआत में, स्थितियां अक्टूबर की तुलना में थोड़ी कठोर थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में, अभी भी व्यवस्थित थीं। यह वि ोश रूप से संयुक्त राज्य में मामला है, जहां बांड की पैदावार में गिरावट आई है क्योंकि निवे ाकों ने मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के लिए दृश्टिकोण को आ वस्त किया।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नीति के सामान्यीकरण के लिए एक संयमी और लचीले दृश्टिकोण का सुझाव दिया, और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मार्च की बैठक में, इस वर्श के लिए अपनी ब्याज दरों में वृद्धि का संकेत दिया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक, जिसने दिसंबर में अपनी भुद्ध संपत्ति खरीद को समाप्त किया, मार्च में लक्षित बैंक वित्तपोशण के एक नए दौर की घोशणा की और आगे इस वर्श के कम से कम अंत में नीति दरों में वृद्धि को स्थगित कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ने तेजी से दृश्टिकोण पर अधिक सतर्क विचार रखे हैं । इस बदलाव के अनुरूप, उन्नत अर्थव्यवस्था संप्रभु प्रतिभूतियों (वि ोश रूप से, 10–वर्शीय अमेरिकी राजकोशीय नोटस, जर्मन बांड्स, यूकेगिल्ट्स) ने भविश्य की नीति दरों के लिए कम कीमतें तय की हैं और सामान्य तौर पर भुरूआती नवंबर, 2018 के 40–80

चार्ट 1.2 दस वर्शीय सरकारी बांड परिणाम (प्रतिशत)

भुरूआती 2019 में उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सुधार आया, जो कि वि ाश्ट दे ागत मौलिक तत्वों के कारण अर्थव्यवस्थाओं की भिन्नता के साथ हैं।

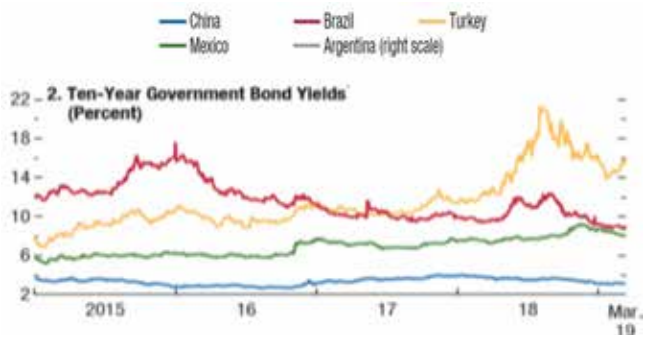

स्रोतः डब्ल्यूईओ रिर्पोट अप्रैल 2019

आधार अंक नीचे है। इतालियन जर्मन बंडों में प्रसार, मार्च के अंत के लगभग 250 आधार अंक थे, जो उनके अक्टूबर अंत और भुरूआती नवम्बर से कम हुए, लेकिन उन्नत बने रहे । संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में इक्विटी बाजारों ने 2018 के अंत में तेज विक्रय के बाद फिर से पैर जमा लिया है, जबकि उच्च–परिणाम वाले कॉर्पोरेट प्रसार है , जो दिसंबर में महत्वपूर्ण रूप से विघटित हो गए, लेकिन बाद में अक्टूबर की तुलना में व्यापक बने हुए है। उभरते बाजारों में वित्तीय स्थिति 2019 की भुरुआत में सुधरी है लेकिन अक्टूबर की तुलना में कुछ हद तक कठोर है।

पें ान निधि पोर्टफोलियो लंबे समय तक रखे जाते है, जो लंबे समय के लिए वित्तीय बाज़ार को प्रचुर मात्रा में धन प्रदान करते हैं, जो आगे चलकर वित्तीय बाज़ारों की स्थिरिता के लिए अच्छा साबित होता है।

बड़े संस्थागत निवे ाकों के रूप में पें ान निधियां बड़ी भोयरधारक भी हैं। कॉर्पोरेट प्र ाासन पर संस्थागत निवे ाकों के सकारात्मक प्रभावों का परिणाम भोयर बाज़ार में निवे ा रिटर्न में होता है, जो एक बार फिर से वित्तीय बाज़ारों में निवे ाकों का वि वास बढ़ाता है। यह दीर्घावधि में पें ान निधियों के रिटर्न को भी प्रभावित करता है।

एफआईआई, भारत में इक्विटी और ऋण बाज़ारों जैसे वित्तीय सूचकांकों के प्रद र्शन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाज़ारों का प्रद र्शन, विदे शी संस्थागत निवे शकों की दि शा को प्रभावित करता है– उन्नत बाज़ारों के लिए या उनसे अलग और इसलिए उनकी जानकारी रखने की आव श्यकता है।

1.1.5 वर्ष 2019 के लिए वैश्विक वृद्धि दृष्टिकोण

डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास वर्श 2018 के 2.2 प्रति शत से वर्श 2019 में 1.8 प्रति शत और वर्श 2020 में 1.7 प्रति शत होने की। वर्श 2018 के लिये अनुमानित विकास दर और वर्श 2019 के लिये अनुमान अक्टूबर, 2017 डब्लयूईओ रिपोर्ट से 0.2 प्रति शत और 0.3 प्रति शत क्रम शः कम है, अधिकतर यूरो क्षेत्र के लिये अधोगामी सं शोधन को द र्शाता है। वर्श 2018 की वैश्विक विकास में अनुमानित मंदी की तुलना में वर्श 2019 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अनुमानित मंदी उसकी दो तिहाई होगी।

यूरो क्षेत्र में विकास वर्श 2018के 1.8 प्रति शत से वर्श 2019 में 1.3 प्रति शत (अक्टूबर में अनुमानित प्रति शत से 0.6 प्रति शत कम) और वर्श 2020 में 1.5 प्रति शत रहने का अनुमान है। हालांकि, वर्श 2019 के पहले भाग में विकास के दोबारा से ठीक होने का अनुमान है क्योंकि अस्थायी कारक जो क्रियाकलापों को बिगाड़ते हैं वर्श 2018 की कमियों आगे बढ़ाए गए हैं और वर्श 2019 की विकास दर को धीमा रखने का अनुमान है। कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास दर में गिरावट देखी गई, वि शेश रूप से जर्मनी (निजी खपत में नरमी के कारण, ऑटो उत्सर्जन मानकों की भाुरुआत के कारण कमजोर औद्योगिक उत्पादन); इटली (कमजोर घरेलू मांग, क्योंकि राश्ट्रिक प्रतिफल अधिक रहते हैं); और फ्रांस (सड़क विरोधों के नकारात्मक प्रभाव के कारण)। वर्श 2019–20 में यूनाइटेड किंगडम की 1.2 प्रति शत और 1.4 प्रति शत वृद्धि का आधारभूत अनुमान अनि श्चतता से घिरा हुआ है।

संयुक्त राश्ट्र में, वर्श 2019 में विकास दर 2.3 प्रति शत से गिरने और आगे वर्श 2020 में, राजकोशीय प्रोत्साहन के साथ 1.9 प्रति शत नरम होने का अनुमान है। वर्श 2019 के विकास में अधोगामी सं शोधन, सरकारी काम बंदी के प्रभाव और पूर्व में अपेक्षित से कम राजकोशीय खर्च को द र्शाता है, जब कि वर्श 2020 के लिए मध्यम उर्ध्वगामी सं शोधन, अक्टूबर पूर्वानुमान से मौद्रिक नीति की अधिक उदार स्थिति को द र्शाता है। अधोगामी सं शोधन के बावजूद, वर्श 2019 के लिए विस्तार की अनुमानित गति अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर से ऊपर है। मजबूत घरेलू मांग वृद्धि उच्चतर आयत का समर्थन करेगी और चालू खाता घाटे को ठीक करने में योगदान देगी।

जापान की अर्थव्यवस्था का वर्श 2019 में 1.0 प्रति शत (अक्टूबर डब्ल्यूईओ से 0.1 प्रति शत अधिक) से बढ़ने का अनुमान है। यह सं शोधन इस वर्श में अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को द र्शाता है, जिनमें अक्टूबर 2019 में नियोजित उपभोग कर दर में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के उपाय भाामिल हैं। वर्श 2020 में वृद्धि दर 0.5 प्रति शत (अक्टूबर 2018 की डब्ल्यूईओ रिपोर्ट की तुलना में 0.2 प्रति शत अधिक) से मध्यम होने का अनुमान है।

1.1.6 उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं

उभरती और विकास शील अर्थव्यवस्थाएं एफआईआई (विदे शी संस्थागत निवे शकों) के लिए भारतीय बाजारों के विकल्प हैं और इसलिए अपने साथियों का पता रखना महत्वपूर्ण है, वि शेश रूप से चीन, जो कि अर्थव्यवस्था और विदे शी व्यापार के वि शाल आकार के कारण वैश्विक समश्टि आर्थिक मानकों को प्रभावित करने में सक्षम है।

डब्ल्यूईओ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्श 2019 में वैश्विक वृद्धि को उभरते बाजारों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह से मापा जाता है, जहाँ विकास वर्श 2019 में 4.4 प्रति शत (वर्श, 2018 के 4.5 प्रति शत से) होने का अनुमान है, अक्टूबर 2018 डब्ल्यूईओ से 0.3 प्रति शत कम वर्श 2018 की तुलना में विकास में गिरावट, चीन की कम वृद्धि और तुर्की की मंदी, जो कि वर्श 2018 के अंत में कमजोर गतिविधि के आगे बढ़ने और साथ ही साथ ईरान में गहरे संकुचन को द र्शाती है। वर्श 2019 के दौरान परिस्थितियों के ठीक होने का अनुमान है क्योंकि

प्रेरक उपाय चीन में गतिविधियों को बनाए रखते हैं और मंदी के दौरान धीरे–धीरे अर्जेंटीना और तुर्की जैसी अर्थव्यवस्थाओं में कम हो जाते हैं ।

वर्ष 2020 में, वृद्धि 4.8 प्रति ात बढ़ने की संभावना है, जो कि वि ोश रूप से इन अर्थव्यवस्थाओं में नीति समायोजन और विरोध एवं भू राजनैतिक तनाव के कारण प्रभावित दे ाों में तनाव को कम करने के लिए अपेक्षित मजबूत गतिविधियों के कारण सम्पूर्ण रूप से संचालित है । उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास में गिरावट के साथ, वर्ष 2020 में वै िक विकास में अनुमानित गति उभरते बाजार और विकास ील अर्थव्यवस्था समूह के लिए इस अनुमानित सुधार पर पूरी तरह से समर्पित है। उभरते बाजारों और विकास ील अर्थव्यवस्थाओं के साथ–साथ वै िक विकास के लिए सकल विकास का समर्थन करने में चीन और भारत जैसी तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उभरते बाजार और विकास ील ए िया में विकास वर्ष 2019 और 2020 में 6.3 प्रति ात (वर्ष 2018 के 6.4 से) से नीचे होने का अनुमान है, अक्टूबर डब्ल्यूईओ के सापेक्ष वर्ष 2020 के लिए सीमान्त अधोगामी सं ोधन के साथ है। चीन में, राजकोशीय प्रोत्साहन के बावजूद और संयुक्त राश्ट्र से सितम्बर 2018 तक क्रिया ील के सापेक्ष भाुल्कों में बिना किसी अग्रिम वृद्धि के आर्थिक वृद्धि वर्ष 2019 और 2020 में वार्शिक आधार पर धीमे होने की संभावना है। यह वर्ष 2018 में कमजोर अंतर्निहित विकास को, वि ोशरूप से दूसरे भाग में, और संयुक्त राश्ट्र अमेरिका के साथ व्यापार तनाव को द ार्शाता है। वर्ष 2019 के लिए अनुमान, अक्टूबर 2018 डब्ल्यूईओ से थोड़ा अधिक मजबूत है, जो चीनी निर्यातों पर संयुक्त राश्ट्र भाुल्कों की सं ोधित धारणा को द ार्शाता है।

भारत में, वर्ष 2019 में वृद्धि 7.3 प्रति ात से बढ़ी और वर्ष 2020 में 7.5 प्रति ात से बढ़ने का अनुमान है, जो कि मौद्रिक नीति के अधिक विस्तारवादी रूख और राजकोशीय नीति से कुछ अपेक्षित प्रेरकों के बीच निवे ा और मजबूत खपत की निरंतर वापसी से समर्थित होगी । फिर भी, राश्ट्रीय खातों के आंकड़ों में हालिया सं ोधन जो कुछ नरम अंतर्निहित गति को द ार्शाता है, विकास के पूर्वानुमान अक्टूबर 2018 डब्ल्यूईओ की तुलना में वर्ष 2019 के लिए 0.1 प्रति ात और वर्ष 2020 के लिए 0.2 प्रति ात क्रम ाः से कम होगा। वर्ष 2020 में वापसी करने से पूर्व, अनेक केन्द्रीय और पूर्वी यूरोपीय दे ाों में सामान्यतौर पर प्रसन्नचित्त और अनुमान से अधिक वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2019 में उभरते और विकसित यूरोप में पूर्वानुमानित की तुलना में कमतर होने की संभावना है।

1.2 घरेलू अर्थशास्त्र

1.2.1 भारत में समष्टि–अर्थशास्त्र विकास

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और अगले 10–15 वर्शों में दुनिया की तीन बड़ी आर्थिक भाक्ति बनने की संभावना है, जो कि अपने मजबूत लोकतंत्र और साझेदारी द्वारा समर्थित है। इकनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2018–19 में, जीडीपी वृद्धि में 2017–18 की 7.2 प्रति ात से वर्ष 2018–19 की 6.8 की थोड़ी मध्यमता के बावजूद दुनिया में सबसे तेजी से बढती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। दूसरी ओर, वि व परिणाम वृद्धि वर्ष 2017 के 3.8 प्रति ात से कम होकर वर्ष, 2018 में 3.6 प्रति ात हो गई। वर्ष 2018 में वि व अर्थव्यवस्था और उभरते बाजार और विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीईज) में गिरावट ने अमेरिकी–चीन व्यापार वृद्धि, औरबड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के साथ–साथ वित्तीय संकट का अनुसरण किया। वर्ष, 2019 जब वि व अर्थव्यवस्था और ईएमडीईज का 0.3 और0.1 प्रति ात क्रम ाः से कम होने का अनुमान है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान है। भारत वै िक अर्थव्यवस्था का 30 प्रति ात भाग अपने नाम करता है, जिसकी वृद्धि का वर्ष 2019 में गिरावट का अनुमान नहीं है (वि व आर्थिक परिदृ य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2019 का आईएमएफ)। भारत, मौजूदा अमेरिकी डॉलर में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में सबसे बड़ी सातवीं अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है । भारत की औसत वृद्धि दर, चीन से वर्ष 2014–15 से वर्ष 2017–18 तक न केवल

अधिक थी बल्कि अन्य भी ी अर्थव्यवस्थाओं से भी बहुत अधिक थी। क्रय भाक्ति समता (पीपीपी) समायोजन के साथ, भारत की जीडीपी मौजूदा अंतर्राश्ट्रीय डॉलर में, वि व में तीसरे स्थान पर है। वर्श 2018–19 में, भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 प्रति ात से बढ़ी, और इस प्रकारसे पूर्व वर्श की तुलना में वृद्धि में कुछ मध्यमता दिखी। अनेक विदे ी कंपनियां भारत में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिए अपनी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भाुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण भाग को बढ़ाने के उद्दे य के साथ हुई है जिसके द्वारा औसत भारतीय ग्राहक की क्रय भाक्ति को बढाया जा सके, जिसके द्वारा आगे मांग को बढ़ाया जा सके, और इसके परिणामस्वरुप, निवे ाकों को लाभान्वित करने के साथ विकास की प्रेरणा मिले । इसके अतिरिक्त, सरकार डिजिटल इंडिया पहल को लेकर आई है, जो डिजिटल ढाँचे के निर्माण, डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान करने और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर केन्द्रित है।

चार्ट 1.3: मुद्रास्फीति दर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई वर्ष दर वर्ष आधार पर नीचे दिए गए हैं :

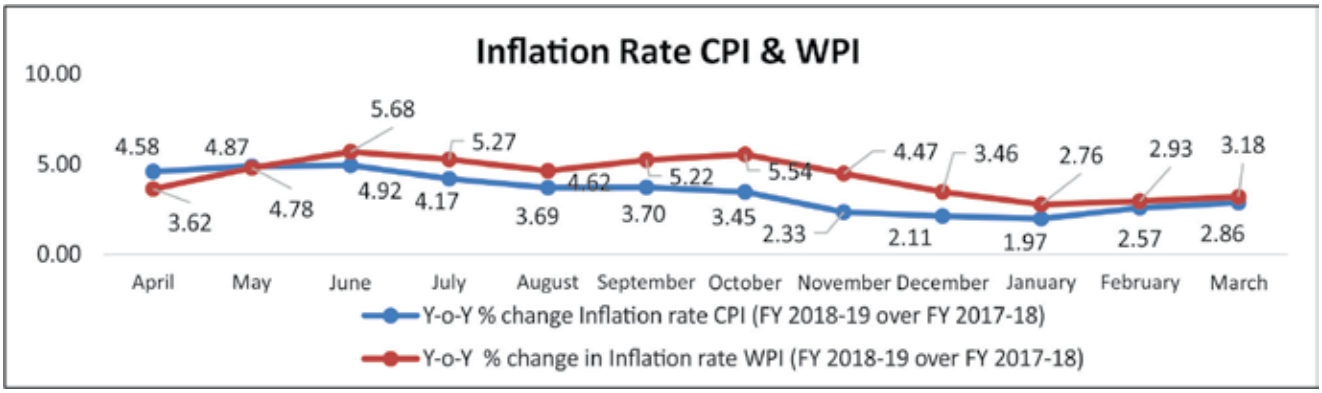

स्रोतः सीएसओ, डीआईपीपी और www.data.gov-in

1.2.2 मुद्रास्फीति

इकनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हैडलाइन मुद्रास्फीति ने लगातार पांचवें वित्तीय वर्श के लिए अपनी गिरावट जारी रखी। पिछले दो वर्शों में यह 4.0 प्रति ात से नीचे रहा है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्शों में गिरावट आई है, और पिछले दो वर्शों से 2.0 प्रति ात से नीचे बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति वर्श 2014–15 के 1.2 प्रति ात, वर्श 2015–16 के (–) 3.7 प्रति ात और वर्श 2016–17 के 1.7 प्रति ात की तुलना में वर्श 2017–18 में 3.0 प्रति ात के साथ मध्यम रही । वित्त वर्श 2018–19 के अनुसार डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 4.3 प्रति ात रही । अखिल भारतीय स्तर पर, वर्श 2018–19 के दौरान सीपीआई–सी मुद्रास्फीति विभिन्न समूहों के कारण थी जिनमें आवास के साथ–साथ ईंधन और बिजली समूह है । वस्तु मुद्रास्फीति, जिसने सीपीआई–सी में 76.6 प्रति ात भाग अपने नाम किया, वित्त वर्श 2017–18 के दौरान 3.2 प्रति ातकी तुलना में वित्त वर्श 2018–19 में 2.6 प्रति ात रही । इसके विपरीत सेवाएं सम्बन्धी मुद्रास्फीति, जो 23.4 प्रति ात भाग का कारण रहा, नेवित्त वर्श 2017–18 के 5.0 प्रति ात की तुलना में वित्त वर्श 2018–19 के दौरान 6.3 प्रति ात भाग अपने नाम किया ।

चार्ट 1.4: वित्त वर्ष 2017–18 और वित्त वर्ष 2018–19 में गति नीचे प्रदर्शित की गई है :

निम्नलिखित चार्ट डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में वर्ष दर वर्ष % परिवर्तन द ार्शाता है, यह दर्ज किया गया कि अंतिम वर्ष के जून, 2018 महीने में डब्ल्यूपीआई 5.68% प्रति ात से ऊपर गया, जहाँ न्यूनतम % परिवर्तन जनवरी, 2019 में 2.76% के रूप में दर्ज किया गया। सीपीआई ने अधिकतम % परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष) जून, 2018 के महीने में जबकि न्यूनतम 1.97% के रूप में जनवरी, 2019 में दर्ज किया गया।

1.2.3 मौद्रिक प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई मौद्रिक नीति दे ा के मौद्रिक मामलों से सम्बंधित है। नीति अर्थव्यवस्था में पैसे, उपलब्धता की आपूर्ति और क्रेडिट की लागत को विनियमित करने के लिए किए गए उपायों में भाामिल है । वर्ष 2018–19 के लिए प्रथम द्वि–मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में, एमपीसी ने पालिसी रेपो दर को 6.0 प्रति ात के साथ अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति के जोखिमों के साथ–साथ फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को कठोर करने की आ ाा के साथ, द्वितीय और तृतीय द्वि–मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक से बढ़ाने का फैसला किया गया। चौथे और पांचवे मासिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य में असामान्य कमतर खाद्य मूल्यगणना की नियमितता और उभरते हुए हेडलाइन मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र पर इसके प्रभाव के कारण नीति दरें अपरिवर्तित रहीं। हालांकि, अक्टूबर, 2018 के चौथे द्वि–मासिक नीति वक्तव्य में नीति रुख 'तटस्थ' से बदलकर 'सुविचारित कठोरता' बन गया।

1.3 वित्तीय बाजार

भारत का, मौजूदा वित्तीय सेवा कंपनियों के तेजी से होते विकास और बाजार में प्रवे ा करने वाली नई संस्थाओं दोनों के मामले में तेजी से विस्तार हो रहा। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, गैर–बैंकिंग कंपनियां, सह–कारी, पें ान निधियां, म्यूच्यूअल फण्ड और अन्य लघु वित्तीय इकाईयां भाामिल हैं।

चार्ट 1.5: 10 वर्षीय जी–सेक जेनरिक बिड परिणाम (प्रतिशत)

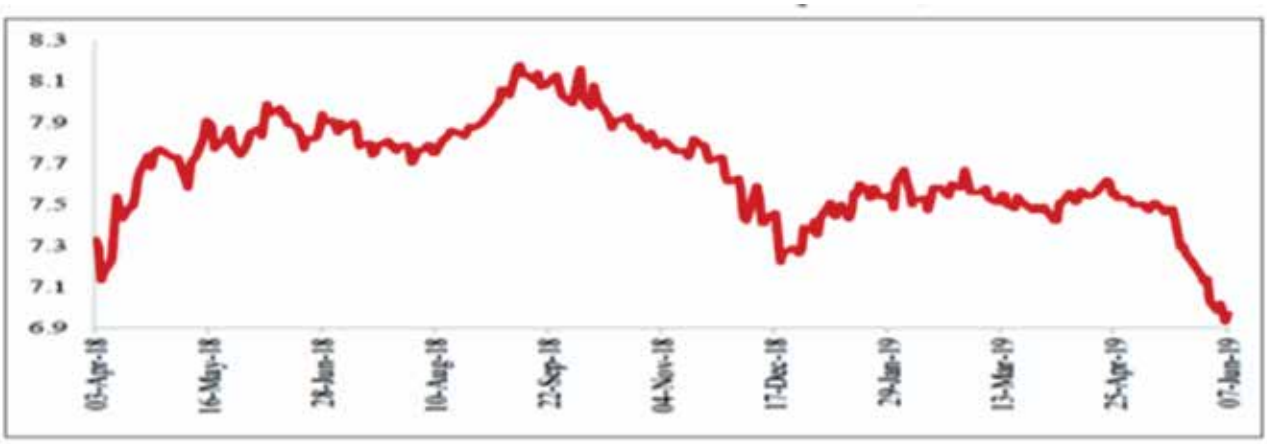

Source: RBI.

स्रोतः भारत की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट।

1.3.1 जी–सेक बाजार

वर्ष 2018–19 के दौरान, 10–वर्षीय बेंच मार्क जी–सेक प्रतिफल अस्थिर थे और तेल की कीमतों, घरेलू चलनिधि, और रूपये की विनिमय दर में अस्थिर गति को करीब से देखा गया। पहली तिमाही में प्रतिफल कुछ कठोर रहे, लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही में कीमतों को घटते हुए देखा गया। पहली तिमाही में प्रतिफल की कठोरता कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, अमेरिकी कोश के प्रतिफल में वृद्धि, यूएस फेडरल द्वारा मूल्य वृद्धि की गति के विशय में चिंता, घरेलू मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिम के कारण थी। बाद में, जुलाई 2018 में कच्चे तेल की कीमतों में

गिरावट के साथ और ओएमओ खरीद की घोशणा के साथ जुलाई में प्रतिफल नरम हो गए। हालांकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण अगस्त 2018 में मुद्रा मूल्यह्रास ने प्रतिफल को कठोर किया, जिससे जुलाई के अंत से सितम्बर के मध्य तक प्रतिफल में 40 बीपीएस की वृद्धि हुई। वर्श 2018–19 की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार द्वारा कम बाजार उधार की अपेक्षाओं के साथ रूपये की अस्थिरता को द ार्ाते हुए सितम्बर के अंत तक प्रतिफल नरम हो गए। अक्टूबर, 2018 में बेंचमार्क प्रतिफल में नरमी पूर्वाग्रह के साथ कारोबार जारी रहा क्योंकि आरबीआई ने उच्चतर रा ि ा के ओएमओ खरीद की घोशणा की। वर्श 2018–19 की तीसरी तिमाही में, रु.1.36 करोड़ की ओएमओ खरीद के साथ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और सीपीआई मुद्रास्फीति दर ने सामान्यरूप से प्रतिफल को नरम किया। हालांकि, जनवरी 2019 के दौरान, राजकोशीय चिंताओं, चलनिधि की कठोरता और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच प्रतिफलको कठोरता का सामना करना पड़ा।

1.3.2 कॉर्पोरेट बांड बाजार

भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार का विकास उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोशण की आव यकता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट बांड बाजार अर्थव्यवस्था के विकास में हमे ा सहायता करता है और आ ा है कि लम्बे समय तक नकदी प्रवाह वाले व्यवसाय के लिए अधिक लाभकारी होगा। इसने हाल के वर्शों में एक बदलाव देखा है और अब उद्योग धीरे धीरे अपनी पहुँच बढ़ा रहा है और अन्य प्रचलित वित्तीय उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है । गैर–वित्तीय कंपनियों द्वारा कुल ऋण वित्तपोशण में बाजार–आधारित स्रोतों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि केवल बड़े आकर की फर्मों तक ही सीमित है। हालांकि, वित्त और बुनियादी ढांचा कंपनियां कॉर्पोरेट बांड बाजार पर हावी हैं, म्यूच्यूअल फंड्स बाजार के जारी आधार को विविधता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाजार की वृद्धि को नियामक द्वारा नीतियों को क्रियान्वित करते हुए और सकारात्मक आर्थिक क्रियाकलापों और ब्याज चक्र द्वारा समर्थन दिया गया, भारत में बाजार छोटे हैं,

चार्ट 1.6: सूचकांक और निफ्टी गति

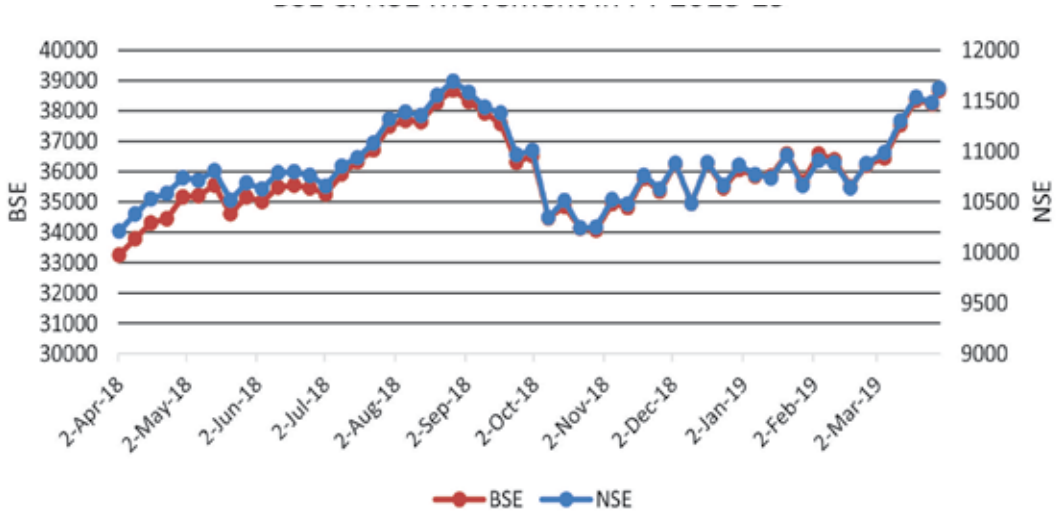

इन्होने जीडीपी का लगभग 17 प्रति ात भाग अपने नाम किया। सेबी के अनुसार वित्त वर्श ने बीएसई में निजी नियोजन के माध्यम से 2,358 मुद्दों द्वारा रु.6,10,318 करोड़ जुटाए और पिछले वर्श से 2018–19 में 36,679 करोड़ रूपये के साथ कई गुना वृद्धि का चित्रण किया ।

1.3.3 इक्विटी बाजार

वै ि वक व्यापार तनाव और ऊँची तेल की कीमतों के साथ–साथ एनबीएफसीज द्वारा भ्रारू किये गए चलनिधि संकट जैसी अनेक चुनौतियों के बावजूद, भारतीय इक्विटी बाजार वै ि वक रूप से 2018–19 में सर्वश्रेश्ठ प्रद र्ाक के

रूप में उभरे। एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का बेंचमार्क इंडेक्स, 31 मार्च, 2019 को 38,673 पर बंद हुआ, जो कि 31 मार्च 2018 की रु 32,969 के समापन मूल्य से 17.3 प्रति ात की वृद्धि दर्ज की। इस अवधि के दौरान, एसएंड पी बीएसई सेंसेक्स 28 अगस्त 2018 को रु 38,897 के साथ उच्चतर रहा और 04 अप्रैल, 2018 को 33,019 के साथ न्यूनतम रहा । इसके अतिरिक्त, निफ्टी 50, ने ानल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का बेंचमार्क इंडेक्स 31 मार्च, 2019 को 11,624 पर बंद हुआ, और 31 मार्च, 2018 तक के रु 10,114 के समापन मूल्य से 14.9 प्रति ात की वृद्धि दर्ज की । इस अवधि के दौरान निफ्टी 50 दिनांक 28 अगस्त 2018 तक के अनुसार रु.11, 739 के अधिकतम मूल्य और 26 अक्टूबर 2018 को रु. 10,030 के न्यूनतम मूल्य के साथ बंद हुआ।

1.4 वैश्विक पेंशन बाजार की समीक्षा

1.4.1 वर्ष 2018 में ओइसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि आस्तियां

ओइसीडी पें ान निधि रिपोर्ट मई, 2019 के अनुसार, 2018 के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि पें ान निधि में संपत्ति ओईसीडी क्षेत्र में 27.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जो 2017 की तुलना में 4% कम है । 34 रिपोर्टिंग दे ाों में से पें ान निधियां 12 में कम हुई हैं, जिनमें कुछ बड़े पें ान बाजार: जापान(–1.1%), नीदरलैंड (–1.2%), स्विट्जरलैंड(–0.7%), यूनाइटेड किंगडम (–0. 3%) संयुक्त राश्ट्र (–5.0%) भाामिल हैं । पोलैंड ने –12. 3% की बड़ी गिरावट देखी। कोरिया और ऑस्ट्रेलिया

चार्ट 1.7: दिसम्बर 2017–दिसम्बर 2018 (प्रथम चरण) पेंशन निधियों के रिटर्न के वास्तविक निवेश दर

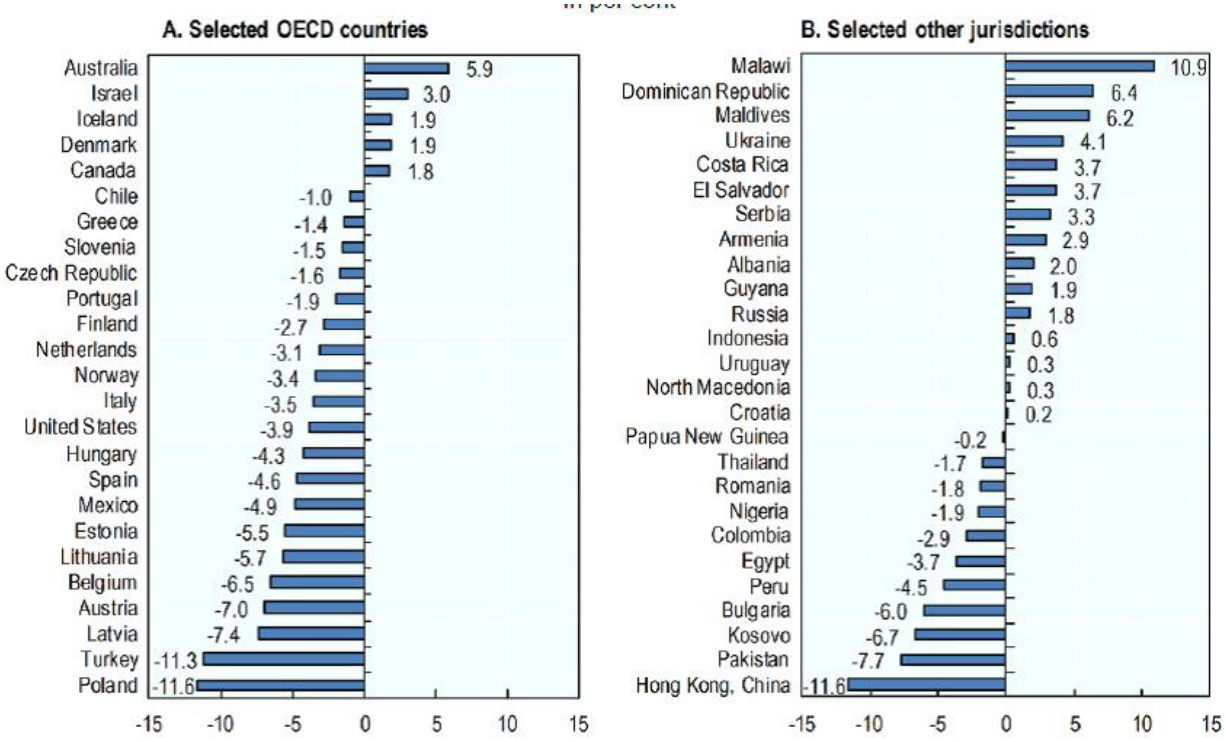

स्रोत: ओईसीडी पें ान मार्किट फोकस, मई 2019.

क्रम ा: 12.9% और 9.2 प्रति ात के साथ बेहतर स्थिति में रहे, हालांकि जून 2017 से जून 2018 की अवधि के लिए ऑस्ट्रेलिया की गणना राश्ट्रीय मुद्रा में की गई है। ओईसीडी क्षेत्र के बाहर सभी रिपोर्टिंग अधिकार क्षेत्र में पें ान निधियों में आस्तियां राश्ट्रीय मुद्रा में बढ़ी हैं । पें ान निधियों ने सभी रिपोर्टिंग ओईसीडी क्षेत्रों में बोत्स्वाना (–3.7%) और पेरू (–1.8%) के अलावा मुद्राओं में वृद्धि

का अनुभव किया। ओईसीडी क्षेत्र के बाहर कुल पें ान निधि आस्तियां वर्श 2017 की तुलना में वर्श 2018 में 800 अमेरिकी बिलियन डॉलर के साथ 4% कम थी। सम्पूर्ण निजी पें ान प्रणाली (जीडीपी के आकर से दोगुना) पर विचार करते हुए, डेनमार्क के पास जीडीपी के सापेक्ष सबसे अधिक पें ान संपत्ति है, पें ान निधि ने 2018 में अधिकां ा दे ाों में रिटर्न की नकारात्मक वास्तविक निवे ा दर का अनुभव किया, वि ोश रूप से ओईसीडी क्षेत्र में । पें ान निधियों ने गैर–ओईसीडी न्यायक्षेत्रों के रिपोर्टिंग 26 दे ाों में से 11 की तुलना में, ओईसीडी के 25 रिपोर्टिंग दे ाोंमें से 20 में वास्तविक मामलों में वित्तीय नुकसान का सामना किया। न्यूनतम निवे ा रिटर्न हांगकांग (चीन) (–11.6%), पोलैंड(–11.6%), और तुर्की(–11.3%) में देखी गई। ऑस्ट्रेलियाई पें ान निधियों ने अपेक्षाकृत रूप से मजबूत निवे ा रि टर्न (5.9%) का प्रद ान किया, लेकिन इन प्रद ान की केलेंडर वर्श के बजाय वित्त वर्श (जून 2017–जून 2018) में गणना की गई ।

2018 में पें ान निधियों के खराब वित्तीय परिणाम संभवतः 2018 की अंतिम तिमाही में इक्विटी बाजारों पर मंदी के परिणाम हैं। 2017 के मुकाबले 2018 में कुछ प्रमुख स्टॉक सूचकांक तेजी से गिरावट आई, इक्विटी बाजारों पर यह नकारात्मक प्रद ान, 2018 में पें ान निधि की गिरावट का कारण बना, जब इन नुकसान की भरपाई योजना सदस्यों के बढे हुए योगदान नहीं की गई थी । निवे ा रिटर्न नाममात्र के लिए सकारात्मक थे लेकिन 2018 में कुछ दे ाों में कीमतों में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई। मिसाल के तौर पर यह मामला मिस्र, नाइजीरिया, पापुआ न्यू गिनी और रोमानिया का है, जहां निवे ा रिटर्न 2018 में नाममात्र के लिए सकारात्मक था, लेकिन मुद्रास्फीति से कम था। पें ान निधि में एक दीर्घकालिक क्षितिज होता है। इसलिए दीर्घ कालिक रुझान इन बाजारों के अल्पकालिक परिणामों से अधिक मायने रखते हैं। वर्श 2019 तिमाही 1 में इक्विटी बाजारों के सुधार को देखते हुए अल्पकालिक परिणामों में सुधार की संभावना है ।

1.4.2 वर्ष 2018 में इक्विटी निवेश

पें ान निधि निवे ा में इक्विटी का अनुपात 2018 में 24 ओईसीडी दे ाों (ओईसीडी क्षेत्र में 32 में से) और 20 अन्य रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकार (ओईसीडी क्षेत्र के बाहर 31 में से) की तुलना में 2017 की तुलना में गिर गया। बोत्सवाना, हांगकांग (चीन), नामीबिया और पोलैंड में इक्विटी फंड पें ान फंड्स के मुख्य निवे ा बने रहे, जहां उन्होंने 2018 में निवे ा की गई आधी से अधिक संपत्ति का भाग अपने नाम रखा। पें ान फंडों की संपत्ति मिश्रण में इक्विटी का अनुपात ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम में अधिक रहा। गैर–ओईसीडी न्याय क्षेत्रों के बीच

चार्ट 1.8: वर्ष 2018 में चयनित निवेश श्रेणियों में पेंशन निधियों का आस्ति आवंटन (प्राथमिक)

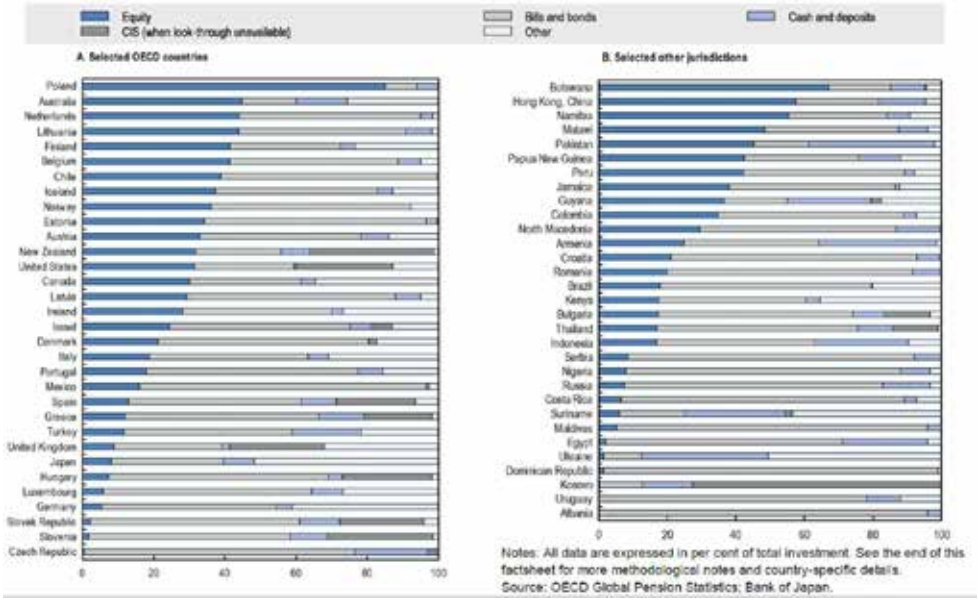

स्रोतः ओईसीडी पें ान मार्किट फोकस, मई 2019.

ओईसीडी दे ाों और मलावी, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी और पेरू के बीच फिनलैंड, लिथुआया और नीदरलैंड, जहां उन्होंने अपने निवे ा का 40% और 50% के बीच प्रतिनिधित्व किया। पें ान फंड की संपत्ति ज्यादातर न्यायाक्षेत्रों में बिल, बॉन्ड और इक्विटी में निवे ा की गई। इन उपकरणों में 63 रिपोर्टिंग न्यायक्षेत्रों में से 36 में पें ान फंड के निवे ा का 75% से अधिक हिस्सा था। इसलिए इक्विटी और बॉन्ड मार्केट में कोई भी घटनाक्रम पें ान फंड के निवे ा रिटर्न को प्रभावित करता है।

1.5 बजट 2019 में एनपीएस के लिए प्रमुख घोषणाएं

1) पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस) और अटल पें ान योजना को विभिन्न इकाईयों एनपीएस न्यास सहित के माध्यम से लागू और विनियमित करता है। अभिदाताओं के हित को प्रमुख रूप से ध्यान में रखते हुए और पीएफआरडीए के एनपीएस न्यास के साथ उचित सम्बन्ध बनाए रखने के लिए, एनपीएस न्यास को उपयुक्त संगठनात्मक ढाँचे के साथ पीएफआरडीए से अलग करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

2) राश्ट्रीय पें ान प्रणाली को प्रोत्साहन प्रदान के कैबिनेट के निर्णय को प्रभावी करने के लिए राश्ट्रीय पें ान प्रणाली अभिदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, यह प्रस्तावित किया गया है :

(i) एनपीएस से अंतिम निकासी पर छूट सीमा को मौजूदा 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया जाएगा।

(ii) केंद्र सरकार कर्मचारियों के मामले में, कर्मचारी अं ादान को वेतन के मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% की स्वीकृति होगी।

(iii) केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए तीन वर्श की नि ि चत अवधि के लिए एनपीएस टियर II खाते में अं ादान के लिए धारा 80 सी के तहत छूट की स्वीकृति दी जाएगी ।

3) राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस) न्यास को उसके सदस्यों से वस्तु एवं सेवा कर में प्र ाासनिक भाुल्क के रूप में लिए जाने वाले भाुल्क की छूट पर विचार किया जाए।

1.6 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षाः

वि व के 7वें सबसे बड़े दे ा के रूप में, भारत एि ाया के बाकी हिस्सों से अलग है, यह पहाड़ों और समुद्र से चिन्हित है जो दे ा को एक अलग भौगोलिक इकाई देता है। भारत का समृद्ध जनसांख्यिकीय लाभां ा दे ा को युवा बनाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 50% जनसंख्या 25 वर्श की आयु के भीतर आती है, जनसंख्या का लगभग 90% भाग 60 वर्श की आयु से नीचे है और 2015 में कार्यरत आबादी 44% पर रही । जबकि, प्रत्येक गत दिवस के साथ जनसंख्या वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही है।

भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला दे ा है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र भाासित प्रदे ा हैं, इस प्रकार जनसंख्या का आकार सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदे ा लगभग 19.98 करोड़ की संख्या के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और लगभग 6.10 लाख की संख्या के साथ सिक्किम सबसे छोटा राज्य है । भारत का जनसांख्यिकीय लाभां ा इसे एक युवा दे ा बनाता है । प्रजनन दर में गिरावट, ि ा ु मृत्यु दर में गिरावट और दीर्घायुता में वृद्धि तीन प्रमुख जनसांख्यिकीय प्रक्रियाएं हैं जो वृद्ध होते भारतीयों के बड़े भाग को संचालित करती हैं ।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्श 2016 में वै ि वक जीवन प्रत्या ाा 72.0 वर्श थी (74.2 वर्श महिलाओं के लिए और 69.8 वर्श पुरुशों के लिए), जो कि डब्ल्यूएचओ अफ्रीकी क्षेत्र में 61.2 वर्श और डब्ल्यूएचओ यूरोपियन क्षेत्र में 77.5 वर्श थी, जो दोनों क्षेत्रों के बीच 1.3 का अनुपात द ार्ाती है। यह रिपोर्ट द ार्ाती है कि, भारत की जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है जो कि 2000 में 62.5 से बढ़कर 2016 में 68.8 प्रति ात हुई है।

भारत में, परंपरागत रूप से, पें ान सरकारी कर्मचारियों और कुछ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थी। आम जनता को पें ान लाभ का विस्तार करने के उद्दे य से पें ान प्रणाली की व्यवस्था की गई थी जो वृद्धावस्था आय को सुरक्षित करने के लिए दे ा में पें ान के कवरेज की सुविधा प्रदान करे और इसका प्रसार कर सके। संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या कोश (यूएनएफपीए) की रिपोर्ट में कहा गया कि वर्श 2050 तक 60 वर्श की आयु के लोग मौजूदा 8.9 प्रति ात के आंकड़े से बढ़कर 19.4 प्रति ात हो गए और 80 वर्श से अधिक की आयु के लोग बढ़कर मौजूदा 0.9 प्रति ात से 2.8 प्रति ात हो जाएंगे ।

वृद्ध व्यक्तियों और सरकारी पें ाननरों के अनुपात में वृद्धि ने राजकोश पर दबाव बड़ा दिया है। पें ान और वृद्धावस्था आय सुरक्षा पर उच्च सरकारी खर्च , अन्य प्रमुख वस्तुओं एवं सेवाओं और विकासात्मक क्षेत्रों पर खर्च जैसे ि ाक्षा, स्वास्थ्य और बुनयादी ढाँचे आदि के लिए समस्या उत्पन्न करता है। ग्रीस सहित कई दे ाों में अर्थव्यवस्था पर अस्थिर पें ान देनदारियों का प्रभाव भी पड़ा है।

बढ़ती और अस्थिर पें ान देनदारियों के कारण, वै ि वक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे पर गहन विचार–विम ा के बाद, सरकार ने परिभाशित पें ान योजना से परिभाशित अं ादान पें ान योजना में स्थानांतरित होने का एक सचेत कदम उठाया। भुरुआत में यह सरकारी कर्मचारियों के लिए था। नई पें ान योजना, जिसे अब राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है को अधिसूचना संख्या 5/7/2003–ईसीबी और पी आर दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 के माध्यम से केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया और इसे केंद्र सरकार कर्मचारियों (स ास्त्र बलों को छोड़कर) जिन्हें 01.01.2004 को सेवाएं आरम्भ की के लिए अनिवार्य किया गया ।

राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस), जिसे भुरुआत में केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए अधिसूचित किया गया था, पि चम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और अधिकां ा केंद्र और राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया। एनपीएस को मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया था।

भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 के द्वारा दिनांक 01.04.2019 से केंद्र सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खाते में अं ादान 10% से बढाकर 14% की वृद्धि अधिसूचित की। अधिसूचना के अनुसार, मासिक अं ादान मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते के 10% का कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाएगा औरमूल वेतन जमा महंगाई भत्ते के 14% का केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस), जिसे भुरू में केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए पे ा किया गया था, अब पि चम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और अधिकां ा केंद्र और राज्यों के स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया है । एनपीएस को मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र में भी विस्तारित किया गया है। एनपीएस अं ादान के गैर/विलंबित जमा के लिए मुआवजे के साथ–साथ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पें ान निधि और निवे ा के पैटर्न को चुनने में अधिक स्वतंत्रता दी गई है ।

1.7 भारतीय पेंशन परिदृश्य

भारतीय पें ान प्रणाली परिदृ य में सम्मिलित हैं, सरकार द्वारा न्यूनतम सुरक्षा स्तर प्रदान करने के लिए वित्तपोशित गैर–अं ादायी पें ान योजनाएं जैसे राश्ट्रीय सुरक्षा सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), उपयोगानुसार भुगतान करें वाली अनिवार्य परिभाशित लाभ पें ान योजना जैसे 2004 से पूर्व सेवाओं में भाामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए लोकसेवा पें ान, ईपीएफओ के तहत कर्मचारी भविश्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पें ान योजना (ईपीएस) अन्य संवैधानिक भविश्य निधि जैसे कोल माइन्स, सीमेंस असम टी प्लांटे ान आदि योजनाएं 01 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवाओं में भाामिल होने वाले केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस), उन राज्य सरकारों के कर्मचारी जो एनपीएस में भाामिल हो चुकी हैं, स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र सहित सर्व नागरिकों के लिए एनपीएस दोनों नियोजित और स्व–नियोजित कर्मचारियों के लिए, सामान्य भविश्य निधि, बीमा कंपनियों और म्यूच्यूअल

फंड्स द्वारा पे ा की जाने वाली सेवानिवृत्ति और अधिवर्शिता योजनाएं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पें ान सुधारों को लाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की भुरुआत परिभाशित लाभ पें ान प्रणाली के वित्तीय दबाव के कारण थी। ईपीएफ (वि ोश रूप से संगठित क्षेत्र कर्मचारियों के लिए) जैसी अनिवार्य योजना द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए कवरेज बढ़ाने की वित्तीय और व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को भारत में पें ान प्रावधान बढ़ाने के प्रमुख नीति उपकरण के रूप में देखा गया है। पें ान प्रणाली के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों (47.29 करोड़ के कुल श्रमिक वर्ग का लगभग 88% बिना किसी पें ान प्रावधान के है) की संख्या बढ़ाने के लिए एनपीएस का विस्तार करना, जो कि एक सक्षम, कम लागत और प्रभावी प्रणाली है, एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय है।

एनपीएस को पूर्व में सरकारी क्षेत्र के लिए भुरू किया गया था जो बाद में अन्य भागों के लिए भी भुरू किया गया, जैसे कि स्वायत्त निकाय, राज्य सरकार और असंगठित क्षेत्र राज्य सरकारों द्वारा एनपीएस को तेजी से अपनाया गया। 28 राज्य सरकारों और केंद्रभाासित प्रदे ाों ने अपने नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया। असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी वृद्धावस्था के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए, सरकार ने सह–अं ादान योजना–एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना सितंबर, 2010 में भुरू की। इसके बाद, प्रधानमंत्री द्वारा अटल पें ान योजना (एपीवाई) 9 मई, 2015 को भुरू की गई और असंगठित क्षेत्र को केन्द्रित करते हुए यह योजना 01 जून, 2015 से क्रियान्वित हुई । एपीवाई के तहत अभिदाता को उनके द्वारा चुने गए अं ादान स्तर के अनुसार रु. 1000, रु. 2000, रु. 3000, रु. 4000 और रु. 5000 की न्यूनतम सरकारी गारंटीड पें ान प्राप्त होगी। एपीवाई, जो एक परिभाशित लाभ पें ान योजना है में, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक के अनुसार तक के अनुसार कुल 149.53 लाख अभिदाता हैं और रु. 6860.30 करोड़ की एयूएम है। 31 मार्च , 2019 तक के अनुसार , 406 बैंक एपीवाई सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी बैंक, विदे ाी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनूसूचित वाणिज्य बैंक, भाहरी वाणिज्य बैंक, पेमेंट बैंक, लघु वित्तीय बैंक और डाक विभाग सम्मिलित हैं।

31 मार्च, 2019 तक, कुल 273.55 लाख सदस्य/अभिदाता एनपीएस और एपीवाई के तहत नामांकित हैं । एनपीएस के अधीन प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति, जिसमें कोश पर रिटर्न भाामिल है, 31 मार्च, 2018 के रु.2,34,579 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2019 तक के अनुसार रु. 3,18,214 करोड़ हो गई, 36 प्रति ात की वृद्धि दर्ज की । एनपीएस के तहत अभिदाताओं की संख्या और प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है :

तालिका संख्या 1.1: एनपीएस/एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या, कोश और प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या	अंशदान* (करोड़ में)	एयूएम (करोड़ में)
केंद्र सरकार	19,84,564	78,379.20	1,09,009.55
राज्य सरकार	43,21,325	1,24,190.66	1,58,491.37
कॉर्पोरेट	8,03,015	24,436.77	30,874.79
सर्व नागरिक मॉडल	9,29,931	9,685.54	9,568.50
एनपीएस लाइट/स्वावलंबन	43,62,538	2,555.18	3,409.23
एपीवाई	1,49,53,432	6,335.09	6,860.30
कुल योग	**2,73,54,805**	**2,45,582.44**	**3,18,213.74**

स्रोतः एनपीएस न्यास

*मिलान और निर्धारित किए गए

इस अवधि में एनपीएस और एपीवाई योजनाओं ने तीव्र वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने इन योजनाओं को कर लाभ के रूप में सहायता प्रदान की है और एपीवाई की गारंटी ने इन योजनाओं के लिए मांग को बढाया है

लेकिन अभी भी, दे ा की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, योजनाओं को अभी लोगों का आकर्शण प्राप्त करने की आव यकता है। एनपीएस को बढ़ाने में प्रमुख चुनौती संभावी अभिदाताओं में जागरूकता और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है। पीएफआरडीए विभिन्न मीडिया और क्षमता उत्पादन कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। पीएफआरडीए सेवानिवृत्ति सलाहकारों के पंजीकरण को स्वीकृति प्रदान करता है, जिनका उत्तरदायित्व संभावी के साथ–साथ मौजूदा अभिदाताओं को उनकी सेवानिवृत्ति योजनाओं को चुनने में सहायता प्रदान करना और वित्तीय रूप से सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए मार्गद ान प्रदान करना है।

इसके अलावा, एनपीएस जागरूकता के प्रसार को सुनि चत करने के लिए, पीएफआरडीए सेवा प्रदाताओं के अधिकारियों के लिए प्र िक्षण और क्षमता उत्पादन कार्यक्रम के लिए एक समर्पित एजेंसी को नियुक्त करते हुए प्रचारात्मक और विकासात्मक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

संभावी अभिदाताओं और सेवाप्रदाताओं के लिए एनपीएस के उपयोग की सरलता प्रदान करने के लिए, पीएफआरडीए ने इसमें तकनीक का लाभ उठाया है और ई एनपीएस, मोबाइल एप, ई–केवाईसी आदि की भुरुआत की है, जो प्रभाव ीलता को उत्पन्न करते हैं। ई–एनपीएस के माध्यम से एक व्यक्ति सरलता से ऑनलाइन पंजीकरण और अं ादान कर सकता है। एनपीएस के तहत मौजूदा अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन अं ादान उपलब्ध है। ईएनपीएस, एनपीएस के तहत व्यक्तिगत पें ान खातों को खोलने की सुविधा प्रदान करता है और टियर, के साथ टियर II खातों में ऑनलाइन रूप से भुरूआती तथा अनुवर्ती अं ादान करता है। यह गुण, प्रमाणीकरण के प चात् अभिदाताओं को उनके पें ान निधि प्रबंधक, आस्ति वर्ग, आवंटन अनुपात और योजना विकल्प बदलने के लिए सक्षम बनाता है। एनपीएस अभिदाता लॉग इन परिचायकों और पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्रमाणन का प्रयोग करते हुए टियर II खाते से प्रत्याहरण अनुरोध भुरू कर सकता है।

1.8 वर्ष के दौरान, पीएफआरडीए के लक्ष्यों की समीक्षा पर एक टिप्पणी

वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना, प्राधिकरण के लक्ष्यों जैसे अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा, विनियमों, विकास तथा हितों की सुरक्षा के माध्यम से प्रस्तुत करती है।

पीएफआरडीए सक्रिय रूप से राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (उसके सभी प्रकारों) तथा अटल पें न योजना के प्रचार तथा विकास एवं एनपीएस के अंतर्गत सभी मध्यस्थों के विनियमन तथा निरीक्षण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा के संपूर्ण लक्ष्य के प्रावधान तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा में लगी है। इन क्रियाकलापों में लगे रहने के दौरान, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना तथा सर्वोत्तम वै िक अभ्यास को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए निम्नलिखित व्यापक लक्ष्यों/परिणामों की प्राप्ति करने के लिए कार्यरत है:–

1) आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना
2) सुरक्षा
3) प्रभाव ीलता
4) पर्याप्तता
5) स्थिरता

आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना

आबादी के सभी क्षेत्रों में, वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान प्राधिकरण के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 एनपीएस के विनियमन का आदे ा देती है, आबादी के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों को आवृत करने के लिए एनपीएस के विभिन्न प्रकारों की भुरुआत की गई जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोर्पोरेट, सभी नागरिक, एनपीएस लाईट, अटल पें ान योजना (पीएफआरडीए द्वारा प्र ाासित और विनियमित एक भारत सरकार योजना)। प्राधिकरण आवृत्ति क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लोक जागरुकता प्रिंट, इलेक्ट्रानिक तथा सो ाल मीडिया

द्वारा, प्रशिक्षण देने वाले अभिकरण की नियुक्ति तथा बैंको, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, नयाचार कार्यालयों आदि के अफसरो के लिए क्षमतोत्पादन आदि सेवानिवृत्ति सलाहाकारों की नियुक्ति आदि, ई–एनपीएस के द्वारा ऑनबोर्डिंग तथा लेन–देन की सुविधा प्रदान करता है। परिणामस्वरुप, एनपीएस के तहत अभिदाता संख्या वित्तीय वर्श 2017–18 के 211.78 लाख से बढ़कर वित्त वर्श 2018–19 में 273.55 लाख हुआ है जो कि 36% का विकास है।

सुरक्षा

पीएफआरडीए ने 2013 के अधिनियम के तहत विनियमों की एक व्यापक रुपरेखा को पेंशन परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधि जो कि सेवानिवृत्ति लाभों को प्रदान करने हेतु संचित होता है के नुकसानों को न्यून करने हेतु प्रस्तुत किया है। इन विनियमों में सभी मध्यस्थों के लिए जिनमें पेंशन निधि शामिल है की नियुक्ति के जोरदार मानदंड, विस्तृत कोर्पोरेट शासन रुपरेखा, योग्य तथा उपयुक्त प्रणाली, व्यापक आचार संहिता, विस्तृत भूमिकाएं तथा दायित्व, दंड प्रणाली, संपत्तियों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने हेतु सम्मिलित किया है। विनियमों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा मजबूत बनाया जाता है। आईटी निरीक्षण प्रणालियों को आगे मजबूत करने के लिए लिए, पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और यह कवरेज को सुनिश्चित करेगा।

प्रभावशीलता

प्राधिकरण का यह प्रयास है कि अभिदाताओं के स्वीकार्य जोखिमों पर कुल शुल्क वापसी को बढ़ाकर तंत्र में प्रभावशीलता लाना। यह समय–समय पर प्रतिदानों को अनुकूल करके निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा करके किया जा सकता है। दो नई जीवनचक्र निधियों जो एलसी 25 एवं एलसी 75 हैं तथा निजी अभिदाताओं के लिए नई परिसंपत्ति वर्ग ''ए'' की शुरुआत इस दिशा में उठाए गए कुछ कदमों में से है।

प्रभावशीलता श्रमिकों तथा पूंजी बाजारों की प्रभावशीलता साथ ही साथ नौकरी तथा निवेश के लिए अप्रत्यक्ष योगदानों सें भी संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक प्रत्यक्ष योगदानों द्वारा पेंशन प्रणाली के साथ मिलकर कार्य करते हैं (अधिक कार्यरत जीवन तथा योगदान, पूंजी की न्यून कीमतों, या अधिक वित्तीय समावेशों द्वारा)। पीएफआरडीए एनपीएस तथा एपीवाई द्वारा अभिदाताओं के जागरुकता कार्यक्रम में सक्रिय रुप से कार्यरत है।

पूंजी बाजारों के लिए, प्रभावशीलता पूंजी बाजार गहराई से गैर– बैंकों की वित्तीय पूंजी उत्पादन निवेश के निधिकरण हेतु तथा विस्तृत पूंजी बाजार सुधारों के लाभों से संबंधित है। पीएफआरडीए इन लक्ष्यों को पूर्ण करने में अनेकों अंतर्विनियामक संगठनों तथा समितियों का भाग रहा है।

प्राधिकरण का अन्य प्रयास एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयों को प्रबल बनाना है। मध्यस्थ इकाईयों को प्रबल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उचित और पारदर्शी प्रणाली को स्थापित किया जा सके। मध्यस्थों को उत्पाद और प्रक्रिया के बारे सहीज्ञान साझा करना तथा उचित दिशानिर्देशों को जारी करना ताकि पूरी प्रणाली सम्यक रूप से कार्य कर सके।

पर्याप्तता

किसी भी पेंशन प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों के जीवनचक्र के दौरान खपत को सरल करना अर्थात् संचित सेवानिवृत्ति लाभ पात्रता की सुविधा देना जो कि उन्हें वृद्धावस्था आय की सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि एनपीएस बिना किसी लाभ की गारंटी के, एक परिभाशित योगदान योजना है तथापि एक अच्छे प्रयास के उपाय के रुप में सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त पेंशन धन विभिन्न तरीकों के माध्यम से, जिनमें 60 वर्श की आयु के ऊपर तक एनपीएस योगदान की आयु बढ़ाना, प्रतिदानों को अनुकूल करने के लिए निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा, सरकार के साथ मिलकर कर छूट आदि से योगदान बढ़ाना इत्यादि सुनिश्चित करना प्राधिकरण का प्रयास है। इसी दिशा में आगे

जाने पर, स्वैच्छिक क्षेत्र के तहत जैसे सर्व नागरिक मॉडल, कॉर्पोरेट मॉडल में 60 वर्श के बाद भी एनपीएस में ऑनबोर्ड की सुविधा प्रदान की गई है। कोर्पोरेट मॉडल में 60 वर्श के बाद भी एनपीएस में ऑनबोर्ड की सुविधा प्रदान की गई है।

स्थिरता

किसी भी अं ादायी पें ान प्रणाली के पीछे स्थिरता भी एक प्रमुख मुद्दा होता है। एनपीएस के माध्यम से, दे ा में समाज के विभिन्न भागों को पें ान उत्पाद प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है जो लम्बी अवधि तक चल सके और एक सुरक्षित वृद्धावस्था आय प्रदान करने के प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। एनपीएस परिभाशित अं ादान योजना है, जो कि संस्थानिक ढाँचे और उत्पाद परिकल्पना के साथ दीर्घकालिक अवधि तक चलने के लिए स्वयं को स ाक्त बनाती है। स्थायी पें ान प्राणाली के प्रयास को प्राप्त करने में नियमित बचत और निवे ा अनुभासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएफआरडीए ने पें ान के विशय में लोगों को ि ाक्षित करने और इन लक्ष्यों को आगे बढाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं।

1.9 एनपीएस के तहत मध्यस्थ इकाईयां

1.9.1 राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मध्यस्थ तथा अन्य इकाईयां तथाअ विनियम के तहत आने वाली पेंशन योजनाएं

राश्ट्रीय पें ान प्रणाली एक ऐसी असमूहीकृत प्रणाली के तहत कार्य करती है जिसमें प्रत्येक कार्य उस क्षेत्र की वि ाश्ट इकाई को दिया गया है। एनपीएस कार्यप्रणाली में सम्मिलित हैं उपस्थिति अस्तित्व, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरण, न्यासी बैंक, पें ान निधि प्रबंधक, एनपीएस न्यास, संरक्षक तथा वा ािकी सेवाप्रदाता।

क) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

उपस्थिति अस्तित्व बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि हैं जो कि पीएफआरडीए के साथ एनपीएस हेतु अभीदाताओं के पंजीकरण तथा सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकृत है। उपस्थिति अस्तित्व अभिदाता तथा एनपीएस के बीच पहला वार्तालाप बिंदु है। पंजीकृत पीओपी के पास अधिकृत भााखाएं होती हैं जिन्हें पीओपी सेवाप्रदाता कहा जाता है जिनका कार्यसंग्रह बिंदु तथा ग्राहकों के लिए सेवाओं को बढ़ाना है। पीओपी के कार्यों में सम्मिलित हैः अभिदाता पंजीकरण, अभिदाता योगदानों का प्रसंस्करण, व्यक्तिगत विवरण में बदलाव, निवे ा योजनाओं/निधि प्रबंधक में बदलाव, एक प्रतिरूप से दूसरे प्रतिरूप में अभिदाता स्थानांतरण प्रसंस्करण, मुद्रित खाता विवरण को जारी करना, सेवानिवृति पर निकासी बहिरगमन का प्रसंस्करण आदि।

ख) सरकारी विभाग नोडल कार्यालय

केंद्र सरकार नोडल कार्यालय

प्रमुख लेखा कार्यालय, वेतन एवं लेखा कार्यालय और आहरण और संवितरण कार्यालय

केंद्र सरकार के तहत प्रमुख लेखा कार्यालय, वेतन एवं लेखा कार्यालय और आहरण और संवितरण कार्यालय या राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों के तहत अनुरूप कार्यालय ऐसी मध्यस्थ इकाईयां हैं जो एनपीएस के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ चर्चा करती हैं।

राज्य सरकार नोडल कार्यालय

डीटीए, डीटीओऔर डीडीओ

राज्य सरकारों के तहत कोशालय और लेखा निदे ाालय (डीटीए), जिला खजाना कार्यालय (डीटीओ) और आहरण एवं संवितरण कार्यालय और राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकायों के तहत अनुरूप कार्यालय ऐसी मध्यस्थ इकाईयां हैं जो एनपीएस के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ चर्चा करती हैं।

नोडल कार्यालय सीआरए प्रणाली के तहत सरकारी अभिकरणों के चुने कार्यालय हैं जो एनपीएस के तहत विभिन्न परिचालन कार्यों को निश्पादित करते हैं। इन कार्यालयों को एक वि ाश्ट संख्या द्वारा पहचाना जाता है अर्थात् पीआरएओ/पीएओ/डीडीओ पंजीकरण संख्या, जो उनके सफल पंजीकरण पर उन्हें सीआरए द्वारा प्रदान

की जाती है। कार्यालय के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार है:

- अभिदाता पंजीकरण के लिए अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र पीएओ को जमा करें।
- अभिदाताओं को प्रान किट वितरित करें।
- अभिदाता के अं ादान के विशय समयबद्ध और उचित सूचना प्रदान करना।
- अभिदाता प्रबंधन के लिए अभिदाताओं की ि ाकायत पीएओ को भेजना।
- अभिदाताओं की ि ाकायतों का समाधान करना।
- अभिदाता निकासी अनुरोध पीएओ आदि को भेजना।

ग) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण

एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा कार्वी कंप्यूटर ोयर प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। उनके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :–

- अभिदाता रिकॉर्ड प्र ाासन तथा ग्राहक सेवा कार्यों को बनाए रखना।
- प्रत्येक अभिदाता के लिए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) जारी करना, सभी प्रान का डाटाबेस तैयार करना तथा प्रत्येक प्रान से संबंधित लेनदेन की रिकॉर्डिंग।
- एनपीएस प्रणाली के विभिन्न मध्यस्थों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना। इसमें सम्मिलित है प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए योगदानों का निरीक्षण तथा पें ान निधि हेतु उसके द्वारा दिए गए निर्दे ा तथा संप्रेशण। समय समय पर वह प्रत्येक सदस्य को प्रान विवरण भेजते हैं।
- केंद्रीय ि ाकायत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना ।
- निधि प्रबंधकों को समय से निधि स्थांतरित कराना
- न्यासी बैंकों को अभिदाता खातों में निकास निधि पर छूट देने हेतु तथा वार्शिकी योजना के लिए वार्शिकी सेवाप्रदाता प्रदान करने हेतु निर्दे ा समन्वित करना

घ) न्यासी बैंक

एनपीएस के तहत आने वाले विभिन्न मध्यस्थों के निधि प्रवाह को न्यासी बैंक द्वारा संभाला जाता है। वर्तमान में, एक्सिस बैंक लिमिटेड वह चयनित बैंक है, जो अभिदाताओं, निधि प्रबंधकों तथा वार्शिकी सेवाप्रदाताओं के लिए निधि स्थानांतरण की सुविधा जो किसी आरए के माध्यम से अभिदाताओं द्वारा दिए गए निर्दे ाों पर आधारित हैं उपलब्ध कराता है। न्यासी बैंक नयाचार कार्यालयों/पीओपी/एग्रीगेटरों द्वारा निधि प्राप्त करता है तथा उससे अभिदाता योगदान फाइल के साथ जोड़ देता है। न्यासी बैंक निधियों को एनपीएस न्यास के रूप में रखता है तथा अभिदाता उसके लाभान्वित मालिक बनते हैं।

ड.) पेंशन निधियां (पीएफ)

1. यह पीएफआरडीए में पंजीकृत पें ान निधियां हैं जिन्हें न्यायसंगत तथा विवेकपूर्ण ढंग से निवे ा करने के लिए पें ान कोश को प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में रखने और प्रबंधन हेतु नियुक्त किया गया है। मौजूदा समय में पें ान निधि प्रबंधक हैं: आईसीआईसीआई प्रूडें ियल पें ान फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी पें ाननिधि, कोटक महिंद्रा पें ान फंड लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल पें ान फंड लिमिटेड, एसबीआई पें ान फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यू ांस लिमिटेड, एचडीएफसी पें ान मैनेजमेंट को लिमिटेड तथा बिरला सनलाइफ पें ान मैनेजमेंट लिमिटेड। उनके कार्य है:

- निवे ा दि ाानिर्दे ाों के अनुसार निवे ा करना
- सीआरए द्वारा प्राप्त निर्दे ाों के आधार पर योगदानों को निवे ि ात करना
- योजना पोर्टफोलियो का निर्माण
- पुस्तिका तथा अभिलेख का रखरखाव प्राधिकरणो को रिपोर्ट करना तथा खुलासे करना

च) प्रतिभूतियों के संरक्षक

एनपीएस न्यास के नाम पर एनपीएस कोश द्वारा खरीदी

गई प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियों के संरक्षकों द्वारा संचालित की जाती है जो कि प्रतिभूतियों के लेन–देन तथा प्रतिभूतियों के वितरण की स्वीकार्यता की सुविधा भी प्रदान करती है। पीएफआरडीए ने स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरे ान ऑफ इंडिया लिमिटेड को संरक्षक नियुक्त किया है। उसके कार्य इस प्रकार हैं:

- एनपीएस न्यास के नाम पर प्रतिभूतियों की सुरक्षा आयोजित करना जिसे एनपीएस कोश द्वारा खरीदा गया
- आयोजित प्रतिभूतियों के विवरण का रखरखाव
- प्रतिभूतियों पर लाभां ा, अधिकार, बोनस इत्यादि जैसे लाभ एकत्र करना।
- आयोजित प्रतिभूतियों के जारी कर्ताओं के कार्यों के बारे में जानकारी देना जो लाभों को प्रभावित कर सकते हैं।

छ) एनपीएस न्यास

एनपीएस न्यास एक ऐसा न्यास है जो भारतीय न्यास अधिनियम के तहत गठित हुआ है, जो अभिदाताओं के लाभ के लिए एनपीएस की परिसंपत्ति धारण करता है। इस न्यास का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, निधियों की देखभाल करना और अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना। एनपीएस न्यास पें ान निधि प्रबंधकों के कामकाज की निगरानी और निरीक्षण करता है और अन्य मध्यस्थों जैसे केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, संरक्षक और अन्य संस्थाओं के साथ संपर्क करता है।

ज) वार्षिकी सेवा प्रदाता

वार्शिकी सेवाप्रदाता (एएसपी) आईआरडीएआई द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां हैं , जिन्हें पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस के अभिदाताओं को उनके द्वारा दी गई वार्शिकियों के समूह से वार्शिकी प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में पाँच एएसपी की सूची बनायी गयी है जो दृभारतीय जीवन बीमा निगम, एचडीएफसी लाइफ इं योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडें ायल लाइफ इं योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इं योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार यूनियन दाई–इची लाइफ इं योरेंस कंपनी लिमिटेड हैं।

झ) सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकार जो कि कोई व्यक्ति, पंजीकृत साझेदारी कंपनी, कार्पोरेट निकाय या कोई पंजीकृत न्यास या समाज है, राश्ट्रीय पें ान प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पें ान योजना पर संभावी अभिदाताओं/अभिदाताओं या अन्य लोगों या लोगों के समूह को सलाह देने के कार्य में संलग्न रहने की वांछा करता है और इन विनियमों के तहत पंजीकृत है। व्यक्तिगत और व्यक्तिगत से भिन्न सेवानिवृत्ति सलाहकारों की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.9.2 खाते के प्रकार

एनपीएस के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं–

1. टियर–1 खाता: टियर–1 खाता के तहत अभिदाता अपनी बचत को आं ाक निकासी खाते के रुप में सेवानिवृत्ति/पे ान निकासी खाते में योगदान के लिए देता है। कुछ भार्तों पर समयपूर्व निकासी की अनुमति है।
2. टियर –2 खाता: यह एक स्वैच्छिक बचत खाता है। जहां अभिदाता, जब वह चाहे तो इस खाते में बचत रा ि ा जमा करने और वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। एनपीएस के तहत आने वाली उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, पीएफआरडीए अटल पें ान योजना को भी प्र ाासित और नियंत्रित करता है ।

एनपीएस के अतिरिक्त, पीएफआरडीए अटल पें ान योजना को भी प्र ाासित और विनियमित करता है।

तालिका:1.2 वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/अटल पेंशन योजना के प्रदर्शन के मुख्य बिंदु

तरीके	वित्त वर्ष 2017–18 के अंत तक के अनुसार	वित्त वर्ष 2018–19 के अंत तक के अनुसार	वृद्धि (%)
सरकारी अभिदाता	57, 89,217	63,05,889	8.92
सर्वनागरिक. कॉर्पोरेट अभिदाता	13,87,401	17,32,946	24.91
एपीवाई अभिदाता	96,05,713	1,49,53,432	55.67
पीओपी–एसपीज की संख्या	79,640	81983^	2.94
एपीवाई–एसपीज की संख्या	399	406	1.75
सीएबीज की संख्या	545	559	2.57
एसएबीज की संख्या	1078	1154	7.05
कोर्पोरेट्स की संख्या	4,559	5,964	30.82
प्र ाक्षित अधिकारियों की संख्या (वित्त वर्शानुसार)	65,520	36706*	56.02

^पीओपी–एसपी संख्या अधिकतर होने के कारण एनएसडीएल–सीआरए के आंकड़े लिए गए हैं।

*हीरो माइंडमाइन इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंक्रीमेंटल आयोजित किया गया।

• सरकारी अभिदाताओं की संख्या मार्च 2018 के अंत में 57.89 लाख से बढ़कर मार्च 2018 के अंत में 63.06 लाख अभिदाता हो गई, और 5.17 लाख (8.92%) की वृद्धि दर्ज की।

• निजी क्षेत्र के तहत, कॉर्पोरेट क्षेत्र अभिदाताओं की संख्या मार्च 2018 के अंत के 6.96 लाख से बढ़कर मार्च 2019 में 8.03 लाख हो गई , जो कि 1.07 लाख (15.37%) अभिदाताओं की वृद्धि है। असंगठित क्षेत्र/सर्व नागरिक मॉडल के तहत अभिदाता 6.91 लाख से बढ़कर मार्च 2019 में 9.30 लाख हो गई, जो कि 2.39 लाख (34.59%) अभिदाताओं की वृद्धि है।

• एपीवाई अभिदाताओं की संख्या मार्च 2018 के अंत में लगभग 96.06 लाख अभिदाताओं से बढ़कर मार्च 2019 के अंत में 149.53 लाख हो गई है। प्रति ात के हिसाब से इसने 55.67% की वृद्धि की है।

• पीओपी–एसपीस की संख्या मार्च 2018 के अंत की 79640 से मार्च 2019 में 81983 हो गई है।

• एपीवाई के लिए सेवा प्रदाताओं की संख्या मार्च 2018 की 399 की संख्या से बढ़कर मार्च, 2019 में 406 हो गई है, 1.75% की वृद्धि दर्ज की है।

• केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जिनमें सीएबी और एसएबी सहित राज्य सरकारें सम्मिलित हैं, जिन्होंने एनपीएस को अपनाया है अनिवार्य रूप से एनपीएस के तहत भाामिल किये गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ सीएबीज और एसएबीज हैं जो एनपीएस के तहत पंजीकृत नहीं है। इस वर्श 14 नए सीएबीज और 276 एसएबीज को एनपीएस के तहत लाया गया है जिससे सीएबीज और एसएबीज की कुल संख्या 559 और 1154, क्रम ाः हो गई है।

• कॉर्पोरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को अनिवार्य या स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस की सुविधा प्रदान करता है। मार्च 2018 के अंत के 4559 कोर्पोरेट्स की तुलना में मार्च, 2019 में कुल 5964 कोर्पोरेट्स एनपीएस के तहत पंजीकृत हुए हैं।

• सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति योजना के लिए बचत के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, पीएफआरडीए ने पीएफआरडीए द्वारा चुनी गई प्र ि ाक्षण एजेंसियों के माध्यम से प्राक्षिण प्रदान करने सहित विभिन्न गतिविधियां की हैं। ये प्र ि ाक्षण एजेंसियां केंद्रीय और राज्य सरकार, वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) – नोडल अधिकारियों, आहरण और संवितरण कार्यालय (डीडीओ), उपस्थिति अस्तित्व / बैंक / डाकघर संकलनकर्ता इत्यादि को एनपीएस / एपीवाई की मुख्य वि ोशताओं, प्रक्रिया में भाामिल होने के बारे में प्र ि ाक्षण प्रदान करती हैं। इसके अलावा, प्र ि ाक्षण कार्य ाालाएं / ि ाविर सभी क्षेत्रों और स्थानों के अभिदाताओं के लिए व्यापक वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण नीति के हिस्से के रूप में आयोजित किए गए हैं। चार क्षेत्रों अर्थात् पूर्व, प ि चम, उत्तर और दक्षिण में से कुल 911 दलों और कुल 36706 व्यक्तियों को इस अवधि (8/8/2018–31/03/2019) में प्र ि ाक्षित किया गया। वित्त वर्श 2017–18 और वित्त वर्श 2018–19 को मिलाकर 102226 व्यक्तियों को प्र ि ाक्षित किया गया है। इसने 56.02% की वृद्धि दर्ज की।

भाग II

एनपीएस के तहत निधियों का निवेश

यह अध्याय एनपीएस तथा एनपीएस अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के तहत निधियों के निवेश पर चर्चा करता है तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में विभिन्न निवेश श्रेणियों में जिनमें सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण प्रतिभूतियां तथा इक्विटीज शामिल हैं, पर एक्सपोजर की सीमा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न, विवरणी) नियम, 2015 के परिशिष्ट II के अनुसार है ।

2.1 पेंशन निधियां (पीएफ्स)

पेंशन निधि से तात्पर्य है एक मध्यस्थ इकाई जिसे प्राधिकरण द्वारा भाग 27 के उप–भाग (3) के तहत अंशदानों को प्राप्त करने, उन्हें संचित करने और विनियमों में यथा निर्दिश्ट रीति में अभिदाताओं को भुगतान करने के लिए एक पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है ।

2.1.1 पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में शामिल है:

क. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तथा अभिदाताओं के हित में, निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का व्यावसायिक निवेश ।

ख. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योजनाओं के अनुसार योजना पोर्टफोलियो निर्माण।

ग. अपनी संक्रियाओं की पुस्तकों और अभिलेखों का प्रबंधन ।

घ. प्राधिकरण तथा एनपीएसटी को नियत समय के अंतराल पर रिपोर्टिंग।

ड. लोक प्रकटीकरण

च. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि), 2015 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार निर्धारित अन्य गतिविधियाँ

2.1.2 सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (अर्थात् सीजी और एसजी), तथा एपीवाई के लिए पेंशन निधियों (पीएफस) की सूची।

I) एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड

II) एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड

III) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के लिए पेंशन निधियों द्वारा प्रभारित किये जाने वाले निवेश प्रबंधन भुल्क, प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का 0.0102 प्रतिशत प्रतिवर्श है।

2.1.3 निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफ्स) की सूची

i) एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कं. लिमिटेड

ii) आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फण्ड मैनेजमेंट कं. लिमिटेड

iii) कोटेक महिंद्रा पेंशन फण्ड लिमिटेड

iv) एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड

v) रिलायंस कैपिटल पेंशन फण्ड लिमिटेड

iv) एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

vii) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

viii) बिरलासन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

पेंशन निधियों द्वारा गैर–सरकारी क्षेत्र पोर्टफोलियो के लिए प्रभारित निवेश प्रबंधन भुल्क, प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का 0.01 प्रतिशत प्रतिवर्श है ।

2.2 योजनाएं

वर्तमान में पेंशन निधियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निम्नलिखित योजना (एं) प्रबंधित हैं:

क) केंद्र सरकार कर्मचारियों और केंद्र स्वायत्त निकाय कर्मचारियों के लिए लागू योजना– इस योजना को सीजी योजना कहा जाता है और इसके निम्नलिखित निवेश विकल्प हैं।

तलिका संख्या 2.1 सीजी क्षेत्र में आस्ति आवंटन

श्रेणी	आस्ति वर्ग / उपकरण	अधिकतम एक्सपोजर
i	राज्य विकास ऋण के सम्बन्ध में सरकारी प्रतिभूतियां और सम्बंधित निवे ा*	50%
ii	ऋण उपकरण और सम्बंधित निवे ा	45%
iii	लघुकालिक ऋण उपकरण और सम्बंधित निवे ा #	5%
iv	इक्विटीज और सम्बंधित निवे ा	15%
v	समर्थित आस्ति, संरचित न्यास और विविध निवे ा	5%

01 अप्रैल 2019 से निम्नलिखितपरिवर्तन प्रभावी हुए ।

* सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकार विकास ऋण सहित सम्बंधित निवे ाों के लिए सीमा बदलकर 55% हो गई है ।

समर्थित आस्ति, संरचित न्यास और विविध निवे ा के तहत सीमा बदलकर 10% हो गई है।

प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां, पूर्व वर्श रिटर्न्स के अनुसार प्राधिकरण के निदे ाों के तहत तीन पें ान निधियों अर्थात् एलआईसी पें ान फण्ड लिमिटेड, एसबीआई पें ानफंड्स प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड में वितरित है। वित्त वर्श 2016–17 के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति एसबीआई पें ान फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पें ान फण्ड लिमिटेड में 33.50: 34.50: 32.00 के अनुपात में आबंटित है।

ख. राज्य सरकार कर्मचारियों तथा राज्य स्वायत्त निकाय कर्मचारियों के लिए लागू योजना– इस योजना को एसजी योजना कहा जाता है। यह भी सीजी योजना के समान निवे ा प्रारूप तथा पें ान निधियों का अनुसरण करती है। वित्त वर्श 2018–19 के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति एसबीआई पें ान फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड और एलआईसी पें ान फण्ड लिमिटेड में 33.50: 34.00: 32.50 के अनुपात में आबंटित है।

ग. व्यक्तिगत अभिदाताओं तथा कॉर्पोरेटस के लिए लागू योजनाएं:–

निम्नलिखित योजनाएं व्यक्तिगत अभिदाताओं तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के अभिदाताओं पर लागू हैं :–

1. **एनपीएस– लाइट योजना** –यह सीजी योजना के समान निवे ा प्रारूप का अनुसरण करती है। जबकि, संकलनकर्ता 8 पें ान निधियों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं

2. **एपीवाई योजना:** यह सीजी योजना के समान निवे ा प्रारूप तथा पें ान निधियों का अनुसरण करती है। प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां तीन पें ान निधियों अर्थात् एलआईसी पें ान फण्ड लिमिटेड, एसबीआई पें ान फण्ड प्राइवेट लिमिटेड तथा यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड के बीच वितरित है।

3. **कॉर्पोरेट सीजी योजना**– यह सीजी योजना के समान निवे ा प्रारूप तथा पें ान निधियों का अनुसरण करती है। जबकि, नियोक्ता / कर्मचारी तीन सार्वजनिक क्षेत्र पें ान निधियों (अर्थात् एसबीआई पें ान फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड और एलआईसी पें ान फण्ड लिमिटेड) में से एक पें ान निधि का चयन कर सकता है। यह योजना नए कर्मचारियों के लिए बंद कर दी गई है।

4 **.टियर I और टियर II के लिए ई–सी–जी–ए प्रारूप**– आस्तियां इक्विटी, कॉर्पोरेट बांड्स, सरकारी प्रतिभूतियों तथा, वैकल्पिक निवे ा निधि, सेबी (वैकल्पिक निवे ा निधि) विनियम 2012 के तहत परिभाशित सेबी नियंत्रित वैकल्पिक निवे ा निधि' एआईएफ (श्रेणी I और श्रेणी II में केवल) में निवे ित हैं।

तालिका 2.2 योजनानुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

(रुपये करोड़ में)

योजना	मार्च–18	मार्च–19	% वृद्धि
सीजी	84955	1,09,011	
एसजी	115989	1,58,881	
उपकुल	**200944**	**2,67,892**	**33%**
कॉर्पोरेट सीजी	14846	20683	
ई–I	4308	7234	
सी–I	2847	4422	
जी–I	4243	6897	
ए–I	7	20	
ई–II	217	325	
सी–II	162	209	
जी–II	181	263	
एनपीएस लाइट	3006	3409	
एपीवाई	3818	6860	
उपकुल	**33636**	**50322**	**50%**
कुल योग	**234579**	**3,18,214**	**36%**

*स्रोत एनपीएस–न्यास

मार्च 2018 के लिए टिप्पणी

दामोदर घाटी निगम के 309.94 करोड़ को एसजी के तहत द ार्याया गया है।

कॉर्पोरेट सीजी में दामोदरघाटी निगम की एयूएम भाामिल नहीं है।

मार्च 2019 के लिए टिप्पणी

उपरोक्त तालिका यह अंकित करती है कि सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 33% से बढ़ी है, जबकि इन दो योजनाओं के अतिरिक्त योजनाओं में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 50% से बढ़ी है। हालांकि, सम्पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र योजनाएं रु.66,948 करोड़ से बढ़ी है जबकि अन्य योजनाएं सम्पूर्ण रूप से रु.16,687 करोड़ तक बढ़ी है।

जैसा कि ऊपर वर्णित है, विभिन्न योजनाएं विभिन्न पें ान निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित हैं, सम्बंधित पें ान निधियों के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है :–

तालिका 2.3: मार्च 2019 तक के अनुसार पेंशन निधि अनुसार और योजनानुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति **(रुपये करोड़ में)**

पेंशन निधि योजनाएं	एसबीआई	एलआईसी	यूटीआई	आईसीआई सीआई	रिलायंस	कोटेक	एचडीएफसी	बिरला	कुल
सीजी	38453.66	33995.76	36561.29	-	-	-	-	-	**109010.71**
एसजी	53946.41	51995.69	52939.00	-	-	-	-	-	**158881.10**
कॉर्पोरेट–सीजी	18709.21	1973.58	-	-	-	-	-	-	**20682.79**
ए–I	4.48	1.06	1.14	3.18	0.21	1.05	7.73	0.67	**19.52**
ई–I	2421.64	556.63	378.21	1369.58	102.21	275.20	2081.86	48.88	**7234.22**
सी–I	1557.26	351.06	216.34	830.39	64.97	171.76	1205.67	24.62	**4422.08**
जी–I	2851.19	567.84	329.66	1069.07	104.77	237.11	1708.95	28.16	**6896.77**
ई–II	101.58	14.26	23.31	80.50	7.66	19.55	73.81	4.77	**325.44**
सी–II	68.11	9.70	12.91	59.51	4.49	11.40	39.97	3.01	**209.08**
जी–II	92.60	18.77	16.85	63.73	5.03	15.90	46.69	3.11	**262.69**
एनपीएस लाइट / स्वावलंबन	1411.57	980.32	964.68	-	-	52.67	-	-	**3409.24**
एपीवाई	2341.31	2254.55	2264.46	-	-	-	-	-	**6860.31**
कुल	**121959.00**	**92719.22**	**93707.84**	**3475.97**	**289.35**	**784.64**	**5164.69**	**113.22**	**318213.94**

2.3 पीएफआरडीए द्वारा निवेश की श्रेणियों में विनियमित और प्रशासित विभिन्न योजनाओं को एक्सपोजर

क. पीएफआरडीए के सीजी, एसजी, कॉर्पोरेट सीजी तथा एनपीएस लाइट और विभिन्न निवे ा उपकरणों में एपीवाई योजना के तहत पोर्टफोलियो के सन्दर्भ में, अधिकतम निर्धारित एक्सपोजर निम्न तालिका में प्रदान किये गए हैं:–

तालिका 2.4: सरकारी क्षेत्र में आस्ति वर्ग में आस्तियों का आवंटन

श्रेणी	आस्ति वर्ग / उपकरण	अधिकतम एक्सपोज़र
i	सरकारी प्रतिभूतियां और राज्य विकास ऋण सहित सम्बंधित निवे ा*	50%
ii	ऋणउपकरण और सम्बंधित निवे ा	45%
iii	लघुकालिक ऋण उपकरण और सम्बंधित निवे ा #	5%
iv	इक्विटीज़ और सम्बंधित निवे ा	15%
v	समर्थित आस्तियां, संरचित न्यास और विविध निवे ा	5%

01 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित परिवर्तन प्रभावी हुए।

* सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकार विकास ऋण सहित सम्बंधित निवे ाों के लिए सीमा बदलकर 55% हो गई है ।

#समर्थित आस्ति, संरचित न्यास और विविध निवे ा के तहत सीमा बदलकर 10% हो गई है ।

ख. अभिदाता, जो सरकारी क्षेत्र योजनाओं (सीजी और एसजी), एनपीएस लाइट, कोर्पोरेट सीजी और एपीवाई के अलावा अन्य योजनाओं का चयन करते हैं, अपनी आस्तियों को निम्न तालिक के अनुसार, आस्ति वर्ग ई (इक्विटी), आस्ति वर्ग सी (कोर्पोरेट ऋण), आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियां) और आस्ति वर्ग ए (वैकल्पिक आस्तियां) में आवंटित कर सकते हैं।

तालिका 2.5: सरकारी क्षेत्र से भिन्न आस्ति वर्गों में आस्ति आवंटन

श्रेणी	आस्ति वर्ग / उपकरण	अधिकतम एक्सपोजर
i	राज्य विकास ऋण सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सम्बंधित निवे ।	100%
ii	ऋण उपकरण और सम्बंधित निवे ।	100%
iii	लघुकालिक ऋण उपकरण और सम्बंधित निवे ।	5%
iv	इक्विटीज और सम्बंधित निवे ।	75%
v	समर्थितआस्ति, संरचित न्यास और विविध निवे ।	5%

टियर – II खातों के मामले में, आस्ति वर्ग ए में कोई निवे । अनुज्ञप्त नहीं है, अन्य विवेकपूर्ण सीमाएं समान रहेंगी।

मार्च, 2018 की तुलना में मार्च, 2019 तक के अनुसार आस्ति वर्गवार द्विभाजन निम्नानुसार है : –

तालिका 2.6: प्रबंधन के अधीन आस्ति का आस्ति वर्गवार द्विभाजन

आस्ति वर्ग	31–मार्च–18		31–मार्च–19 राशि	
	राशि (रु. करोड़ में)	निवेश का %	(रु.करोड़ में)	निवेश का %
जी–सेक	1,13,230	48.27%	1,50,576	47.32%
कॉर्पोरेट बांड	80572	34.35%	1,11,384	35.00%
इक्विटी	32703	13.94%	45086	14.17%
मुद्रा बाजार	2760	1.18%	2802	0.88%
नकद और कुल मौजूदा आस्तियां	5314	2.26%	8366	2.63%
कुल	**2,34,579**		**3,18,214**	

स्रोतः एनपीएस न्यास से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

चार्ट : 2.1 प्रबंधन के अधीन आस्ति का आस्ति वर्गवार द्विभाजन।

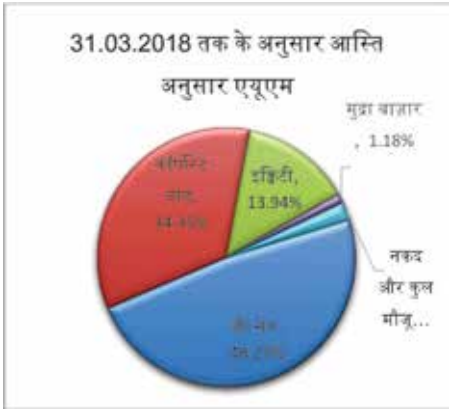

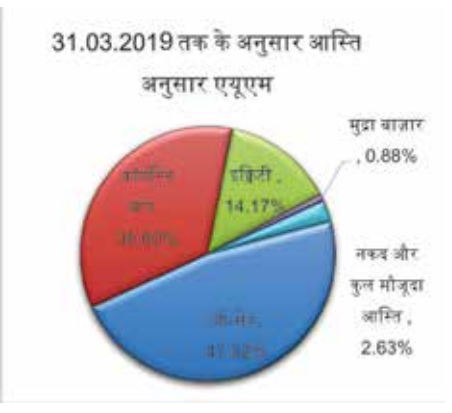

2.4 पेंशन निधि के सम्बन्ध में विनियम, अधिसूचना, जारी किए गए प्रमुख परिपत्र/दिशानिर्देश

1. एनपीएस के तहत पेंशन फंड के लिए कॉमन स्टीवर्डशिप कोड पर जारी परिपत्र दिनांक 04.05.2018

निवे ा कंपनियों के साथ निगरानी और संलग्नता को बढ़ाकर पें ान निधियों से अभिदाताओं/लाभार्थियों के प्रति अधिक जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। इस तरह की गतिविधियों को आमतौर पर संस्थागत निवे ाकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों की 'प्रबंधकपद जिम्मेदारी' के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसका उद्दे य अभिदाताओं की पें ान संपदा की रक्षा करना है। उसी के तहत, प्राधिकरण ने कॉमन स्टीवर्ड ाप कोड पर एक परिपत्र जारी किया है, जिसका पालन सभी पें ान निधियों द्वारा एनपीएस संरचना के तहत किया जाएगा ।

2. एनपीएस योजनाओं के तहत निवेश के लिए संशोधित रेटिंग मानदंड दिनांक 08.05.2018

प्राधिकरण द्वारा पें ाननिधियों को उन कॉर्पोरेट बॉन्ड / प्रतिभूतियों में निवे ा करने की अनुमति देने के लिए निर्णय लिया गया है जिनके पास ए रेटिंग या लागू रेटिंग स्केल में समतुल्य है, जो कि प्रमुख निवे ा दि ाानिर्दे ाों में संदर्भित पें ान निधि के सम्पूर्ण कॉर्पोरेट बांड पोर्टफोलियो (योजना/आस्ति वर्ग सी) पर ए से एए के बीच 10 प्रति ात से अनधिक की सीमा के अधीन है।

पें ान निधि को प्रतिभूतियों में किए गए निवे ा पर, जिसमें 'ए' की न्यूनतम रेटिंग होती है और इस श्रेणी में डाउनग्रेड, यदि कोई हो तो, सहित उनके प्रद ान पर इस तरह के निवे ा की निगरानी के लिए एनपीएस न्यास को एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना आव यक होता है ।

3. एनपीएस योजनाओं (सरकारी क्षेत्र (सीजी और एसजी), कार्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई के अलावा) के लिए निवेश दिशानिर्देशों दिनांक 22.05.2018 में संशोधन।

एनपीएस के तहत निजी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए सक्रिय विकल्प में इक्विटी निवे ा पर सीमा को 50% की वर्तमान अनुमेय सीमा से बढ़ाकर 75% कर दिया है, जिसमें अभिदाता द्वारा 50 वर्श की आयु प्राप्त करने पर इक्विटी आवंटन को रोक दिया जाता है ।

गैर–सरकारी क्षेत्र में अभिदाताओं के हित में, सीआरए आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में 75%, सी (कार्पोरेट ऋण) में 100% तक, जी (सरकारी प्रतिभूतियों) में 100% और आस्ति वर्ग ए (केवल टीयर I के लिए) 5% तक की एक्सपोजर सीमा की निगरानी करेगा ताकि यह सुनि चत किया जा सके कि इस तरह की सीमाओं का पालन किया जाता है।

4. पेंशन निधियों द्वारा इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश के सम्बन्ध में एनपीएस योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों दिनांक 20.08.2018 में बदलाव।

प्राधिकरण द्वारा इक्विटी म्युचुअल फंड में निवे ा पर इस प्रकार से 5% की सीमा लगाने निर्णय लिया गया है जिससे कि इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवे ा किया गया कुल पोर्टफोलियो किसी भी समय फंड के कुल पोर्टफोलियो के 5% से अधिक नहीं होगा और इस तरह के म्यूचुअल फंड में नए निवे ा वर्श में निवे ा किए गए नई अभिवृद्धि के 5% से अधिक नहीं होगा।

इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी श्रेणी या ईटीएफ या इंडेक्स फंड में पें ान फंड द्वारा पे ोवर फंड/परिसंपत्ति प्रबंधकों के माध्यम से उल्लिखित किसी भी म्यूचुअल फंड में निवे ा की रा ि ा को उनके प्रबंधन भाुल्क की गणना के उद्दे य से बाहर रखा जाएगा।

5. परिपत्र सं पीएफआरडीए/2018/56/पीएफ/2 दिनांक 20 अगस्त, 2018, एनपीएस योजनाओं में पेंशन निधियों द्वारा इक्विटी म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश के सम्बन्ध में दिशनिर्देशों में परिवर्तन पर स्पष्टीकरण के लिए परिपत्र दिनांक 02.11.2018।

यह परिपत्र, उन मुद्दों पर स्पश्टीकरण प्रदान करता है जो कि इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड, ईटीएफ या इंडेक्स फण्ड में निवे ा के लिए सं ोधित दि ाानिर्द ाों को लागू करते समय पें ान निधियों द्वारा प्रत्यक्ष किए गए जैसा कि परिपत्र दिनांक 20 अगस्त, 2018 में वर्णित है, जारी किया गया स्पश्टीकरण निम्नलिखित हैः

i) तरल म्यूचुअल फंड में पें ान फंड द्वारा किए गए निवे ा को निवे ा प्रबंधन भाुल्क के भुगतान से बाहर नहीं रखा जाएगा। तदनुसार, तरल म्यूचुअल फंड में निवे ा के लिए आईएमएफ के भुगतान के लिए पें ान फंड पात्र होंगे।

ii) अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए, पीएफ म्यूचुअल फंड्स यूनिटों को तब तक जारी रख सकता है जब तक कि उन्हें एक वर्श पूरा नहीं हो जाता है, ताकि निकास भार से बचा जा सके।

iii) निवे ा प्रबंधन भाुल्क को ईटीएफ आदि सहित सभी निवे ाों से प्रभारित किया जा रहा है, जब परिपत्र दिनाक 20.08.2018 करने से पहले पीएफ को ऐसे निवे ा पर आईएमएफ को प्रभारित करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स (लिक्विड म्यूचुअल फंड को छोड़कर), ईटीएफ या इंडेक्स फंड निवे ा परिपत्र जारी होने परया के बाद लिए गए आईएमएफ को निवे ा प्रबंधन भाुल्क की गणना से बाहर रखा जाता है।

6. कॉर्पोरेट मॉडल एनपीएसरू कॉर्पोरेट्स द्वारा पीएफ और निवेश विकल्पों और कर्मचारियों के एनपीएस आवेदन के सामूहिक प्रमाणीकरण के लिए प्रावधानों में संशोधन , परिपत्र दिनांक 14.11.2018।

इस परिपत्र में कहा गया है कि या तो नियोक्ता / कॉर्पोरेट या कर्मचारी / अभिदाता के पास पें ान निधि और आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प होगा। इसके अलावा, कॉर्पोरेट / नियोक्ता के पास अपने कर्मचारियों के एनपीएस आवेदनों को व्यक्तिगत रूप से या अलग से कॉर्पोरेट लेटरहेड पर सामूहिक अधिकरण के लिए अधिकृत करने का विकल्प होगा, जिसके लिए सीआरए प्रणाली में इस विकल्प को सक्षम करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) को पहले से सूचित करना होगा। ।

7. स्टीवर्डशिप कोड के दायरे में एनपीएस न्यास को शमिल करना,परिपत्र दिनांक 16.11.2018 ।

यह परिपत्र यह सूचित करता है कि, एनपीएस की असमूहीकृत संरचना में, एनपीएस न्यासवह मध्यस्थ इकाई है जो एनपीएस अभिदाताओं की ओर से पें ान निधियों के माध्यम से योजना की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, प्रबंधन या निपटान करता है और परिसंपत्तियों को अपने नाम पर रखता है। एनपीएस न्यास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निवे ा दि ाानिर्द ाों के अनुसार इस तरह की निधि के निवे ा के लिए निधि और पें ान निधि का कानूनी मालिक है। एनपीएस न्यास, इस प्रकार एक संस्थागत निवे ाक के रूप में कार्य करता है जबकि पें ान निधि अपनी ओर से संपत्ति प्रबंधकों के रूप में कार्य करती हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह भी तय किया गया कि एनपीएस न्यास को स्टीवर्डि ाप कोड के दायरे में लाया जाए।

8. प्राधिकरण द्वारा एनपीएस योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों में बदलाव पर जारी परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2018/56/पीएफ/2 दिनांक 20 अगस्त, 2018 पर स्पष्टीकरण दिनांक 22.11.2018।

यह परिपत्र, उन मुद्दों पर स्पश्टीकरण प्रदान करता है जो कि इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड, ईटीएफ या इंडेक्स फण्ड में निवे ा के लिए सं ोधित दि ाानिद ाों को लागू करते समय पें ान निधियों द्वारा प्रत्यक्ष किए गए जैसा कि बिंदु 4 के तहत उल्लिखित है। इसलिए, प्राधिकरण द्वारा कुछ स्पश्टीकरण जारी किए गए थे, अर्थात् लिक्विड म्यूचुअल फंड में पें ान फंड द्वारा किए गए निवे ा को निवे ा प्रबंधन भाुल्क के भुगतान से बाहर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए, पें ान फंड एक साल पूरा होने तक म्यूचुअल फंडों को जारी रख सकते हैं, ताकि निकास भार से बचा जा सके। पीएफ इन इकाईयों को जल्द से जल्द प्राप्त करेगा, जब निकास भार परिपत्र के प्रावधानों का पालन करना बंद कर देगा। इसके अलावा, पें ान फंडों द्वारा

किए गए किसी भी श्रेणी या ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स में उल्लिखित किसी भी म्यूचुअल फंड में निवे ा के बहिश्करण को केवल परिपत्र की तारीख से निवे ा प्रबंधन भाुल्क की गणना से बाहर रखा जाएगा।

9. पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत मध्यस्थ इकाईयों के लिए साइबर सुरक्षा नीति दिनांक 07.01.2019

साइबर सुरक्षा के संबंध मेंपरिपत्र सं.पीएफआरडीए/2017/31/सीआरए/5 दिनांक 04.10.2017, प्राधिकरण ने आगे एक और परिपत्र दिनांक 07.01.2019 जारी किया है और कहा है कि मध्यस्थ इकाई भी आधे साल के आधार पर अनुबंध, के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, यह घोशणा करते हुए कि वे साइबर सुरक्षा नीति का पालन कर रहे हैं और जैसा उनके संबंधित नियामकों द्वारा आदे ित उस प्रकार पालन कर रहे हैं। अनुलग्नक ए, अर्थात् साइबर सुरक्षा नीति के अनुपालन का प्रमाण पत्र परिपत्र के साथ संलग्न है ।

10. एनपीएस योजनाओं (सरकारी क्षेत्र (सीजी और एसजी), कोर्पोरट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई पर लागू) के लिए निवेश दिशानिर्देशें दिनांक 25.03.2019 में परिवर्तन।

बाजार की स्थितियों, सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवे ाों पर सीमा और अल्पकालिक ऋण उपकरणों और संबंधित निवे ाों पर आधारित योजना के प्रद ान को बेहतर बनाते हुए पें ान निधियों को लचीलापन प्रदान करने के लिए सीमा को सभी के लिए 5% किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवे ाों पर सीमा अब 50% से 55% होगी और अल्पावधि ऋण उपकरणों और संबंधित निवे ाों पर पहले के 5% से 10% होगा। यह परिपत्र 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा ।

भाग– III

यह अध्याय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास के लिए प्राधिकरण के कर्तव्य, भाक्ति तथा कार्यों, जो कि इस तंत्र तथा योजनाओं में अभिदाताओं के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में हैं पर चर्चा करता है ।

प्राधिकरण के कार्य

3.1 मध्यस्थ इकाईयों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरण निलंबन, निरसन आदि और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं से संबद्धित इकाईयों के क्रियाकलापों का विनियमन

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 राश्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने और ऐसी प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों, भाक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है।

राश्ट्रीय पेंशन प्रणाली और कोई भी अन्य पेंशन योजना जो पीएफआरडीए द्वारा केंद्र और राज्य सरकार में बड़ी संख्या में इकाईयों जैसे वेतनएवं लेखा कार्यालय/कोशागार कार्यालयों के माध्यम से संचालित की जाती है, वे एनपीएसकैन पर सरकारी कर्मचारियों की आवधिक एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड के लिए जिम्मेदार हैं, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) जो बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि हैं, कॉर्पोरेट्स, निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के नियोक्ता के लिए एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और अपलोड में सहायता करते हैं, संकलनकर्ता विशेश रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में संभावित अभिदाताओं तक पहुंचने में मदद करते हैं, केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) , जो अभिदाताओं के व्यक्तिगत पेंशन खातों जिन्हें प्रान कहा जाता है, के अभिलेखपालन के लिए जिम्मेदार होता है और एनपीएस संरचना में समन्वयक के रूप में कार्य करता है, न्यासी बैंक, धन और बैंकिंग सुविधाओं के दैनिक प्रवाह के लिए जिम्मेदार है, पेंशन निधियां (पीएफ्स) पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस के तहत भाामिल किए गए अभिदाताओं की पेंशन परिसंपत्तियों का निवेश और प्रबंधन करने के लिए अनिवार्य है और वार्शिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) को अभिदाताओं के साथ एक मासिक वार्शिकी पेंशन प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

31 मार्च, 2019 तक के अनुसार, प्राथमिक वेतन कार्यालयों/जिला खजाना कार्यालयों, प्रधान लेखा कार्यालयों/जिला खजाना कार्यालयों और आहरण एवं वितरण कार्यालयों की संख्या निम्नलिखित है ।

तालिका संख्या 3.1 प्राथमिक वेतन कार्यालय/जिला खजाना कार्यलय/प्रधान लेखा कार्यालयों/जिला खजाना कार्यालयों/आहरण एवम वितरण कार्यालयों की संख्या

क्षेत्र	प्राथमिक वेतन कार्यालय/जिला खजाना कार्यलय की संख्या	प्रधान लेखा कार्यालयों / जिला खजाना कार्यालयों की संख्या	आहरण एवम वितरण कार्यालयों की संख्या
केंद्र सरकार	131	2,900	15,724
केंद्र स्वायत्त निकाय	578	1,880	3,920
कुल	**709**	**4,780**	**19,644**

तालिका संख्या 3.2 जिला खजाना कार्यलय /जिला खजाना कार्यालयों/आहरण एवम वितरण कार्यालयों की संख्या

क्षेत्र	जिला खजाना कार्यलय की संख्या	जिला खजाना कार्यालयों की संख्या	आहरण एवम वितरण कार्यालयों की संख्या
राज्य सरकार	72	1,955	2,23,204
राज्य स्वायत्त निकाय	422	3,748	12,441
कुल	**494**	**5,703**	**2,35,645**

इसके अलावा, 31 मार्च, 2019 तक के अनुसार 268 उपस्थिति अस्तित्व है , दो केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, एक न्यासी बैंक, आठ पें ान निधियां और पांच वार्शिकी सेवा प्रदाता हैं ।

अटलपें ानयोजना(एपीवाई)पीएफआरडीएद्वाराप्र ाासित है । एपीवाई सेवा प्रदाताओं को पीएफआरडीए विनियमों के दायरे में लाने के लिए, एनपीएस (संकलनकर्ता और उपस्थिति अस्तित्व) के तहत विभिन्न श्रेणियों का प्रबंधन करने वाले नियमों को निरस्त कर दिया गया था और संकलनकर्ता और उपस्थिति अस्तित्व, एपीवाई के लिए एकीकृत नियम अर्थात् पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम, 2015 दिनांक 25.06.2018 को अधिसूचित किए गए। इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख पर, पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम, 2015 और उसके तहत किए गए सं ाोधनों को निरस्त कर दिया। वर्तमान नियमों के तहत पीओपी की श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

i. राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस)– भौतिक और साथ ही ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के लिए वितरण और सेवाप्रदान करना

ii. राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस)– केवल ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिए वितरण और सेवाप्रदान करना।

iii. राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस) – केवल भौतिक या ऑनलाइन मंचों के माध्यम से अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए वितरण। ब र्ते कि केवल ऐसी संस्थाओं को कार्य करने की अनुमति होगी जिन्होंने अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविश्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या वस्तु और सेवा अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत भाामिल किया गया है और आवेदन की तिथि से दो वर्श से कम समय के लिए , उक्त अधिनियमों के तहत अधिकारियों के साथ पंजीकृत है ।

iv. एनपीएसलाइट–स्वावलंबन योजना

v. अटल पें ान योजना

vi. प्राधिकरण द्वारा विनियमित और प्रशासित कोई भी अन्य योजना

पीओपी विनियम, 2018, के तहत पीएफआरडीए ने उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपीज़), पीओपी–एसईज़को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं, तक के अनुसार जारी किये गए प्रमाणपत्रों की संख्या निम्नानुसार है :

(i) उपस्थिति अस्तित्व–268 (ii) उपस्थिति अस्तित्व–सेवाप्रदाता– 28

वित्त वर्श 2018–19 के दौरान, 20 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकारों के अलावा 1 एनपीएस संरचना के तहत पंजीकृत थे । पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, पंजीकरण के लिए ऑनलाइन मंच की भाुरुआत की गई, जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

पीएफआरडीए ने एनएसडीएल–सीआरए को 31.03.2020 तक विस्तार या पीएफआरडीए (सीआरए) (प्रथम सं ोधन) विनियम, 2015 में से जो भी पहले हो के तहत, उक्त विनियमों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की तिथि जारी की है।

3.2 योजनाओं का अनुमोदन, उनकी योजनाओं के तहत पेंशन निधियों और निवेश दिशानिर्देशों के प्रबंधन के लिए नियम सहित नियम और शर्तें

वर्तमान में पें ान निधि द्वारा प्रबंधित रा ट्रीय पें ान प्रणाली के तहत निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं:

क) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू योजना – इस योजना को सीजीयोजना कहा जाता है और इसमें निम्नलिखित निवे ा पैटर्न हैं:

तालिका 3.3: सीजी में आस्ति आवंटन

श्रेणी	आस्ति वर्ग / उपकरण	अधिकतम एक्सपोज़र
i	राज्य सरकार ऋण सहित सरकारी प्रतिभूतियां और सम्बंधित निवे ा *	50%
ii	ऋण उपकरण और सम्बंधित निवे ा	45%
iii	लघुकालिक ऋण उपकरण और सम्बंधित निवे ा #	5%
iv	इक्विटीज़ और सम्बंधित निवे ा	15%
v	समर्थित आस्ति, संरचित न्यास और विविध निवे ा	5%

निम्नलिखित परिवर्तन दिनांक 1 अप्रैल 2019 से हुए हैं

*सरकारी प्रतिभूतियों के तहत निवे ा और राज्य विकास ऋण सहित सम्बंधित निवे ा में सीमा बदलकर 55% हो गई है ।

समर्थित आस्ति के तहत निवे ा, संरचित न्यास और विविध निवे ा के लिए सीमा 10% तक हो गई है।

i. प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ, अंतिम वर्श रिटर्नस के अनुसार प्राधिकरण के निर्दे ाों के तहत तीन पें ान निधियों के तहत वितरित की गई हैं जैसे एलआईसी पें ानफंड लिमिटेड, एसबीआई पें ानफंडस प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड। वित्त वर्श 2018–19 के लिए प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ एसबीआई पें ान प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड और एलआईसी पें ानफंड लिमिटेडके बीच 33.5:34.5:32 (07.05.2018 से) अनुपात में आवंटित है, जो कि वित्त वर्श 2017–18 (06.11.2017) के लिए एसबीआई पें ान प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड और एलआईसी पें ानफंड लिमिटेड के बीच 33:34:33 अनुपात में आवंटित थी।

ii. राज्य सरकार कर्मचारियों और राज्य स्वायत्त निकाय कर्मचारियों के लिए लागू योजनाऐं– इस योजना को एसजी योजना कहा जाता है और यह सीजी योजना के समान निवे ा प्रारूप और पें ान निधियों का अनुसरण करती है पवित्त वर्श 2018–19 के लिए प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ एसबीआई पें ान प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड और एलआईसी पें ानफंड लिमिटेड के बीच 33.5:34.5:32 (07.05.2018 से) अनुपात में आवंटित है, जो कि वित्त वर्श 2017–18 (06.11.2017) के लिए एसबीआई पें ान प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड और एलआईसी पें ान फंड लिमिटेड के बीच 33:34:33 अनुपात में आवंटित थी ।

ख) व्यक्तियों और कंपनियों के लिए लागू योजनाएं : –

निम्नलिखित योजनाएं व्यक्तिगत अभिदाताओं और कॉर्पोरेट अभिदाताओं पर लागू होती हैं : –

1. एनपीएस–लाइट योजना– यह सीजी योजना के समान ही आस्ति आवंटन पैटर्न का अनुसरण करती है। हालांकि, संकलनकर्ता आठ पें ान निधियों में से किसी एक पें ान निधि को चुन सकते हैं ।

2. एपीवाई योजना: यह सीजी योजना के समान

आस्ति आवंटन पैटर्न का अनुसरण करती है। प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों को तीन पें ान निधियों जैसे कि एलआईसी पें ान फंड लिमिटेड, एसबीआई पें ान फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यू ंस लिमिटेड में वितरित किया जाता है ।

3. कॉर्पोरेट सीजी योजना– यह सीजी योजना के समान ही आस्ति आवंटन का अनुसरण करती है। हालांकि, नियोक्ता/कर्मचारी, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की पें ान निधियों (अर्थात् एसबीआई पें न फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्य ान लिमिटेड और एलआईसी पें ान फंड लिमिटेड) में से एक पें ान निधि चुन सकते हैं। यह योजना किसी भी नए कर्मचारियों के लिए बंद कर दी गई है ।

4. टियर–I और टियर–II के लिए ईसीजीए पैटर्न–आस्तियों को इक्विटी, कॉर्पोरेट बांड्स, सरकारी प्रतिभूतियां और वैकल्पिक निवे ा निधियां, सेबी (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड) रेगुले ान 2012 के तहत यथा परिभाशित वैकल्पिक निवे ा निधियों में निवे ि ात किये जाते हैं ।

3.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास

3.3.1 पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार, निम्नलिखित प्रत्याहरण श्रेणियां अनुज्ञात हैं :

तालिका 3.4: पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार, निम्नलिखित प्रत्याहरण श्रेणियां

क्र.सं.	प्रत्याहरण श्रेणियां	सरकारी क्षेत्र में शर्तें	गैर–सरकारी क्षेत्र में शर्तें
1	**सामान्य अधिवर्षिता पर**	अभिदाता के संचित पें ान धन के न्यूनतम 40% का उपयोग मासिक पें ान प्रदान करने हेतु वार्शिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और भो ाराि ाअभिदाताकोएकम तरूपसे दी जानी चाहिए । यदि प्रान में उपलब्ध संचित पें ान राि ा 2 लाख या 2 लाख से अधिक है तो अभिदाता के पास सम्पूर्ण पें ान संपत्ति को बिना वार्शिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा ।	अभिदाता के संचित पें ान धन के न्यूनतम 40% का उपयोग मासिक पें ान प्रदान करने हेतु वार्शिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और भोश राि ा अभिदाता को एकमु त रूप से दी जानी चाहिए । यदि प्रान में उपलब्ध संचित पें ान राि ा 2 लाख या 2 लाख से अधिक है तो अभिदाता के पास सम्पूर्ण पें ान संपत्ति को बिना वार्शिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा ।
2	**मृत्यु पर**	अभिदाता के संचित पें ान धन के न्यूनतम 80% का उपयोग पति/पत्नी को मासिक पें ान प्रदान करने हेतु वार्शिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और भोश राि ा नामिती/विधिक वारिस को एकमु त रूप से दी जाती है।	यदि प्रान में संचित राि ा मृत्यु के समय 2 लाख या उससे कम होगी, नामिती या विधिक वारिस के पास सम्पूर्ण पें ान संपत्ति को बिना वार्शिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा।

		यदि अभिदाता की 60 वर्श की आयु प्राप्त करने या अधिवर्शिता से पूर्व मृत्यु हो जाती, तो अभिदाता की सम्पूर्ण संचित पें ान संपत्ति नामिती या विधिक वारिस को दे दी जाएगी।	
3	**समय से पूर्व निकास**	अभिदाता के संचित पें ान धन के न्यूनतम 80% का उपयोग मासिक पें ान प्रदान करने हेतु वार्शिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और भोश रा ि ा अभिदाता को एकमु त रूप से दी जानी चाहिए। यदि प्रान में उपलब्ध संचित पें ान रा ि ा 1 लाख या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता के पास सम्पूर्ण पें ान संपत्ति को बिना वार्शिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा।	अभिदाता के संचित पें ान धन के न्यूनतम 80% का उपयोग मासिक पें ान प्रदान करने हेतु वार्शिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और भोश रा ि ा अभिदाता को एकमु त रूप से दी जानी चाहिए। यदि प्रान में उपलब्ध संचित पें ान रा ि ा 1 लाख या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता के पास सम्पूर्ण पें ान संपत्ति को बिना वार्शिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा ।
4	**विकलांगता के मामले में निकास**	अभिदाता के संचित पें ान धन के न्यूनतम 40% का उपयोग मासिक पें ान प्रदान करने हेतु वार्शिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और भोश रा ि ा अभिदाता को एकमु त रूप से दी जानी चाहिए। यदि प्रान में उपलब्ध संचित पें ान रा ि ा 2 लाख या 2 लाख से अधिक है तो अभिदाता के पास सम्पूर्ण पें ान संपत्ति को बिना वार्शिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में, सरकारी चिकित्सक या डॉक्टर से प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी, जबः क) बीमार अभिदाता अपने नियमित कार्यों को करने की स्थिति में न हो । ख) विकलांगता 7% से अधिक हो ।	कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित नागरिकों का राश्ट्रीय पें ान प्रणाली से निकास–अभिदाता के संचित पें ान धन के न्यूनतम 40% का उपयोग मासिक पें ान प्रदान करने हेतु वार्शिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और भोश रा ि ा अभिदाता को एकम त रूप से दी जानी चाहिए । यदि प्रान में उपलब्ध संचित पें ान रा ि ा 2 लाख या 2 लाख से अधिक है तो अभिदाता के पास सम्पूर्ण पें ान संपत्ति को बिना वार्शिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में, सरकारी चिकित्सक या डॉक्टर से प्रमाणपत्र की आव यकता होगी, जबः क) बीमार अभिदाता अपने नियमित कार्यों को करने की स्थिति में न हो । ख) विकलांगता 75% से अधिक हो । एनपीएस लाइट और स्वावलंबन अभिदाताओं द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास

			अभिदाता के संचित पें ान धन के न्यूनतम 40% का उपयोग मासिक पें ान प्रदान करने हेतु वार्शिकी क्रय करने के लिए किया जाना चहिए और भो ाराि ाअभिदाता को एकमु त रूप से दी जानी चाहिए । यदि प्रान में उपलब्ध संचित पें ान राि ा 2 लाख या 2 लाख से अधिक है तो अभिदाता के पास सम्पूर्ण पें ान संपत्ति को बिना वार्शिकी क्रय किए वापस लेने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में, सरकारी चिकित्सक या डॉक्टर से प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी, जबः क) बीमार अभिदाता अपने नियमित कार्यों को करने की स्थिति में न हो। ख) विकलांगता 75% से अधिक हो।

एनपीएस से निकास के लिए, अभिदाताओं को श्रेणीबद्ध और परिभाशित किया गया है : (1) सरकारी क्षेत्र, (2) कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित सर्व नागरिक और (3) एनपीएस लाइट और स्वावलंबन अभिदाता। अभिदाता जिस श्रेणी से सम्बंधित है तदनुसार निर्दिश्ट निकास विनियम लागू होंगे ।

तालिका 3.5: 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक सूचित, स्वीकृत और निपटाए गए आहरण मामले।

क्र.सं.	क्षेत्र	ऑनलाइन आहरण		
		सूचित *	स्वीकृत $	निपटाए गए
1	केंद्र सरकार	4,494	4,149	4,169
2	राज्य सरकार	12,205	11,014	11,079
3	असंगठित क्षेत्र	4,736	4,330	4,256
4	कॉर्पोरेट	1,528	1,404	1226
5	एनपीएस लाइट	19,927	19,688	19,671
	कुल	**42,890**	**40,585**	**40,401**

(आंकड़ों का स्रोतः एनएसडीएल– सीआरए)

टिप्पणी :

** ऑनलाइन निकास रिपोर्टेड मामलों में नोडल कार्यालयों द्वारा अधिकृत तथा नोडल कार्यालयों के लिए द्वारा अधिकृत होने के लिए लंबित मामले शेष हैं ।*

$ ऑनलाइन निकास निपटाए गए मामले वो मामले हैं जिसमें नोडल कार्यालय ने सीआरए प्रणाली में निकास अनुरोध स्वीकृत किए हैं ।

तालिका संख्या 3.6: 31, मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 तक के अनुसार लंबित आहरण दावे ।

क्र.सं.	क्षेत्र	लंबित भौतिक आहरण		लंबित ऑनलाइन आहरण	
		31.03.2018 तक के अनुसार	31.03.2019 तक के अनुसार	31.03.2018 त क के अनुसार	31.03.2019 तक के अनुसार
1	केंद्र सरकार	2	–	464	345
2	राज्य सरकार	1	–	1,605	1,191
3	असंगठित क्षेत्र (यूओएस)	79	–	423	406
4	कॉर्पोरेट	19	–	70	124
5	एनपीएस लाइट	460	–	122	239
	कुल	**561**	–	**2,684**	**2,305**

(आंकडों का स्रोतःएनएसडीएल– सीआरए)

टिप्पणी :

भौतिक प्रत्याहरण : वर्ष के अंत में लम्बित प्रत्याहरण दावे वह मामले हैं जहाँ अभिदाता/नोडल कार्यालयों को सीआरए को आवश्यक दस्तावेज़ भेजना शेष हैं

ऑनलाइन प्रत्याहरणः वर्ष के अंत में लम्बित प्रत्याहरण दावे वह मामले हैं जहाँ नोडल कार्यालयों को सीआरए प्रणाली में प्रत्याहरण अनुरोध अधिकृत करना शेष हैं

यह देखा गया कि अधिकां ा मामलों में अभिदाताओं या नोडल कार्यालयों द्वारा जमा कराए गये उपयुक्त दस्तावेजों की कमी/अपर्याप्तता के कारण प्रत्याहरण अनुरोध लम्बित है ।

3.3.2 एनपीएस के तहत आंशिक निकासी

एनपीएस अभिदाता आं ाक प्रत्याहरण कर सकते हैं, जब एनपीएस में भागिल होने की तिथि से तीन साल पूरे होने पर अभिदाता द्वारा बच्चों की ि ाक्षा और विवाह, घर के क्रय/निर्माण के लिए और निर्दिश्ट बीमारी के चिकित्सकीय उपचार के लिए खर्च की गई रा ि ा, उसके द्वारा किए गए अं ादान के 25 प्रति ात से कम हो । अभिदाता को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 में निर्दिश्ट वि ि ाश्ट परिस्थितियो के तहत आं ि ाक प्रत्याहरण के लिए पात्र होने के लिए अभिदाता को एनपीएस में भागिल होने की तिथि से तीन साल तक की अवधि तक बने रहना होगा। विनियम 8 के अनुसार, उप–विनियम (1) (क) उप खंड (ड.) अभिदाता के विकलांगता और निः ाक्तता के कारण होने वाले प्रासंगिक खर्चो को पूरा करने की अनुमति देता है ।

तालिका 3.7: 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च , 2019 तक के दौरान नोडल कार्यालय द्वारा रिपोर्ट किये गये और निपटाए गये आंशिक प्रत्याहरण मामले।

क्र.सं.	क्षेत्र	आंशिक प्रत्याहरण		
		सूचित *		
		नोडल कार्यालय द्वारा आरम्भ किए गए #	नोडल कार्यालय द्वारा अनुमोदित	निपटाए गए**
1	केंद्र सरकार	6,686	5,911	5,954
2	राज्य सरकार	10,020	8,915	8,937
3	असंगठित क्षेत्र	206	74	75
4	कॉर्पोरेट	1087	586	605
	कुल	**17,999**	**15,486**	**15,571^**

टिप्पणी:

* *रिपोर्ट किये गए मामलों में नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत और नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृति हेतु लंबित मामले शामिल हैं ।*

** *निपटाए गए मामले वह हैं जिनमें निधियां अभिदाता के बैंक खाते में जमा कर दी गई हैं ।*

अभिदाताओं द्वारा आरम्भ किये गए मामलों को नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किए गए मामलों में भी जोड़ा गया है ।

^ *कुछ मामले पिछले वर्षों के स्वीकृत मामलों से संबंधित है।*

3.4 अभिदाताओं द्वारा चुने गए वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपीज़) और वार्षिकियों का विवरण

अभिदाताओं द्वारा चुने गए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) और वार्षिकी योजनाओं का विवरण

वार्षिकी एकमु त रा ि ा जमा करने पर पें ान के मासिक भुगतान का प्रावधान करती है। अभिदाता को पीएफआरडीए के सूचीबद्ध वार्षिकी सेवाप्रदाताओं में से एनपीएस के निकास नियमों में निर्दिश्ट वार्षिकी का अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा ।

वार्षिकी सेवाप्रदाता, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से लाइसेंस प्राप्त और विनियमित जीवन बीमा कंपनियां हैं, जो भारत में वार्षिकी कारोबार का संचालन करती है और यह पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस के अभिदाताओं को उनकी वार्षिकी आव यकताओं पर सेवा प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध हैं ।

वर्तमान में, निम्नलिखित 5 एएसपी एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

वर्तमान में, एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 5 एएसपीज़ हैं

क) भारतीय जीवन बीमा निगम

ख) एसबीआई इं योरेंस कं लिमिटेड

ग) आईसीआईसीआई प्रूडें ियल लाइफ इं योरेंस कं लिमिटेड

घ) एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इं योरेंस कं लिमिटेड

ङ) स्टार यूनियन दाई–इची लाइफ इं योरेंस कं लिमिटेड

राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस) के तहत, अभिदाता के पास वार्षिकी के प्रकार और वार्षिकी सेवा प्रदाता को चुनने का विकल्प है। अभिदाता सम्बंधित एएसपीज़ द्वारा पे ा की जाने वाली उपलब्ध योजनाओं की आव यकतानुसार वार्षिकी प्रकार/योजना का चयन कर सकता है।

तालिका संख्या 3.8: 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2019 तक ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध प्रसंस्कृत किए गए

क्र. सं.	वार्षिकी सेवा प्रदाता/वार्षिकी योजनाएं	मामलों की संख्या	स्थानांतरित राशि (रु. में)
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड			
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	777	143,015,460.63
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	707	447,251,647.28
3	वार्षिकी कर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को जीवनभर के लिए देय 100% वार्षिकी	545	120,591,890.27
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को वार्षिकी की खरीद पर जीवनभर के लिए 100% वार्षिकी रिटर्न के साथ	619	217,855,441.18
5	जीवनभर के लिए वार्षिकी प्रीमियम/क्रय मूल्य की भागों में वापसी के साथ	1	196,152.13
6	गंभीर बीमारी का पता चलने की स्थिति में प्रीमियम/क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी।	2	185,924.88
	उप–कुल	**2651**	**929,096,516.37**
भारतीय जीवन बीमा निगम			
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	1131	278,195,374.30
2	मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	770	226,040,771.34
3	वार्षिकी कर्ता की मृत्यु पर जीवन साथी को 100% के प्रावधान के साथ जीवनभर के लिए देय वार्षिकी।	1249	317,466,511.47
4	वार्षिकी कर्ता की मृत्यु पर जीवन साथी को रिटर्न के साथ जीवन भर के लिए 100% वार्षिकी	1287	382,203,760.30
5	एनपीएस–कुटुंब आय विकल्प	31	13,985,555.70
	उप–कुल	**4,468**	**1,217,891,973.11**
एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड			
1	जीवनभर के लिए वार्षिकी	149	59,967,008.08
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ वार्षिकी	121	54,395,641.55
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को 100% के प्रावधान के साथ जीवनभर के लिए देय वार्षिकी।	151	59,279,372.37
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर, वार्षिकी की खरीद पर जीवन साथी को रिटर्न के साथ 100% वार्षिकी	190	76,301,799.69
5	एनपीएस – कुटुंब आय विकल्प	39	13,131,803.05
	उप–कुल	**650**	**263,075,624.74**

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंश कंपनी लिमिटेड			
1	जीवनभर के लिए वार्शिकी	69	11,245,555.66
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर के लिए वार्शिकी	79	25,547,561.74
3	वार्शिकी कर्ता की मृत्यु होने पर 100% के भुगतान के प्रावधान के साथ जीवनसाथी को जीवनभर के लिए देय वार्शिकी	86	17,658,315.71
4	वार्शिकी कर्ता की मृत्यु होने पर, वार्शिकी की खरीद पर जीवन साथी को रिटर्न के साथ 100% वार्शिकी	132	50,512,901.40
5	एनपीएस दृ कुटुंब आय विकल्प	14	6,999,158.12
	उप–कुल	**380**	**111,963,492.63**
स्टार यूनियन दाई–इची लाइफ इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड			
1	जीवनभर के लिए वार्शिकी	1	261,306.87
	उप–कुल	**1**	**261,306.87**
	कुल योग	**8,150**	**2,522,288,913.72**

चुनौतियाँ जिनका वार्षिकी खरीदते समय सामना किया गया

i. वार्शिकी सेवाप्रदाताओं के पास अभिदाताओं के सही संपर्क विवरण का अभाव।

ii. अभिदाताओं/नोडल कार्यालयों में वार्शिकी उत्पादों के वि ाय में अल्प वित्तीय जागरुकता और अल्प साक्षरता।

प्राधिकरण इस मुद्दे पर नियमित रूप से सूचीबद्ध वार्शिकी सेवा प्रदाताओं और उनके नियामक अर्थात् आईआरडीएआई के साथ चर्चा में संलग्न है ताकि वार्शिकी के क्रय के दौरान अभिदाताओं को सुविधा प्रदान की जा सके, अभिदाताओं के मध्य वार्शिकी उत्पाद पर जागरूकता उत्पन्न की जा सके और साथ ही एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना जिससे वार्शिकी क्रय को पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया बनाया जा सके।

3.5 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के अधीन अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए किए गए क्रियाकलाप

पीएफआरडीए का एक प्रमुख लक्ष्य अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना है और पीएफआरडीए इस गतिविधि को आगे बढाने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है ।

अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए किये गए उपाय :

i) अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, पीएफआरडीए ने वित्त वर्श 2018–19 के दौरान एनपीएस योजना के तहत निवे ा के लिए रेटिंग मानदंडों को निवे ा दि ाानिर्दे ाों की नियमित समीक्षा के साथ सं ाोधित किया है।

ii) पें ान निधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निवे ाकर्ता कंपनियों के साथ निगरानी और जुड़ाव बढ़ाकर अभिदाताओं/लाभार्थियों के प्रति अधिक जिम्मेदारी निभाएं। इस तरह की गतिविधियों को आमतौर पर संस्थागत निवे ाकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों की 'प्रबंधक पद जिम्मेदारी' के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसका उद्दे य अभिदाताओं की पें ान संपदा की रक्षा करना है। उसी के मद्देनजर, प्राधिकरण ने कॉमन स्टीवर्डि ाप कोड पर एक परिपत्र जारी किया है, जिसका पालन एनपीएस संरचना के तहत सभी पें ान निधियों द्वारा किया जाएगा ।

iii) एनपीएस की असमूहीकृत संरचना में, एनपीएस न्यास मध्यस्थ है जो एनपीएस अभिदाताओं की ओर से पें ान निधि के माध्यम से योजना की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, प्रबंधन या निपटान करता है और अपने नाम पर संपत्ति धारण करता है। एनपीएस न्यास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निवे ा दि ाानिर्दे ाों के अनुसार, निधि और पें ान निधि के वचनबद्ध निवे ाों के लिए इस तरह की निधियों का कानूनी मालिक है। एनपीएस न्यास, इस प्रकार एक संस्थागत निवे ाक के रूप में कार्य करता है जबकि पें ान निधियां अपनी ओर से संपत्ति प्रबंधकों के रूप में कार्य करती हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह भी तय किया गया कि एनपीएस न्यास को स्टीवर्डि ाप कोड के दायरे में लाया जाए।

iv) ऑनलाइन मंच का उपयोग करने वाले एनपीएस अभिदाताओं के हित में पारदर्ि ाता और निश्पक्षता सुनि ि चत करने के लिए , प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एग्रीगेटर/पेमेंट गेटवे और पीओपी के स्तर पर ऐसे लेनदेन के लिए भाुल्क और निपटान का समय वि ोश रूप से पीओपी की वेबसाइट पर एनपीएस साहित्य के साथ प्रदर्ि ात होना चाहिए।

v) पीएफआरडीए ने सूचना प्रणाली, नेटवर्क की सुरक्षा और नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनि ि चत करने के लिए पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत मध्यस्थों के लिए साइबर सुरक्षा नीति जारी की है ।

(vi) न्यासी बैंक को नोडल कार्यालयों से पें ान निधि प्रबंधकों को धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए नियुक्त किया जाता है। संबंधित नोडल कार्यालयों को प्रे ाण की वापसी के बारे में सूचना ईमेल के साथ–साथ भौतिक पत्रों में भी भेजी जाती है। इसके अलावा प्रे ाण की की अस्वीकृति के लिए कारणों के अलावा नोडल कार्यालयों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई और सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि त्रुटियों और वापसी की पुनरावृत्ति से बचा सके। यह अभिदाताओं द्वारा किए गए योगदान का समय पर निवे ा सुनि ि चत करता है।

vii) ऐसे फंड वापसी के मामलों को कम करने के लिए, एक कवरिंग पत्र तैयार किया गया है जो एससीएफ के साथ जारी होता है । इस पत्र में पहले से भरे हुए क्षेत्र जैसे कि लेनदेन आईडी, रा ि ा आदि भाामिल हैं, जिसे नोडल अधिकारी को अधिकृत करना होता है और अपने मान्यता प्राप्त बनकर को न्यासी बैंक में निधि स्थानान्तरण के लिए जमा करना होता है।

viii) पीएफआरडीए की वेबसाइट अभिदाताओं और संभावित अभिदाताओं को अभिदाताओं के अधिकारों और हितों, विनियमों, परिपत्रों, पें ान योजनाओं के उत्पादों, पें ान निधियों, बिचौलियों, निकास और लाभों की सुरक्षा पर जानकारी सहित सूचना और मार्गद र्ान सामग्री प्रदान करती है।

ix) एनपीएस न्यास की वेबसाइट भी एनपीएस के बारे में जानकारी देती है जो एक समय पर अभिदाताओं के लिए उपयोगी हैं। एनएवी विवरण, योजनाओं के रिटर्न्स, योजनाओं की पोर्टफोलियो जानकारी, अभिदाताओं की जानकारी/तुलना के लिए प्रकट की जाती है। पारदर्ि ाता सुनि ि चत करने के लिए अभिदाताओं को पोर्टफोलियो विवरण का प्रकटीकरण किया जाता है।

x) पीएफआरडीए की पें ान साक्षरता पहल के रूप में, पें ान संचय वेबसाइट (pensionsanchay-org-in) भाुरू की गई । वेबसाइट धन और वित्तीय नियोजन और सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित विशयों और मौलिक तत्वों और अवधारणाओं के संदर्भ प्रदान करती है और एक ब्लॉग अनुभाग पे ा करती है जिसमें पें ान, बचत और निवे ा, सेवानिवृत्ति योजना, धन और वित्त के बुनियादी

ढांचे और सेवानिवृत्ति योजना के पहलुओं से संबंधित विशयों पर चर्चा होती है।

xi) भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 के माध्यम सेकेंद्र सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खातों में अं ादान को 10% से 14% की वृद्धि को दिनांक 01 अप्रैल 2019 को अधिसूचित किया है। अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी की ओर से "मासिक अं ादान" कर्मचारी के मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते का 10% होगा औरकेंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते का 14% होगा। एनपीएस अं ादान के गैर/विलंबित जमा के लिए मुआवजे के साथ केंद्र सरकार कर्मचारियों को पें ान निधि और निवे ा के पैटर्न को चुनने में अधिक स्वतंत्रता दी गई है।

3.6 अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए की गई गतिविधियां

एनपीएस के पास केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) में केंद्रीकृत बहुस्तरीय ि ाकायत निवारण तंत्र है, जिसमें सरलता से पहुँचा जा सकता है, सुलभ, सरल, त्वरित, निश्पक्ष, उत्तरदायी और प्रभावी है। विनियमों ने अभिदाता ि ाकायत को हल करने के लिए चार स्तरीय वृद्धि सांचा प्रदान किया है। अभिदाता के पास कॉल सेंटर/इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर), वेब आधारित इंटरफेस, भौतिक प्रपत्रों के माध्यम से ि ाकायत/आरोप दर्ज करने का विकल्प होता है। केंद्रीय ि ाकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस), जिसे सीआरए द्वारा प्रबंधित किया जाता है के माध्यम से दर्ज की गई ि ाकायतों की स्थिति देखने के लिए अभिदाता सीआरए वेबसाइट www.cra-nsdl.co.in पर जा सकता है या कॉल सेंटर पर कॉल करके टोकन नंबर दर्ज करते हुए स्थिति जान सकता है। अभिदाता जारी किए गए मूल टोकन नंबर को निर्दिश्ट करके उपरोक्त वर्णित किसी भी एक तरीके से एक रिमाइंडर भी जुटा सकता है। यदि अभिदाता को तीस (30) दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या मध्यस्थ द्वारा संकल्प से संतुश्ट नहीं होता है, तो ऐसे मामले में अभिदाता एनपीएस न्यास को ि ाकायत आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह, यदि अभिदाता प्रतिक्रिया से संतुश्ट नहीं है या 30 दिनों के भीतर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है , तो अभिदाता लोकपाल की ि ाकायत को दर्ज कर सकता है। यदि वे लोकपाल द्वारा पारित आदे ा से संतुश्ट नहीं हैं तो अभिदाता पीएफआरडीए के नामित सदस्य से भी अपील कर सकते हैं। श्री विनोद कुमार पांडे वैतनिक लोकपाल थे।

दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सीजीएमएस में दर्ज ि ाकायतें और उनकी स्थिति निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 3.9: दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक के अनुसार सीजीएमएस में प्राप्त और समाप्त की गई शिकायतें

क्र. सं.	क्षेत्र	31 मार्च 2018 तक के अनुसार लंबित	31मार्च 2019 तक प्राप्त	31मार्च 2019 तक सुलझाए गए
1	एनपीएस नियमित	5,219	1,35,467	1,37,013
2	एनपीएस लाइट	193	2,688	2,837
3	एपीवाई	1,298	14,661	15,535
	कुल	**6,710**	**1,52,816**	**1,55,385**

स्रोत : सीआरए की रिपोर्ट के अनुसार

टिप्पणियां:

*सीजीएमएस में अभिदाताओं द्वारा दिए गए पराम ि जिन्हें ि ाकायत के रुप मे चुना गया ।

31 मार्च, 2019 तक के अनुसार विभिन्न मध्यस्थ इकाइयों को सीजीएमएस में वर्श के दौरान प्राप्त की गई ि ाकायतें और उनकी स्थिति निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 3.10 सीजीएमएस में 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक प्राप्त और निपटाई गई शिकायतें।

क्र.सं.	मामले दर्ज किये गए	31 मार्च 2018 तक लंबित	31 मार्च 2019 तक लंबित	31 मार्च 2019 तक सुलझाए गए
1	केंद्र सरकार	777	4,035	4,166
2	राज्य सरकार	579	6,164	6,196
3	पीओपी	1,138	13,171	13,928
4	कॉर्पोरेट	21	93	88
5	न्यासी बैंक	205	24	27
6	एनपीएसलाइट (संकलनकर्ता)	160	835	977
7	एपीवाई(एपीवाई–एसपी)	1,195	9,441	10,328
8	ईएनपीएस	169	1,158	1,252
9	सीआरए	363	18,591	18,448
10	एनपीएस न्यास	2,103	99,304	99,975
	कुल	**6,710**	**1,52,816**	**1,55,385**

स्रोतः सीआरए की रिपोर्ट के अनुसार

प्रमुख ि ाकायतें जो प्राप्त की गई हैं, लेन–देन के विवरण, खाते में अं ादान रा ि ा का प्रद ि ात न होना, प्रान कार्ड संबंधित, अभिदाता विवरण का गलत प्रसंस्करण, अं ादान रा ि ा को अपलोड करने में आदि से सम्बंधित हैं। सीजीएमएस में पंजीकृत ि ाकायतों को आव यक कार्रवाई के लिए सीधे सम्बंधित मध्यस्थ इकाईयों को भेजा जाता है। अतः, सम्बंधित मध्यस्थ इकाईयों को सीजीएमएस में उनके खिलाफ दर्ज की गई ि ाकायतों का समाधान और समाप्ति करनी होगी। सीजीएमएस में ि ाकायतों का समाधान और समाप्ति करने के लिए आवधिक अनुस्मारक संबंधित मध्यस्थ इकाई को भेजे जाते हैं ।

3.7 सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम

पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के कवरेज को बढाने और एनपीएस के तहत संपत्ति आवंटित करने और पीएफएम चुनने के लिए अभिदाताओं को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकारों को पंजीकृत कर रहा है। सेवानिवृत्ति सलाहकारों का कार्य और उत्तरदायित्व पें ान क्षेत्र की क्रमिक वृद्धि सुनि ि चत करना है।

वित्त वर्श 16–17 के दौरान, पीएफआरडीए ने, पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 के अनुसार सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में व्यक्तियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र देना भ्रारू कर दिया। पीएफआरडीए ने सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन जांच के प्रमाणन के लिए ने ानल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (एनआईएसएम) को मान्यता दी है। मार्च 2019 तक , एनआईएसएमसीरीज– XVII के साथ कुल 423 उम्मीदवार सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा में प्रमाणित थे । वित्त वर्श 2018–19 में, 20 सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए), व्यक्तिगत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी के अतिरिक्त श्रेणी में 01 सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) को पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत किया गया । वित्त वर्श 2018–19 में नामांकित हुए, प्रस्तुत हुए और उत्तीर्ण हुए उमीदवारों का तुलनात्मक तिमाही सार निम्नानुसार है :

तालिका संख्या 3.11 : सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन विवरण

एन श्रेणी –XVII: सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन			
माह	**नामांकित**	**प्रस्तुत**	**उत्तीर्ण**
अप्रैल–जून 2018	67	61	26
जुलाई–सितम्बर 2018	90	64	32
अक्टूबर–दिसम्बर 2018	156	128	44
जनवरी–मार्च 2019	159	161	70
कुल	**472**	**414**	**172**

3.8 प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थ इकाईयों के आंकड़े, अध्ययन, अनुसंधान और परियोजनाओं की वचनबद्धता और प्रवर्तन सहित ।

जनसांख्यिकी, सेवानिवृत्ति बचत और निवे ा के आधार पर एक व्यापक आंकड़ों का संग्रह और संकलन, विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा जारी किए गए विभिन्न वित्तीय उत्पाद/योजनाएं जो अंतर्निहित अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को पूरा करने के लिए निर्मित हैं, इनसे उत्पन्न प्रतिफल, अभिदाताओं को प्रदान प्रकटीकरण और सुरक्षा आदि पीएफआरडीए के मौजूदा क्रिया कलापों में भामिल हैं । इस दि ा में, पीएफआरडीए में विभिन्न पें ान योजनाओं के तहत कवर किए गए लोगों और विभिन्न योजनाओं के तहत पें ान प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में जानकारी संकलित कर रहा है। पीएफआरडीए दे ा में अन्य पें ान प्रदाताओं से जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया में संलग्न है ।

3.9 अभिदाताओं और आम जनता को पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम और मध्यस्थ इकाईयों के प्रशिक्षण का विवरण

3.9.1 वित्तीय साक्षरता:

वित्तीय स्थिरता और विकास परि ाद (एफएसडीसी) के सदस्य के रूप में पीएफआरडीए, इसकी उप–समिति, कार्य समूहों और विभिन्न अंतर–नियामक फ़ोरम अर्थात् इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप (आईआर–टीजी), टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनें ियल इनक्लूजन एंड फाइनें ियल लिटरेसी (टीजीएफआईएफएल), इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनिटरिंग फाइनें ियल कांग्लोमेरेट्स, वर्किंग ग्रुप ऑनरेजोल्यू ानरीजाइमफॉरफाइनें ियलइंस्टीट्यू ंस, मैक्रो फाइनें ियल मॉनिटरिंग ग्रुप (एमएफएमजी), इन समिति / समूहों / मंचों के उद्दे यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान देता है।

क्योंकि एक पें ान नियामक को पें ान, सेवानिवृत्ति योजना/बचत के साथ–साथ पें ान क्षेत्र को विकसित करने के व्यापक आदे ा को सौंपा जाता है। पीएफआरडीए की एक पें ान साक्षरता पहल के रूप में, दिनांक 28 फरवरी 2018 को पें ान संचय वेबसाइट (www.pensionsanchay.org.in) का माननीय वित्त मंत्री द्व ारा भुभारम्भ किया गया था।

सेवानिवृत्ति की योजना के परिप्रेक्ष्य से, पें ान साक्षरता के लिए भुभंकर के रूप में पें ान संचय नाम प्रासंगिक है क्योंकि सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय संचय चरण सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वेबसाइट धन और वित्तीय नियोजन और सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित विशयों और मौलिक तत्वों और अवधारणाओं के संदर्भ प्रदान करती है और एक ब्लॉग अनुभाग पे ा करती है जिसमें पें ान, बचत और निवे ा, सेवानिवृत्ति योजना, धन और वित्त के बुनियादी ढांचे और सेवानिवृत्ति योजना के पहलुओं से संबंधित विशयों पर चर्चा होती है।

पीएफआरडीए भी वित्तीय ि ाक्षा के लिए राश्ट्रीय केन्द्र (एनसीएफई) के साथ–साथ भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और आईआरडीएआई के साथ सह–प्रचारक है, जिसे वित्तीय स्थिरता और विकास परिशद की वित्तीय ि ाक्षा के लिए राश्ट्रीय रणनीति के अनुसार दे ा भर में समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय ि ाक्षा पर बढ़ावा देने के लिए 5 सितम्बर, 2018 को धारा 8 (कंपनी लाभ के लिए नहीं) के रूप में ामिल किया गया है ।

3.9.2 वित्तीय अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय के लिए कार्यक्रम

पीएफआरडीए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), इं योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (आईआरडीएआई) के साथ ने ानल सेंटर फ़ॉर फ़ाइनें ियल एजुके ान (एनसीएफई) के साथ धारा 8 (नॉट फ़ॉर प्रॉफ़िट) को बढ़ावा दे रहा है। एनसीएफई का लक्ष्य, उपभोक्ता संरक्षण और ि ाकायत निवारण के लिए निश्पक्ष और पारद र्शी म ीनरी के साथ विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराते हुए लोगों को पैसे का प्रबंधन और अधिक प्रभावी ढंग से वित्तीय कल्याण प्राप्त करने में मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय ि ाक्षा अभियान भ्रुरू करना है।

कंपनी का उद्दे य भारत में सभी वर्गों के लिए फाइनें ियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की वित्तीय ि ाक्षा पर राश्ट्रीय रणनीति के अनुसार वित्तीय ि ाक्षा का प्रचार करना और जनसंख्या के सभी वर्गों के माध्यम से वित्तीय ि ाक्षा अभियानों के माध्यम से सेमिनार, वर्क ॉप, सम्मेलनों, प्र ि ाक्षण, कार्यक्रम , अभियान, चर्चा मंचों के माध्यम से बिना फीस/फीस के साथ वित्तीय रूप से जागरूक और स ाक्त बनाना है या संस्थानों, संगठनों की सहायता से और वित्तीय ि ाक्षा में प्र ि ाक्षण प्रदान करने और इलेक्ट्रॉनिक या गैर–इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, वर्कबुक, में वित्तीय ि ाक्षा सामग्री बनाने के लिए जनसंख्या कार्य पत्रकों, साहित्य, पैम्फ़लेट, पुस्तिका, फ़्लायर, तकनीकी सहायता और वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए वित्तीय बाजारों और वित्तीय डिजिटल मोड पर लक्ष्य आधारित द र्कों के लिए उपयुक्त वित्तीय साहित्य तैयार करना ताकि वित्त में उनके ज्ञान, समझ, कौ ाल और क्षमता में सुधार हो सके।

एपीवाई को एनसीएफई मॉड्यूल में भ्ाामिल किया गया है, जो न्यूनतम पें ान की गारंटी देने वाली सरकारी योजनाओं में से एक है। इसके अलावा, एनपीएस को सेवानिवृत्ति आव यकताओं के समाधान के रूप में एनसीएफई मॉड्यूल में भी भ्ाामिल किया गया है।

पें ान, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर अभिदाताओं और आम जनता को ि ाक्षित करने की प्राधिकरण की पहल को पूरा करने के लिए पीएफआरडीए सार्वजनिक रूप से वित्तीय और पें ान साक्षरता में सुधार के लिए, एनपीएस और एपीवाई की सुविधाओं और लाभों का प्रचार करते हुए विभिन्न मीडिया मंचों– प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल डोमेन और सो ाल मीडिया का लाभ उठा रहा है। पीएफआरडीए ने एनपीएस / एपीवाई उत्पाद सुविधाओं योजनाओं में भ्ाामिल होने की पात्रता, कम उम्र में भ्रुरू होने के लाभ, योजनाओं में भ्ाामिल होने की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में प्रिंट मीडिया/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सो ाल मीडिया मंचों पर विभिन्न विज्ञापन जारी किए हैं ।

3.9.3 एनपीएस जागरूकता, सम्प्रेषण और सोशल मीडिया

पीएफआरडीए ने " एनपीएस– सेव राइट, रिटायर ब्राइट" और 'एनपीएस– रिटायरमेंट फॉर एवरीवन' थीम के साथ एक अभियान भ्रुरू किया था , जिसमें एनपीएस के बारे में अधिक जानने के लिए जनता की जिज्ञासा को उत्तेजित करने की अवधारणा थी और परिणामस्वरूप उनकी वृद्धावस्था के लिए एक उचित निर्णय लिया गया था। इन विशयों के साथ व्यापक प्रिंट मीडिया अभियान चलाए गए थे–जिनमें एनपीएस क्या है, एनपीएस क्यों चुने, कौन कर लाभ में भ्ाामिल हो सकते हैं, एनपीएस हेल्प डेस्क के संपर्क विवरण, एनपीएस न्यास वेबसाइट के लिए क्यूआर कोड इन विज्ञापनों में अंकित किए गए थे। पूरे भारत वर्श के 130 से अधिक अखबारों में, अंग्रेजी

और 11 अन्य क्षेत्रीय भाशाओं के विज्ञापन में यह देखते हुए प्रिंट कराए गए थे कि संदे ा क्षेत्र और भाशा की परवाह किए बिना दे ा की आम जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। नागरिकों और अभिदाताओं को आम जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों के बारे में जागरूक रखने के लिए –पीएफआरडीए/एनपीएस, टेलीविज़न विज्ञापनों और रेडियो (एफएम चैनल) विज्ञापनों के नाम पर धोखाधड़ी और फ़िि ाग विज्ञापन भी इसी दौरान जारी किए गए।

सोशल मीडिया पर पीएफआरडीए

पारंपरिक मीडिया जिसे बड़े पैमाने पर जनता के लिए एकतरफा संचार माना जाता है और जिसके प्रभाव की मात्रा चुनौतीपूर्ण होती है के विपरीत सो ाल मीडिया मंच ग्राहक के पक्ष से प्रतिक्रिया के साथ द ाकों को लक्षित करने के लिए संचार और संदे ा के वितरण का एक बहुप्रचारित चैनल प्रदान करता है। सो ाल मीडिया नागरिकों के साथ आउटरीच और जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पीएफआरडीए ने अभिदाताओं के साथ जुड़ने और संवाद करने के अपने प्रयास में एनपीएस, एपीवाई और, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक पेजों को सक्रिय करने और बनाए रखने के द्वारा सो ाल मीडिया मंचों के माध्यम से खुद को लगातार व्यस्त रखा है। पें ान संचय पीएफआरडीए की एक वित्तीय साक्षरता पहल है। ये वि ाश्ट सो ाल मीडिया हैंडल एनपीएस, एपीवाई और पें ान संचय और पीएफआरडीए सो ाल मीडिया हैंडल में 1 लाख से अधिक फोलोवर्स का एक बड़ा समूह है ।

3.9.4 जनसंपर्क अभिकरण

जनसंपर्क एजेंसी

पीएफआरडीए की विनियामक और विकास भूमिका के प्रसार और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए के लिए चल रही जनसंपर्क रणनीति और कार्यक्रम को डिजाइन और निश्पादित करने के लिए एक जनसंपर्क एजेंसी की नियुक्ति की गई थी ताकि अच्छी संचार रणनीति के माध्यम से मीडिया दृ यता सुनि चत हो सके। पीआर रणनीति के कार्यान्वयन का उद्देश्य पीएफआरडीए के दायरे में वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों, गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जागरूकता और प्रसार जानकारीको बढ़ावा देना और दे ा के प्रत्येक नागरिक को उसकी वृद्धावस्था आय हासिल करने में भागीदार बनाना था।

3.9.5 प्रशिक्षण

पें ान, सेवानिवृत्ति बचत और मध्यस्थ इकाईयों के प्रि ाक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पीएफआरडीए के जनादे ा के लिए, पीएफआरडीए ने केंद्र और राज्य सरकार नोडल अधिकारियों– वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), आहरण और वितरण कार्यालय (डीडीओ) कॉर्पोरेट, उपस्थिति अस्तित्व – बैंक/गैर–बैंक / डाक विभाग अभिदाताओं के पंजीकरण में भाामिल एपीवाई सेवाप्रदाता, बैंकों के व्यावसायिक संवाददाता, डीसीसीबी (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (आरआरबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि को, एनपीएस/एपीवाई की मुख्य वि ोशताओं, योजनाओं में भाामिल होने की प्रक्रिया के बारे में ,वार्शिकी का विकल्प, ि ाकायतों का समाधान, आदि के सम्बन्ध में प्रि ाक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रि ाक्षण एजेंसी नियुक्त की है।

इनप्रि ाक्षणकार्य ाालाओं/ि ाविरोंकाआयोजनसरकारी क्षेत्र में नोडल कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए और

गैर–सरकारी क्षेत्र में अभिदाताओं को ि ाक्षित करने और स ाक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति के एक हिस्से के रूप में किया गया।

प्र ि ाक्षण एजेंसी ने चार क्षेत्रों अर्थात् पूर्व, प ि चम, उत्तर और दक्षिण में कुल 911 बैचों का संचालन किया है और कुल 36706 व्यक्तियों को इस अवधि (8/08/2018–31/03/2019) के दौरान प्र ि ाक्षित किया गया। प्र ि ाक्षणों की संख्या का क्षेत्रवार और राज्यानुसार विवरण निम्नानुसार है : –

तालिका 3.12: प्रशिक्षिण की संख्या का राज्यानुसार वितरण

क्र.सं.	एनपीएस–क्षेत्र	प्रशिक्षण सत्र	प्रति भागी गणना	क्षेत्रानुसार प्रशिक्षण सत्र			
				दक्षिण	पूर्व	उत्तर	पश्चिम
1	सीजी	72	2955	6	20	28	18
2	एसजी	590	23612	155	151	134	150
3	सीएबी	30	1340	7	6	12	5
4	एसएबी	46	2147	0	4	4	38
5	कॉर्पोरेट	35	1083	9	1	10	15
6	पीओपी	78	2871	11	3	20	44
कुल		**851**	**34008**	**188**	**185**	**208**	**270**

तालिका 3.13: एनपीएस और एपीवाई सूचना पटल

क्र.सं.	एपीवाई–क्षेत्र	प्रशिक्षण सत्र	प्रतिभागी गणना	क्षेत्रानुसार प्रशिक्षण सत्र			
				दक्षिण	पूर्व	उत्तर	पश्चिम
1	बीसी–एपीवाई	16	692	2	6	3	5
2	डीसीसीबी–एपीवाई	9	424	0	1	4	4
3	डीओपी–एपीवाई	3	86	2	1	0	0
4	पीएसबीएस	2	64	0	0	1	1
5	आरआरबीज़	15	697	1	6	1	7
6	स्माल फाइनेंस	15	735	2	1	6	6
कुल		**60**	**2698**	**7**	**15**	**15**	**23**

3.10 एनपीएस और एपीवाई सूचना पटल

एनपीएस और एपीवाई पर वृद्धावस्था आय सुरक्षा और सूचना के प्रसार के लिए, जो दे ाभर से सुलभ हो और नागरिकों को एनपीएस/एपीवाई में नवीनतम विकास के बारे में बताने, एनपीएस/एपीवाई उत्पाद सुविधाओं, नीतियों, विनियमों आदि के संबंध में मौजूदा और साथ ही संभावित अभिदाताओं के प्र नों के जवाब देने के लिए पीएफआरडीए एक समर्पित एनपीएस / एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क का संचालन कर रहा है। पीएफआरडीए, अभिदाताओं के लिए एपीवाई अं ादान की नियमितता, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एनपीएस/एपीवाई उत्पाद सुविधाओं, प्रणालियों के लोकप्रियता सर्वेक्षण आदि में जागरूकता आदि के विशय में जानने के लिए आउटबाउंड कॉल करने के लिए कॉलसेंटर का उपयोग करता है । एनपीएस सूचना हेल्पडेस्क को मीडिया

अभियानों के दौरान और मीडिया द्वारा पीएफआरडीए की घोशणाओं के माध्यम से प्रचारित किए जाने के दौरान बढ़ी संख्या में कॉल प्राप्त हो रहे हैं ।

वर्तमान में, एनपीएस सूचना हेल्पडेस्क के माध्यम से दो टोलफ्री नंबर अर्थात् 1800110708 एनपीएस के लिए और 1800110069 एपीवाई के लिए संचालित किए जा रहे हैं। एनपीएस हेल्पडेस्क से कॉलबैक सेवाओं के लिए, एसएमएस सुविधा भी–एसएमएस एनपीएस 56677 पर उपलब्ध है। एनपीएस सूचनाडेस्क राश्ट्रीय अवका ा को छोड़कर पूरे वर्श में 8 घंटे (9.30 बजे– ाम 5.30 बजे) सप्ताह में 7 दिन (रविवार सहित) चालू रहता है।

3.11 वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित सम्मलेन

3.11.1. अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर

1. आईओपीएस तकनीकी और कार्यकारी समिति के बैठक (06 मार्च 2019)

पीएफआरडीए ने 06 और 07 मार्च, 2019 को आईओपीएस की बैठक और सम्मेलन को आईओपीएस के समन्वय में सह–आयोजित किया। श्री ब्रेंडन कैनेडी, पें ान प्राधिकरण, आयरलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो आईओपीएस तकनीकी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने और भारत सहित 30 दे ाों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था।

पें ान प्रणालियों से संबंधित मुद्दों जैसे कि पें ान फंडों के निव ा और जोखिम प्रबंधन में ईएसजी कारकों के एकीकरण, सेवानिवृत्ति लाभों के अनुमानों, परिभा ित लाभ पें ान योजनाओं की सॉल्वेंसी– पर्यवेक्षी और नीति प्रतिक्रियाओं और बुनियादी निवे ा ढांचों की निगरानी, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, निजी पें ान पर्यवेक्षण में साइबर सुरक्षा, अन्य अंतर्राश्ट्रीय संगठनों के साथ अंतर्राश्ट्रीय सहयोग पर, बैठक के दौरान चर्चा की गई ।

आईओपीएस तकनीकी समिति की बैठक और कार्यकारी समिति की बैठकों के बाद "उभरते बाजारों में स्थायी पें ान प्रणाली बनाने के लि एविकल्प" पर 07 मार्च , 2019 को एक सम्मलेन आयोजित किया गया।

आईओपीएस तकनीकी और कार्यकारी समिति बैठक, नई दिल्ली

2. पीएफआरडीए द्वारा "उभरते बाजारों में एक नियमित पें ान प्रणाली बनाने के लिए विकल्प" पर आईओपीएस के समन्वय में दिनांक 07 मार्च, 2019 को एक सम्मलेन आयोजित किया गया।

पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने आईओपीएस (इंटरने ानल आर्गेनाइजे ान पें ान सुपरवाइजर्स) के समन्वय में "उभरते बाजारों में एक नियमित पें ान प्रणाली बनाने के लिए

विकल्प पर दिनांक 07 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित किया । इस आयोजन में दुनियाभर के 30 अधिक दे ाों ने भाग लिया था, जिसमें सेवानिवृत्ति बचत को बढ़ाने के लिए रणनीतियों, लागत प्रभावी पें ान व्यवस्था को बढ़ावा देने में पें ान पर्यवेक्षकों की भूमिका , सेवानिवृत्ति विकल्पों का पर्यवेक्षण और पें ान व्यवस्था के पर्यवेक्षण पर गोलमेज सत्र प रविचार–विम ा किया गया था ।

3.11.2 राष्ट्रीय स्तर

3.11.2 राष्ट्रीय स्तर

देश में एनपीएस के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पीएफआरडीए ने व ा के दौरान बहुत से सम्मेलनों का आयोजन किया था। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें एनपीएस के अधिकांश सदस्य ाामिल हैं, पीएफआरडीए ने अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों / मामलों पर सरकारी नोडल कार्यालयों को सक्रिय किया । पीएफआरडीए ने, केंद्र/राज्य सरकार क्षेत्र में उपस्थित नोडल कार्यालयों के साथ विभिन्न तरीके और समीक्षा बैठकें/वीडियो सम्मेलन आयोजित किए हैं पवित्तीय व ा 2018– 19 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख सम्मेलन / कार्यशालाएँ आयोजित की गईं :

तालिका संख्या : 3.14: प्रमुख सम्मलेन/कार्यशालाएं

क्र.सं.	महीना	सम्मलेन विषय
1	फरवरी' 2019	केंद्र सरकार मंत्रालयों, नई दिल्ली, के लिए सम्मलेन
2	10 सितम्बर 2018	राज्य सरकार क्षेत्र के लिए सम्मलेन, नई दिल्ली
3	13 जून 2018	केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबीज़), नई दिल्ली
4	12 जून 2018	राष्ट्रीय एपीवाई सम्मलेन, 2018, नई दिल्ली

वर्श 2018–19 के दौरान पीएफआरडीए ने सीजी और एसजी में जिनमें स्वायत्त निकाय भाामिल है, के तहत किये गए निम्नलिखित उपाय:

तालिका: 3.15: पीएफआरडीए द्वारा वर्ष 2018–19के दौरान आयोजित बैठकें :

शीर्ष	कुल संख्या	मंत्रालयों / राज्यों / सीएबीज़ / एसएबीज़
केंद्र सरकार / मंत्रालयों / विभागों के साथ समीक्षा बैठकें / वीसी	32	डाक विभाग (डाक खाते) (3), एनसीटी ऑफ दिल्ली मंत्रालय (3), सीबीईसी (2), जल संसाधन मंत्रालय (2) गृह मंत्रालय (1), उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली (1), सीडीए (सीमा सड़कें) (1), दिल्ली कैंट (1), लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (1), सीबीडीटी (1), सीडीए पुणे (1) , दक्षिणी रेलवे, चेन्नई (1), दक्षिण पि चमी रेलवे, हुबली (1), पि चम रेलवे, मुंबई (1), मध्य रेलवे, मुंबई (1), उत्तर पूर्वी रेलवे, गोरखपुर (1), पूर्वी रेलवे, कोलकाता (1), ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हाजीपुर (1), नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इलाहाबाद (1), पीसीडीए (नेवी) मुंबई (1), साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर (1), वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जबलपुर (1), ईस्ट कोस्ट रेलवे , भुवनेश्वर (1), साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद (1) साउथ ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता (1), नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, मालीगांव (1)
केंद्र सरकार / मंत्रालयों / सीएबीज़ के साथ कार्यशालाएं	11	उत्तरी दिल्ली नगर निगम (1), दिल्ली में एमएच कार्य ाला (1), जम्मू में एमएच कार्य ाला (1), मुंबई में एमएच कार्य ाला (1), ि लांग में एमएच कार्य ाला (1), अंडमान और निकोबार (1) के लिए आयोजित कार्य ाला, हैदराबाद में एमएचए कार्य ाला (1), कोलकाता में एमएचए कार्य ाला (1), बैंगलोर में सीजीडीए अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सह कार्य ाला (1), दिल्ली में पोस्टल अकाउंटिंग फॉर्मे ान के लिए कार्य ाला (1), एनसीटी दिल्ली के पीएओ के लिए आयोजित कार्य ाला (1)
		सीएबीज़ की समीक्षा बैठकें 14 केवीएस, नई दिल्ली (3), सीएसआईआर (2), एसडीएमसी (2), एम्स (1), ईपीएफओ (1), आईसीएआर (1) नई दिल्ली नगर निगम (1), ईडीएमसी (1), नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा (1), प्रसारभारती (1)

समीक्षा बैठकें / राज्यजिन में स्वायत्त निकाय भाामिल हैं में वीसी और कार्य ाालाएं	राज्यसरकारें:	• बिहार (4), झारखंड (3), गोवा (3), तेलंगाना (3), हरियाणा (3), गुजरात (2), जम्मू और क मीर (2), मेघालय (2), केरल (2), महाराश्ट्र (2), एमपी (2), राजस्थान (2), असम (2), उत्तराखंड (2), नागालैंड (2), मणिपुर (1), पुदुचेरी (1), कर्नाटक (1), पंजाब (1), आंध्रप्रदे ा (1) , चंडीगढ़ (1), मिजोरम (1), सिक्किम (1), एचपी (1), यूपी (1), ओडि ाा (1) •एबीएस: •डीपीआई, एमपी (1), डीटीडी, एमपी (1), केएसआरटीसी (1), बीएसपी, यूपी (1), डीएसई, यूपी (1), डीएचई, यूपी(1) • यूपी के 3 एसएबी यानी आधार ि ाक्षापरिशद, माध्यमिक ि ाक्षानिदे ाालय और उच्च ि ाक्षानिदे ाालय के साथ कार्य ाला का आयोजन • पंजाब सरकार के डीटीओ के लिए सम्मेलन सहकार्य ाला।)

ii. समीक्षा बैठकें / 5सीजी / सीएबीज़ / एसजी / एसएबीज़ नोडल कार्यालयों, जिनकी सबसे अधिक शिकायतें और निकास मामले हैं, के साथ मासिक आधार पर बैठकों का आयोजन।

3.12 पेंशन निधियों का प्रदर्शन और प्रदर्शन बेंचमार्क

वित्त व ा के दौरान एनपीएस योजना ने अपनी एयूएम में सम्पूर्ण रूप 36% की बड़ी वृद्धि दर्ज की है, जैसा कि तालिका संख्या 3.14 में द ार्शाया गया है। सभी योजनाओं ने दोहरे अंक वाली वृद्धि दर्ज की और एपीवाई ने एयूएम के मामले में 80% की वृद्धि दर्ज की।

वर्श के दौरान केंद्र सरकार के लिए सीजी योजना ने 28% की वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर, योजना एसजी की परिसंपत्तियां 37% से बढ़ी ।

तालिका 3.16: दिनांक 31 मार्च 2019 तक के अनुसार एनपीएस में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) विभाजन– विकासानुसार योजना स्थिति 2019

31 मार्च 2019 को समाप्त हुई तिमाही के अनुसार एनपीएस में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति विभाजन–विकासानुसार योजना स्थिति				राशि रु.करोड़ में			
योजनाएं	31 मार्च 2019 बीमांकिक–एयूएम			एयूएम में वृद्धि			
	मार्च–17	मार्च–18	मार्च–19	मार्च 17 की तुलना में मार्च 18	मार्च 18 की तुलना में मार्च 19		
				राशि	%	राशि	%
इक्विटी टियर I	2538.98	4308.22	7234.21	1769.24	69.68	2925.99	67.92
इक्विटी टियर I	125.90	217.78	325.44	91.89	72.99	107.66	49.43
इक्विटी कुल	**2664.88**	**4526.00**	**7559.65**	**1861.13**	**69.84**	**3033.65**	**67.03**
कुल एयुएम में भाग %	1.5	1.9	2.4		3.1		3.6
बांड्स (सी) टियर I	1684.95	2846.55	4422.07	1161.60	68.94	1575.52	55.35
बांड्स (सी) टियर II	101.33	162.16	209.08	60.83	60.03	46.92	28.94
बांड्स (सी) कुल	**1786.28**	**3008.71**	**4631.15**	**1222.43**	**68.43**	**1622.44**	**53.92**
कुल एयूएम में भाग %	1.0	1.3	1.5		2.0		1.9
जीसेक (जी) टियर I	2506.93	4243.06	6896.75	1736.13	69.25	2653.69	62.54
जीसेक (जी) टियर II	112.43	181.47	262.69	69.04	61.41	81.21	44.75
जीसेक(जी) कुल	**2619.37**	**4424.53**	**7159.44**	**1805.17**	**68.92**	**2734.91**	**61.81**
कुल एयूएम में भाग %	1.5	1.9	2.2		3.0		3.3
योजना ए टियर I	1.04	6.53	19.52	5.49	527.38	12.99	198.77
योजना ए टियर II	0.10	–	–	(0.10)	–100.00	–	–
योजना ए कुल	**1.14**	**6.53**	**19.52**	**5.39**	**470.87**	**12.99**	**198.77**
कुल एयूएम में भाग %	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
उपकुल टियर I	6731.91	11404.37	18572.56	4672.46	69.41	7168.19	62.85
उपकुल टियर II	339.76	561.41	797.21	221.66	65.24	235.80	42.00
टियर I + टियर II	**7071.67**	**11965.78**	**19369.77**	**4894.11**	**69.21**	**7403.99**	**61.88**
एनपीएस लाइट	2639.21	3005.82	3409.23	366.61	13.89	403.42	13.42
एपीवाई	1885.00	3817.86	6860.30	1932.85	102.54	3042.45	79.69
कॉर्पोरेट सीजी	10753.47	14846.33	20682.83	4092.86	38.06	5836.50	39.31
उपकुल (निजी क्षेत्र)	**22349.35**	**33635.79**	**50322.14**	**11286.43**	**50.50**	**16686.36**	**49.61**
कुल एयूएम में भाग %	12.8	14.3	15.8		18.8		20.0
केंद्र सरकार	67040.05	84954.60	109010.70	17914.54	26.72	24056.10	28.32
कुल एयूएम में भाग %	38.4	36.2	34.3		29.8		28.8
राज्य सरकार	85171.43	115988.48	158881.11	30817.05	36.18	42892.63	36.98
कुल एयूएम में भाग %	48.8	49.4	49.9		51.3		51.3
उपकुल (सरकारी)	**152211.49**	**200943.08**	**267891.81**	**48731.59**	**32.02**	**66948.73**	**33.32**
कुल एयूएम में भाग %	87.2	85.7	84.2		81.2		80.0
कुल योग	**174560.84**	**234578.86**	**318213.95**	**60018.02**	**34.38**	**83635.09**	**35.65**

स्रोतः एनपीएस न्यास वार्शिक रिपोर्ट

पेंशन निधियों का प्रदर्शन

तालिका 3.17: पेंशन निधियों में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम)

पीएफएम	एयूएम (राशि करोड़ में)		एयूएम में वृद्धि	
	मार्च–18	मार्च–19	राशि	%
एसबीआई पें ान फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	89283	1,21,959	32,676	37
एलआईसी पें ान फण्ड लिमिटेड	70130	92,719	22,589	32
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ान लिमिटेड	69483	93,708	24,225	35
एचडीएफसी पें ान मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2560	5,165	2,605	102
आईसीआईसीआई प्रुडें ियल पें ान फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2326	3,476	1,150	49
कोटेक महिंद्रा पें ान फण्ड लिमिटेड	536	785	249	46
रिलायंस कैपिटल पें ान फण्ड लिमिटेड	231	289	58	25
बिरला सनलाइफ पें ान मैनेजमेंट लिमिटेड	30	113	83	277
कुल	**234579**	**3,18,214**	**83,635**	**36**

तालिका 3.18: 31 मार्च 2019 तक के अनुसार योजनावार पेंशन निधि अनुसार रिटर्न

आरम्भ से (% में)

योजना	एसबी आईपीएफ	एलआई सीपीएफ	यूटीआई आरएसएल	कोटेक	आईसी आईसीआई	रिलायंस	एचडीएफसी	बिरला
सीजी	9.96	9.67	9.65					
एसजी	9.57	9.66	9.62					
एनपीएस–लाइट	10.28	10.21	10.23	10.13				
एपीवाई	8.67	9.10	9.35					
कॉर्पोरेट सीजी	9.73	9.77						
ई–I	10.01	12.25	11.79	10.74	11.74	10.74	15.10	10.85
सी–I	10.48	9.98	9.29	10.29	10.50	9.26	10.24	9.13
जी– I	9.59	11.08	8.40	8.66	8.73	8.42	9.78	7.06
ए–I	8.17	8.13	7.03	6.05	7.68	6.81	8.43	7.17
ई–II	9.71	8.86	10.11	10.01	9.70	9.60	12.19	10.44
सी–II	10.10	8.77	9.37	9.19	10.32	8.99	9.09	7.47
जी–II	9.65	11.45	9.27	8.45	8.85	8.56	10.22	5.08

स्रोतः एनपीएस न्यास वार्ि ाक रिपोर्ट । विभिन्न योजनाओं के लिए आरंभ होने की तिथि भिन्न है।
1 वर्श से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्शिकीकृत है।
आरंभिक तिथियाँ : एलआईसी, एसबीआई एवम यूटीआई 1 अप्रैल 2018 सीजी योजनाओं के लिए
आरंभिक तिथियाँ : एलआईसी, एसबीआई एवम यूटीआई 25 जून, 2009 के लिए एसजी योजना
आरंभिक तिथियाँ : बिरला 09मई 2017, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013, आईसीआईसीआई 18, मई 2009, कोटेक 5 मई 2009, एलआईसी 03 जुलाई 2013, रिलायंस 21 मई 2009, एसबीआई 15 मई 2009 और यूटीआई 21, मई 2009 (ई–I के लिए)
आरंभिक तिथियाँ : एलआईसी 04, अक्टूबर 2010; कोटेक 30,जनवरी 2012; एसबीआई 16 सितंबर 2010; यूटीआई 04, अक्टूबर, 2010 (एनपीएस–लाइट)
यूटीआई योजना कोर्पोरेट सीजी वित्त वर्श 2013–14 में समाप्त हुई।
आरंभिक तिथियाँ : बिरला 09 मई 2017, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013, आईसीआईसीआई 21 दिसंबर 2009, कोटेक 14 दिसंबर ,2009, एलआईसी 12 अगस्त 2013, रिलायंस 21 दिसंबर 2009, एसबीआई 14 दिसंबर, 2009 और यूटीआई दिसंबर 14, 2009 (ई–II के लिए)
आरंभिक तिथियाँ : एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 09 मई 2017, आईसीआईसीआई 18, मई 2009, कोटेक 15 मई 2009, रिलायंस 21 मई, 2009, एसबीआई 15 मई, 2009 और यूटीआई 21 मई, 2009 (सी–I)
आरंभिक तिथियाँ : एलआईसी 12 अगस्त, 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 09 मई 2017, आईसीआईसीआई 21 दिसंबर ,2009, कोटेक 14 दिसंबर ,2009, रिलायंस 21 दिसंबर 2009, एसबीआई 14 दिसंबर, 2009 और यूटीआई दिसंबर 14, 2009, सी–II
आरंभिक तिथियाँ : एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 09 मई 2017, आईसीआईसीआई 18, मई 2009, कोटेक 15 मई 2009, रिलायंस 21 मई, 2009, एसबीआई 15 मई, 2009 और यूटीआई 21 मई, 2009 (जी–I)
आरंभिक तिथियाँ : एलआईसी 12 अगस्त, 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 09 मई 2017, आईसीआईसीआई 30 दिसंबर, 2009; कोटेक 14 दिसंबर, 2009; रिलायंस 23 दिसंबर 2009; एसबीआई 14 दिसंबर, 2009 और यूटीआई दिसंबर 14, 2009, (जी–II);
आरंभिक तिथियाँ : एलआईसी 13 अक्टूबर, 2016; एचडीएफसी 10अक्टूबर, 2016; बिरला 15, मई 2017 आईसीआईसीआई 21 नवंबर, 2016; कोटेक 14 अक्टूबर, 2016; रिलायंस 2 नवंबर, 2016; एसबीआई 13 अक्टूबर, 2016 और यूटीआई 14, अक्टूबर 2016 (योजना ए–I)

3.13 विनियमित आस्तियां

"विनियमित आस्तियों" से तात्पर्य है तथा में सम्मिलित है मूर्त तथा अमूर्त आस्तियां जो व्यापक रूप से सीआरए के परिचालन हेतु निर्मित हैं जिसमें बीस्पोक सॉफ्टवेयर भाामिल है, जो उन सभी तत्वों के साथ उपलब्ध है जो किसी अनुप्रयोग को चलाने के लिए आव यक है, कोई तृतीय सॉफ्टवेयर तथा तत्व के जो वस्तु के रूप में अनुप्रयोग प्रणाली में वि ाश्ट रूप से सम्बंधित हो, सभी उपयुक्त सीआरए परियोजना आंकड़े, समर्पित वि ाश्ट हार्डवेयर/डाटा सेंटर के सॉफ्टवेर कॉम्पोनेंट्स तथा डिजास्टर रिकवरी सेंटर, नेटवर्क तथा अन्य सभी सुविधाएं सम्मिलित है,भौतिक ढाँचे को छोड़कर (भवन, एयर कंडी ानर, बिजली आपूर्ति ढांचा, फर्नीचर)।

पंजीकरण के कार्यकाल के अवसान पर या सीआरए के निरसन के मामले में सीआरए द्वारा प्रबंधित सूचना तथा विनियमित आस्तियां प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अन्य सीआरए को स्थानांतरित कर दी जाएंगी, उस समयावधि में तथा उस प्रारूप में जो पीएफआरडीए अधिनियम विनियमों के तहत आव यक हो या प्राधिकरण द्वारा निर्दे ाित हो ।

3.14 वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संकलित किए जाने वाले अन्य शुल्क या प्रभार

एनपीएस के अभिदाताओं पर भिन्न स्तरों पर उन मध्यस्थ इकाईयों द्वारा जो अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करती है द्वारा भाुल्क तथा प्रभार आरोपित किये जाते है। एनपीएस प्रणाली में प्रवे ा होने पर, मध्यस्थ ईकाईयां अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होती है अर्थात् पीओपीज, जो अभिदाताओं से प्रभार भाुल्क संकलित करते हैं। अटल पें ान योजना के लिए पंजीकरण भाुल्क सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं। अगले स्तर पर, सीआरए, जो अभिलेखपाल अभिकरण है खाता खोलने के लिए भाुल्क लेता है तथा प्रान ज़ारी करने के लिए ईकाईयों के निरसन द्वारा खाता प्रबंधित करता है। इसके प चात्, प्रत्येक संव्यवहार के लिए जिसमें अभिदाताओं

का अं ादान सम्मिलित है, सीआरए तथा पीओपी दोनों द्वारा भुल्क प्रभारित किया जाता है। पें ान निधियों द्वारा निवे ा प्रबंधन भुल्क, अभिदाताओं के निवे ा पोर्टफोलियो प्रबंधित करने के लिए प्रभारित किये जाते हैं। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक उनके तहत आने वाली आस्तियों के लिए प्रभार लेते हैं। और अंत में, एनपीएस न्यास खर्चों की प्रतिपूर्ति अभिदाताओं से की जाती है ।

तालिका 3.19: विभिन्नस्तरों पर अभिदातओं के शुल्क और प्रभार

मध्यस्थ	शुल्क / प्रभार	निजी	सरकारी.*	एनपीएस लाइट / एपीवाई
केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण	पीआरए आरंभिक भुल्क	एनएसडीएल: रु. 40.00	एनएसडीएल: रु. 40.00	एनएसडीएल: रु.. 15.00
		कार्वी#: रु. 39.36	कार्वी : रु.39.36	कार्वी : रु. 15.00
	वार्शिक पीआरए प्रबंधन लागत प्रति खाता	एनएसडीएल: रु. 95.00	एनएसडीएल: रु. 95.00	एनएसडीएल: रु. 25.00
		कार्वी : रु. 57.63	कार्वी : रु. 57.63	कार्वी : रु. 14.40
	प्रति संव्यवहार भुल्क	एनएसडीएल: रु. 3.75	एनएसडीएल: रु. 3.75	भून्य
		कार्वी : रु. 3.36	कार्वी : रु. 3.36	
उपस्थिति अस्तित्व	भुरूआती अभिदाता पंजीकरण और अं ादान अपलोड	रु. 200	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
	कोई अनुवर्ती संव्यवहार	अं ादान का 0.25%, न्यूनतम. रु. 20 अधिकतम रु. 25000, गैर–वित्तीय रु. 20	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
	दृढ़ता भुल्क > 6 महीने और न्यूनतम अं ादान रु. 1000 प्रतिवर्श	रु. 50 प्रति वर्श	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
	ईएनपीएस के माध्यम से अं ादान	0.10% का अं ादान'' न्यूनतम रु. 10 अधिकतम रु.10000	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
न्यासी बैंक		भून्य		
अभिरक्षक	आस्ति सेवा भुल्क	इलेक्ट्रॉनिक भाग और भौतिक भाग के लिए 0.0032% प्रति वर्श		
पें ान निधियां	निवे ा प्रबंधन भुल्क	0.01% प्रतिवर्श	0.0102% प्रतिवर्श	0.0102% प्रतिवर्श
एनपीएस न्यास	व्ययों की प्रतिपूर्ति	भून्य		

* सरकारी कर्मचारियों के मामले में, सीआरए भुल्क का भुगतान सम्बंधित सरकारों द्वारा किया जाएगा।
# कार्वी कंप्यूटर ेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 15 फरवरी 2017 से परिचालन आरम्भ किया।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न मध्यस्थों से प्राप्त शुल्क निम्न तालिका में प्रदान किये गए हैं:

तालिका 3.20: वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त किये गए शुल्क

क्र. सं.	मध्यस्थ इकाई	शुल्क प्राप्त (रुपये लाख में)
1	न्यासी बैंक– एक्सिस बैंक	2402.75
2	पें ान निधि	1198.91
3	सीआरए–एनएसडीएल– ई गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रकचर लिमिटेड	717.40
4	अभिरक्षक– एसएचसीआईएल	107.15
5	सेवानिवृत्ति सलाहकार /पीओपी/संकलनकर्ता/एएसपी/ईएमडी/आरएफपी प्रसंस्करण भुल्क	17.25
6	सीआरए– कार्वी कंप्यूटर ेयर प्राइवेट लिमिटेड	1.31
कुल		**4444.77**
विभिन्न मध्यस्थों से प्राप्त भुल्क को उगाही आधार पर माना जाएगा		

3.15 निष्पादित निरीक्षण, आयोजित जांच और निष्पादित अन्वेशण जिनमें पेंशन निधियों से सम्बंधित मध्यस्थों और अन्य इकाईयों या संगठनों की लेखापरीक्षा सम्मिलित है के लिए मांगी गई जानकारी।

3.15.1 जांच और निरीक्षण

पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास सीआरए, न्यासी बैंक और उनके लेखापरीक्षकों द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की समीक्षा करता है, जिससे यह सुनि चित किया जा सके कि इकाई सेवा स्तर अनुबंधों में यथानिर्धारित नियतकालिक समय का अनुपालन कर रही हैं।

3.15.2 निरीक्षण और लेखापरीक्षा

पीएफआरडीए, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण और न्यासी बैंक विनियमों में अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सीआरए और न्यासी बैंक की लेखापरीक्षा और निरीक्षण का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, प्राधिकरण द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए जारी की गई दि ाानिर्दे ा टिप्पणी के अनुसार पें ाननिधियों द्वारा नियुक्त किए गए आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा पें ान निधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, वित्त वर्ष 2017–18 के लिये 08 पें ान निधियों की समी़क्षा आयोजित की गई नामतः

- एसबीआई पें ान फंड प्राइवेट लिमिटेड
- एलाईसी पें ान फंड लिमिटेड
- यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड
- एचडीएफसी पें ान मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- कोटेक महिंद्रा पें ान फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडें ियल पें ान फंडस मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- रिलायंस कैपिटल पें ान फंड लिमिटेड
- बिरला सन लाइफ पें ान मेनेजमेंट लिमिटेड

निरीक्षण को प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, दि ाानिर्दे ों, निर्दे ों से सम्बंधित अनुपालन के निरीक्षण तथा जांच के पूर्व निर्धारित दायरे के अनुसार आयोजित किया गया था।

सम्बंधित पें ान निधियों द्वारा प्रबंधित योजनाओं की लेखापरीक्षा भी की गई थी। पें ान निधियां भी वैधानिक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

पीएफआरडीए, पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व), विनियम, 2018 और उसके तहत जारी परिचालित दि ाानिर्दे ों के अनुपालन

के सम्बन्ध में, एनपीएस, एनपीएस–लाइट और एपीवाई के तहत गैर–सरकारी क्षेत्र जैसे उपस्थिति अस्तित्व का भी पर्यवेक्षण करता है।

निगरानी, वि लेशण के माध्यम से नियमित पर्यवेक्षण और गहन पर्यवेक्षण ऑफसाइट और ऑनसाइट दोनों द्वारा किया जाता है। एनपीएस, एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत क्रियाकलापों के लिए उपस्थिति अस्तित्वों को पंजीकृत किया गया है और सेवानिवृत्ति सलाहकारों को एनपीएस के तहत क्रियाकलापों के लिए पंजीकृत किया गया है।

(क) ऑफसाइट निरीक्षण:

पीएफआरडीए मध्यस्थ इकाईयों द्वारा पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास को जमा की गई रिपोर्ट की जांच और समीक्षा करता है, जो प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों और दि ानिर्दे ों के अनुपालन से सम्बंधित है। डिफ़ॉल्ट मध्यस्थ इकाईयों को उचित कार्रवाई करने और निर्दिश्ट नियतकालिक समय का पालन करने और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की सलाह दी जाती है। जबकि बार–बार गलतियां करने वालों को निर्दिश्ट प्रक्रिया के अनुसार सूचनाएं जारी की गई हैं ताकि अभिदाताओं के हितों की रक्षा की जा सके, विभिन्न सुधारात्मक उपाय इकाईयों को सुझाए जाते हैं ताकि सम्बंधित परिचालन दि ानिर्दे ों और विनियमों का अनुपालन किया जा सके। ऑफसाइट निरीक्षण और पर्यवेक्षण में निम्नलिखित भाामिल है :

(ख) ऑनसाइट निगरानी :

पीएफआरडीए, उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपीज़) के लिए कुछ मानदंडों के आधार पर ऑनसाइट निरीक्षण भी आयोजित करता है जैसे नामांकित किए गए एनपीएस अभिदाताओं की संख्या, लंबित अभिदाता अनुरोध और ि ाकायतें। वर्श 2018–19 के दौरान एनपीएस, एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत किए गए क्रियाकलापों के लिए 16 ऑनसाइट निरीक्षण आयोजित किए गये। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन के प चात् समापन के लिए मध्यस्थ इकाईयों का अनुसरण किया जाता है।

(ग) एनपीएस, एनपीएस–लाइट, एपीवाई और आरएज़ के तहत पीओपीज़ के लिए पीएफआरडीए अधिनियम के विनियम 14 2(न) पराम र्ा/निर्दे ों/सूचनाओं को जारी करना।

इकाईयों द्वारा क्रियाकलापों के सरल अनुपालन और क्रियान्वयन के लिए विभाग ने पराम र्ा/निर्दे ा/सूचनाएं पीओपीज़ के लिए जारी की।

(घ) प्राथमिक रिपोर्ट जमा करना :

पर्यवेक्षण विभाग ऐसे किसी मामले में अधिनियम की धारा 28 के एक या अधिक भाग के तहत भाामिल प्रत्यक्ष रूप से किसी कृताकृत का खुलासा करता है तो ऐसी स्थिति में एक औपचारिक प्राथमिक रिपोर्ट जमा करेगा।

एनपीएस के तहत सभी अन्य मध्यस्थ इकाईयों के लिए, ऑफसाइट और ऑनसाइट तंत्र के लिए समान तंत्र उपलब्ध है।

इसके अलावा, निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में अन्य रिपोर्ट जमा करना :

i) इस अधिनियम या उसके तहत निर्मित किसी नियम या विनियम के उल्लंघन का कोई भी मामला : पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 30 और पीएफआरडीए (न्यायनिर्णायक अधिकारी की जांच के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2015 के तहत नामित सदस्य द्वारा जुर्माना लगाने के लिए जारी अंतिम आदे ा के अनुसार, अलंकित असाईनमेंट्स लिमि. टेड (संकलनकर्ता के रूप में) को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की उपधारा 28(4) का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।

ii) प्राधिकरण के निर्णयों का जिस सीमा तक पालन किया गया : पूर्ण रूप से पालन किया गया।

3.16 अन्य

3.16.1 अभिदाता (श्रेणीवार) जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अधीन अन्य पेंशन योजना के तहत शामिल किये गए हैं।

क) पिछले वर्षों में एनपीएस के तहत अभिदाताओं की संख्या

एनपीएस के तहत वर्शों से अभिदाताओं की नामांकन संख्या मार्च 2018 के 211.78 लाख से बढ़कर मार्च, 2019 में 273.55 लाख हो गई। 2018–19 के दौरान अभिदाताओं की संख्या में 29 प्रति ात से वृद्धि हुई है। एनपीएस अभिदाताओं की वर्शानुसार संख्या चार्ट 3.1 में प्रदान की गई है।

तालिका 3.21: एनपीएस/एपीवाई के तहत क्षेत्रानुसार अभिदाताओं की संख्या

क्षेत्र	मार्च–18 (संख्या लाख में)	मार्च–19 (संख्या लाख में)	वर्षानुसार	
			सम्पूर्ण वृद्धि (संख्या लाख में)	%
केंद्र सरकार	19.22	19.85	0.63	3.28
कुल का %	9.08	7.25		
राज्य सरकार	38.68	43.21	4.53	11.71
कुल का %	18.26	15.8		
कॉर्पोरेट	6.96	8.03	1.07	15.37
कुल का %	3.29	2.94		
यूओएस (सर्व नागरिक)	6.91	9.30	2.39	34.59
कुल का %	3.26	3.40		
एनपीएस लाइट/ स्वावलंबन*	43.95	43.63	–0.32	–
कुल का %	20.75	15.95		
एपीवाई	96.06	149.54	53.48	55.67
कुल का %	45.36	59.66		
कुल	**211.78**	**273.55**	**57.39**	**29.17**

*(एपीवाई के भुभारम्भ के प चात् 01 अप्रैल, 2015, के बाद से कोई नए पंजीकरण स्वीकृत नहीं हुए)

चार्ट 3.1: एनपीएस और एपीवाई के तहत वर्षवार अभिदाताओं की संख्या

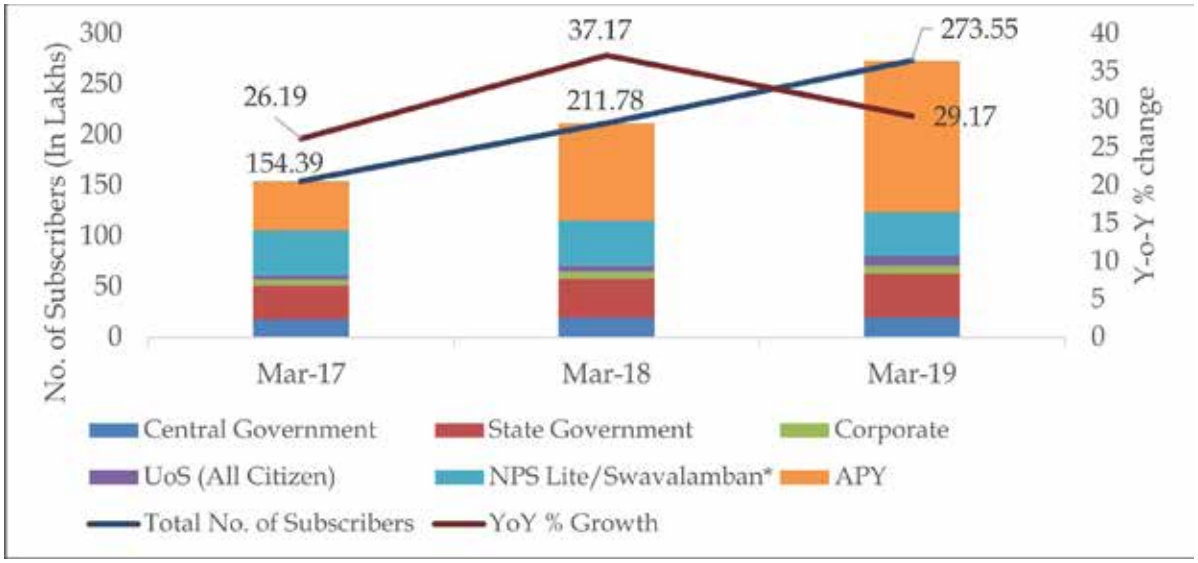

ख) अभिदाताओं की संख्या – क्षेत्रानुसार

सरकारी क्षेत्र

तालिका: 3.22 दिनांक 31.03.2019 तक के अनुसार सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं, अंशदान और एयूएम की संख्या

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में)	अंशदान (रु.करोड़ में)	एयूएम (रु. करोड़ में)
केंद्र सरकार	19.85	78,379.20	1,09,009.55
राज्य सरकार	43.21	1,24,190.66	1,58,491.37
कुल	**63.06**	**2,02,569.86**	**2,67,500.92**

- मार्च, 2019 के अंत में सरकारी अभिदाता 57.90 लाख सेबढ़कर मार्च, 2019 के अंत में 63.06 लाख हो गए, और 5.16 लाख (8.91%) की वृद्धि दर्ज की।

निजी क्षेत्र

तालिका 3.23:दिनांक 31.03.2019 तक के अनुसार निजी क्षेत्र के अभिदाताओं, अंशदान और एयूएम की संख्या

विवरण	अभिदाता (संख्या लाख में)	अंशदान (रु. करोड़ में)	एयूएम (रु. करोड़ में)
कॉर्पोरेट क्षेत्र	8.03	24436.77	30,874.79
यूओएस / सर्व नागरिक	9.30	9685.54	9568.50*
कुल	**17.33**	**34122.31**	**40443.29**

- निजी क्षेत्र के तहत, कॉर्पोरेट अभिदाताओं की संख्या 6.96 लाख से बढ़कर 8.03 लाख हो गई, जो कि 1.07 लाख (15.37%) अभिदाताओं की वृद्धि थी। यूओएस / सर्वनागरिक क्षेत्र के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च, 2018 अंत के 6.91 लाख से बढ़कर मार्च, 2019 के अंत में 9.30 लाख हो गई, जो 2.39 लाख (34.59%) अभिदाताओं की वृद्धि थी।

* मुख्य रूप से प्राण को एक सेक्टर से दुसरे सेक्टर ि ाफ्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

असंगठित क्षेत्र

तालिका संख्या 3.24: दिनांक 31.03.2019 तक के अनुसार एपीवाई और एनपीएस लाइट के अभिदाताओं, अंशदान और एयूएम की संख्या

विवरण	अभिदा. ता(संख्या)	अंशदान (रु. करोड़ में)	एयूएम (रु. करोड़ में)
एनपीएस लाइट / स्वावलंबन	43.63	2555.18	3409.23
अटल पें ान योजना	149.53	6335.09	6860.30
कुल	**193.16**	**8890.27**	**10269.53**

- एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत मिलकर अभिदाताओं की संख्या मार्च 2018 के 140.01 लाख से बढ़कर मार्च, 2019 में 193.1 6 लाख हो गई, जो 53.13 लाख अभिदाताओं (37.96%) से बढ़ी।
- दिनांक 1 अप्रैल 2017 से स्वावलंबन योजना में नए प्रवे ा समाप्त हुए और एपीवाई की 9 मई, 2015 से भाुरुआत की गई और इसे 1 जुलाई 2015 से भाुरू किया गया। एपीवाई भारत के गरीबों और वंचित वर्गों पर केन्द्रित है; यह 60 वर्श की आयु के बाद परिभाशित पें ान प्रदान करेगी।
- एपीवाई के तहत, अभिदाता 60 वर्श की आयु पर न्यूनतम रु.1000, रु.2000, रु.3000, रु. 4000, रु. 5000 प्रतिमाह की मासिक पें ान प्राप्त करेगा, जो उनके अं ादानों पर निर्भर करेगी, जो एपीवाई में भाामिल होने की अभिदाता की आयु पर निर्भर करेगी। एपीवाई में भाामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्श और अधिकतम आयु 40 वर्श है। इसलिए, एपीवाई के तहत अभिदाता द्वारा अं ादान की न्यूनतम अवधि 20 वर्श या उससे अधिक होगी।
- केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) के साथ पंजीकृत सीबीएस मंच वाली बैंक भाखाओं / डाकघरों के माध्यम से योजनाएं परिचालित की जाती हैं।

वित्त वर्श 2018–19 के दौरान, 149.53 लाख अभिदाता एपीवाई के तहत पंजीकृत हुए हैं, इसके अलावा 11.49 लाख अभिदाता एपीवाई के तहत सरकारी सह–अं ादान के लिए योग्य हैं।

क. 21% अभिदाताओं ने रु.5000 की पें ान रा ि ा का विकल्प चुना है।

ख. 61% उम्मीदवार 26 वर्श से अधिक के आयु समूह में हैं।

ग. स्त्री और पुरुश अभिदाताओं का अनुपात 42 : 58 है।

तालिका 3.25: लिंग, पेंशन राशि और आयु के आधार पर पंजीकृत एपीवाई अभिदाताओं का विस्तृत विश्लेषण।

लिंग अनुसार			
क्र. सं.	**लिंग**	**प्रान गणना**	**प्रतिशत**
1	स्त्रीलिंग	6,470,224	41.96
2	पुल्लिग	8,944,417	58.01
3	ट्रांसजेंडर	3,644	0.02
कुल		**15,418,285**	**100.00**

पेंशन राशि अनुसार			
क्रम. संख्या	**पेंशन राशि (रु. प्रति माह)**	**प्रान गणना**	**प्रतिशत**
1	1,000	10,465,175	67.88
2	2,000	979,412	6.35
3	3,000	500,754	3.25
4	4,000	206,278	1.34
5	5,000	3,266,666	21.19
कुल		**15,418,285**	**100.00**

आयु अनुसार			
क्रम. संख्या	**आयु वर्ग**	**प्रान गणना**	**प्रतिशत**
1	18 से 20 वर्श	1,977,639	12.83
2	21 से 25 वर्श	3,968,264	25.74
3	26 से 30 वर्श	4,028,629	26.13
4	31 से 35 वर्श	3,394,552	22.02
5	35 वर्शों से ऊपर	2,049,201	13.29
कुल		**15,418,285**	**100.00**

3.16.2 उपस्थिति अस्तित्व

पीओपी विनियम, 2018 के तहत पीएफआरडीए ने 268 पीओपीज़ को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है।

3.16.3 योजनावार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

योजनावार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 3.26: योजनानुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

(रु. करोड़ में)

योजना	मार्च–18	मार्च–19	% वृद्धि
सीजी	84955	1,09,011	
एसजी	115989	1,58,881	
उपकुल	**200944**	**2,67,892**	**33%**
कॉर्पोरेट सीजी	14846	20683	
ई–।	4308	7234	
सी–।	2847	4422	
जी–।	4243	6897	
ए–।	7	20	
ई–।।	217	325	
सी–।।	162	209	
जी–।।	181	263	
एनपीएस लाइट	3006	3409	
एपीवाई	3818	6860	
उपकुल	**33636**	**50322**	**50%**
कुल योग	**234579**	**3,18,214**	**36%**

स्रोत एनपीएस–न्यास
मार्च 2018 के लिए टिप्पणी
दामोदर घाटी संघ 309.94 करोड़ एसजी के तहत द र्ाया गया है।

उपरोक्त तालिका यह सूचित करती है कि सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 33% से बढ़ी हैं। इन योजनाओं से भिन्न योजनाओं की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 50% से बढ़ी। सम्पूर्णरूप से सरकारी क्षेत्र योजनाएं रु. 66,948 करोड़ से बढ़ी जबकि अन्य योजनाएं रु. 16,687 करोड़ से बढ़ी।

3.16.4 केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, इसकी भूमिका और कार्य

क) परिचय

एनएसडीएल ई –गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, को पीएफआरडीए केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 नवंबर, 2007 को एक अनुबंध को निश्पादित दिया गया था।

पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम. 2015 की अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के बाद से, एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 18, दिसम्बर, 2015 से केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में, जो कि मूल अनुबंध दिनांक 26 नवम्बर, 2007 से 10 वर्श की अवधि के लिए, जो 1 दिसम्बर, 2007 से प्रभावी था, की भोश अवधि के लिए कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया।

सीआरए सभी मध्यस्थ इकाईयों के लिए एक संचालन इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है। इसकी भूमिका में सभी बाहरी अभिकरणों के साथ संपर्क स्थापित करना भाामिल है और एनपीएस के सभी अभिदाताओं के लिए अभिलेखपालन, प्र ाासन और ग्राहक सेवा कार्य भाामिल है।

वित्तीय वर्श 2016–17 के दौरान, प्राधिकरण ने दूसरे सीआरए के रूप में मेसर्स कार्वी कंप्यूटर ेयर प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकृत किया था और उन्हें एनपीएस न्यास के ई–एनपीएस मॉड्यूल के माध्यम से खातों की सर्विसिंग के लिए दिनांक 15 फरवरी, 2017 से अपना परिचालन भाुरू करने की अनुमति दी थी, जिसमें ग्राहक को एनएसडीएल ई–गवर्नेंस लिमिटेड (प्रथम सीआरए) और एम/एस कार्वी कंप्यूटर ेयर प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय सीआरए) के बीच में से चुनने का विकल्प प्राप्त होता है, और उसके बाद अन्य वितरण चैनलों में चुनने का विकल्प होगा। मैसर्स कार्वी कंप्यूटर ेयर को 31 मार्च, 2017 तक नए खातों को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद 01 अप्रैल, 2017 से एनपीएस के मौजूदा अभिदाताओं के लिए स्थानांतरित करने के लिए विकल्प प्रदान करने वाली इंटर ऑपरेबिलिटी कार्यक्षमता के साथ पूर्ण सीआरए के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

विनियमन 3 के उप विनियमन 4 के तहत, सीआरए विनियम, मौजूदा केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी और अन्य केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या एजेंसियों, यदि नियुक्त किया जाता है, के बीच ग्राहकों का आवंटन, एक पारद र्ी मापदंड और प्रक्रिया पर आधारित होगा जैसा कि प्राधिक. रण द्वारा समय–समय पर अभिदाताओं हित में अधिसूचित किया जाता है। तदनुसार, अभिदाताओं के आवंटन के लिए मापदंड निम्नानुसार हैः–

ऐसे मामले में जहां कॉर्पोरेट सहित, कर्मचारी–नियोक्ता संबंध हैं, यदि नियोक्ता द्वारा सीआरए के प्रभार वहन किए जा रहे हैं, तो सीआरए का चयन करने का निर्णय नियोक्ता के पास होगा, जब तक कि वे वि ोश रूप से किसी व्यक्तिगत कर्मचारियों को विकल्प नहीं सौंपते और अन्य सभी मामलों में, सीआरए के चयन का विकल्प एनपीएसके तहत कर्मचारी/अभिदाता के पास रहेगा। स्वैच्छिक अभिदाताओं (किसी भी कर्मचारी–नियोक्ता संबंध के अस्तित्व के बिना) के मामले में, सीआरए चुनने का विकल्प सामान्य रूप से अभिदाता के पास होता है। अटल पें ान योजना के तहत पंजीकृत अभिदाताओं के मामले में, संबंधित सरकार सेवाओं को प्रदान करने के लिए सीआरएको चुनेगी। एनपीएस–लाइट अभिदाताओं के मामले में संकलनकर्ता के पास सीआरए चुनने का विकल्प होगा।

ख. सीआरए की भूमिका और दायित्व

सीआरए की प्रमुख भूमिका और दायित्व निम्नानुसार है :

i. नई क्रियात्मकताओं की निरंतर बढ़त और विकास

यह पीएफआरडीए का उत्तरदायित्व है कि वह दे ाभर में सुविधा केंद्रों का निर्माण करे और स्थापित करे। उन्हें विभिन्न नई क्रियात्मकताओं/उपयोगों को विकसित करना और मोडयूल्स की निरंतर बढ़त एवं विकास करना होगा जिससे विभिन्न हितधारकों की आव यकताओं का पता चल सके।

ii. सभी क्षेत्रों के अभिदाताओं के लिये सेवाएं सीआरए का प्रमुख कार्य सभी एनपीएस अभिदाताओं का अभिलेखपालन, प्र ाासन, ग्राहक सेवा कार्यों की सुविधा प्रदान करना है, सभी अभिदाताओं को वि ाि श्ट स्थायी सेवनिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) और आईपिन/टीपिन जारी करना है। इसके साथ ही अभिदाताओं को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराना जैसे पंजीकरण के समय एसएमएस अलर्ट और ईमेल भेजना, रा ि ा का क्रेडिट /डेबिट, निकासी, प्रान में रा ि ा, अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, एनपीएस हितधारकों को वेब आधरित पहुंच प्रदान करना। सीआरए अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को केंद्रीय ि ाकायत प्रबंधन प्रणाली और कॉल सेन्टर की सुविधा भी प्रदान करता है। इन सुविधाओं के अलावा सभी अभिदाता प्रबंधन सेवाएँ जैसे योजना परिवर्तन, जनसांख्यकीय विवरण परिवर्तन, ि ाकायत प्रबंधन आदि सीआरए द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं।

iii. मध्यस्थ इकाईयों को सेवाएं

क) पेंशन निधि प्रबंधक :

यह सीआरए की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह पीएफएम्स को समय से निधियों की स्थिति सूचित करे, समेकित निवे ा वरीयता योजना सूचना का निर्माण करे तथा भेजे, पीएफएम्स को न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त निधि स्थानान्तरण रिपोर्ट के पुश्टिकरण के आधार पर नेट फण्ड स्थानानतरण रिपोर्ट भेजे तथा योजना प्रद ान रिपोर्ट का एनएवी द्वारा प्रयोग करते हुए गणना करना जो पीएफएम द्वारा सीआरए को भेजी गई।

ख) न्यासी बैंक :

न्यासी खातों से प्राप्त पें ान निधि रिपोर्टों को पें ान निधि अं ादान सूचना रिपोर्ट से मिलाना तथा निधि योजना पर त्रुटि/विभिन्नता रिपोर्ट ज़ारी करना, न्यासी बैंक को निर्दे ा देना कि अभिदाता खाते में प्रत्याहरण निधि प्रेशित करे तथा वार्शिकी योजना के लिए लिए वार्शिकी सेवा प्रदाताओं को भोश रा ि ा प्रेशित करे।

ग) वार्षिकी सेवा प्रदाता:

अभिदाताओं से भौतिक आवेदन पत्र प्राप्त करें तथा उन्हें एएसपीज़ को तथा वार्शिकी स्थानानतरण विवरण को एएसपीजको भेजें तथा अभिदाताओं की वार्शिकी के निधि स्थानान्तरण विवरण को एएसपीज़ को भेजें। इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्थानानतरण को एएसपीज को स्थानांतरित करें जो कि वार्शिकी विवरण से सम्बंधित हो तथा वार्शिकी योजना पर निदे ा भेजना।

iv) अन्य:

पीएफआरडीएको आवधिक तथा एडहोकएमआईएस (ि ाकायत निवारण सम्मिलित), राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय को प्रदान करना, आवधिक ओरिएंटे ान कार्यक्रम नोडल कार्यालयों के लिए आयोजित करना तथा अनंत एवं त्रुटिमुक्त प्रणाली कार्य जिसमें सीआरएप्रणाली, पीएफएम्स, टीबी तथा अन्य एनपीएस ईकाईयां भाामिल हों, को प्रदान करना।

क) वार्षिक शुल्क

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम 2015 के विनियम 22 में यथाविनिर्दिश्ट सेवा भुल्कों का 0.05 गुणा की दर से वार्शिक भुल्क देगा।

ख) सीआरए प्रभार शुल्क

एनपीएस नियमित और एनपीएस लाइट/एपीवाई अभिदाताओं के लिए भुल्क संरचना सभी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के तहत निम्नानुसार है :

तालिका संख्या 3.27: एनपीएस नियमित आजैर एनपीएस लाइट/एपीवाई

क्र.सं.	सेवा प्रभार प्रमुख	एम/एस एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (प्रथम सीआरए)		एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय सीआरए)	
		एनपीएस नियमित (रु.)	एनपीएस लाइट/ एपीवाई (रु.)	एनपीएस नियमित (रु.)	एनपीएस लाइट/ एपीवाई (रु.)
1	पीआरए आरंभिक भुल्क	40.00	15.00	39.36	15.00
2	पीआरए वार्शिक प्रबंधन भुल्क	95.00	25.00	57.63	14.40
3	संव्यवहार भुल्क	3.75	भून्य	3.36	भून्य

ग) विनियम

पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित हुए हैं। इसके अलावा, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (8 को अधिसूचित हुए हैं। पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 का लक्ष्य केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने की इच्छा रखने वाले निकाय की पात्रता, भाासन, संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानक निर्धारित करना है। विनियम पीएफआरडीए अधिनियम की भावना के अनुरूप निरीक्षण, जांच, निगरानी और प्रवर्तन भाक्तियों का प्रभावी और विश्वसनीय उपयोग और एक कु ाल अनुपालन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनि ित करेंगे।

इस विनियमन के माध्यम से केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में पंजीकृत इकाई को एक आंतरिक प्रणाली स्थापित करने की आव यकता होती है जो एनपीएस अभिदाताओं और उनकी परिसंपत्तियों के हितों की रक्षा के उद्दे य से आंतरिक संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानकों का अनुपालन करती है।

घ) नई कार्यक्षमता का विकास

विभिन्न हितधारकों की बदलती आव यकताओं का पता लगाने के लिए मॉड्यूलस की निरंतर वृद्धि और विकास सीआरए के मुख्य उद्दे यों में से एक है। एनपीएस प्रणाली के निर्बाध कामकाज को सुनि ित करने के लिए सी. आरए द्वारा विभिन्न कार्यक्षमताओं का विकास किया गया। कुछ प्रमुख विकास इस प्रकार हैं:

अभिदाता को एनपीएस के तहत उपलब्ध सुविधाएं :

- **भारत के सर्वनागरिक क्षेत्र** अभिदाताओं के पास अपने सीआरएलॉग–इन में स्थानान्तरण अनुरोध करते हुए ईएनपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प है।
- **आईपिन/टीपिन को शीघ्र जारी करने की सुविधा**– सीआरए प्रणाली में एक नए गुण की भारुआत की गई है जिससे अभिदाताओं को प्रान जारी करने के दिन पर ही तत्काल आईपिन (इन्टरनेट पर्सनल आइडेंटीफिके ान नंबर) जारी करने की सुविधा दी जा सके। यह सुविधा उन अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रणाली में पंजीकृत करवाई है। अभिदाता को आईपिन जारी करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और/या ईमेल आईडी पर प्राप्त हुए ओटीपी का प्रयोग करते हुए सीआरए प्रणाली में जाने की आव यकता होगी।
- अभिदाताओं की लिए सीआरए प्रणाली में निम्नलिखित क्रियात्मक्ताएं 24x7 उपलब्ध होंगी:

  क. एकल मार्ग परिवर्तन
  ख. टियर–II आं ाक प्रत्याहरण
  ग. स ार्त प्रत्याहरण
  घ. योजना वरीयता परिवर्तन
  ङ. एफएटीसीए स्व–प्रमाणन

च. आधार से जोड़ना

छ) आधार के माध्यम से पता नवीनीकृत करना

- **पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) और निवेश विकल्प** परिवर्तन वर्तमान में, टियर–I खाते के लिए योजना वरीयता परिवर्तन का विकल्प केवल भारत के सर्वनागरिक (यूओएस) और कॉर्पोरेट अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है। अब, दिनांक 01.04.2019 से टियर–I के लिए योजना वरीयता परिवर्तन केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें निम्नलिखित विकल्प अनुज्ञप्त होंगे :

  क) मौजूदा योजना, जिसमें पीएफआरडीए द्वारा निधियां तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पें न निधि प्रबंधकों में आवंटित की जाती हैं, नए और मौजूदा अभिदाताओं दोनों के लिए डिफ़ॉल्ट योजना के रूप में जारी रहेगी।

  ख) ऑटो चॉइस मॉडरेट (एलसी 50)

  ग) ऑटो चॉइस कंजरवेटीव (एलसी 25)

  घ) किसी भी पीएफएम की एक्टिव चॉइस जी योजना (100% जी, अर्थात् केवल जी–सेक में धन निवे ित किया जाएगा)

- दिनांक 01.04.2019 से केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए सरकारी सह–अं ादान में 10% से 14% की वृद्धि।

- **गैर बैंकीय पीओपीज़ के लिए पैन आधारित पंजीकरण** उपलब्ध कराया गया है यदि अभिदाता पहले से ही गैर–बैंकीय पीओपी का मौजूदा ग्राहक है।

सीजीएमएस में प्रत्याहरण के लिए निम्नलिखित उप–श्रेणियों को जोड़ना

1. आं िक प्रत्याहरण भाुरू नहीं किया गया/अधिकृत नहीं है/रा ि प्राप्त नहीं की गई।
2. निकास आरम्भ नहीं किया गया/अधिकृत नहीं है/रा ि प्राप्त नहीं की गई।
3. समय से पूर्व निकासी को आरम्भ नहीं किया गया /अधिकृत नहीं है/रा ि प्राप्त नहीं की गई।
4. मृत्यु निकासी की भाुरुआत नहीं की गई / अधिकृत नहीं है / रा ि प्राप्त नहीं की गई।

- **'एनपीएस की पाठशाला'** विडियो को यूट्यूब पर उपलब्ध कराया गया है जिससे अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को एनपीएस के लाभों और क्रियात्मक्ताओं के वि ाय में अधिक जागरूक बनाया जा सके।

- **सीजीएमएस** को हिंदी में उपलब्ध कराया गया है। कार्वी सीआरए द्वारा, ईएनपीएस में अभिदाताओं के लिए उपलब्ध सीजीएमएस में हिंदी या अंग्रेजी में से भाशा चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है।

- **अधिकांश पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज़)** सम्बंधित प्र न श्रेणी के साथ उत्तर अभिदाता और इकाई (एनपीएस अभिदाता की ओर से ि ाकायत उठा रहे हैं) के लिए सीजीएमएस में उपलब्ध है। अभिदाता जो सीजीएमएस के माध्यम से किसी भी प्रकार का प्र न कर रहा है के पास चुनी गई ि ाकायत की श्रेणी के आधार पर एफएक्यूज़ और उपयुक्त उत्तरों को देखने का प्रावधान है।

- **दस्तावेज़ (निकास आवेदन/केवाईसी दस्तावेज़) अपलोड करने की सुविधा** (पीडीएफ प्रारूप में) अभिदाताओं/डीडीओज़/नोडल कार्यालयों के लिए अधिवर्शिता, समय से पूर्व और मृत्यु निकास अनुरोधों को करने के लिए सुविधा।

- उच्चतम न्यायालय के आधार सम्बन्धी निर्णय के बाद, एनपीएस और एपीवाई के तहत आधार आधारित पंजीकरण और प्रमाणीकरण बंद कर दिया गया है।

- **अलर्टसः** एनपीएस के तहत सीआरए विभिन्न लेनदेनों के लिए अभिदाताओं को अलर्टस भेज रहा है। अब अलर्ट अभिदाताओं को भेजे जाएंगे जिसके लिए एनपीएस के तहत निवे ा के लिए न्यासी बैंक से निधि प्राप्ति पुश्टिकरण प्राप्त किया जाएगा। इस सम्बन्ध में, अभिदाता को एक एसएमएस भेजा जाएगा कि निधि पुश्टिकरण प्राप्त हो चुका है और उसी दिन के अंत तक इसकी रा ि जमा कर दी जाएगी। यह अभिदाता को एनपीएस के तहत निवे ा के विशय में पहले से जानकारी रखने में सहायता करेगा।

- पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, एनपीएस के तहत संचित पें ान धन का आंि ाक प्रत्याहरण, एनपीएस से निकास के पूर्व किसी भी समय, विनियमों में निर्दिश्ट नियम एवं भार्तों, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाओं के अधीन अनुज्ञाप्त होगा। अब, पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में तीसरे और चौथे सं ाोधन के अनुसार, निम्नलिखित उद्दे यों के लिए आंि ाक निकासी की भी अनुमति दी जाएगी। ये नए विकल्प सीआरए प्रणाली के ऑनलाइन निकासी मॉड्यूल में लागू किए गए हैं

  1. विकलांगता/अक्षमता के कारण चिकित्सा और आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए
  2. कौ ाल विकास/ पुनः कौ ाल या अन्य कोई स्व–विकास गतिविधियों के लिए
  3. स्वयं के उद्यम या किसी लघु–उद्योग की स्थापना के लिए

केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में विकास

- अब, ''प्रत्याहरण'' श्रेणी के लिए सीजीएमएस में निम्नलिखित उप श्रेणियाँ जोड़ी गई हैं।

  1. आंि ाक निकासी की भ्ाुरुआत नहीं हुई/अधिकृत नहीं किया गया/रा ि ा नहीं मिली
  2. आरंभ नहीं किया गया/अधिकृत नहीं किया गया/रा ि ा नहीं मिली
  3. पूर्व–परिपक्व निकासी आरंभ नहीं हुई/अधिकृत नहीं किया गया/रा ि ा नहीं मिली
  4. मृत्यु आहरण प्रारंभ नहीं हुआ/अधिकृत नहीं किया गया/रा ि ा नहीं मिली

- कार्वी सीआरए द्वारा ईएनपीएस में अभिदाताओं के लिए उपलब्ध सीजीएमएस में हिंदी भाशा परिचय का चयन करने का विकल्प प्रदान किया गया है।
- अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों की सुविधा के लिए, सीआरए की वेबसाइट पर, ि ाकायतों की स्थिति देखने के लिए लिमिटेड एक्सेस व्यू को सक्षम किया गया है। अभिदाता और नोडल कार्यालय सीआरए प्रणाली में प्रवे ा किए बिना सीधे ि ाकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं। अब, ि ाकायतों की स्थिति देखने के लिए सर्च तरीकों में टोकन नंबर, कैपचा कोड आदि के साथ–साथ मोबाइल नंबर प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त चेक भ्ाामिल किया गया है।
- सीआरए के सीजीएमएस में पूछताछ के समय अक्सर पूछे जाने वाले प्र नों (एफएक्यूज़) का एक पॉप–अप अभिदाता को आव यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाए यह सुनि ि चत करने के लिए उपलब्ध किया गया है और सीजीएमएस में ि ाकायत न उठे।
- एनपीएस के तहत, अभिदाता/नोडल कार्यालयों के पास केन्द्रीय ि ाकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में ि ाकायतें उठाने का विकल्प है। अब, सीजीएमएस में एक प्रावधान किया गया है, ताकि एनपीएस न्यास को ि ाकायत बढ़ाने के समय, अभिदाता के पास ि ाकायत के लिए अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने या एनपीएस न्यास को आगे बढ़ाने का विकल्प होगा।

ईएनपीएस के तहत नई सुविधाएँ

ईएनपीएस में, अभिदाताओं का केवाईसी विवरण, नामांकन के समय पैन आधारित पंजीकरण के माध्यम से बैंक पीओपी द्वारा सत्यापित किया जाता है। अब, पीएफआरडीए के दि ाानिर्दे ाों के अनुसार, गैर–बैंक पीओपी जो किसी भी वित्तीय नियामक के साथ पंजीकृत हैं को अपने अभिदाताओं को ईएनपीएस के तहत पंजीकरण करते समय अपने उनके केवाईसी को सत्यापित करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, गैर–बैंक पीओपी के माध्यम से पैन आधारित अभिदाता पंजीकरण को ईएनपीएस के तहत सक्षम किया गया है।

- पैन आधारित अभिदाता पंजीकरण और टियर–।।पंजीकरण के लिए ईएनपीएस मंच के तहत ई–साइन कार्यक्षमता को लागू किया गया है। अब, अभिदाता सीआरए को भौतिक प्रपत्र जमा करने के बजाय पंजीकरण और टियर–।। एक्टिवे ान के लिए आवेदन फॉर्म को सीधे ई–साइन कर सकते हैं।

- एपीवाई अभिदाता के लिए ई प्रानकार्ड और संव्यवहार विवरण को डाउनलोड और/या प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है। एपीवाई अभिदाता सीआरए एनपीएस लाइट वेबसाइट (www.npslite-nsdl.com) के माध्यम से अपने ई–कार्ड और संव्यवहार विवरण का उपयोग कर सकते हैं। अभिदाता के पास प्रान विव. रण के साथ/उसके बिना अपना ई प्रान कार्ड और संव्यवहार विवरण खोजने का विकल्प है। अभिदाता को प्रान और बैंक खाता संख्या या एपीवाई के तहत सीआरए में पंजीकृत अभिदाता का नाम, बैंक खाता संख्या और जन्मतिथि जैसा न्यूनतम विवरण प्रदान करने की आव यकता होती है।
- एपीवाई अभिदाताओं को ईएनपीएस के माध्यम से भौतिक एपीवाई प्रान कार्ड प्राप्त का विकल्प दिया गया है। अभिदाता को ईएनपीएस मंच का उपयोग करने और पेमेंट गेटवे के माध्यम से लागू भाुल्क का भुगतान करके भौतिक प्रानकार्ड के लिए अनुरोध करने की आव यकता है।

एनपीएस मोबाइल एप में विशेषताएं

एनपीएस अभिदाता एनपीएस मोबाइल एप्लिके ान के माध्यम से अपने खाते तक पहुंच सकते हैं। यह एप्लिके ान विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है और अभिदाता की सेवानिवृत्ति निधि तक सरल पहुंच प्रदान करता है। एनपीएस मोबाइल एप में निम्नलिखित वि ोशताएं जोड़ी गई हैं:

- योजना वरीयता परिवर्तन, ि ाकायतों के लिए अनुरोध की स्थिति देखें।
- पूछताछ/ि ाकायतें उठाते हुए मोबाइल नम्बर देने का विकल्प।
- सर्वर डाउनटाइम के मामले में प्रमुख पृश्ठ में संदे ा सूचना।
- ई प्रान दृ य।
- एनपीएस मोबाइल एप को टीयर–I खाते में पें ान निधि (पीएफ) और निवे ा पैटर्न का चयन करने केविकल्प के सम्बन्ध में प्रासंगिक परिवर्तनों के साथ उन्नत किया गया है ।
- यह मोबाइल एप आईओएस और विंडोज प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले अभिदाताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है । एफएटीसीए अनुपालन स्थिति की जांच करने का एक विकल्प भी www.npscra.nsdl.co.in पर सीमित पहुंच दृ य में प्रदान किया गया है।
- अब, एनपीएस मोबाइल एप के माध्यम से एफएटीसीए घोशणा प्रस्तुत करने का एक अतिरिक्त विकल्प अभिदाताओं के लिए जारी किया गया है। अभिदाता एनपीएस मोबाइल एप में लॉगिन क्रेडें ियल का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और "एफएटीसीए/सीआरएस प्रमाणन" विकल्प का चयन कर सकते हैं। अभिदाता को आव यक एफएटीसीए विवरण भरने और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी उत्पन्न करके विधिवत अधिकृत करते हुए जमा करना आव यक है ।
- पूर्व एनएवी देखने का एक अतिरिक्त विकल्प मोबाइल एप में उपलब्ध कराया गया है ।
- एपीवाई मोबाइल एप एनपीएस लाइट और एपीवाई अभिदाताओं दोनों के लिए उपलब्ध है ।

शिकायतों के अलर्ट

- एक ईमेल/एसएमएस अलर्ट (टोकन संख्या के साथ) एपीवाई अभिदाताओं को सीआरए प्रणाली में एक ि ाकायत दर्ज करने और ि ाकायत के समाधान के लिए भेजा जाता है। एक वि ोश अभिदाता को भेजे गए ईमेल और एसएमएस का विवरण देखने के लिए सीआरए कॉल सेंटर उपयोगकर्ता के लिए एक दृ य सुविधा सक्षम की गई है। यह सीआरए उपयोगकर्ता को कम समय में ग्राहकों के प्र न का कु ालतापूर्वक समाधान/हल करने में मदद करेगी।

एपीवाई के लिए प्रान/ईप्रान

एपीवाई अभिदाताओं को ईएनपीएसके माध्यम से भौतिक एपीवाई प्रान कार्ड रखने का विकल्प दिया गया है। अभिदाता को ईएनपीएस मंच का उपयोग करने और पेमेंट गेटवे के माध्यम से लागू भाुल्क का भुगतान करके भौतिक प्रान कार्ड के लिए अनुरोध करने की आव यकता है। अनुरोध प्राप्त होने पर, सीआरए प्रणाली में पंजीकृत अभिदाता के पते पर सीआरए द्वारा भौतिक प्रानकिट भेजी जाती है।

सर्वेक्षण

ऑनलाइन सर्वेक्षण सुविधा, यहपहल, सीआरए द्वारा सर्वेक्षण कराने के लिए एक ऑनलाइन मंच विकसित किया गया है, जिसमें सम्बंधित लिंक का उपयोग करके अभिदाता/ लक्षित समूह द्वारा प्रतिक्रिया/उत्तर प्रदान किए जा सकते हैं। अभिदाताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने/पहुंचाने के लिए विभिन्न सर्वेक्षण किए गये।

त्रुटि आशोधन मोड्यूल (ईआरएम)

नोडल कार्यालयों द्वारा एक ईआरएम अनुरोध प्रसंस्कृत किया जाता है जिनके द्वारा सीआरए प्रणाली में अं ादान अपलोड किये जाते है। इसके अतिरिक्त, अब राज्य सरकार के मामले में,नोडल कार्यालयों की ओर से एकल ईआरएम संव्यवहार करने की सुविधा निरीक्षण कार्यालय को प्रदान की गई है। यह विभिन्न नोडल कार्यालयों द्वारा एकत्रित बहु ईआरएम अनुरोध के लिए प्रयासों तथा समय को बचाएगी।

ऑनलाइन कॉर्पोरेट पंजीकरण

ईएनपीएस मंच के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को कोर्पोरेट्स के लिए सक्षम बनाया गया है। कॉर्पोरेट को उपयुक्त पंजीकरण विवरण प्रदान करने तथा आगे के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त दस्तावेजों को जमा करने हेतु एक पीओपी के समन्वय की आव यकता होती है। कॉर्पोरेट स्वर एकत्रित पंजीकरण विवरण को सम्बंधित पीओपी द्वारा अधिकृत कराने की आव यकता होती है। इसके अलावा, पूर्व में एक विकल्प दिया गया था जिसके तहत कॉर्पोरेट पें ान निधि को चुन सकते हैं और आस्ति आवंटन अभिदाताओं द्वारा किया जाता है और यदि किसी मामले में अभिदाताओं को विकल्प दिया जाता है, तो पें ान निधि और आस्ति आवंटन का चयन अभिदाताओं द्वारा किया जाना होता है। अब, कॉर्पोरेट द्वारा विकल्प चुने जाने के मामले में, इसे संभावी कॉर्पोरेट्स के लिए भी परिवर्तित कर दिया गया है, जहाँ कोर्पोरेट को एनपीएस के तहत पंजीकरण करते समय पें ान निधि और साथ ही साथ आस्ति आवंटन का चयन करना होता है।

इसके अलावा, एनपीएस के तहत योजना वरीयता चुनने का का विकल्प या तो कॉर्पोरेट स्तर या अभिदाता स्तर पर होता है।

सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरएज़) को पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस पर सलाह देते हुए उसकी पहुँच को बढाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए नियुक्त किया गया है। आरएज़ कोई भी व्यक्ति पंजीकृत साझेदारी कंपनी, कॉर्पोरेट निकाय या कोई पंजीकृत न्यास या संस्था हो सकती है। ऑनलाइन मंच को सीआरए प्रणाली में विकसित तथा ज़ारी किया गया है जिससे एक व्यक्ति/ईकाई को आरए के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

आधार आधारित प्रान जारी करने की सुविधा सेवानिवृत्ति सलाहकारों को प्रदान की जाती है। एनपीएस के तहत प्रान जारी करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) को सीआरए प्रणाली (www.cra-nsdl.com) में लॉग इन परिचयपत्रों का प्रयोग करके लॉग इन करते हुए अभिदाता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा ।

नई सीआरए टोलफ्री हेल्पलाइन

सीआरए को अपनी सामान्य भांकाओं/ि ाकायतों के सन्दर्भ में संपर्क करने के लिए एक समर्पित टोल फ्री नंबर (1800222081) को नोडल कार्यालयों के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध टोल फ्री नंबर (1800222080) के अतिरिक्त है।

3.16.5 पेंशन निधियां

एनपीएस तथा पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्र ाासित किसी अन्य योजना की आस्तियों के प्रबंधन व्यावसायिक निधि प्रबंधकों द्वारा किया जाता है जो वि ोश रूप से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गए हैं।

पेंशन निधियों के कार्य

पें ान निधियों के कार्य में सम्मिलित हैं :

क. प्राधिकरण द्वारा निर्दिश्ट तथा अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में निवे ा दि ाानिर्दे ाों के अनुसार व्यावसायिक निवे ा।

ख. प्राधिकरण द्वारा निर्मित योजनाओं के अनुसार योजना पोर्टफोलियो निर्माण

ग. इस कार्य की पुस्तकों तथा आलेखों का प्रबंधन

घ. प्राधिकरण द्वारा एनपीएसटी को आवधिक अंतराल पर रिपोर्टिंग।

ड. लोक प्रकटीकरण

एनपीएस के तहत 8 पें ान निधियां हैं। यह तीन निम्नलिखित पें ान निधियां सरकारी क्षेत्र योजनाओं और एपीवाई योजनाओं को प्रबंधित करती हैं।

i) एलआईसी पें ान फण्ड लिमिटेड

ii) एसबीआई पें ान फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

iii) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड

सरकारी कर्मचारी एनपीएस पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के लिए पें ान निधियों द्वारा प्रभारित निवे ा प्रबंधन भाुल्क वर्तमान में प्रबंधन के अधीन आस्तियों का 0.0102 प्रति ात प्रति वर्श है।

निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाएं निम्नलिखित पें ान निधियों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं :

i) एचडीएफसी पें ान मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ii) आईसीआईसीआई प्रूडेन्ि ायल पें ान फण्ड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

iii) कोटेक महिंद्रा पें ान फण्ड लिमिटेड

iv) एलआईसी पें ान फण्ड लिमिटेड

v) रिलायंस कैपिटल पें ान फण्ड लिमिटेड

vi) एसबीआई पें ान फण्ड प्राइवेट लिमिटेड

vii) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस प्राइवेट लिमिटेड

viii) बिरला सन लाइफ पें ान मैनेजमेंट लिमिटेड

3.16.6 न्यासी बैंक

क) न्यासी बैंकः

पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियमों, 2015 की भार्तों के अनुसार एनपीएस के तहत एक खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 1 जुलाई 2015 से 5 वर्श की अवधि के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड को न्यासी बैंक चुना गया है।

ख) न्यासी बैंक की भूमिका और दायित्व :

1) न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न इकाईयों अर्थात् नोडल कार्यालय (अपलोडिंग कार्यालय), पें ान निधि प्रबंधक, वार्शिकी सेवा प्रदाता और अभिदाताओं के लिए निधि स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करता है।

2) न्यासी बैंक, सीआरए प्रणाली में विभिन्न नोडल कार्यालयों द्वारा प्राप्त निधियों के विवरण वाली फाइल अपलोड करता है। उसके बाद इस विवरण का सीआरए प्रणाली में नोडल कार्यालयों द्वारा प्रदान किये गए अं ादान विवरणों से मिलान किया जाता है।

3) सीआरए प्रणाली द्वारा न्यासी बैंक विभिन्न इकाईयों अर्थात् पें ान निधि प्रबंधक, वार्शिकी सेवा प्रदाता, प्रत्याहरण खातों में निधि स्थानांतरित करने के लिए भुगतान प्रक्रिया के रूप में निधि स्थानान्तरण निदे ा प्राप्त करेगा और पें ान निधि प्रबंधकों से निधियां प्राप्त कर सकेगा।

4) अपरिचित प्रेशणों या अपूर्ण जानकारी वाले प्रेशणों को सम्बंधित इकाई को वापस कर दिया जाएगा।

5) प्रत्येक निपटान दिवस के अंत में, न्यासी बैंक खाते में भोश रा ि ा को सीआरए प्रणाली के साथ मेल किया जाता है।

एनपीएस संरचना में निम्नलिखित चित्र न्यासी बैंक की भूमिका को दर्शाता है :

चार्ट 3.2: एनपीएस संरचना और मध्यस्थ इकाईयां

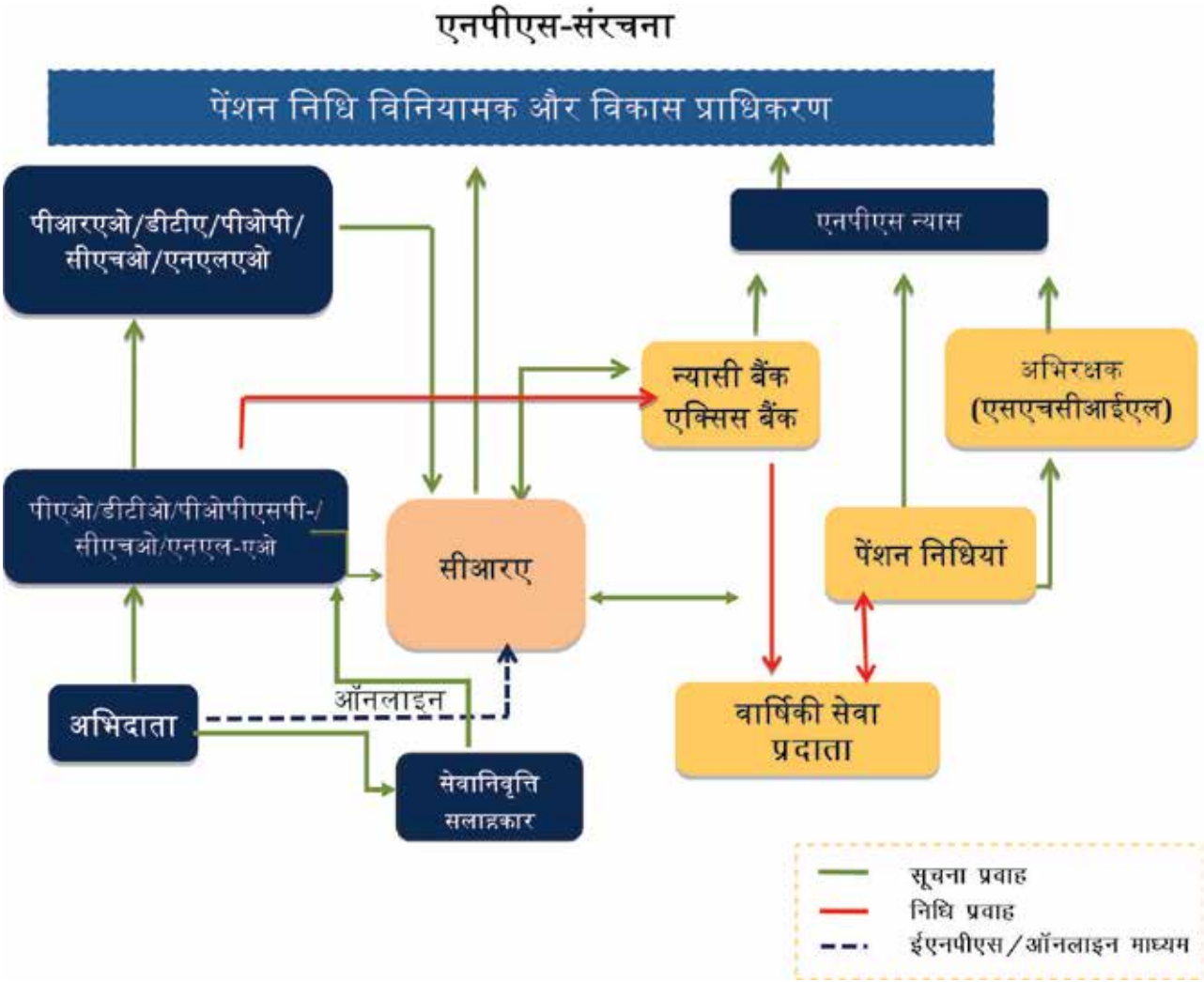

ग. न्यासी बैंक के लिए समयसीमा

न्यासी बैंक की व्यावसायिक गतिविधियाँ अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं। इसलिए, बैंक यह सुनि चत करता है कि सभी गतिविधियों को निर्दिश्ट समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। नीचे दिया गया चार्ट प्रमुख गतिविधियों और समयसीमा, जिसमें बैंक द्वारा उन गतिविधियों को पूर्ण किया जाना है की चर्चा करता है :

तालिका 3.28 : न्यासी बैंक की प्रमुख गतिविधियाँ

क्रियाकलाप का प्रकार	समयसीमा
अज्ञात निधियों के रिटर्न	टी+1
निधिप्राप्ति पुश्टिकरण फाइल (एफआरसी) अपलोड	टी+1 (प्रातः9:00 बजेतक)
सीआरए से पे–इन निर्दे ा फाइल डाउनलोड	प्रतिदिन
पें ान निधि प्रबंधकों को समतुल्य और बही निधियों का स्थानान्तरण	टी+1
विभिन्न खातों काविवरण और अंतिम भोश का अपलोड	प्रतिदिन

टिप्पणीः (परिकल्पना– न्यासी बैंक में दिवस 'टी' पर निधि प्राप्ति)

चुनौतियाँ जिनका सामना किया गया

i) **लंबित एससीएफ** – कई नोडल कार्यालयों ने एससीएफ को दो बार अपलोड किया है या इन एससीएफ से सम्बंधित निधियों को प्रेशित नहीं किया है। पीएफआरडीए इन एससीएफ का मिलान करने और निर्धारित समयसीमा में दर्ज कराने का सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है।

ii) **क्रेडिट राशि का न होना**–कई बार नोडल कार्यालय नियमित रूप से निधि प्रेशित नहीं करते। पीएफआरडीए अभिदाताओं के प्रान में अप्राप्त प्रान रा ि ा मामले पर सम्बंधित संगठनों के साथ नियमित रूप से चर्चा कर रहा है–पीएओस, ताकि विलम्ब के कारण अभिदाता निवे ा अवसर को न खो दें।

iii) **अपूर्ण विवरण के साथ प्रेषित निधियां**–कई नोडल कार्यालयों ने न्यासी बैंक को पीएओ आईडी, संव्यवहार आईडी आदि की अपूर्ण सूचना प्रदान की है। न्यासी बैंक के पास, मई 2012 से पूर्व प्राप्त धनरा ि ा अज्ञात रूप से पड़ी है, जिसके लिए नोडल कार्यालयों द्वारा नातो निधि स्थानान्तरण विवरण प्रदान किया गया ना ही एससीएफ अपलोड किए गए। पीएफआरडीए इसके समाधान के लिए नोडल कार्यालयों के साथ निरंतर चर्चा कर रहा है।

iv) **न्यासी बैंक द्वारा अभिदाताओं को जावक प्रेषणों की वापसी** – न्यासी बैंक द्वारा अभिदाताओं प्रेशित निकास निधियां विभिन्न कारणों से वापस कर दी गई, इनमें से सबसे प्रमुख कारण अनुचित बैंक विवरण, अनुचित आईएफसी, लाभार्थी के नाम का बेमेल होना आदि था।

चार्ट 3.3: दैनिक औसत राशि (करोड़ में) – वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान प्रचलन

पीएफआरडीए (न्यासीबैंक) विनियम, 2015 दिनांक 23 मार्च 2015 को अधिसूचित हुए।

पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम का उद्दे य न्यासी बैंक के रूप में कार्य करने की इच्छा रखने वाले निकाय की पात्रता, भाासन, संगठन और परिचालन आचरण के लिए मानक निर्धारित करना है। पीएफआरडीए अधिनियम की भावना के अनुरूप विनियम, निरीक्षण, जांच, निगरानी और प्रवर्तन भाक्तियों का प्रभावी एवं विश्वसनीय उपयोग और एक कु ाल अनुपालन कार्यक्रम को सुनि ित करेंगे।

3.16.7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक

'प्रतिभूतियों का अभिरक्षक' प्राधिकरण द्वारा विनियमित पें ान स्कीमों के लिए अभिरक्षक और निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 27 की उप–धारा(3) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संस्था अभिप्रेत है ;

"अभिरक्षक सेवाएं" राश्ट्रीय पें ान प्रणाली और किसी अन्य पें ान स्कीम के अधीन आस्तियों और प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखना तथा उससे अनुशांगिक सेवाएं प्रदान करना अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलत है :–

(i) आस्तियों और प्रतिभूतियों के खातों को संधृत करना;

(ii) डिपाजिटरी अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के निबंधनों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुज्ञात घरेलु निक्षेपागार के रूप में कार्य करना ;

(iii) आस्तियों और प्रतिभूतियों पर उद्भूत हकदारी और लाभों का संग्रहण करना ;

(iv) प्रतिभूतियों के निगमकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाई के बारे में संसूचित करना जो प्रोद्भूत होने वाले लाभों या हकदारी से सम्बन्ध हो;

(v) उपखंड (i) से (iv) में संदर्भित सेवाओं के अभिलेखों को बनाए रखना और समाधान करना ;

वर्तमान में, स्टॉक होल्डिंग कोर्पोरे ान ऑफ इंडिया प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व

पीएफआरडीए (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 2015 के अनुसार प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व नीचे दिए गए हैं :

(1) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में सभी समय पर उचित सावधानी, विवेक, व्यवसायिक कु ालता और सम्यक् तत्परता बरतेगा।

(2) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अन्य मध्यवर्तियों और

संस्थाओं के साथ संयोजन करने में उसे समर्थ बनाने के लिए आव यक प्रक्रियाओं, प्रणालियों, पर्याप्त सूचना तकनीक अवसंरचना उपलब्ध कराएगा और भविश्य में होने वाले परिवर्तनों जिनमें तकनीक उन्नति में परिवर्तन, प्रणाली और सेवाओं के विनिर्दे ान में परिवर्तन और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिश्ट कार्य सम्बन्धी दायित्वों की उद्घोशणा में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित होगा।

(3) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनि चत करने के लिए सभी आव यक सावधानियां बरतेगा कि अभिलेखों की निरंतरता लुप्त या नश्ट न हो और इसके लिए अभिलेखों का पर्याप्त बैकअप उपलब्ध हो।

(4) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनि चत करेगा कि सभी समय पर पें ान योजना खातों में संव्यवहार का स्तर पें ान निधि अथवा राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास के निर्दे ाों के अनुसार हो और इन खातों में धारित आस्तियों का इस्तेमाल स्पश्टतया केवल पें ान निधि अथवा राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास द्वारा अधिकृत संव्यवहार के लिए किया गया है।

(5) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनि चत करेगा कि सभी समय पर राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास की ओर से धारित प्रतिभूतियों को उसके खातों में उसकी अपनी धारिताओं, अन्य ग्राहकों के खातों से स्पश्टतया पृथक और अलग रखा गया है और अन्य गतिविधियों से पृथक है 'प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पें ान योजनाओं के लिए और प्रतिभूतियों के पंजीकरण के निर्दिश्ट रीति के अनुसार एक पृथक अनुरक्षित खाता खोलेगा'

(6) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनि चत करेगा कि राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास अथवा पें ान योजनाओं के लिए उसकी अनुरक्षा में धारित प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार और हकदारी प्राधिकरण अथवा राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिश्ट रीति और समय पर प्राप्त हो।

(7) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनि चत करेगा कि पें ान योजना खातों में व्यक्तिगत धारित रा ि ा दिन की समाप्ति पर निक्षेपागार धारित रा ि ायों और ग्राहक सहायक सामान्य खाता बही के साथ समाधानकृत हो।

(8) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनि चत करेगा कि पें ान योजना खातों के अन्दर और बाहर की प्रतिभूतियों के अभिलेखों का निर्माण और इस रीति में उनका अनुरक्षण करेगा कि किसी कारण से मूल अभिलेखों के लुप्त होने पर प्रतिभूतियों के अनुरेखण अथवा दस्तावेजों के प्रतिरूप की सुविधा उपलब्ध हो।

(9) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक उसकी अभिरक्षा में धारित प्रतिभूतियों के अभिलेखों का निर्माण और इस रीति में उनका अनुरक्षण करेगा कि किसी कारण से मूल अभिलेखों के लुप्त होने पर प्रतिभूतियों के अनुरेखण अथवा दस्तावेज़ के प्रतिरूप की सुविधा उपलब्ध हो।

(10) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनि चत करेगा कि राश्ट्रीय पें ान प्रणाली अथवा प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पें ान योजना के अंतर्गत उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियां पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं।

(11) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास अभिलेखों और दस्तावेजों में जिनमें प्रतिभूतियों की संपरीक्षा, अधिकार अथवा इस करार के अधीन धारित आस्तियों पर हकदारी भाामिल हैं किसी प्रकार के हेरफेर से रक्षा के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होगा। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास ऐसी प्रतिभूतियों (आस्तियों और दस्तावेजों) को चोरी और प्राकृतिक आपदा से बचाव सुनि चत करता हुआ पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।

(12) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पें ान खातों में उपलब्ध आस्तियों का निपटान करने का हकदार नहीं होगा अथवा पें ान निधि अथवा अन्य प्रकार से राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास की ओर से उस पर देय रा ि ायों के अं ातः

और पूर्णतः समाधान के लिए उनके साथ समझौता बिना प्राधिकरण और राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास की पूर्व लिखित अनुमति के नहीं करेगा।

(13) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्रतिभूतियों पर ऋण भार नहीं लगाएगा जिनमें गिरवी रखने, उप्राधीयन अथवा किसी प्रकार के प्रभार का निर्माण भाामिल है अथवा उक्त प्रतिभूति पर उसका दावा नहीं करेगा। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक बिना प्राधिकरण अथवा राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास की अनुमति के किसी प्रकार से प्रतिभूतियों को परिवर्तित नहीं करेगा।

(14) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक ऐसी रिपोर्टों और विवरणों को पें ान निधि अथवा राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा अन्य मध्यवर्तियों को प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिश्ट अथवा समझौते में विनिर्दिश्ट अंतरालों पर तथा ऐसी रीति में प्रेशित करेगा।

(15) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक खाता बहियों, पुस्तकों, अभिलेखों और दस्तावेजों का समुचित निर्माण करेगा और उसके पास अपने नियंत्रण, प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा रक्षापायों के पुनर्विलेख, निरीक्षण और मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त तंत्र होगा।

(16) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक आंतरिक संपरीक्षक के द्वारा तिमाही आधार पर लेखा बहियों की संपरीक्षा कराएगा और आस्तियों अथवा पें ान निधियों के कारबार से सम्बंधित उसके निश्कर्श को प्राधिकरण अथवा राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास को यथाविनिर्दिश्ट संपरीक्षा की तिथि से तीस दिन के प चात् जमा कराएगा।

(17) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास को प्रस्तावित सेवाओं और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए किसी भी विनियामक, प्राधिकरण, समा ोधन निकाय, विनिमय अथवा निक्षेपागार द्वारा लागू सभी नियमों, विनियमों परिपत्रों अथवा मार्गद र्क सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा।

अभिरक्षक शुल्क

आस्ति सेवा भुल्क	इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक भाग के लिए अभिरक्षा के तहत आस्ति का 0.0032% प्रति वर्श।

3.16.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

एनपीएस न्यास की स्थापना, केंद्र सरकार के पत्र डी.ओ. No 5(75)/2006-ECB & PR दिनांक 24 अप्रैल 2007 के अनुसार की गई, पीएफआरडीए न्यास का स्थापक है तथा पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस न्यास विलेख 27 फरवरी 2008 को हुआ। पीएफआरडीए और एनपीएसन्यास के बीच एक समझौता ज्ञापन जो दोनों पक्षों के लिए अधिकारों तथा बाध्यताओं को अंकित करता है 1 जुलाई 2009 को हस्ताक्षरित हुआ।

एनपीएस न्यास की स्थापना तथा गठबंधन एनपीएस के तहत लाभार्थियों (अभिदाताओं) के हितों के लिए आस्तियों तथा हितों को धारण करने के लिए हुई है। न्यासियों के पास न्यास निधि का कानूनी स्वामित्व है तथा सामान्य अधीक्षण दि ाा तथा न्यास के कार्यों का प्रबंधन तथा सभी भाक्तियों प्राधिकार तथा अनुबध निर्णय या न्यास से सम्बंधित, पूर्ण रूप से न्यासियों के अधिकारों में निहित है जो फिर भी पीएफआरडीए अधिनियम–2013 भारतीय न्यास अधिनियम–1882 एनपीएस न्यास विलेख तथा इसके अतिरिक्त पीएफआरडीए द्वारा समय–समय पर ज़ारी दि ाानिर्दे ाों या मार्गद र्न सिद्धांतों के अधीन हैं। जबकि लाभार्थी हित सदैव एनपीएस न्यास के लाभार्थियों के साथ रहेंगे।

प्राधिकरण ने उपयुक्त पृश्ठभूमि तथा अनुभव वाले व्यक्ति को न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो कि न्यास के रूप में नियुक्त किया है जो कि न्यास के दैनिक प्र ाासन तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जो कि अधीक्षण, नियंत्रण तथा बोर्ड की दि ाानिर्दे ा के अधीन होगा। बोर्ड की तीन महीनों में एक बार बैठक होती है। एनपीएस न्यास बोर्ड का 31 मार्च 2019 तक के अनुसार गठन निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका 3.29: 31 मार्च, 2019 तक के अनुसार एनपीएस न्यास बोर्ड का गठन।

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री अश्विन पारेख	अध्यक्ष और न्यासी
2	श्री संजीव चानना	न्यासी
3	श्री. अतानु सेन	न्यासी
4	श्री. दिने ा कुमार मेहरोत्रा	न्यासी
5	श्री. राधाकृश्णन नैय्यर	न्यासी
6	श्री. सूरजभान	न्यासी
7	श्री. संजीव मित्तल	न्यासी
8	श्री. सुरेन्द्र कुमार सोलंकी	न्यासी
9	श्री. मुनी ा मलिक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एनपीएस न्यास द्वारा एनपीएस निधि का प्रबंधन

एनपीएस न्यास के नाम पर धारित अभिदाताओं की एनपीएस निधियां, न्यासियों के बोर्ड की ओर से नियुक्त 8 पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित की जाती है ताकि अभिदाताओं के हित में एनपीएस न्यास के लक्ष्यों को समझा और पूर्ण किया जा सके । एनपीएस न्यास द्वारा पें ान निधियों के प्रद ार्न की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है और उन्हें अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए निर्दे ा/पराम ार्श प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, पीएफआरडीए एनपीएसटी और पें ान निधियों के प्रद ार्न की निगरानी करता है।

वित्त वर्श 2018–19 के दौरान, एनपीएस न्यास के न्यासी बोर्ड में तीन (3) न्यासियों को भी नियुक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है :

i) श्री सूरज भान, पूर्व आईईएस, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम), दिनांक 11/12/2018 को नियुक्त।

ii) श्री संजीव मित्तल, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र.सरकार(एनपीएस के तहत अभिदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य) दिनांक11/01/2019को नियुक्त ।

iii) श्री एस.के.सोलंकी, आईएएस, सचिव/वि ोश सचिव, वित्त(व्यय), राजस्थान सरकार (एनपीएस के तहत एयूएम के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य) दिनांक11/01/2019 को नियुक्त।

3.16.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

एनपीएस पर पराम ार्श प्रदान करते हुए उसकी पहुँच बढ़ाने की गतिविधि में संलग्न रहने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकारों को नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्ति सलाहकार कोई व्यक्ति, पंजीकृत साझेदारी कम्पनी, कॉर्पोरेट निकाय या कोई पंजीकृत न्यास या संस्था हो सकती है। सेवानिवृत्ति सलाहकार को व्यक्तिगत/इकाई के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए सीआरए प्रणाली में ऑनलाइन मंच को विकसित और जारी किया गया।

परिभाशित लाभ योजनाओं से परिभाशित अं ादान योजनाओं के साथ पें ान परिकल्पनाओं में परिवर्तन के साथ, जहाँ व्यक्तियों को वित्तीय निर्णय लेने और अधिक वित्तीय जोखिम उठाने की आव यकता होती है, एक उचित निवे ा पैटर्न का चयन पें ान योजना के प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को वित्तीय साक्षरता के हिसाब से कमतर माना जाता है, और सेवानिवृत्ति निर्णयों के सम्बन्ध में वित्तीय सलाह के लिए एक प्रबल आव यकता को प्रदर्ि ात करता है। सेवानिवृत्ति सलाहकार उपभोक्ताओं को निवे ा और भुगतान विकल्पों की बेहतर समझ के लिए मार्गद ार्न देने और सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह एक मानव समूह जिनके पास उचित कौ ाल और सेवानिवृत्ति सलाह के सम्बन्ध में वि ोशज्ञता हो और बाज़ार सहभागियों को सेवानिवृत्ति गुणवत्ता मध्यस्थ के लिए उचित पें ान/बचत उत्पादों की आव यकताओं के विकास पर बल देता है।

अंतर्राश्ट्रीय अनुभव और संगठित और असंगठित श्रमिकों वाली भारतीय प्रणाली की आव यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सेवानिवृत्त जनसंख्या के हितों की रक्षा के लिए और सर्वप्रमुख, एनपीएस से प्राप्त रिटर्न्स में विभिन्न विकल्पों की समझ में कमी के कारण होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, पीएफआरडीए ने ने ानल

इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) को सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा के प्रमाणन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में मान्यता दी है।

सेवानिवृत्ति सलाहकार की पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, भुल्क आदि के लिए संरचना प्रदान करने और पें ान क्षेत्र के क्रमिक विकास के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व को परिभाशित करने के उद्दे य से पीएफडीए द्वारा पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को अधिसूचित किया गया था।

3.16.10 प्राधिकरण द्वारा पेंशन के क्षेत्र में किए गए अन्य कार्य

क) साइबर सुरक्षा का क्रियान्वयनः

पीएफआरडीए ने अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए त्वरित तकनीकी परिवर्तनों और वित्तीय क्षेत्र में उसके प्रभाव का ध्यान रखने के लिए सूचना, प्रणाली एवं तकनीक और साइबर सुरक्षा पर अगस्त 2018 में एक स्थायी समिति का गठन किया है 'समिति के कार्यक्षेत्र में सूचना प्रणाली, तकनीक एवं साइबर सुरक्षा मुद्दों पर सलाह देना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के विकास, पर्यवेक्षण और विनियामक मंच, वित्तीय तकनीकों के लिए नए अवसर और चुनौतियाँ, विनियामक तकनी कें, पीएफआरडीए की साइबर सुरक्षा/प्रणाली/सूचना सुरक्षा की लेखापरीक्षा और एनपीएस संरचना के तहत मध्यस्थ इकाईयाँ।

पीएफआरडीए ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीसो) की पीएफआरडीए के भीतर सभी आईटी और साइबर मुद्दों के प्रबंधन के लिए नियुक्ति की है और साइबर सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों पर मध्यस्थों एवं अन्य इकाईयों जैसे सीईआरटी–इन, एनसीआईआईपीसी के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

ख) विनियामक तंत्र के माध्यम से फिनटेक

वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी विकास और नवाचार द्वारा आ चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। विनियामक तंत्र पद्धति का उपयोग पें ान क्षेत्र के लिए सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में वित्तीय तकनीक (फिनटेक) के प्रचार और विकास के लिए अनुगामी तकनीक और समाधानों पर प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, पीएफआरडीए ने आरईबीआईटी, पीएफआरडीए, एनपीसीआई और एनएसडीएल से प्रतिनिधियों को लेकर एक समूह का गठन किया है जो विनियामक तंत्र के माध्यम से वित्तीय तकनीकों (फिनटेक) का उपयोग कर सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। इसे पीएफआरडीए की वेबसाइट पर लोगों की टिप्पणी/प्रतिक्रिया/प्रतिपुश्टि को पीएफआरडीए की वेबसाइट पर प्रदर्ि ात किया गया है।

ग) ई–एनपीएस ऑनलाइन मंच

आईसीटी मंच (सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी) के व्यापक प्रयोग द्वारा अंतिम स्तरीय संपर्क प्रदान करने के लिए ई–गवर्नेंस के प्रचार डिजिटल इंडिया अभियान पर प्रका ा डालते हुए, पीएफआरडीए, एनपीएस के संभावी तथा साथ ही साथ मौजूदा अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन अंतरण सुविधा को विकसित तथा परिचालित कर रहा है। इस ओर अभिदाताओं के पंजीकरण तथा राश्ट्रीय पें ान प्रणाली के तहत अं ादान की प्राप्ति के लिए, एनपीएस न्यास के माध्यम से www.npstrust.org.in विकसित किया गया है। इस मंच के द्वारा, संभावी अभिदाता एनपीएस के लिए पंजीकृत हो सकता है, अपने स्थायी खाता संख्या में अं ादान कर सकता है। इसके अतिरिक्त अभिदाता जिनका पहले से एनपीएस खाता है सीधे ईएनपीएस के माध्यम से अं ादान कर सकते हैं तथा एनपीएस ऑनलाइन मेन्यूको एनपीएस में पंजीकृत होते समय, अभिदाता अपना नाम तथा स्थायी खाता संख्या (पैन) विवरण प्रदान कर सकता है जो कि आयकर विभाग के साथ वैद्यीकृत हो जाएगी। अभिदाता तब तक बैंक (जिसके माध्यम से केवाईसी सत्यापन होना है) का चयन करेगा, व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा, व्यक्तिगत विवरण भरेगा तथा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करेगा। विवरण भरने पर, अभिदाता नेट बैंकिंग द्वारा चयनित बैंक के खाते से अं ादान करेगा। एक बार भुगतान हो जाने पर। प्राण अभिदाता को ऑनलाइन प्रदान कर

दिया जाएगा। सीआरए प्रणाली के माध्यम से अभिदाता द्वारा जमा विवरण चयनित बैंक को केवाईसी सत्यापन के प चात् प्राण सक्रिय तथा क्रिया भील हो जाएगा। अभिदाता को प्रपत्र प्रिंट करने, फोटो चिपकाने, हस्ताक्षर करने तथा सीआरए को भौतिक प्रपत्र निर्धारित समय सीमा में अं ादान ऑनलाइन ज़ारी रखते हुए जमा करने की आव यकता होगी।

अभिदाता नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड द्वारा किसी भी समय अनुवर्त्ती अं ादान ऑनलाइन करेगा तथा यह अभिदाता के प्राण खाते में टी+2 आधार पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ईएनपीएस पर पूर्ण जानकारी पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है तथा साथ ही एनपीएस न्यास की वेबसाइट www.npstrust.org.in पर उपलब्ध है। सीआरए–एनएसडीएल की वेबसाइट के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक के अनुसार 3.48 लाख टियर–। खाते तथा 1.07 लाख टियर–।। खाते ईएनपीएस के माध्यम से खोले गए।

घ) एपीवाई ऑनलाइन उपकरण:

पीएफआरडीए ने अनेक ऑनलाइन गुण पे ा किये हैं जो कि अभिदाताओं को एपीवाई गुणों तक पहुँचने के लिए बिना बैंक/डाक ाखा तक जाए हुए सेवा प्रदान करता है जैसे :

तालिका 3.30 उपलब्ध एपीवाई ऑनलाइन उपकरण

सं.	डिजिटल उपयोगिता	लाभ
1	एपीवाई ि ाकायत मोड्यूल	यह मोड्यूल अभिदाताओं द्वारा ि ाकायतें दर्ज करने तथा उनकी स्थिति की जांच करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अभिदाता प्रान के साथ और प्रान के बिना इस सुविधा का उपयोग कर सकता है।
2	एपीवाई अपग्रेड/ एपीवाई डाउनग्रेड व्यू	एपीवाई अभिदाता वर्ष में एक बार पें ान रा ि ा को बढा सकता है/कम कर सकता है। यह गुण प्रयोगकर्ता को सक्षम बनाता है कि वह भिन्न रा ि ा जो जमा करनी है/प्राप्त करनी है, की जांच कर सकता है। अपग्रेड के मामले में उच्च रा ि ा जमा की जानी होती है तथा डाउनग्रेड करने के के मामले में अतिरिक्त अं ादान अभिदाता को वापस कर दिए जाएंगे।
3	ई प्रानकार्ड/ई सोट सुविधा	यह संव्यवहार प्रकथन तथा ई प्रान कार्ड को डाउनलोड करने के लिए उपयोगी है। इस विकल्प में प्रान के साथ खोजने और प्राण के बिना खोजने की सुविधा सम्मिलित है। अभिदाता वित्त वर्षानुसार संव्यवहार प्रकथन को डाउनलोड कर सकता है।
4.	एपीवाई/ईएनपीएस (एपीवाई में डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा)	ईएनपीएस के माध्यम से डिजिटल एपीवाई नामांकन विस्तृत पहुँच सुनि ि चत करता है। यह प्रयोक्ता उपयोगी मंच है तथा यह एपीवाई के तहत नामांकन शुरू से अंत तक डिजिटल इंटरफेस, संभावी अभिदाता के लिए बिना भौतिक प्रपत्र के तथा बिना बैंक शाखा पर जाए सुनि ि चत करता है।
5.	मोबाइल एप्लीके ान	एपीवाई मोबाइल एप अभिदाता को खाते का विवरण तथा एपीवाई खाते के अन्य विवरण देखने के लिए स ाक्त बनाता है। स्मार्टफोन के साथ मौजूद एपीवाई अभिदाता गूगलस्टोर से एपीवाई मोबाइल एप डाउनलोड कर सकता है ताकि एपीवाई खाते की जानकारी उचितरुप से प्राप्त कर सके।

लघुवित्तीय बैंक तथा पेमेंट बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान बैंक तथा लघु वित्तीय बैंक, बैंकों के नए परिकल्पित मॉडल हैं। लघु वित्तीय बैंक तथा पेमेंट बैंक नई आबदी के बैंक हैं तथा बैंक की दृढ़ता, वि ोशज्ञता पहुँच द ार्ति हैं । लघु वित्तीय बैंक तथा भुगतान बैंक एपीवाई के तहत अभिदाताओं की पहुँच बढाने के लिए प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

एपीवाई वितरण के मौजूदा चैनलों को मजबूत करने के लिए यह महसूस किया गया है कि यह नए भुगतान बैंक तथा लघु वित्तीय बैंक, एपीवाई के तहत अभिदाताओं की पहुँच बढाने में गति प्रदान करेंगे ।

31 मार्च 2019 तक के अनुसार, सीआरए प्रणाली में निम्नलिखित लघु वित्तीय बैंक पंजीकृत हैं।

तालिका संख्या 3.31: लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों की सूची

एपीवाई सेवा प्रदाताओं का नाम	एनएल ओओ पंजीकरण संख्या	बैंकों के प्रकार	एनएल ओओ राज्य का नाम	एनएल सीसी के रुप में पंजीकृत शाखाएं	31, मार्च 2019 तक के अनुसार पंजीकृत अभिदाता
एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड	7004900	पेबी	हरियाणा	1	48,182
ईएसएएफ स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	7004885	एसएफबी	केरल	445	9,190
पेटीएम पेमेंट बैंक बैंक लिमिटेड	7004863	पेबी	उत्तर प्रदे ा	1	0
सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	7004896	एसएफबी	महाराश्ट्र	52	0
एयू स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	7004911	एसएफबी	राजस्थान	306	0
उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	7004981	एसएफबी	कर्नाटक	0	0

अभिदाता पंजीकरण के सन्दर्भ में वर्श दर वर्श प्रद ान अनुलग्नक I में दी गई तालिकाओं में प्रदर्ि ात किया गया है।

भाग IV

4.1 पेंशन सलाहकार समिति

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 45 पें ान सलाहकार समिति के गठन की बात करती है जिसमें कर्मचारियों, संघों, अभिदाताओं तथा वाणिज्य तथा उद्योग, मध्यस्थ ईकाईयों तथा पें ान अनुसंधान में संलग्न संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जो विनियम बनाने सम्बन्धी मामलों पर सलाह दें या जो भी इससे सम्बंधित हो। संदर्भित वर्ष के दौरान पें ान सलाहकार समिति की बैठक हुई अर्थात् 24 सितम्बर 2018 और 18 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में हुई।

24 सितम्बर 2018 को संपन्न हुई पीएसी की ग्यारहवीं बैठक में निम्नलिखित एजेंडा मुद्दों पर चर्चा की गई :

- पीएफआरडीए (पें ान निधि) विनियमों, 2015 में किए गए सं ोधनों पर प्रस्ताव।
- एनपीएस (सर्व नागरिक मॉडल) व्यक्तिगत क्षमता और कॉर्पोरेट मॉडल के तहत भाामिल अभिदाताओं के लिए अधिवर्शिता की आयु को 60 व र्ा से बढ़ाकर 70 वर्श करने की संभावना पर विचार।
- एनपीएस निजी क्षेत्र के तहत डिफ़ॉल्ट पें ान फण्ड का चयन।
- एनपीएस के तहत वार्शिकी प्रदान करने वाली पें ान निधियां।

18 मार्च 2019 को संपन्न हुई पीएसी की बारहवीं बैठक में निम्नलिखित एजेंडा मुद्दों पर चर्चा की गई :

- पीएफआरडीए उपस्थिति अस्तित्व विनियमों, 2018 में किये गए सं ोधनों के अनुसार प्र ासित और विनियमित पें ान योजनाओं के वितरण के लिए बीमा एजेंटों और बैंकिंग कर्मचारियों की सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में नियुक्ति।
- गैर–प्रद निकारी आस्तियों का प्रावधान।
- पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत अन्य पें ान योजनाएं।
- केंद्र सरकार अभिदाताओं को पें ान निधियों के विकल्प की भाुरुआत और उनको दिए गए आस्ति आवंटन के अनुसार परंपरागत निधि का अन्तरण।

पें ान सलाहकार समिति (पीएसी) का गठन अनुलग्नक IV में है।

4.2 विनियम निर्मित और संशोधित

वित्त वर्श 2018–19 के दौरान विनियामक विकास से सम्बंधित सूचना निम्नानुसार है :

1. वित्त वर्श 2018–19 के दौरान अधिसूचित नए विनियम : भून्य
2. वित्त वर्श 2018–19 के दौरान अधिसूचित नए विनियमों में किए गए सं ोधन :

अप्रैल 2018– मार्च 2019 के दौरान निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :

तालिका 4.1: विनियमों की अधिसूचना की तिथि

क्र. सं.	संशोधन	राजपत्रित अधिसूचना की तिथि
1.	पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राश्ट्रीय पें ान प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) (चौथा सं ोधन) विनियम, 2018	18.05.2018
2.	पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (प्रथम सं ोधन) विनियम, 2018	25.06.2018

क्र. सं.	संशोधन	राजपत्रित अधिसूचना की तिथि
3.	पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018	25.06.2018
4.	पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राश्ट्रीय पें ान प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा सं ोधन) विनियम, 2018	19.02.2019
5.	पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) (प्रथम सं ोधन) विनियम, 2019	19.02.2019

4.3 अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के उपयोगीकरण पर समिति का गठन

पीएफआरडीए (अभिदाता ि ाक्षा तथा सुरक्षा निधि) विनियम 2015 की धारा 6 के अनुसार अभिदाता ि ाक्षा, जागरूकता एवं सुरक्षा गतिविधियों तथा निधियों के उपयोग की सलाह देने के लिए 25 मार्च 2019 को एक समिति पुनर्गठित की गई। समिति शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए निधि के उपयोगीकरण की सिफारि ा करेगी। समिति अभिदाताओं की ि ाक्षा, जागरूकता और सुरक्षा के लिए निधि के उपयोगीकरण की सिफारि ा करेगी।

यह समिति विभिन्न संस्थानों, संघों और संगठनों, जो अभिदाता जागरुकता, ि ाक्षा और सुरक्षा मामलों से सम्बंधित क्रियाकलापों में संलग्न है आदि के साथ परियोजनाओं और विकास कदमों की अनु ंसा करेगी। समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी ।

4.4 पीएफआरडीए में सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति :

पीएफआरडीए ने सूचना, प्रणाली एवं तकनीक और साइबर सुरक्षा पर अगस्त 2018 को तीव्र तकनीकी परिवर्तन और अभिदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए वित्तीय क्षेत्र पर उसके प्रभाव के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति का कार्यक्षेत्र सूचना प्रणाली, तकनीक और साइबर सुरक्षा मुद्दों, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का विकास, पर्यवेक्षी और विनियामक मंच, वित्तीय तकनीक के नए अवसर और चुनौतियाँ, विनियामक तकनीक, साइबर सुरक्षा/प्रणाली/सूचना, पीएफआरडीए की सुरक्षा लेखापरीक्षा और एनपीएस संरचना के तहत मध्यस्थ इकाईयों पर सलाह देना है। समिति की बैठक वित्त वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी।

भाग V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए संगठनात्मक मुद्दे

5.1 पीएफआरडीए बोर्ड का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 4 प्राधिकरण के गठन को द ार्शाता है जिसमें सम्मिलित हैं, पीएफआरडीए अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 3 अं ाकालिक सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। 31.03.2019 तक के अनुसार संरचना में भाामिल हैं :

(i) अध्यक्ष

श्री हेमंत जी कांट्रेक्टर 2014 में पीएफआरडीए अधिनियम की अधिसूचना के बाद सांविधिक पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का नेतृत्व करने वाले पहले अध्यक्ष हैं। वह 7 अक्टूबर 2014 को पीएफआरडीए में भाामिल हुए। पीएफआरडीए में भाामिल होने से पहले वह एक करियर बैंकर थे, जो 1974 में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भाामिल हुए थे ।

(ii) पूर्ण कालिक सदस्य

1. डॉ. बी.एस. भंडारी, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थ ाास्त्र) 16.05.2014 से आज तक
2. श्री प्रदीप चड्ढा, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 30.06.2016 से 26.03.2018 तक
3. श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) 12.03.2018 से आज तक

(iii) अंशकालिक सदस्य

1. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, 12 दिसंबर 2014 से आज तक अं ाकालिक सदस्य के रूप में।
2. श्री संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव, डीपीपीडब्ल्यू, कार्मिक मंत्रालय, पी जी और पें ान, 11 अगस्त, 2017 से आज तक अं ाकालिक सदस्य के रूप में।
3. श्री मदने ा कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, डीएफएस, वित्त मंत्रालय, 03 नवंबर, 2017 से आज तक अं ाकालिक सदस्य के रूप में।

5.2 प्राधिकरण की बैठकें

प्राधिकरण की बैठकें

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित आठ बैठकें जिनमें प्राधिकारी के परिचालन के माध्यम से मामले निर्धारित किए गए।

तालिका 5.1:वित्त वर्ष 2018–19 की प्राधिकरण बैठकें

1.	70 वीं	प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई	18 अप्रैल 2018, बुधवार
2.	71वीं	प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई	28 मई 2018, सोमवार
3.	72 वीं	प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई	30 जुलाई 2018, सोमवार
4.	73 वीं	प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई	परिचालन द्वारा
5.	74 वीं	प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई	09 अक्टूबर 2018, मंगलवार
6.	75 वीं	प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई	परिचालन द्वारा
7.	76 वीं	प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई	17 दिसम्बर 2018, सोमवार
8.	77वीं	प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई	19 फरवरी 2019, मंगलवार

5.3 पीएफआरडीए में कर्मचारियों संख्या

31 मार्च, 2019 तक पीएफआरडीए की कर्मचारियों की संख्या 58 है, जिनमें से 56 अधिकारी संवर्ग में हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण के निर्दे ानुसार इसके 7 अधिकारी वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनपीएस न्यास को रिपोर्ट कर रहे हैं।

5.4 पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ की स्थापना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकारी निर्दे ाों को लागू करने के लिए पीएफआरडीए में एक प्रकोश्ठ स्थापित किया गया है। एक महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए में अन्य पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए एक अलग प्रकोश्ठ स्थापित किया गया है। एक उप महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार भिकायतें, पूछताछ आदि प्राप्त करने के लिए एक समिति को स्थापित किया गया है।

5.6 कर्मचारी कल्याण समिति

पीएफआरडीए में कर्मचारियों के कल्याण की विभिन्न गतिविधियों की पहचान और आयोजन करने के लिए एक कर्मचारी कल्याण समिति गठित की गई है। समिति सभी कर्मचारियों के बीच और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को विकसित करने में मदद करेगी । एक उप महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

5.7 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

वित्तीय वर्श 2018–19 के दौरान, पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न विशय क्षेत्रों जैसे आरक्षण नीति (ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूबीडीएस) क्रियान्वयन, आरटीआई, मुख्य अनुपालन अधिकारियों के लिए सम्मलेन, व्यापारिक ज्ञान के लिए सो ाल मीडिया से लाभान्वित होने और विभिन्न संस्थाओं द्वारा नॉन–एसएलआर निवे ाों को प्रबंधित करने पर प्र िक्षण/कार्य ालाओं के लिए अधिकारियों द्वारा नामित किया गया था।

5.8 राजभाषा का प्रचार

पीएफआरडीए ने भारत सरकार की राजभाशा नीति लागू करने, राजभाशा विनियम 1963 और राजभाशा नियम 1976 का पालन सुनि िचत करने और पीएफआरडीए में हिंदी को बढावा देने के लिए राजभाशा प्रकोश्ठ का गठन किया है। राजभाशा में प्राप्त संचार का उत्तर राजभाशा में ही दिया जाता है। पीएफआरडीए द्वारा तैयार सभी विनियम दो भाशाओं में तैयार किए गए हैं। एनपीएस की बड़ी अभिदाता संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाामिल है, इसका ध्यान रखते हुए अंग्रेजी में उपलब्ध सामग्री को अभिदाताओं के लाभ के लिए हिंदी में अनुवादित कराया जा रहा है।

5.9 सूचना का अधिकार:

पीएफआरडीए में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए एक समर्पित प्रकोश्ठ है। यह प्रकोश्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त किए जाने वाले आवेदनों को संसाधित करता है और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के अधीन कार्य करता है। जैसा कि आरटीआई अधिनियम के तहत आव यक है, पीएफआरडीए ने एक अपीलीय प्राधिकारी (एए) को नामित किया है जिसके पास सीपीआईओ के आदे ा के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम के अनुसार, कोई भी नागरिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, छत्रपति ि ावाजी भवन, बी–14/ए, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली 110016 को पर्याप्त भुल्क के साथ लिखित में उचित आवेदन करते हुए सूचनाकी मांग कर सकता है और/या www.pfrda.org.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर आरटीआई आवेदन, 2005 के तहत आरटीआई दर्ज कर सकता है।

वर्श 2018–19 के दौरान, 31 मार्च, 2019 तक 686 आरटीआई आवेदन और 59 अपील प्राप्त हुई जो राश्ट्रीय पें ान प्रणाली (एनपीएस) के तहत निकास, व्यक्तिगत खाता खोलने, स्थानान्तरण, एनपीएस के तहत प्रत्याहरण और निकास, एपीवाई योजना आदि के सम्बन्ध में थी। सभी आवेदन और अपील का आरटीआई आवेदन, 2005 के तहत उत्तर दिया गया/ निपटाया गया। आरटीआई अधिनियम, 2005 सभी प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट पर अपनी ओर से प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य करता है। प्रकटीकरण का केंद्रबिंदु पीएफआरडीए की व्यावहारिकता और कार्य पद्धति के स्तर में पारदर्ि ाता को बढ़ाना है। पीएफआरडीए ने भी अपनी वेबसाइट पर अपनी ओर से सूचना प्रकटीकृत की है। इस सम्बन्ध में, पीएफआरडीए के विभिन्न कार्यों, भाक्तियों और कर्तव्यों एवं उसके अधिकारियों आदि के सम्बन्ध में सूचना पीएफआरडीए की वेबसाइट पर दी गई है। इसके अलावा, पीएफआरडीए अधिनियम, उनके तहत बनाए गए नियम और विनियम, परिपत्र और जारी की गई नियमावली भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5.10 संसदीय प्रश्न

वित्त वर्श 2018–19 के दौरान, पीएफआरडीए को 72 संसदीय प्र न प्राप्त हुए जो भारत सरकार द्वारा, वि ोश रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गए थे,जिनमें वृद्धावस्था आय सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर एनपीएस और एपीवाईप्रश्न ाामिल हैं । पीएफआरडीए ने उत्तर/उत्तरों के लिए सूचना और सामग्री नियतकालिक समय में प्रस्तुत की है जिससेसंसद को प्रश्नों के उत्तर देने की सुविधा प्रदान की जा सके।

5.11 सूचना प्रौद्योगिकी क्रियाकलाप

पीएफआरडीए की वेबसाइट, अभिदाताओं और संभावी अभिदाताओं को सूचना और सहायक सामग्री प्रदान करती है, जिसमें अभिदाता के अधिकारों और हितों की रक्षा, विनियम, परिपत्र, पें ान योजना उत्पाद, पें ान निधियां, निकास और लाभ पर सूचना सम्मिलित है।

1. पीएफआरडीए की वेबसाइट को भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दि ाानिर्दे ाों के अनुसार निर्मित किया गया है। वेबसाइट द्विभा ाी है। वेबसाइट को सिक्योरिटी ऑडिट और एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेयर) क्रियान्वयन के साथ एनआईसी क्लाउड पर स्थानांतरित किया गया है।

2. एनपीएस न्यास की वेबसाइट, एनपीएस के सम्बन्ध में बेहतर सूचना प्रदान करती है, जो कि आगे चलकर अभिदाता के लिए काफी उपयोगी होती है। अभिदाताओं की सूचना/तुलना के लिए पारदर्ि ाता को सुनि ि चत करने के लिए एनएवी विवरण, योजनाओं के रिटर्न, योजनाओं के पोर्टफोलियो विवरण प्रदर्ि ात किये जाते हैं।

3. कार्वी सीआरए (https://nps.karvy.com/) पोर्टल, एनएसडीएल सीआरए (https://npscra.nsdl.co.in/) पोर्टल और दोनों सीआरए की मोबाइल एप सभी हिस्सेदारों को सूचना प्रदान करती है। यह सूचना अन्य बातों के साथ–साथ स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ नॉलेज सेंटर, प्रपत्र और डेमो को भी सम्मिलित करती है और साथ ही सेवानिवृत्ति सलाहकारों, नोडल अधिकारियों और अभिदाताओं के लिए लॉग इन की सुविधा भी प्रदान करती है।

4. ई–ऑफिस : पीएफआरडीए में ई–ऑफिस को क्रियान्वित किया गया है ताकि फाइलों को तेज़ी से आगे बढाया जा सके और उन पर प्रभावी रूप से कार्य संपन्न किया जा सके।

5. लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी : पीएफआरडीए 34 एमबीपीएस लीज्ड लाइन सुविधा का उपयोग कर रहा है ताकि पीएफआरडीए में इन्टरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके।

6. साइबर/आईटी लेखापरीक्षा : वर्तमान समय में साइबर संकट बहुत बढ़ चुके हैं और इसलिए आईटी तंत्र को किसी भी साइबर खतरे से सुरखित रखना न केवल आव यक है बल्कि अनिवार्य है । इस सम्बन्ध में, पीएफआरडीए ने साइबर खतरों के विरुद्ध अधिकतम सुरक्षा सुनि चत करने के लिए साइबर सुरक्षा ऑडिट आयोजित किए हैं।

7. पें ान संचय वेबसाइट : पें ान संचय वेबसाइट का उपयोग अभिदाताओं और सामान्य जनता के बीच पें ान, सेवानिवृत्ति बचत योजना, वृद्धावस्था आय सुरक्षा और जनता को एनपीएस लाभ के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाने और उन्हें ि ाक्षित करने के लिए किया जाता है।

8. पीएफआरडीए के कार्यक्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा, प्राधिकरण में मौजूदा सीसीटीवी निगरानी तंत्र द्वारा की जाती है।

5.12 अन्य गतिविधियां

किसी भी व्यक्ति द्वारा, प्राधिकरण के सं ाधनों की चोरी या गबन या अध्यक्ष, सदस्यों या अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंट द्वारा प्राधिकरण की भाक्तियों का दुरूपयोग या प्राधिकरण के किसी निर्णय का उसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंट द्वारा हनन या पें ान उद्योग का प्रचार या विकास सम्बन्धी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

5.13 पीएफआरडीए के खाते

वित्त वर्श 2018–19 के दौरान पीएफआरडीए ने अपने प्र ाासन सम्बन्धी व्ययों के लिए भारत सरकार से रु.12.60 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया।

वित्त वर्श 2015–16 के बजट भाशण में अटल पें ान योजना (एपीवाई) की घोशणा की गई। यह पें ान योजना 18–40 वर्श की आयु के सभी नागरिकों के लिए निर्मित है, जो प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों पर केन्द्रित है। एनपीएस लाइट/स्वावलंबन के तहत आने वाले 18–40 वर्श के सभी अभिदाता अटल पें ान योजना में स्थानांतरितहोने के लिए योग्य हैं। वित्त वर्श 2018–19 के दौरान, पीएफआरडीए ने एपीवाई के तहत सरकारी सह–अं ादान, सेवाप्रदाताओं को प्रोत्साहन और अन्य प्रचार–प्रसार वाली गतिविधियों के लिए रु. 155.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया।

स्वावलंबन योजना के लिए सरकारी सह–अं ादान और प्रचार के लिए भारत सरकार से रु.10.39 करोड़ की रा ि ा प्राप्त की गई।

वित्त वर्श 2018–19 के लिए प्राधिकरण के खाते पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखों और अभिलेखों की वार्शिक विवरणी का प्रारूप) नियमों के अनुसार निर्धारित किये गए हैं। यह खाते पीएफआरडीए बोर्ड द्वारा दिनांक 01.10.2019 को संपन्न अपनी 82वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। पीएफआरडीए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पीएफआरडीए का तुलनपत्र और आय एवं व्यय खाते, वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियों सहित परि ाि श्ट V में उपलब्ध है।

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्श 2018–19 के लिए पीएफआरडीए के खाते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) को लेखापरीक्षा और प्रमाणन के लिए भेजे गए हैं। सीएजी से लेखापरीक्षा के बाद, प्राधिकरण के प्रमाणित खाते लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को जमा कर दिए जाएंगे और उसके बाद केंद्र सरकार इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

भाग VI

अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्षेत्र

6.1 एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 साल की आयु सीमा

एनपीएस स्वावलंबन जो आम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भुरू की गई थी, अप्रैल 2015 से निश्क्रिय कर दी गई। स्वावलंबन योजना के स्थान में एपीवाई को भुरू किया गया है जो अंतर्निहित अभिदाताओं के लिए गारंटी लाभ प्रदान करती है। स्वावलंबन योजना के अभिदाताओं को एपीवाई में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया गया है। हालांकि, एपीवाई योजना 40 साल (18 पूर्ण से चलने वाले 40 वर्श) तक की उम्र के अभिदाताओं को भाामिल होने की अनुमति देती है। इससे 41 वर्श – 60 वर्श के आयु वर्ग के प्रवे ा के लिए बाधा उत्पन्न होती है, जो किसी व्यक्ति के जीवन चक्र में अधि ोश आय की अवधि भी होती है। इसलिए, इस योजना को अधिक लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए, योग्यता की उम्र वर्तमान 40 वर्शों से बढ़ा दी जा सकती है।

6.2 वैधानिक दायित्वों जिनका प्राधिकरण ने पालन नहीं किया है

6.2.1 न्यूनतम आश्वासित रिटर्न योजना (एमएआरएस)

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 20 (2) (d) (b) के तहत, कम से कम आश्वासित रिटर्न मांगने वाले अभिदाता के पास ऐसे फंडों में निवेश करने का विकल्प होगा, जो न्यूनतम आश्वासित रिटर्न प्रदान करते हैं जैसा भी प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। हालांकि, धारा 20 (2) (d) (e) अभिदाताओं द्वारा बाजार से खरीदे जाने वाले बाजार–आधारित गारंटी तंत्र को छोड़कर लाभों का कोई अव्यक्त या सुव्यक्त आश्वासन नहीं होगा। दो उपखंडों को सुसंगत रूप से समझने पर, यह स्पश्ट है कि न्यूनतम आश्वासन रिटर्न प्रदान करने वाली एक योजना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हालांकि, यह बाजार आधारित गारंटी तंत्र पर आधारित होना चाहिए। पीएफआरडीए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पराम र्ा से कम से कम एक पूंजी संरक्षण योजना को लाने की संभावना की तला ा कर रहा है, जो बाजार आधारित होगी और जो पें ान निधि की गैर पूंजी गहन संरचना पर दुर्भर भाोधन क्षमता सम्बन्धी जिम्मेदारी नहीं डालेगी।

पें ान निधियों और अन्य हिस्सेधारकों के पराम र्ा से एक सांगत मार्स योजना के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। यह अभी भी जांच के अधीन है और अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।

भाग VII

अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कोई भी अन्य उपाय

7.1 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अन्य पहल की गई हैं ।

हाल ही में अभिदाता की सुविधा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- एनपीएस नियमित के अभिदाताओं के पास उनके सीआरए लॉग इन में एनपीएस के तहत स्वैच्छिक अतिरिक्त अं ादान के विवरण को देखने/डाउनलोड करने का विकल्प है। यह आयकर अधिनियम, 1961 के लागू भाग (गों) के तहत निवे ा साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
- पें ान निधियों और निवे ा योजनाओं के लिए अभिदाताओं को अधिक विकल्प देने के लिए निवे ा दि ाानिर्दे ाों को सं ाोधित किया गया है। एनपीएस योजनाओं (सरकारी क्षेत्र से भिन्न (सीजी और एसजी), कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई)में सं ाोधन दिनांक 22.05.2018 किए गए। एनपीएस के तहत निजी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए सक्रिय विकल्प में इक्विटी निवे ा पर सीमा को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है, जो कि अभिदाता द्वारा 50 वर्श की आयु प्राप्त करने पर इक्विटी आवंटन की समाप्ति की साथ उपलब्ध है। यह कदम गैर–सरकारी क्षेत्र अभिदाताओं के हित के लिए है।
- एनपीएस के तहत, अभिदाताओं/नोडल कार्यालयों के पास सीआरए की केंद्रीय ि ाकायत प्रबंधन प्रणाली में ि ाकायत दर्ज कर सकता है। ि ाकायत दर्ज करने पर, सीजीएमएस में एक वि ि ाश्ट टोकन नंबर जारी किया जाता है। अब, एक क्रियात्मकता सीआरए प्रणाली में जारी की गई है जिसमें सम्बंधित ि ाकायत टोकन नंबर का पूर्ण विवरण जैसे दर्ज की गई ि ाकायत, समाधान, वृद्धि यदि कोई हो तो, उपयोक्ता को प्रदर्ि ात की जाएगी।
- चयनित बैंक उनके इन्टरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से एपीवाई की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- सीआरए प्रणाली में जाकर एनपीएस के तहत निकास अनुरोध करने हेतु अभिदाताओं/नोडल कार्यालयों के लिए ऑनलाइन प्रत्याहरण मोड्यूल क्रियान्वित किया गया है। सीआरए प्रणाली में प्रत्याहरण मोडयूल से सम्बंधित विभिन्न वृद्धियाँ की जा रही हैं। अभिदाताओं/नोडल कार्यालयों को सीआरए प्रणाली में जाकर एनपीएस के तहत निकास अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अब टेक्स्ट बॉक्स प्रदर्ि ात किया जाएगा जिसमें एकमु त प्रत्याहरण और वार्शिकी के बीच प्रत्याहरण कोश के प्रति ात आवंटन के विवरण को उपयोक्ता को प्रत्याहरण अनुरोध करते समय समझाएगा। यह उपयोक्ता को कोश आवंटन के विशय में जानने और वार्शिकी योजना के लिए प्रति ात चुनने में सहायता करेगा।
- सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरएज़) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को भी विकसित किया गया है।
- खाता संव्यवहार, अं ादान भुगतान के लिए अनुस्मारक आदि के लिए एसएमएस आधारित सूचनाएं आवधिक रूप से भेजी जाती हैं।
- पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण), विनियम, 2015 के अनुसार एनपीएस के तहत संचित पें ान संपत्ति का आंि ाक प्रत्याहरण, एनपीएस से निकास के किसी भी समय, विनियमों में निर्दिश्ट नियम

और भार्तों, कारण, आवृति और सीमा के अधीन है। अब, पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण), विनियम 2015 के तीसरे और चौथे सं ोधन के अनुसार, आं िक प्रत्याहरण निम्नलिखित कारण ों के लिए भी स्वीकृत होगा। यह नए विकल्प सीआरए प्रणाली के ऑनलाइन प्रत्याहरण मोड्यूल में भी लागू किये गए हैं।

1. अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु।
2. अभिदाता द्वारा कौ ाल विकास/ पुनः कौ ाल या अन्य कोई स्व–विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए।
3. अभिदाता द्वारा स्व–उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की भ्रुरुआत करने हेतु खर्चों को के लिए।

- पीएफआरडीए की सलाह और उच्चतम न्यायालय के आदे ा दिनांक 26 सितम्बर, 2018 (केवाईसी सेवाओं के लिए आधार पर रोक) के आधार पर, एनपीएस के तहत विभिन्न आधार आधारित सेवाएं जैसा कि नीचे दिया गया है सीआरए प्रणाली में 1 दिसम्बर 2018 से बंद कर दी गई हैं। यह सेवाएं एनपीएस मोबाइल एप में भी अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए बंद कर दी गई हैं।
  - एनपीएस नियमित और एपीवाई के लिए आधार आधारित अभिदाता पंजीकरण और ई–साईन सुविधा
  - सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए आधार आधारित पंजीकरण
  - आधारसीडिंग
  - आधार के माध्यम से पता बदलना
  - अभिदाता द्वारा फोटो और हस्ताक्षर अपडेट करना
  - अभिदाता द्वारा नामिति विवरण अपडेट करना
  - अभिदाता द्वारा स्वप्रमाणन प्रत्याहरण
  - सं ोधित एफएक्यूज़ जारी किये गए;
  - केन्द्र सरकार क्षेत्र (सीजी) और केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबीज़)
  - राज्य सरकार क्षेत्र (एसजी) और राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबीज़)
  - राश्ट्रीय पें ान प्रणाली से कॉर्पोरेट क्षेत्र अभिदाताओं सहित नागरिकों द्वारा निकास
  - एनपीएस लाइट और स्वावलंबन अभिदाताओं द्वारा राश्ट्रीय पें ान प्रणाली से निकास

अनुलग्नक I

तालिका संख्या. I : विभिन्न वितरण चैनलों द्वारा एपीवाई में पंजीकृत अभिदाता (प्रानजारी किया गया)

बैंक की श्रेणियां	* 31, मार्च 2016 की तिथि तक के अनुसार	31, मार्च 2017 की तिथि तक के अनुसार	31, मार्च 2018 की तिथि तक के अनुसार	31,मार्च 2019 तक के अनुसार
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	1,693,190	3,047,273	6,553,397	10,719,758
निजी बैंक	218,086	497,323	873,901	1,145,289
लघु वित्त बैंक	–	–	–	9,190
पेमेंट बैंक	–	–	–	48,182
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	476,373	1,115,257	1,987,176	3,171,152
जिला का–ओपरेटिव बैंक	21,222	29,791	33,880	38,863
राज्य का–ओपरेटिव बैंक	354	680	805	1,053
अर्बन को–ओपरेटिव बैंक	327	3,507	10,936	14,469
डीओपी	75,343	189,998	245,366	270,329
कुल	**2,484,895**	**4,883,829**	**9,705,461**	**15,418,285**

स्रोतः सीआरए–एनएसडीएल

31 मार्च 2019 तक के अनुसार 1.54 करोड़ अभिदाता एपीवाई के तहत पंजीकृत हुए।

06 पीएसबीज़ (इंडियन बैंक, आन्ध्रा बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड विजया बैंक) ने वित्त वर्श 2018–19 के लिए एपीवाई लक्ष्य को प्राप्त किया।

27 आरआरबीज़ (बड़ोदा उत्तर प्रदे ा ग्रामीण बैंक, कावेरी ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, आन्ध्रा प्रदे ा ग्रामीण विकास बैंक, महाराश्ट्र ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, प्रगति कृश्णा ग्रामीण बैंक, बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक, का ी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, उत्तर्बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, पल्लवन ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, पुदुवई भार्थिअर ग्रामा बैंक ने वित्त वर्श 2018–19 के लिए एपीवाई लक्ष्य प्राप्त किया।

निजी बैंकों के मामले में कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने वित्त वर्श 2018–19 के लिए एपीवाई लक्ष्य प्राप्त किया।

तालिका संख्या II : प्रमुख बैंकों का प्रदर्शन

क्र.सं.	एपीवाई सेवाप्रदाता का नाम	दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक खोले गए खाते	31.03.2019 तक के अनुसार सक्रिय शाखा की संख्या	31.03.2019 तक के अनुसार औसत एपीवाई खाते /शाखा (2018–19)	बैंकों को दिए गए वार्षिक लक्ष्य (60 खाते प्रति शाखा)
1	इंडियन बैंक	234160	2710	86	60
2	आंध्र बैंक	218252	2887	76	60
3	केनरा बैंक	431633	6094	71	60
4	बैंक ऑफ बड़ोदा	365885	5445	67	60
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	296219	4672	63	60
6	विजया बैंक	115792	1898	61	60
7	यूनाइटेड बैंक ऑफ बैंक	114689	2019	57	60
8	बैंक ऑफ इंडिया	278760	5080	55	60
9	इलाहबाद बैंक	171433	3241	53	60
10	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	104064	2387	44	60
11	देना बैंक	74682	1765	42	60
12	भारतीय स्टेट बैंक	915550	21638	42	60
13	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	172765	4138	42	60
14	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	72498	1856	39	60
15	सिंडिकेट बैंक	129927	4039	32	60
16	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	101775	3380	30	60
17	पंजाब और सिंध बैंक	39964	1530	26	60
18	युको बैंक	78677	3107	25	60
19	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	106569	4884	22	60
20	बैंक ऑफ महाराश्ट्र	39173	1844	21	60
21	एक्सिस बैंक	71576	3672	19	60
22	पंजाब ने ानल बैंक	102154	6478	16	60
23	कॉर्पोरे ान बैंक	37111	2443	15	60
24	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	46661	4191	11	60
25	जम्मू और क मीर बैंक लिमिटेड	1296	915	1	60
कुल		**4321265**	**102313**		

तालिका संख्या III : आरआरबीज़ का प्रदर्शन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक					
क्र.सं.	एपीवाई सेवाप्रदाता का नाम	दिनांक 01.04.2018 दिनांक31.03.2019 तक खोले गए एपीवाई खातों	31.03.2019 तक सक्रिय शाखाएं	31.03.2019 तकऔसत एपीवाई खाते / शाखा (2018–19)	बैंकों को दिए गए वार्षिक लक्ष्य (50 खाते प्रति शाखा)
1	बड़ोदा उत्तर प्रदे ा ग्रामीण बैंक	110431	924	120	50
2	कावेरी ग्रामीण बैंक	53705	499	108	50
3	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	15820	148	107	50
4	बिहार ग्रामीण बैंक	39873	376	106	50
5	आंध्र प्रदे ा ग्रामीण विकास बैंक	79173	774	102	50
6	महाराश्ट्र ग्रामीण विकास बैंक	35501	410	87	50
7	विदर्भा कोंकण ग्रामीण बैंक	27583	325	85	50
8	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	51723	639	81	50
9	प्रगथी कृश्णा ग्रामीण बैंक	50989	657	78	50
10	बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक	18434	246	75	50
11	प्रथमा बैंक	30320	413	73	50
12	का ी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक	32948	459	72	50
13	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	9896	142	70	50
14	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	45741	702	65	50
15	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त	42822	702	61	50
16	बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	50255	840	60	50
17	पंजाब ग्रामीण बैंक	16829	285	59	50
18	पूर्वांचल बैंक	33969	598	57	50
19	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	15809	286	55	50
20	इलाहबाद यूपी ग्रामीण बैंक	35863	654	55	50
21	पल्लवन ग्रामीण बैंक	15388	289	53	50
22	केरल ग्रामीण बैंक	33224	633	52	50
23	मध्यानचल ग्रामीण बैंक	23768	454	52	50
24	चैतन्या गोदावारी ग्रामीण बैंक	10870	210	52	50
25	आंध्रा प्रगथी ग्रामीण बैंक	28510	551	52	50
26	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	26829	522	51	50
27	पुदुवाई भर्थिअर ग्रामा बैंक	2131	43	50	50
28	उत्कल ग्रामीण बैंक	21716	441	49	50
29	सतलेज ग्रामीण बैंक	2060	42	49	50
30	सेंट्रल मध्य प्रदे ा ग्रामीण बैंक	20272	456	44	50
31	लंगपीदेहांगी रुरल बैंक	2351	59	40	50
32	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	34722	1033	34	50

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक					
क्र.सं.	एपीवाई सेवाप्रदाता का नाम	दिनांक 01.04.2018 दिनांक31.03.2019 तक खोले गए एपीवाई खातों	31.03.2019 तक सक्रिय शाखाएं	31.03.2019 तकऔसत एपीवाई खाते/शाखा (2018–19)	बैंकों को दिए गए वार्षिक लक्ष्य (50 खाते प्रति शाखा)
33	हिमाचल प्रदे I ग्रामीण बैंक	8540	265	32	50
34	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	13291	414	32	50
35	वर्नाचल ग्रामीण बैंक	6440	203	32	50
36	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	22025	701	31	50
37	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	7623	243	31	50
38	सप्तागिरी ग्रामीण बैंक	6415	213	30	50
39	उड़ीसा ग्राम्या बैंक	15308	549	28	50
40	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	10727	408	26	50
41	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	6257	239	26	50
42	पांड्यन ग्रामा बैंक	7981	335	24	50
43	जम्मू और क मीर ग्रामीण बैंक	4753	217	22	50
44	प चम बंगा ग्रामीण बैंक	3648	230	16	50
45	सौराश्ट्र ग्रामीण बैंक	3772	260	15	50
46	असम ग्रामीण विकास बैंक	5208	413	13	50
47	मालवा ग्रामीण बैंक	1116	89	13	50
48	बंगीया ग्रामीण विकास बैंक	6897	587	12	50
49	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	6108	610	10	50
50	मिजोरम ग्रामीण बैंक	821	85	10	50
51	मणिपुर ग्रामीण बैंक	226	25	9	50
52	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	4776	654	7	50
53	मेघालय ग्रामीण बैंक	350	93	4	50
54	अरुणाचल प्रदे I ग्रामीण बैंक	55	29	2	50
55	नागालैंड ग्रामीण बैंक	2	11	0	50
56	ईलाकुआई देहाती बैंक मुख्य कार्यालय	23	139	0	50
कुल		**1161887**	**21824**		

तालिका संख्या IV : निजी बैंको का प्रदर्शन

क्र. सं.	एपीवाई सेवा प्रदाता	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2019 तक के अनुसार खोले गए खाते	31.03.2019 तक के अनुसार सक्रिय शाखा	31.03.2019 से औसत एपीवाई खाते / शाखा (2018–19)	बैंकों को दिया गया वार्षिक लक्ष्य (25 खाते प्रति शाखा)
1	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	20496	835	25	25
2	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	3738	648	6	25
3	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	1101	203	5	25
4	तमिलनाड मरकेनटाइल बैंक प्राइवेट लिमिटेड	2177	509	4	25
5	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	3320	915	4	25
6	करुर व्यै या बैंक लिमिटेड	2791	792	4	25
7	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	701	266	3	25
8	कोटेक महिंद्रा बैंक	2975	1487	2	25
9	द फेडरल बैंक लिमिटेड	2306	1250	2	25
10	आरबीएल बैंक लिमिटेड	368	244	2	25
11	द नैनीताल बैंक लिमिटेड	107	135	1	25
12	बंधन बैंक लिमिटेड	654	938	1	25
13	येस बैंक लिमिटेड	320	844	0	25
14	द कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	132	426	0	25
15	द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	118	542	0	25
16	डीसीबी बैंक लिमिटेड	11	198	0	25
17	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	29	745	0	25
18	सिटी बैंक	0	0	0	25
19	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	0	100	0	25
	कुल	**41344**	**11077**		

तालिका संख्या V : लघु वित्त बैंक

एपीवाई सेवा प्रदाताओं का नाम	शाखाओं की संख्या	01.04.2018 से 31.03.2019 तक खोले गए खातों की संख्या	औसत खाते प्रति शाखा	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए प्रति शाखा लक्ष्य
ईएसएएफ स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	356	9190	26	50

तालिका संख्या VI : पेमैंट बैंक

एपीवाई सेवा प्रदाताओं का नाम	शाखाओं की संख्या	01.04.2018 से 31.03.2019 तक खोले गए खातों की संख्या	औसत खाते प्रति शाखा	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लक्ष्यप्रति शाखा
पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड	1	48182	48182	10000

तालिका संख्या VII : डाक विभाग (डीओपी) का प्रदर्शन – राज्य क्षेत्रानुसार

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	2015–2016* में प्रान गणना	2016–2017* में प्रान गणना	2017–2018* में प्रान गणना	वित्त वर्ष 2018–2019# में खोले गए एपीवाई खाते
1	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	2,802	14,521	8,997	3,090
2	राजस्थान	30,889	24,711	9,762	1,766
3	महाराश्ट्र (गोवा सहित)	22,386	16,130	4,405	4,008
4	तमिलनाडू (पुदुचेरी)	2,763	23,867	5,670	2,913
5	कर्नाटक	5,842	8,104	8,774	3,460
6	हरियाणा	792	757	129	48
7	तेलंगाना	1,331	2,301	1,416	291
8	आंध्रप्रदे ा	1,683	1,979	760	542
9	उत्तराखंड (उत्तराँचल के रुप में)	1,580	8,381	3,363	672
10	असम	200	703	443	77
11	गुजरात	2,189	4,130	3,305	1,044
12	प ि चम बंगाल (सिक्किम सहित)	165	2,888	1,127	733
13	जम्मू और क मीर	111	42	7	31
14	दिल्ली	22	1,096	725	1,527
15	झारखण्ड	182	134	1,401	184
16	उड़ीसा	216	445	467	393
17	मध्य प्रदे ा	177	468	240	245
18	बिहार	98	595	1,523	392
19	उत्तरप्रदेश	1,390	824	463	165
20	उत्तरपूर्वी (अरुणाचल प्रदे ा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा)	116	56	31	8
21	छत्तीसगढ़	39	866	396	168
22	हिमाचल प्रदे ा	315	764	789	349
23	केरल	54	893	1,175	2,857
	कुल	**75,342**	**1,14,655**	**55,368**	**24,963**

*सक्रिय और निश्क्रिय प्रान सहित

केवल सक्रिय प्रान

अनुलग्नक II

तालिका– I : 31 मार्च, 2019 तक के अनुसार एनपीएस के तहत एनएसडीएल–सीआरए के साथ पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व की सूची

क्र.सं.	उपस्थिति अस्तित्वों के नाम	कुल पंजीकृत पीओपी–एसपी
1	अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड	69
2	अलंकृत असाइनमेंट्स लिमिटेड	288
3	इलाहाबाद बैंक	2,046
4	आन्ध्रा बैंक	1,766
5	एंजेल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	1
6	अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	1
7	असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडीएट्स लिमिटेड	1
8	एक्सिस बैंक लिमिटेड	3,536
9	बजाज कैपिटल लिमिटेड	83
10	बैंक ऑफ बड़ोडा	5
11	बैंक ऑफ इंडिया	5
12	बैंक ऑफ़ महाराश्ट्र	1,851
13	कैनरा बैंक	3,569
14	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	4,647
15	कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	227
16	कोर्पोरे ान बैंक	2,292
17	सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	1
18	दायको सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड	29
19	डीबीएफएस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड	1
20	देना बैंक	1,449
21	एलाइट वेल्थ एडवाईजरस लिमिटेड	1
22	ईएसएफ स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	144
23	यूरेका स्टॉक एंड भोयर ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड	11
24	फिनविज़ार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	1
25	गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड	4
26	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3
27	एचडीएफसी पें ान मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1
28	एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड	2
29	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1,564
30	आईसीआईसीआई प्रूडें ियल पें ान फण्ड मेनेजमेंट	–
31	आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड	34
32	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1,891
33	आईएल एंड एफएस सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड	37
34	इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड	1
35	इंडिया पोस्ट एनपीएस नोडल ऑफिस	808
36	इंडियन बैंक	1,834

37	इंडियन ओवरसीस बैंक	3,282
38	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	805
39	इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	121
40	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	801
41	कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड	8
42	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	844
43	एलआईसीएचएफएल फाइनें ियल सर्विसेज लिमिटेड	1
44	मारवाड़ी भोयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड	80
45	मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड	1
46	मुथुठ फाइनेंस लिमिटेड	33
47	नारनोलिया सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
48	एनजे इंडिया इन्वेस्टप्राइवेट लिमिटेड	1
49	ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स	985
50	पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	1
51	प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	1
52	पंजाब और सिंध बैंक	914
53	पंजाब ने ानल बैंक	6,987
54	आरबीएल बैंक लिमिटेड	201
55	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	140
56	रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड	13
57	एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ लिमिटेड	1
58	एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड	27
59	भारतीय स्टेट बैंक	22,640
60	स्टील सिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड	48
61	स्टॉक होल्डिंग कोर्पोरे ान ऑफ इंडिया लिमिटेड	232
62	सिंडिकेट बैंक	3,501
63	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	510
64	दफेडरल बैंक लिमिटेड	1,073
65	द करुर वैय या बैंक लिमिटेड	710
66	द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	542
67	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	918
68	यूको बैंक	1,851
69	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,872
70	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1,117
71	यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	152
72	वेंटयूरा सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
73	विजया बैंक	1,247
74	वेटू वेल्थ ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	3
75	यस बैंक लिमिटेड	86
76	जेन सिक्योरिटीज लिमिटेड	27
	कुल	**81,981**

तालिका–I I : 31मार्च2019 तक के अनुसार एनपीएसके तहत कार्वी–सीआरए के साथ पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्वों की सूची।

क्र.सं.	पीओपीके नाम	पंजीकृत पीओपी–एसपी की संख्या
1	अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड	69
2	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड	288
3	इलाहाबाद बैंक	2,046
4	आंध्राबैंक	1,766
5	एंजेल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	1
6	अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	1
7	असिट सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड	1
8	एक्सिसबैंक लिमिटेड	3,536
9	बजाज कैपिटल लिमिटेड	83
10	बैंक ऑफ बड़ोडा	5
11	बैंक ऑफ इंडिया	5
12	बैंक ऑफ महाराश्ट्र	1,851
13	केनरा बैंक	3,569
14	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4,647
15	कंप्यूटरएज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	227
16	कोर्पोरे ान बैंक	2,292
17	सीएससीई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	1
18	दायको सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	29
19	डीबीएफएस सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
20	देना बैंक	1,449
21	एलाइट वेल्थ एडवाइज़र्स लिमिटेड	1
22	ईएसएएफ स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	144
23	यूरेका स्टॉक एंड भोयर ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड	11
24	फिनविज़ार्ड टेकनोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	1
25	गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड	4
26	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3
27	एचडीएफसी पें ान मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1
28	एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड	2
29	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1,564
30	आईसीआईसीआई प्रूडें ियल पें ान फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	–
31	आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड	34
32	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1,891
33	आईएल एंड एफएस सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड	37
34	इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड	1
35	इंडिया पोस्ट एनपीएस नोडल ऑफिस	808
36	इंडियन बैंक	1,834
37	इंडियन ओवरसीज बैंक	3,282

38	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	805
39	इंटीग्रेटेड एंटरप्राईजेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	121
40	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	801
41	कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड	8
42	कोटेक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	844
43	एलआईसी एचएफएल फाइनें ियल सर्विसेज लिमिटेड	1
44	मारवाड़ी भोयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड	80
45	मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड	1
46	मुथूट फाइनेंस लिमिटेड	33
47	नारनोलिया सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
48	एनजी इंडिया इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	1
49	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	985
50	पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	1
51	प्रुडेंट कॉर्पोरेट एडवाइज़री सर्विसेज लिमिटेड	1
52	पंजाब एंड सिंध बैंक	914
53	पंजाब ने ानल बैंक	6,987
54	आरबीएल बैंक लिमिटेड	201
55	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	140
56	रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड	13
57	एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ लिमिटेड	1
58	एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड	27
59	भारतीय स्टेट बैंक	22,640
60	स्टील सिटी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड	48
61	स्टॉक होल्डिंग कारपोर ान ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	232
62	सिंडिकेट बैंक	3,501
63	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	510
64	द फेडरल बैंक लिमिटेड	1,073
65	द करुर वैय या बैंक लिमिटेड	710
66	द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	542
67	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	918
68	युको बैंक	1,851
69	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,872
70	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1,117
71	युटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	152
72	वेंट्चुरा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड	1
73	विजया बैंक	1,247
74	वे2वेल्थ ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	3
75	येस बैंक लिमिटेड	86
76	ज़ेन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड	27
	कुल	**81,981**

अनुलग्नक III

तालिका संख्या–I : 31 मार्च2019 तक के अनुसार एनपीएस के तहत पीओपीज़(संकलनकर्ता) की सूची

क्र.सं.	पीओपी का नाम	पंजीकृत शाखाओं की संख्या (एनएलसीसी)
1	ए.पी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक ान वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड	27
2	अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड	36
3	अधिकार माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	1
4	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड	56
5	इलाहाबाद बैंक	301
6	इलाहाबाद युपी ग्रामीण बैंक	116
7	आंध्रा बैंक	151
8	असम ग्रामीण विकास बैंक	375
9	बंधन बैंक लिमिटेड	10
10	बनासकंथा डिस्ट्रिक्ट को–ओप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड उपजमक	1,954
11	बंधन कोन्न नागर	1
12	बैंक ऑफ बड़ोदा	2
13	बैंक ऑफ महाराश्ट्र	729
14	बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक	25
15	बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	72
16	बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक ान वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड राजस्थान	33
17	बीडब्ल्यूडीए फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)	39
18	केनरा बैंक	3,081
19	कै ापोर माइक्रो क्रेडिट हेड ऑफिस	343
20	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग (सीडॉट)	52
21	क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड	94
22	सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	32,211
23	देना बैंक	11
24	महिला एवं बाल विकास विभाग	212
25	ईएसएएफ स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	246
26	गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड	2
27	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	50
28	आईएफएमआर फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	4,510
29	इंडियन बैंक–बैंकिंग ओपरे ांस डिपार्टमेंट	779
30	इंडियन ओवरसीज बैंक	64
31	इन्दुर इन्तिदीपम मैक्स फेडरे ान लिमिटेड	15
32	जाना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	237
33	झारखण्ड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक ान वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड रांची	36
34	कर्नाटक स्टेट अनआर्गनाइज्ड वर्कर्स सा ाल सिक्योरिटी बोर्ड, बैंगलोर	1,040
35	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	79

क्र.सं.	पीओपी का नाम	पंजीकृत शाखाओं की संख्या (एनएलसीसी)
36	भारतीय जीवन बीमा निगम	65
37	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	331
38	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	219
39	पंजाब ने ानल बैंक	441
40	संहिता कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज	1
41	सर्वहरियाणा ग्रामीण बैंक	466
42	श्री क्षेत्र धर्मस्थल रुरल डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट	123
43	श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड	10
44	सोसाइटी फॉर एलिमिने ान ऑफ रुरल पावर्टी	22
45	भारतीय स्टेट बैंक	17,950
46	स्वावलंबन–एन स	–
47	स्वयंश्री माइक्रो क्रेडिट सर्विसेज	45
48	सिंडिकेट बैंक	151
49	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एनपीएस सेल	631
50	युकोबैंक	28
51	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	215
52	विजया बैंक	560
	कुल	**68,248**

अनुलग्नक IV

पुनर्गठित पेंशन सलाहकार समिति निम्नानुसार है :

1. मुख्य महाप्रबंधक, गवर्नमेंट बिज़नेस यूनिट, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली
2. प्रबंधक निदे ाक और सीईओ, एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रकचर लिमिटेड
3. कार्यकारी निदे ाक (रिटेल बैंकिंग), एक्सिस बैंक
4. उपमहालेखा नियंत्रक (तकनीकी सलाह), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदे ाक, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यू ांस लिमिटेड
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एचडीएफसी पें ान मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
7. उपाध्यक्ष और हेडकस्टोडियल सर्विसेज, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरे ान ऑफ इंडिया लिमिटेड
8. श्री दिने ा पंत, भारतीय जीवन बीमा निगम के नियुक्त बीमांकक
9. अध्यक्ष, एनपीएस न्यास
10. निदे ाक, ने ानल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे
11. डॉ. रेणुका साने, एसोसिएट प्रोफेसर, ने ानल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (एनआईपीएफपी)
12. श्री कुलीन पटेल, वरिश्ठ बीमांकक और निदे ाक – क्लाइंट अकाउंट मैनेजमेंट, टावर्सवाटसन, गुडगाँव
13. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज़ ऑफ इंडिया
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिक्स्ड इनकम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिए ान ऑफ इंडिया
15. उपसचिव (स्थापना–।।), कार्मिक और प्र ाक्षण विभाग
16. निदे ाक (A/Cs), डाक विभाग, नई दिल्ली
17. श्री राजीव कपूर, कार्यकारी निदे ाक–ग्रुप एचआरएम मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिप्रेजेंटिंग सीआईआई
18. मुख्य कार्यकारी– इंडियन बैंक्स एसोसिए ान
19. निदे ाक, बजट, वित्त विभाग, भोपाल, मध्यप्रदे ा सरकार

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, पें ान सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य हैं।

अनुलग्नक V

(नियम 3 (क) देखें)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र के रुप में

(इकाई–भारतीय रुपया)

देनदारियां	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	संपत्ति	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. कोश/पूंजी भंडार	1	55,46,76,869	20,89,66,154	1. अचल संपत्तियां	8		
				सकल ब्लॉक		2,34,73,725	2,11,92,797
2.आरक्षित अधि ोश	2	.	.	कम मूल्यह्रास		1,47,66,875	1,29,39,764
				कुल ब्लॉक		87,06,849	82,53,032
3. निर्धारित / धर्मादा निधि	3	2,04,01,314	1,80,59,540				
				2. निर्धारित/ बंदोबस्ती कोश से निवे ा	9	1,93,23,162	1,70,21,896
4. सुरक्षित ऋण और उधारी	4	.	.				
				3 निवे ा–अन्य	10	36,18,40,229	27,00,00,000
5. असुरक्षित ऋण और उध ारी	5	.	.				
				4.मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम रा ि ा आदि	11	49,90,06,771	75,41,60,564
6. आस्थगित ऋण और देनदारियां	6	.	.				
				5. विविध व्यय (कुछ हद तक नहीं लिखे या समायोजित किए गए)		.	.
7. मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	31,37,98,828	82,24,09,799				
कुल		**88,88,77,012**	**1,04,94,35,493**	**कुल**		**88,88,77,012**	**1,04,94,35,493**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	**24**						
आकस्मिक देयताएं और लेखा–जोखा पर नोट्स	**25**						

ध्यान दें:– क. तुलन पत्र में अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

अनुलग्नक V

(नियम 3 (ख) देखें)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए आय और व्यय का लेखा–जोखा

(इकाई–भारतीय रुपया)

खर्चा	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.स्थापना व्यय	20	19,41,52,441	14,24,40,735	1. बिक्री / सेवाओं से आय	12	–	–
2. अन्य प्र ाासनिक व्यय आदि	21	2,24,31,72,940	2,40,97,71,405	2. अनुदान / अनवृत्ति	13	1,77,99,37,800	2,25,75,78,000
3.अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि	22	–	–	3.भाुल्क / सदस्यता	14	54,19,73,514	36,30,29,595
4. ब्याज	23	2,943	1,750	4.निवे ाों से आय (निर्धारित / बंदोबस्ती निधि के हस्तांतरण से निवे ा पर आय	15	–	–
5. मूल्यह्रास (वर्श के अंत में कुल–अनुसूची 8 के तदनुसार)		20,57,488	16,94,998	5. रॉयल्टी, प्रका ान आदि से आय	16	–	–
				6.अर्जित ब्याज	17	4,35,15,368	3,91,20,774
				7.अन्य आय	18	2,26,525	2,45,759
				8.तैयार माल और काम में प्रगति के भोयर में वृद्धि / (कमी)	19	.	.
कुल		**2,43,93,85,811**	**2,55,39,08,888**	**कुल**		**2,36,56,53,207**	**2,65,99,74,128**
शेष खर्च के मुकाबले आय से अधिक (विशेष आरक्षित को स्थानांतरित (प्रत्येक निर्दिष्ट)		**(7,37,32,604)**	**10,60,65,240**				
सामान्य आरक्षित को / से स्थानांतरित		.	.				
भोश का अधि ोश देना / घाटा कोश के लिए आगे भेजा / पूंजी कोश		**(7,37,32,604)**	**10,60,65,240**				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	**24**						
आकस्मिक देयताएं और लेखा–जोखा पर नोट्स	25						

ध्यान दें:– क. तुलन पत्र में अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

अनुलग्नक V

(नियम 3 (ग) देखें)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्श के लिए आय और व्यय का लेखा–जोखा

(इकाई–भारतीय रुपया)

क्र.सं.	––	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	क्र.सं.	भुगतान	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	**प्रारंभिक शेष राशि**			1.	खर्च		
क.	नकदी	20,000	20,000	क.	स्थापना पर खर्च	18,55,95,984	15,44,36,867
ख.	बैंक बैलेंस	–	–	ख.	प्र ाासनिक व्यय	29,73,44,838	27,29,70,411
	चालू खातों में			2.	उपयोग किए गए अनुदान	–	–
	समय जमा खातों में	–	–	क.	स्वावलंबन योगदान	18,18,55,819	34,84,88,000
	बैंक जमा खातों मे	68,03,96,600	76,15,72,278	ख.	स्वावलंबन पदोन्नति	4,84,000	2,46,15,900
2.	**प्राप्त अनुदान**			ग.	राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास को अनुदान	–	–
क	भारत सरकार को			घ.	एपीवाई अं ादान	81,45,81,888	1,18,21,19,845
	क. अनुदान सहायता वेतन	12,60,00,000	10,50,00,000	ड.	एपीवाई संवर्धन एवं विकास	1,09,49,45,670	44,86,67,343
	ख. अनुदान–सहायता–सामान्य	–	4,50,00,000	च.	अनुदान की वापसी	–	–
	ग. अनुदान सहायता–स्वावलंबन योगदान	10,09,00,000	42,94,81,675	ड.	अन्य	–	–
	घ. अनुदान सहायता–स्वावलंबन प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां	30,37,800	8,96,325	3.	निवे ा और जमा किए गए		
	ड. अनुदान सहायता एपीवाई अं ादान	75,00,00,000	87,72,00,000	क.	निर्धारित/धर्मादा निधि से बाहर	22,78,104	3,00,000
	च. अनुदान सहायता एपीवाई संवर्धन एवं विकास	80,00,00,000	80,00,00,000	ख.	स्वयं के धन से बाहर (निवे ा – अन्य)	8,83,00,000	27,00,00,000
	छ. अन्य	–	–	4.	अचल संपत्तियों और काम में प्रगति पर लगी पूंजी पर व्यय		
ख.	राज्य सरकार से	–	–	क.	अचल संपत्तियों की खरीद	4,41,518	7,89,671
	क. अनुदान सहायता वेतन	–	–	ख.	काम में प्रगति पूंजी पर व्यय	–	–
	ख. अनुदान–सहायता –सामान्य	–	–	5.	अधि ोश पैसे / ऋणों की वापसी		
	ग. अनुदान–सहायता–स्वावलंबन योगदान	–	–	क.	राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास से वसूली	–	–
	घ. अनुदान सहायता–स्वावलंबन	–	–	ख.	राज्य सरकार को	–	–
	ड. प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां अन्य	–	–	ग.	धन के अन्य प्रदाताओं को	–	–
ग.	वित्तीय संस्थाओं से	–	–	**6.**	**वित्त शुल्क (ब्याज)**		
3.	**निवेश पर आय**			क	बैंक भाुल्क	2,943	592
	क. निर्धारित/बंदोबस्ती धन	12,25,042	20,868	ख.	अन्य	–	–
	ख. स्वनिवे ा (अन्य निवे ा)	.	.	7.	अन्य भुगतान (निर्दि ट)		
4.	**प्राप्त ब्याज**			क.	प्रीपेड	11,61,179	18,11,050
	क. बैंक जमाराि यों पर	4,36,17,399	2,61,60,198	ख.	ऋण / उधार कर्मचारियों के लिए	2,50,000	2,44,000
	ख. ऋण, उधार आदि	.	.	ग.	अग्रिम रा ि ा व्ययों के विरुद्ध	4,86,04,303	5,33,48,792
	ग. अन्य (ऋण पर ब्याज)	.	.	घ.	सुरक्षा जमा		4,78,000
5.	**अन्य आय (निर्दिश्ट)**			8.	अंतिम भोश		
	क. वार्शिक भाुल्क	44,27,52,732	36,13,45,095	क.	नकद	20,000	20,000
	ख. विविध सेवाओं से प्राप्त आय	17,24,501	16,84,500	ख.	बैंक अति ोश		
	ग. विविध आय	24,634	5,761		चालू खातों में		
6	उधार ली गई राशि	.	.		समय जमा खातों में		
7	कोई भी अन्य रसीद				बचत बैंक जमा खातों में	26,81,40,459	68,03,96,600
	क. सुरक्षा /ईएमडी रसीद	.	.				
	ख. उधार की वसूली	3,31,35,430	2,99,62,218				
	ग. संपत्ति के हस्तांतरण	1,42,145	50,283				
	घ. अभिदाता ि ाक्षा और संरक्षण निधि	10,30,423	2,87,870				
	कुल	**2,98,40,06,705**	**3,43,86,87,071**		**कुल**	**2,98,40,06,705**	**3,43,86,87,071**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 1

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

कोश/पूंजी भंडार

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
भोश रा ि ा वर्श के आरंभ में	20,89,66,154	17,56,81,330
जोड़ेः अप्रयुक्त कोश निधि की भ्ाुरुआती भोश रा ि ा	66,17,79,686	58,89,99,270
कमः अप्रयुक्त कोश निधि की समापन भोश रा ि ा	24,23,36,366	66,17,79,686
जोड़ेः घटाएंः भ्ाुद्ध आय व्यय की भोश रा ि ा जो आय और व्यय खाते से स्थानांतरित की गई है	(7,37,32,604)	10,60,65,240
जोड़ेः सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान/आय और व्यय खाते से स्थानांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि के रुप में	55,46,76,869	20,89,66,154

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 2

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

भंडार और अधि ोश

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजी कोष		
क. वर्श के आरंभ में	–	–
ख. वर्श के दौरान जोड़ना	–	–
ग. कमः वर्श के दौरान कटौती	–	–
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
क. वर्श के आरंभ में	–	–
ख. वर्श के दौरान जोड़ना	–	–
ग. कमः वर्श के दौरान कटौती	–	–
3. विशेष आरक्षित		
क. वर्श के आरंभ में	–	–
ख. वर्श के दौरान जोड़ना	–	–
ग. कमः वर्श के दौरान कटौती	–	–
4. सामान्य आरक्षित		
क. वर्श के आरंभ में	–	–
ख. वर्श के दौरान जोड़ना	–	–
ग. कमः वर्श के दौरान कटौती	–	–
कुल	–	–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 3

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

एमबार्कड/अक्षय निधि

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	
	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. धन की प्रारंभिक भोश रा ि ा	1,80,59,540	1,64,05,649
2. धन में जोड़		
(क) दान/अनुदान	-	-
(ख) धन के खाते में किएनिवे ा पर आय	13,11,351	13,66,021
(ग) एनपीएस न्यास जुर्माना खाते और एनपीएस न्यास निवे ाक जागरुकता खाते में स्थानांतरण	-	-
(घ) वर्श के दौरान रसीद	10,30,423	2,87,870
(ङ) अन्य जोड़ (प्रकृति निर्दिश्ट करें)		
कुल (1+2)	**2,04,01,314**	**1,80,59,540**
3. निधियों के उद्दे यों की दि ाा में उपयोग/व्यय		
(क) पूंजीगत व्यय		
क. अचल संपत्तियाँ	-	-
ख. अन्य संपत्तियाँ	-	-
कुल	-	-
ख. राजस्व व्यय		
क. वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि	-	-
ख. किराया	-	-
ग. अन्य प्र ाासनिक खर्चे	-	-
ग. अन्य	-	-
कुल	-	-
कुल (3)	-	-
साल के अंत में शुद्ध बैलेंस (1+2+3)	**2,04,01,314**	**1,80,59,540**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 4

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

सुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	–	–
2. राज्य सरकार	–	–
3. वित्तीय संस्थाएं		
क. सावधि ऋण	–	–
ख. अर्जित ब्याज और देय	–	–
4. बैंक		
क. सावधि ऋण	–	–
– अर्जित ब्याज और देय		
ख. अन्य ऋण (निर्दिश्ट)	–	–
– अर्जित ब्याज और देय		
5. अन्य संस्थान	–	–
6. डिबेंचर और बांड	–	–
7. अन्य	–	–
कुल	–	–
नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 5

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

असुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	–	–
2. राज्य सरकार	–	–
3. वित्तीय संस्थाएं	–	–
4. बैंक		
क. सावधि ऋण	–	–
ख. अन्य ऋण (निर्दिश्ट)	–	–
5. अन्य संस्थान	–	–
6. डिबेंचर और बांड	–	–
7. सावधि जमा	–	–
8. अन्य (निर्दिश्ट करें)	–	–
कुल	–	–
नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 6

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

आस्थगित क्रेडिट देनदारियाँ

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों की उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	–	–
2. अन्य	–	–
नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 7

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

मौजूदा देयताएं और उपबंध

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. स्वीकृतियां	–	–
2. फुटकर लेनदार और देनदारियां	94,61,969	12,15,94,688
3. उधार प्राप्त	–	–
4. अर्जित ब्याज पर देय नहीं है:		
क. सुरक्षित ऋण / उधारी	–	–
ख. असुरक्षित ऋण / उधारी	–	–
5. वैधानिक देनदारियां		
क. अतिदेय	–	–
ख. अन्य	–	–
6. अन्य चालू देनदारियां		
क. 31 मार्च को भारत सरकार को देय अप्रयुक्त अनुदान के रुप में	24,23,36,366	66,17,79,686
ख. अन्य : आईआरडीए खाता	–	31,988
ग. अन्य : सुरक्षा जमा	66,46,000	66,71,540
कुल	**25,84,44,335**	**79,00,77,902**
प्रावधान		
1. कराधान के लिए	3,34,545	27,30,079
2.ऐच्छिक दान	2,07,11,598	1,83,81,621
3.व्यापार वारंटियां / दावे	–	–
4.संचित छुट्टी नकदीकरण	3,37,95,764	1,06,48,445
5.पें ान अं ादान देय	2,79,151	3,23,808
6.वेतन देय भुगतान	2,33,435	2,46,392
7.छुट्टी नकदीकरण देय		
8.एनपीएस कर्मचारी अं ादान	–	1,552
कुल	**5,53,54,493**	**3,23,31,897**
कुल योग	**31,37,98,828**	**82,24,09,799**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 8

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

अचल संपत्तियां

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	कुल संपत्तियां				मुल्यह्रास				कुल ब्लॉक	
	वर्श के आरंभ में लागत/मूल्यांकन के रुप में	वर्श के दौरान परिवर्धन	वर्श के दौरान कटौती	वर्श के अंत में लागत/मूल्यांकन के रुप में	वर्श के आरंभ के रुप में	वर्श के लिए	वर्श के दौरान कटौती पर	कुल वर्श के अंत तक	चालू वर्श के रुप में	पूर्व वर्श के रुप में
अचल संपत्तियां										
1. भूमि										
क. फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. बिल्डिंग								-		
क. फ्रीहोल्ड जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व फ्लैट/परिसर जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. सुपरस्ट्रक्चर जो किसी इकाई से संबंधित नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र म ीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. वाहन	10,37,399	6,88,822	-	17,26,221	8,16,093	84,858	-	9,00,951	8,25,270	2,21,306
5. फर्नीचर तथा अलमारियां	40,45,064	2,09,856	-	42,54,920	16,59,022	2,55,299	-	19,14,321	23,40,600	23,86,042
6. कार्यालय उपकरण	54,35,411	10,70,129	1,81,899	63,23,641	24,49,106	5,18,705	66,065	29,01,746	34,21,895	29,86,305
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	1,03,34,523	7,71,939	2,87,405	1,08,19,057	77,13,097	11,80,488	1,64,312	87,29,273	20,89,784	26,21,427
8. विद्युत प्रतिश्ठान	1,51,908	-	-	1,51,908	1,25,794	3,917	-	1,29,711	22,197	26,114
9. लाइब्रेरी की किताबें	1,88,491	9,486	-	1,97,977	1,76,653	14,221	-	1,90,874	7,103	11,838
10. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालु वर्ष का कुल	**2,11,92,797**	**27,50,232**	**4,69,304**	**2,34,73,725**	**1,29,39,764**	**20,57,488**	**2,30,377**	**1,47,66,875**	**87,06,849**	**82,53,032**
पिछला वर्ष	**1,85,14,502**	**44,41,344**	**17,63,049**	**2,11,92,797**	**1,29,39,734**	**16,94,998**	**16,94,967**	**1,29,39,764**	**82,53,032**	**55,74,768**
पूजीकार्य में प्रगति									**-**	**-**
कुल									**87,06,849**	**82,53,032**

नोटः (ऊपर भामिल संपत्ति की लागत पर किराया खरीद आधार पर दिया जाएगा।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 9

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

उद्दिश्ट/धर्मादा निधि में निवे ा

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. भोयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा	1,93,23,162	1,70,21,896
7. अन्य (निर्दिश्ट करें)	-	-
कुल	**1,93,23,162**	**1,70,21,896**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 10

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

निवे ा–अन्य

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. भोयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा	36,18,40,229	27,00,00,000
7. अन्य (निर्दिश्ट करें)	-	-
कुल	**36,18,40,229**	**27,00,00,000**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 11 (क)

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

31.03.2019को तुलन पत्र के भाग के रुप में मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) वर्तमान संपत्तियां		
1. माल		
संचित और अतिरिक्त		-
ि ाथिल उपकरण		-
बिक्री के लिए माल		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर है	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदारः		
6 महीने की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
अन्य	-	30,585
3. नकदी	20,000	20,000
4. बैंक बैलेंस		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
चालू खातों पर	-	-
समय जमा खातों पर	-	-
बचत बैंक जमा खातों पर	26,81,40,459	68,03,96,600
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
चालू खातों पर	-	-
समय जमा खातों पर	-	-
बचत बैंक जमा खातों पर	-	-
5. डाकघर–बचत खाते	-	-
6. अन्य	-	-
कुल (क)	**26,81,60,459**	**68,04,47,185**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 11 (ख)

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

31.03.2019को तुलन पत्र के भाग के रुप में मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
(ख) ऋण, उधार और अन्य परिसंपत्तियां:		
1. ऋण:		
स्टॉफ	2,98,000	1,48,881
अन्य संस्था, जो संस्था की तरह के गतिविधियों/उद्दे यों में संलग्न है:	-	-
अन्य (निर्दिश्ट करें)	-	-
2. उधार और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रुप में या वसूली जाने वाली कीमत के रुप में प्राप्त हो:		
पूंजी खाते पर	-	-
पूर्वभुगतान	11,61,179	18,11,050
सुरक्षा जमा	36,47,500	36,47,500
अन्य	11,80,04,339	5,42,87,823
3. आय अर्जित		
उदिश्ट और धर्मादा निधि से निवे ा पर	9,20,697	8,57,550
अन्य–पर निवे ा	93,18,316	1,29,60,576
ऋणों तथा उधारों पर	-	-
अन्य (इसमें अचेतन देय रा ि ा रू. भून्य भी भाामिल है।)	9,74,96,282	-
4. प्राप्त दावे	-	-
कुल (ख)	**23,08,46,312**	**7,37,13,379**
कुल योग (क) (ख)	**49,90,06,771**	**75,41,60,564**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 12

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

बिक्री/सेवाओं से आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. बिक्री से आय		
तैयार माल की बिक्री	-	-
कच्चे माल की बिक्री	-	-
कबाड़ की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
श्रम और प्रसंस्करण भुल्क	-	-
व्यवसायिक/पराम र्श सेवाएं	-	-
ऐजेंसी कमी न और ब्रोकरेज	-	-
रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
अन्य (निर्दिश्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 13

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

अनुदान और सब्सिडी

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
<u>अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी प्राप्त</u>		
1. केंद्र सरकार	1,77,99,37,800	2,25,75,78,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारीअभिकरण	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	
5. अंतर्राश्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (निर्दिश्ट करें)	-	-
कुल	**1,77,99,37,800**	**2,25,75,78,000**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 14

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवे ा भुल्क	-	-
2. वार्शिक भुल्क / सदस्यता	54,02,49,013	36,13,45,095
3. संगोश्ठी / कार्यक्रम भुल्क	-	-
4. सलाहकारी संस्था का भुल्क	-	-
5. लाइसेंस भुल्क	-	-
6. विविध सेवाओं के लिए भुल्क	17,24,501	16,84,500
7.अन्य (निर्दिश्ट करें)		-
कुल	**54,19,73,514**	**36,30,29,595**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 15

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	निर्धारित धनराशि से निवेश		निवेश–अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बांड / डिबेंचर्स	-	-	-	-
ग. अन्य	13,11,351	13,66,021	-	-
2. लाभांश				
क. भोयरों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड पर	-	-	-	-
ग. अन्य	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (निर्दिश्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**13,11,351**	**13,66,021**	**-**	**-**
उद्दिष्ट और धर्मादा निधि को हस्तांतरित	**13,11,351**	**13,66,021**	**-**	**-**
कुल योग	**-**	**-**	**-**	**-**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

प्रभुत्व भुल्क, प्रका ान आदि से आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रभुत्व भुल्क से आय	-	-
2. प्रका ान से आय	-	-
3. अन्य (निर्दिश्ट)	-	-
कुल	**-**	**-**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

अर्जित ब्याज

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सावधि जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	2,10,30,324	1,29,60,576
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग. संस्थानों के साथ	-	-
घ. अन्य	-	-
2. बचत बैंक जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	2,24,83,560	2,61,60,198
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग. संस्थानों के साथ	-	-
घ. अन्य		-
3. ऋण पर:		
क. कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
ख. अन्य	-	-
4. देनदार तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	1,484	
कुल	**4,35,15,368**	**3,91,20,774**
स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया जाए	**-**	**-**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 18

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

अन्य आय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
(क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
(ख) अनुदान से परे या निः शुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन वसूल	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	2,26,525	2,45,759
कुल	**2,26,525**	**2,45,759**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 19

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और काम में प्रगति

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) समापन स्टॉक		
1. तैयार माल	-	-
2. कार्य प्रगति पर	-	-
(ख) कम– शुरुआती स्टॉक		
1. तैयार माल	-	-
2. कार्य प्रगति पर	-	-
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	**-**	**-**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 20

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

स्थापना व्यय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. वेतन और मजदूरी	14,86,29,812	11,70,68,575
2. भत्ता और बोनस	-	-
3. भविश्य निधि अं ादान	-	-
4. पें ान के लिए अं ादान	83,78,168	70,92,499
5. कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
6. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ पर व्यय	-	-
7. छुट्टी का वेतन	2,91,36,433	1,17,01,632
8. ट्यू ान भुल्क अदायगी	-	-
9. चिकित्सा अदायगी	21,04,990	18,00,128
10. ग्रेच्युटी योगदान	59,03,037	47,77,901
11. अन्य (वि ाश्ट)		
कुल	**19,41,52,441**	**14,24,40,735**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 21

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

अन्य प्र ाासनिक व्यय

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. खरीदारियां	-	-
2. श्रम और प्रसंस्करण खर्चे	-	-
3. ढुलाई और अंदर की ओर कैरिज	-	-
4. बिजली और पावर	16,20,901	13,20,231
5. जल भाुल्क	4,29,465	4,06,722
6. बीमा	18,05,860	19,71,532
7. मरम्मत और रखरखाव	68,59,768	73,45,976
8. उत्पाद भाुल्क	-	-
9. किराया, दरें और कर	7,15,24,782	6,96,52,194
10. चलते वाहन और उनका रखरखाव	1,54,61,523	95,90,998
11. डाक, टेलीफोन और संचार के भाुल्क	46,03,012	72,62,031
12. मुद्रण और स्टे ानरी	15,23,073	6,97,632
13. यात्रा और वाहन खर्चे	88,17,437	78,95,696
14. सेमिनार/कार्य ाालाएं/बैठकों और सम्मेलनों पर व्यय	1,22,37,465	2,84,55,685
15. सदस्यता खर्च	-	-
16. फीस और व्यय	-	-
17. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	-	2,67,872
18. आतिथ्य खर्च	-	-
19. पे ोवर भाुल्क	1,94,86,772	1,68,82,427
20. पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,62,865	2,49,489
21. भर्ती खर्च	2,44,412	18,82,531
22. आ ाोध्य और संदिग्ध ऋण/ उधार के लिए प्रावधान	-	-
23. संकलनकर्त्ता के लिए प्रोत्साहन रा ि ा	4,84,000	2,46,15,900
24. स्वाबलंबन सरकारी अं ादान	18,18,55,819	34,84,88,000
25 एपीवाई सरकारी अं ादान	81,45,81,888	1,18,21,19,845
26. उपस्थिति अस्तित्व के मुद्दे पर प्रोत्साहन रा ि ा	-	-
27. अप्रतिलभ्य भोश रा ि ा का लेखा जोखा	3,11,559	-
28 पैकिंग खर्च	-	-
29. फ्रेट और अग्रेशण खर्च	-	-
30. वितरण खर्च	-	-
31. विज्ञापन और प्रचार खर्च	2,71,03,936	24,94,84,351
32. सदस्यता भाुल्क	8,78,780	17,250
33. कर्मचारी कल्याण	12,01,134	8,14,511
34. कंसल्टेंसी खर्च	19,68,825	16,80,780
35. एपीवाई प्रचार		1,94,11,083
36. एपीवाई के लिए प्रोत्साहन रा ि ा	1,06,99,45,670	42,92,56,260
37. बैठक भाुल्क	30,000	-
38. अन्य (वि ि ाष्ट)	33,994	2,408
कुल	**2,24,31,72,940**	**2,40,97,71,405**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 22

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. संस्थाओं/संगठनों/राश्ट्रीय पें ान प्रणाली न्यास को दिया गया अनुदान	-	-
2. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
3. अन्य (विनि ाष्ट)		
कुल		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 23

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रुप में प्रस्तुत होना

ब्याज

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. निर्धारित ऋणों पर	-	-
2. अन्य ऋणों पर	-	-
3. बैंक के भुल्क	2,943	1,750
4. अन्य (विनि ाश्ट)	-	-
कुल	**2,943**	**1,750**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 24

31 मार्च 2019 को वर्श की समाप्ति पर खातों के भाग के रुप में

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन और वित्तीय बयान की तैयारी का आधार

प्राधिकरण का वित्तीय लेखा–जोखा पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नियम (लेखा और रिकॉर्ड के वार्शिक विवरण के रुप में), 2015 के अनुसार तैयार किया गया है। भारत सरकार की योजना होने के कारण स्वालंबन योजना और अटल पें ान योजना (एपीवाई) के अलावा वित्तीय लेखा–जोखा ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत प्रोद्भवन के आधार पर भुगतान आधार पर बनाया रखा जाता रहा है। वित्त वर्श 2018–19 के लिए न्यासी बैंक और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों से भाुल्क बीमांकिक आधार पर गिना जाएगा।

2. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

3. अचल संपत्ति

अचल संपत्तियों को उनके करों और अन्य आनुशंगिक अधिग्रहण से संबंधित खर्च सहित मूल लागत के रुप में प्रस्तुत किया जाता है।

4. सेवानिवृत्ति लाभ

वित्त वर्श 2018–19 के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपदान और छुट्टी नकदीकरण प्रदान किया गया है।

5. मूल्यह्रास

5.1 इसे आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिश्ट दरों के अनुसार नीचे लिखे मूल्य विधि पर प्रदान किया जाता है।

5.2 5000/– या उससे कम की कीमतों की प्रत्येक आस्तियों को पूरी तरह से प्रदान किया जाता है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

मदनेश कुमार मिश्रा
सदस्य

रवि मित्तल
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 25

31 मार्च 2019 को वर्श की समाप्ति पर खातों से जुड़े होने और भाग के रुप में

आकस्मिक देयताएं और खातों में लेखन

1. <u>आकस्मिक देयताएं</u>

प्राधिकरण की 31.03.2019 पर कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

2. <u>वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और उधार</u>

मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और उधार का मूल्य कम से तुलनपत्र में दिखाई कुल रा ि ा के बराबर मूल्य का है।

3. <u>कराधान</u>

पें ान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 34 के दृ य में, प्राधिकरण अपने धन, आय लाभ या लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, इस तरह का कोई प्रावधान लेखा बहियों में प्रदान नहीं किया गया है।

4. 31.03.2017 को अप्रयुक्त सरकारी अनुदान को प्रमुख मौजूदा देनदारियों और प्रावधान के तहत द र्ाया गया।

5. पिछले वर्श के लिए संबंधित आंकड़ों को जहाँ आव यक था, पुनःसमूहीकृत/पुनःप्रबंधित किया गया।

6. अनुसूची 1 से 25 को 31.03.2019 के तुलनपत्र के रुप में एकत्रित किया गया और एक अभिन्न अंग और 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए आय और व्यय लेखा के रुप में लिया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2019

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय	**मदनेश कुमार मिश्रा**	**रवि मित्तल**
सदस्य	सदस्य	**अध्यक्ष**

This Report is in conformity with the format as
per the Pension Fund Regulatory and Development Authority
(Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

सत्यमेव जयते

रवि मित्तल, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
Ravi Mital, IAS
Chairperson

पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
बी–14/ए, प्रथम मंजिल, छत्रपति शिवाजी भवन
कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011-26517095
फैक्स : 011-26517507
ई–मेल : chairman@pfrda.org.in
वेबसाईट: www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, First Floor,
Chhatrapati Shivaji Bhawan
Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai
New Delhi-110016
Ph : 011-26517095
Fax : 011-26517507
E-mail : chairman@pfrda.org.in
Website : www.pfrda.org.in

Letter of Transmittal

F.No: PFRDA/09/02/11/0001/2019-ANNUAL RPT Dept

12th December, 2019

The Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance,
Government of India,
Sansad Marg, Jeevandeep Building
New Delhi - 110 001

Subject: Annual Report of PFRDA- FY 2018-19.

Sir,

In accordance with the provision of Section 46 (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, I have pleasure in transmitting copies of the Annual Report of the Pension Fund Regulatory and Development Authority on the working of the Authority for the financial year ended March 31, 2019.

Yours sincerely,

Amital

(Ravi Mital)

CONTENTS

Statement of Goals and Objectives 11

Objective 11

Vision 11

Chairman's Message 13

Members of the Board 15

Senior Management of the Authority 16

Abbreviations 17

Part I

Policies & Programmes 20

1.1 General Review of the Global Economic Scenario 20

1.1.1 Global Commodities Prices 21

1.1.2 Inflation 21

1.1.3 Global Financial Environment 22

1.1.4 Bond and Equity markets 22

1.1.5 Global Growth outlook for 2019-20 24

1.1.6 Emerging Market and Developing Economies 24

1.2 Domestic Economy 25

1.2.1 Macro-Economic Developments in India 25

1.2.2 Inflation 25

1.2.3 Monetary Management 26

1.3 Financial Markets 27

1.3.1 G-Sec Market 27

1.3.2 Corporate Bond Market 27

1.3.3 Equity Market 28

1.4 Review of Global Pension Market 28

1.4.1 Pension fund assets in the OECD area in 2018 28

1.4.2 Equities investments in 2018 29

1.5 Major Announcement for NPS in Budget 2019 31

1.6 Indian Demography and Old Age Income Security 31

1.7 Indian Pension Landscape 32

1.8 A Brief on the review of the objectives of PFRDA during the year. 33

1.9 Intermediaries under NPS 35

1.9.1 Intermediaries and other entities associated with National Pension System and other pension schemes covered under the Act 35

1.9.2 Types of Account 37

Part II

Investment of Funds under NPS 39

2.1 Pension Funds (PFs) 39

2.1.1 Functions of Pension Funds 39

2.1.2 List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes (i.e. CG and SG), NPS-Swavalamban and APY 39

2.1.3 List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes 39

2.2 Schemes 39

2.3 Exposure of different categories of investments and various schemes regulated and administered by PFRDA 41

2.4 Regulations, Notification, issuance of major circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund 43

Part- III

Functions of the Authority 45

3.1 Registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes 45

3.2 Approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes 46

3.3 Exit of subscribers from the National Pension System 47

3.3.1 Exits under NPS 47

3.3.2 Partial Withdrawal under NPS 50

3.4 Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes 50

3.5 Activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act 52

3.6 Mechanism for redressal of grievances of subscribers and activities undertaken for redressal of such grievances 53

3.7 Certification Programme for Retirement Advisers 54

3.8	Collection of data by the Authority and the intermediaries including undertaking and commissioning of studies, research and projects.	54
3.9	Steps undertaken for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issued and details of training of intermediaries	55
3.9.1	Financial Literacy	55
3.9.2	Programme for co-ordination with financial agencies and other agencies	55
3.9.3	NPS awareness and Social Media	55
3.9.4	Public Relations Agency	57
3.9.5	Training	57
3.10	NPS and APY Information Helpdesk	57
3.11	Conferences held during FY 2018-19	58
3.12	Performance of Pension Funds	61
3.13	Regulated Assets	64
3.14	Fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year	64
3.15	Information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organisations connected with pension fund	66
3.16	Others	67
3.16.1	Subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act	67
3.16.2	Points of presence	70
3.16.3	Asset under Management	70
3.16.4	The Central Recordkeeping Agency	70
3.16.5	The Pension Funds	76
3.16.6	The Trustee Bank	77
3.16.7	The Custodian	79
3.16.8	The National Pension System Trust	80
3.16.9	Retirement Advisor	81
3.16.10	Other functions carried out by the Authority in the area of pensions	82

PART IV

4.1 Pension Advisory Committee 85

4.2 Regulations Made or Amended 85

4.3 Constitution of Committee for utilization of Subscriber Education and Protection Fund 86

4.4 Standing Committee on Information Technology and Cyber Security in PFRDA 86

PART V

Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority 87

5.1 Constitution of PFRDA Board 87

5.2 Meetings of the Authority 87

5.3 Staff Strength in PFRDA 87

5.4 Setting up of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA 88

5.5 Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace 88

5.6 Staff Welfare Committee 88

5.7 Training of employees in PFRDA 88

5.8 Promotion of Official Language 88

5.9 Right to Information 88

5.10 Parliamentary Questions 89

5.11 InformationalTechnology 89

5.12 Other activites 89

5.13 Accounts of PFRDA 89

PART VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers 91

6.1 Age limit of 40 years for joining APY 91

6.2 Statutory obligations that the Authority has not complied 91

6.2.1 Minimum Assured Returns Scheme (MARS) 91

PART VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act. 92

7.1 Other initiatives taken by the Authority to protect the interest of the subscribers 92

Annexure I

No. of subscribers registered (PRANs Generated) in APY by various distribution channels 94

Annexure II

List of Point of Presence registered with NSDL-CRA under NPS as on 31st March, 2019 100

List of Point of Presence registered with Karvy-CRA under NPS as on 31st March, 2019 102

Annexure III

List of POPs (Aggregator) under NPS as on 31st March, 2019 104

Annexure IV

Composition of Pension Advisory Committee (PAC) 106

Annexure V

Balance Sheet 107

STATEMENT OF GOALS AND OBJECTIVES

Under rule 9(2) (C) of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

OBJECTIVE

The broad objectives of the PFRDA are contained in the Preamble to the PFRDA Act 2013 as under:

"To provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interest of subscribers to schemes of pension funds and for matters connected therewith and incidental thereto."

VISION

To be a model Regulator for promotion and development of an organized pension system to serve the old age income needs of people on a sustainable basis.

Chairman's Message

It is my great pleasure to present the annual report of PFRDA for the financial year 2018-19. On this occasion, we refresh our efforts towards our mandate to promote and develop an organized pension system for all citizens of India to serve the old age income needs on sustainable basis.

India, being one of the world's most populous countries, is undergoing unprecedented demographic changes. Increasing longevity and falling fertility have resulted in a dramatic increase in the population of adults in both absolute and relative terms. Due to a changing social and economic landscape, the traditional family support system is breaking down in the households of many older adults. This change brings social and economic challenges, to which our country must rapidly adapt.

The time is ripe to engage and create a sustainable pension system in the country, covering the majority of the population. PFRDA, over the years, has been engaged in developing the pension sector through guided development and prudent regulation with focus on institution-building, capacity development and enabling framework for innovations in products, schemes and programmes across all stakeholders under the umbrella architecture of the National Pension System (NPS). The larger objective is to improve and expand the adequacy and scope of pension coverage both in the organised and unorganised sectors.

Promotion and development of NPS is vital for the growth of the economy as it serves the twin objectives of providing old age income security to a vast multitude of our ageing population and garnering resources in the form of long term funds for meeting investment needs of the critical growth-driving sectors of the economy and the capital market. A developed pension sector has a stabilizing effect on the economy through promoting long-term savings combined with long-term investments.

NPS has an unbundled architecture where each function is performed by a specialised and different entity. The product is unique, providing an opportunity for subscribers to be serviced by the intermediaries which are renowned in their areas, that too at low cost. The technologically driven platform provides ample flexibility to subscribers in terms of choice regarding the Point of Presence, Central Recordkeeping Agency, Pension Fund Manager, Annuity Service Providers, frequency and amount of contribution among others.

An extensive framework of regulations is in place and notified under the PFRDA Act 2013. The same is reviewed on regular basis to ensure the security of pension assets to minimize the risk to the pension assets that have been accumulated to provide retirement benefits and ensures timely exit.

PFRDA continued to leverage technology across the value chain to drive efficiencies and improve ease of access to NPS for the subscribers by way of eNPS, Mobile apps, e-KYC etc. Various initiatives have also been undertaken to digitally empower the Atal Pension Yojana (APY) subscribers by offering value added services. Moreover, as a stakeholder in India's policymaking regarding old age income security and to carry out the mandate of the PFRDA Act in the interest of pension subscribers, PFRDA is constantly vigilant about the cyber security measures to mitigate any cyber threats.

The central government has notified on 31.01.2019, the increase of its contribution to central government employee's NPS account from 10% to 14% with effect from April 1, 2019. Greater freedom in choosing pension funds and pattern of investment to central government employees has also been notified. Further, tax exemption limit for lump sum withdrawal on exit has been enhanced to 60%. With this, the entire withdrawal will now be exempt from income tax. These exclusive measures will definitely boost the contribution level under NPS.

Pension is a long-term financial product, which requires consistent contribution towards one's corpus in the accumulation phase during the working age of an individual. In view of the same, as the pension regulator, PFRDA has taken up the important task of financial literacy of the masses in matters related to pension, retirement planning/savings along with the overarching mandate of developing the pension sector through various digital/social media and a dedicated website named Pension Sanchay. The increased financial inclusion and literacy will also help in countering the behavioral bias with respect to pension and retirement planning.

By way of this communication, I wish to reiterate the commitment and dedication of the PFRDA to the overarching cause of making India a Pensioned society to fulfill its objectives of old age income security.

Chairman

Members of the Board

(as on 31.03.2019 appointed under Section 4 of the PFRDA Act, 2013 (Act 23 of 2013))

(i) Chairman

Shri Hemant G. Contractor from 7th October 2014 till date.

(ii) Whole-Time Members

1. Dr. B.S. Bhandari, Whole-Time Member (Economics) from 16th May, 2014 till date.
2. Shri Supratim Bandopadhyay, Whole-Time Member(Finance) from 12th March, 2018 till date.

(iii) Part-Time Members

1. Ms. Annie George Mathew, Joint Secretary, Department of Expenditure from 12th December 2014 till date.
2. Shri Sanjiv Narain Mathur, Joint Secretary, DPPW, Ministry of Personnel, P G and Pensions, Part-Time from 11th August, 2017 till date.
3. Shri Madnesh Kumar Mishra, Joint Secretary, DFS, Ministry of Finance, Part- Time Member from 3rd November, 2017 till date.

SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY

(as on 31.03.2019)

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Ananta Gopal Das

Shri Praveen Trivedi

CHIEF GENERAL MANAGER

Smt. Mamta Rohit

Smt. Sumeet Kaur Kapoor

Shri Venkateswarlu Peri

Shri Ashish Kumar

GENERAL MANAGER

Shri K. Mohan Gandhi

Shri Pravesh Kumar

Shri Mono Mohon Gogoi Phukon

Shri Akhilesh Kumar (Deployed in NPS Trust)

Shri Vikas Kumar Singh

Shri P. Arumugarangarajan

Shri Sumit Kumar

Chief Vigilance Officer

Shri Satish K. Nagpal

Ombudsman

Shri Vinod Kumar Pande

ANNUAL REPORT TEAM

Shri Venkashwarlu Peri, Chief General Manager

Smt. Manju Bhalla, Deputy General Manager

Shri Manish Mani, Manager

Abbreviations

AIF	Alternative Investment Fund
APY	Atal Pension Yojana
APY-SP	APY-Service Provider
ASP	Annuity Service Provider
AUM	Assets Under Management
BSE	Bombay Stock Exchange
CAB	Central Autonomous Bodies
CAGR	Compounded Annual Growth Rate
CBS	Core Banking Solution
CBO	Corporate Branch Office
CEO	Chief Executive Officer
CFPI	Consumer Food Price Index
CG	Central Government
CGMS	Central Grievance Management System
CHO	Corporate Head Office
CISO	Chief Information and Security Officer
COR	Certificate of Registration
CP	Commercial Paper
CPI	Consumer Price Index
CPI-C	Consumer Price index – Combined
CPIO	Central Public Information Officer
CRA	Central Recordkeeping Agency
CSGL	Constituent Subsidiary General Ledger
CSO	Central Statistical Office
DA	Dearness Allowance
DB	Defined Benefit
DC	Defined Contribution
DDO	Drawing and Disbursing Office
DCCB	District Central Co-operative Bank
DFS	Department of Financial Services
DTA	Directorate of Treasuries and Accounts
DTO	District Treasury Office
EMDE	Emerging market and developing economies
EPF	Employee Provident Fund
EPFO	Employees' Provident Fund Organisation
EPS	Employees' Pension Scheme
ERM	Error Rectification Module
ETF	Exchange Traded Fund
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
FAQ	Frequently asked question
FII	Foreign Institutional Investor

Fin-Tech	Financial Technology
FRC	Funds Receipt Confirmation
FSDC	Financial Stability and Development Council
FY	Financial Year
GDP	Gross Domestic Product
GOI	Government of India
G-Sec	Government security
ICT	Information and Communications Technology
IFSC	Indian Financial System Code
IMF	International Monetary Fund
INR	Indian Rupee
IOPS	International Organisation of Pension Supervisors
IOS	iPhone Operating System
IPIN	Internet Personal Identification Number
TPIN	Telephonic Personal Identification number
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
IRF-FC	Inter Regulatory Forum for monitoring Financial Conglomerates
IRTG	Inter Regulatory Technical Group
IVR	Interactive Voice Response System
KYC	Know Your Customer
MFI	Micro Finance Institution
MFMG	Macro Financial and Monitoring Group
MIS	Management Information System
Mobile app	Mobile Application
MPC	Monetary Policy Committee
NAV	Net Asset Value
NBFC	Non-Banking Financial Company
NCFE	National Centre for Financial Education
NISM	National Institute of Securities Market
NLAO	NPS-Lite Account office
NLCC	NPS-Lite Collection Centre
NLOO	NPS-Lite Oversight Office
NPCI	National Payments Corporation of India
NPS	National Pension System
NPSCAN	NPS Contribution Accounting Network
NPST	National Pension System Trust
NSAP	National Social Assistance Programme
NSDL	National Securities Depository Limited
NSE	National Stock Exchange
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OMO	Open Market Operations
OPGM	Online PRAN Generation Module
OTP	One Time Password

PAC	Pension Advisory Committee
PAN	Permanent Account Number
PAO	Pay and Accounts Office
PrAO	Principal Accounting office
PF	Pension Fund
PFM	Pension Fund Manager
PoP	Point of Presence
POP-SE	Point of Presence Sub Entity
PoP-SP	Point of Presence Service Provider
PPP	Purchasing Power Parity
PRAN	Permanent Retirement Account Number
QR code	Quick Response code
RA	Retirement Advisor
RBI	Reserve Bank of India
ReBIT	Reserve Bank Information Technology Private Limited
RRB	Regional Rural Bank
RTI	Right to Information
SCF	Subscriber Contribution File
SEBI	Securities and Exchange Board of India
SG	State Government
SHCIL	Stock Holding Corporation of India Ltd
SOT	Statement of Transactions
TB	Trustee Bank
TGFIFL	Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy
TRAN-ID	Transaction ID
UNFPA	United Nations Population Fund
UOS	Unorganised Sector
WEO	World Economic Outlook
WHO	World Health Organization
WPI	Wholesale Price Index
WTM	Whole Time Member

Part I

Policies & Programmes

The Preamble to PFRDA Act, 2013 sets out the objective of providing age- old income security in India. The NPS system is designed with a view to have a systemic approach towards designing and implementing a coherent and financially sustainable pension system. The introduction of the National Pension System in India marked a paradigm shift from Defined benefit to Defined contribution system The success of the system depends upon regular/consistent savings mechanism, prudential investments guidelines, and judicious draw down during the de-accumulation phase. Further, the design of these three phases is greatly impacted by the global and domestic developments in the financial sector. On reaching a pivotal point, Pension assets also start impacting the economy through myriad ways including channelizing the small savings into desired sectors like Infrastructure, maturing of capital markets, stabilizing the capital markets through Buy and hold strategy etc.

As the global and domestic developments like growth rates, commodity prices, inflation etc. impact all types of the financial markets, be it Equity market, G sec market or bond markets, it is in fitness of things to first have a bird eye view of the global and domestic economy before reviewing the developments in the global and domestic pension markets.

1.1 General Review of the Global Economic Scenario

The International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook (WEO), April 2019 reveals that after strong growth in 2017 and early 2018, global economic activity slowed notably in the second half of last year, reflecting a confluence of factors affecting major economies. China's growth declined following a combination of needed regulatory tightening in shadow banking and an increase in trade tensions with the United States. Trade tensions increasingly took a toll on business confidence and, so, financial market sentiment worsened. Conditions have eased in 2019 as the US Federal Reserve signaled a more accommodative monetary policy stance and markets became more optimistic about a US–China trade deal.

Global growth is now projected to slow from 3.6 percent in 2018 to 3.3 percent in 2019, before returning to 3.6 percent in 2020. Growth for 2018 was revised down by 0.1 percentage point relative to the October 2018 World Economic Outlook (WEO), reflecting weakness in the second half of the year, and the forecasts for 2019 and 2020 are now marked down by 0.4 percentage point and 0.1 percentage point, respectively. The current forecast envisages that global growth will level off in the first half of 2019 and firm up after that. The projected pickup in the second half of 2019 is predicated on an ongoing build-up of policy stimulus in China, recent improvements in global financial market sentiment, the waning of some temporary drags on growth in the euro area, and a gradual stabilization of conditions in stressed emerging market economies, including Argentina and Turkey. Improved momentum for emerging market and developing economies is projected to continue into 2020, primarily reflecting developments in economies currently experiencing macroeconomic distress—a forecast subject to notable uncertainty.

Beyond 2020, global growth is set to plateau at about 3.6 percent over the medium term, sustained by the increase in the relative size of economies, such as those of China and India, which are projected to have robust growth by comparison to slower-growing advanced and emerging market economies. The baseline outlook for emerging Asia remains favorable, with China's growth projected to slow gradually toward sustainable levels and convergence in frontier economies toward higher income levels. For other regions, the outlook is complicated by a combination of structural bottlenecks, slower advanced economy growth and, in some cases, high debt and tighter financial conditions.

Pension funds have both quantitative and qualitative impacts on financial development. Quantitatively, pension funds increase the capital supply to financial markets. Qualitatively, the managing organizations of pension funds are institutional investors who influence corporate governance and information disclosure, and therefore help establish financial markets

1.1.1 Global Commodities Prices :

A per WEO report, oil prices dropped from a four-year peak of $81 a barrel in October to $61 in February. While supply influences dominated initially—notably a temporary waiver in US sanctions on Iranian oil exports to certain countries and record-high US crude oil production—weakening global growth added downward pressure on prices toward the end of 2018. Since the beginning of 2018, oil prices have recovered due to production cuts by oil-exporting countries. Prices of base metals have increased by 7.6 percent since August as a result of supply disruption in some metal markets more than offsetting subdued global demand.

1.1.2 Inflation:

Inflation is a trend of increasing prices from one year to the next. An economic concept, the rate of inflation is important, as it represents the rate at which the real value of an investment is eroded. It helps in determining the purchasing power of an individual over the time. Inflation

Chart 1.1 Global Inflation

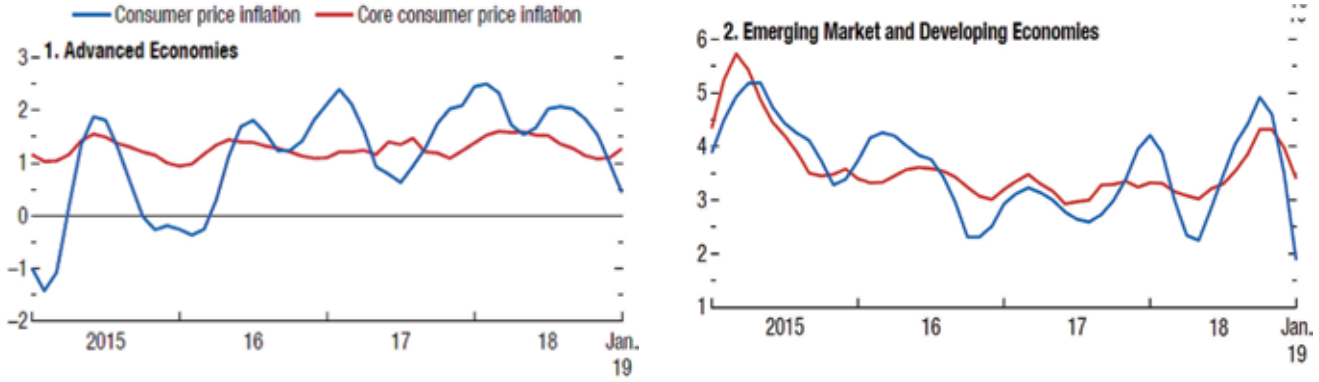

(Three-month moving average; annualized percent change, unless noted otherwise)
Source: WEO report April, 2019.

also tells investors exactly how much of a return (in percentage terms) their investments need to make them to maintain their standard of living. Hence, the design for pensions invariably need to take into account the inflation rate to target the real rate of returns.

A per the WEO report, Consumer price inflation remained subdued across advanced economies. For some emerging market economies, currency depreciations have passed through to higher domestic prices, partially offsetting downward pressure from lower commodity prices.

For most countries, core inflation is well below central bank targets despite the pickup in domestic demand in the past two years; in the United States and United Kingdom, it is close to 2 percent. Although wage growth has been picking up across most advanced economies, notably in the United States and United Kingdom, it is still slow despite lower unemployment rates and diminished labour market slack. Consistent with subdued overall price and wage pressures, and possibly reinforced by the slowing growth momentum, inflation expectations remain contained across advanced economies, and, in many cases, have softened recently. Among emerging market economies, core inflation has remained below 2 percent in China as activity has moderated. In other cases, inflation pressure has eased toward the lower bound of the central bank's target range with the drop in commodity prices (Indonesia) and slowdown in food

inflation (India). For some economies, currency depreciations have passed through to higher domestic prices, partially offsetting downward pressure from lower commodity prices.

1.1.3 Global Financial Environment

It is important to keep a track of exchange rate of a national currency relative to another major currencies. As, it has a direct bearing on the national economy because of bilateral trade relationship between countries. An unstable exchange rate leads to unstable economy; it affects the cost of import and export of the country. Therefore, exchange rates play significant roles in the financial health of country.

As per the WEO report, financial conditions in emerging markets improved in early 2019 but remain somewhat tighter than in October,2018. Central banks in many emerging market economies (Chile, Indonesia, Mexico, Philippines and South Africa) have lifted policy rates since October, 2018 because of concerns that inflation may rise following the increase in oil prices in 2018 and, for some countries, pass-through from previous currency depreciation. In China, the central bank provided liquidity support and reduced reserve requirements for all banks as growth moderated. Long-term sovereign yields and spreads over advanced economies are broadly back to October 2018 levels. In Mexico, concerns over policy reversals under the new administration led to a notable widening of the sovereign spread during November 2018 and December 2018, but it has since narrowed. In Brazil, spreads have declined since October amid optimism about the prospects of pension reform under the new government. Following ongoing adjustments to rein in financial imbalances in Argentina and Turkey, spreads for both have declined somewhat but remain elevated. In line with improving risk sentiment this year, emerging market equity indexes have recovered some of the ground lost in late 2018 and are now broadly at or have surpassed the levels of October in most cases.

The geographical distribution of assets such as equities, bonds and property has taken a more global path in the past few years as pension funds spread their risk. As a result, the currency exposure of assets under management has become an important factor in the investment matrix. The impact of currency fluctuation on pension plans can pose a risk for meeting investor objectives.

1.1.4 Bond and equity markets.

Almost all financial assets offer investment opportunities, so FIIs, Banks and investors try to diversify their portfolios to minimize the risks. They usually include securities in their portfolios, securities include stocks and bonds and are traded globally, so the international market for bond and the equities has significant impact on domestic markets too and therefore need to be tracked.

As per IMF WEO report of April 2019, following notable tightening of financial conditions in late 2018, market sentiment rebounded in early 2019. Signs of slowing global growth, moderately less buoyant corporate earnings, and market concerns about the pace of Federal Reserve policy tightening weighed on sentiment at the end of 2018. Financial conditions in advanced economies have eased since the start of the year, after tightening sharply in the final months of 2018 on equity price declines and higher risk spreads. As of early March, conditions were slightly tighter than in October, but in most cases, still accommodative. This is especially the case in the United States, where bond yields dropped as investors reassessed the outlook for monetary policy normalization.

The US Federal Reserve suggested a patient and flexible approach to policy normalization, and at the March meeting of the Federal Open Market Committee, it signalled a pause in its interest rate hikes for this year. The European Central Bank, which ended its net asset purchases in December, announced in March a new round of targeted bank financing and further postponed a rise in policy rates to at least the end of this year. The Bank of England and Bank of Japan have increasingly taken more cautious views on the outlook. Consistent with this shift in tone, advanced economy sovereign securities (in particular, 10-year US Treasury notes, German bunds, UK gilts) have priced in a lower path for future policy rates and are generally 40–80

basis points below the peaks of early November 2018. Italian spreads over German bunds, about 250 basis points as of late March, have declined from their late-October/early-November peaks, but remain elevated. Equity markets in the United States and Europe have regained footing after the sharp sell-off at the end of 2018, while high-yield corporate spreads, which had decompressed significantly in December, have narrowed since, but remain wider than in October. Financial conditions in emerging markets improved in early 2019 but remain somewhat tighter than in October.

Chart 1.2 Ten Year Government Bond Yields (Percent)

Financial conditions in emerging market economies improved in early 2019, with differentiation across economies based on country-specific fundamentals

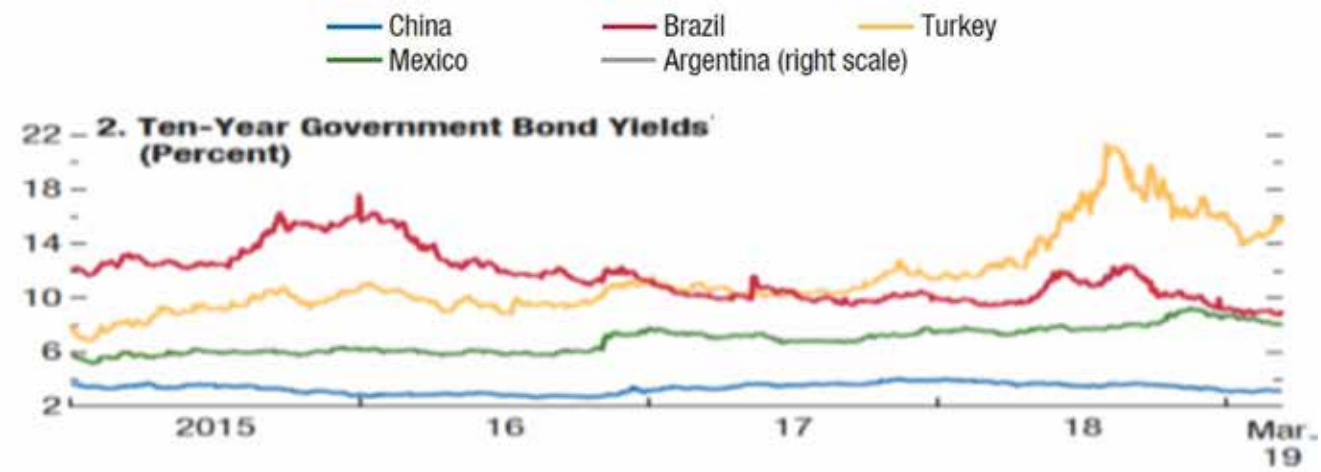

Source: WEO report, April, 2019

Pension fund portfolios are held over a long period of time, which provides abundant funds to the financial market in the long term which in turn is good for the stability of financial markets.

Pension funds as large institutional investors are also large shareholders. The positive impacts of institutional investors on corporate governance result in investment returns in the stock market, which once again enhances investor confidence in the financial markets. This also effects returns of the pension funds in the long run.

FIIs play a major role in the performance of financial indices like equity and debt markets in India today. The performance of the financial markets in the Advanced economies like US, impact the direction of the foreign Institutional Investors -towards or away from the emerging markets and therefore need to be tracked.

1.1.5 Global Growth outlook for 2019

As per the WEO report, growth in advanced economies is projected to slow from 2.2 percent in 2018 to 1.8 percent in 2019 and 1.7 percent in 2020. The estimated growth rate for 2018 and the projection for 2019, respectively, are 0.2 percentage point and 0.3 percentage point lower than in the October 2018 WEO, mostly reflecting downward revisions for the euro area. The projected slowdown in advanced economies in 2019 accounts for over two-thirds of the expected deceleration in global growth relative to 2018.

Growth in the euro area is set to moderate from 1.8 percent in 2018 to 1.3 percent in 2019 (0.6 percentage point lower than projected in October) and 1.5 percent in 2020. Although growth is expected to recover in the first half of 2019 as some of the temporary factors that held activity back dissipate, carryover from the weakness in the second half of 2018 is expected to hold the

2019 growth rate down. Growth rates have been marked down for many economies, notably Germany (due to soft private consumption, weak industrial production following the introduction of revised auto emission standards, and subdued foreign demand); Italy (due to weak domestic demand, as sovereign yields remain elevated); and France (due to the negative impact of street protests). The baseline projection of about 1.2 percent and 1.4 percent growth in the United Kingdom in 2019–20is surrounded by uncertainty.

In the United States, growth is expected to decline to 2.3 percent in 2019 and soften further to 1.9 percent in 2020 with the unwinding of fiscal stimulus. The downward revision to 2019 growth reflects the impact of the government shutdown and somewhat lower fiscal spending than previously anticipated, while the modest upward revision for 2020 reflects a more accommodative stance of monetary policy than in the October forecast. Despite the downward revision, the projected pace of expansion for 2019 is above the US economy's estimated potential growth rate. Strong domestic demand growth will support higher imports and contribute to some widening of the current account deficit.

Japan's economy is set to grow by 1.0 percent in 2019 (0.1 percentage point higher than in the October WEO). This revision mainly reflects additional fiscal support this year, including measures to mitigate the effects of the planned consumption tax rate increase in October 2019. Growth is projected to moderate to 0.5 percent in 2020 (0.2 percentage point higher than in the October 2018 WEO report).

1.1.6 Emerging Market and Developing Economies

Emerging and Developing economies are alternatives to Indian markets for the FIIs and hence it is important to track our peers, especially China, which, due to sheer size of its economy and foreign trade, is able to impact the Global macroeconomic parameters.

As per the WEO report, global growth in 2019 is also weighed down by the emerging market and developing economy group, where growth is expected to tick down to 4.4 percent in 2019 (from 4.5 percent in 2018), 0.3 percentage point lower than in the October 2018 WEO. The decline in growth relative to 2018 reflects lower growth in China and the recession in Turkey, with an important carryover from weaker activity in late 2018, as well as a deepening contraction in Iran. Conditions are projected to improve during 2019 as stimulus measures sustain activity in China and recession strains gradually ease in economies such as Argentina and Turkey.

In 2020, growth is projected to rise to 4.8 percent, driven almost entirely by an expected strengthening of activity in these economies on the back of policy adjustment and some easing of strains in countries affected by conflict and geopolitical tensions. With declining growth in advanced economies, the projected pickup in global growth in 2020 is entirely predicated on this projected improvement for the emerging market and developing economy group. The role played by the increasing weight of fast-growing economies, such as China and India, in supporting aggregate growth for emerging markets and developing economies as well as world growth. Growth in emerging and developing Asia is expected to dip to 6.3 percent in 2019 and 2020 (from 6.4 percent in 2018), with a marginal downward revision for 2020 relative to the October WEO. Economic growth in China, despite fiscal stimulus and no further increase in tariffs from the United States relative to those in force as of September 2018, is projected to slow on an annualized basis in 2019 and 2020. This reflects weaker underlying growth in 2018, especially in the second half, and the impact of lingering trade tensions with the United States. The projection for 2019 is slightly stronger than in the October 2018 WEO, reflecting the revised assumption on United States tariffs on Chinese exports.

In India, growth is projected to pick up to 7.3 percent in 2019 and 7.5 percent in 2020, supported by the continued recovery of investment and robust consumption amid a more expansionary stance of monetary policy and some expected impetus from fiscal policy. Nevertheless, reflecting the recent revision to the national account statistics that indicated

somewhat softer underlying momentum, growth forecasts have been revised downward compared with the October 2018 WEO by 0.1 percentage point for 2019 and 0.2 percentage point for 2020, respectively. Activity in emerging and developing Europe in 2019 is expected to weaken more than previously anticipated, despite generally buoyant and higher-than-expected growth in several central and eastern European countries, before recovering in 2020.

1.2 Domestic Economy

1.2.1 Macro-Economic Developments in India

India has emerged as the fastest growing major economy in the world and is expected to be one of the top three economic powers of the world over the next 10-15 years, backed by its strong democracy and partnerships. As per the Economic Survey of India report, India continues to remain the fastest growing major economy in the world in 2018- 19, despite a slight moderation in its GDP growth from 7.2 per cent in 2017-18 to 6.8 per cent in 2018-19. On the other hand, the world output growth declined from 3.8 per cent in 2017 to 3.6 per cent in 2018. The Slowdown in the world economy and Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) in 2018 followed the escalation of US China trade tensions, tighter credit policies in China, and financial tightening alongside the normalization of monetary policy in the larger advanced economies. In 2019, when the world economy and EMDEs are projected to slow down by 0.3 and 0.1 percentage points respectively, growth of Indian economy is forecast to increase. India forms part of 30 per cent of the global economy, whose growth is not projected to decline in 2019 (World Economic Outlook (WEO), April 2019 of IMF). India is the seventh largest economy in terms of Gross Domestic Product (GDP) in current US$ and has emerged as the fastest growing major economy. The average growth rate of India was not only higher than China's during 2014-15 to 2017-18 but much higher than that of other top major economies (measured in terms of GDP at current US$ terms) as well. With Purchasing Power Parity (PPP) adjustments, India's GDP at current international dollar, ranks third in the world. India's growth of real GDP has been high with average growth of 7.5 per cent in the last 5 years (2014-15 onwards). The Indian economy grew at 6.8 per cent in 2018-19, thereby experiencing some moderation in growth when compared to the previous year. Numerous foreign companies are setting up their facilities in India on account of various government initiatives like Make in India and Digital India. The Make in India initiative has been launched with an aim to boost the manufacturing sector of Indian economy, to increase the purchasing power of an average Indian consumer, which would further boost demand, and hence spur development, in addition to benefiting investors. Besides, the Government has also come up with Digital India initiative, which focuses on creation of digital infrastructure, delivering services digitally and to increase the digital literacy.

1.2.2 Inflation

As per the report of Economic Survey of India, headline inflation based on CPI-C continued its declining trend for fifth straight financial year. It has remained below 4.0 per cent in the last two years. Food inflation based on Consumer Food Price Index (CFPI) too declined over the last five years, and has remained below 2.0 per cent for the last two consecutive years. Inflation based on Wholesale Price Index (WPI) remained moderate at 3.0 per cent in 2017-18 compared to 1.7 per cent in 2016-17, (-) 3.7 per cent in 2015-16 and 1.2 per cent in 2014-15. During the FY 2018-19, WPI inflation stood at 4.3 per cent. At the all India level, CPI-C inflation during FY 2018-19 was driven mainly by miscellaneous group followed by housing as well as fuel and light group. Goods inflation, which accounts for a weight of 76.6 per cent in CPI-C, was 2.6 per cent during FY 2018-19 as compared to 3.2 per cent during FY 2017-18. In contrast, services inflation, which accounts for a weight of 23.4 per cent, was 6.3 per cent during FY 2018-19 when compared to 5.0 per cent during 2017-18.

The below chart depicts the year on year % change of WPI & CPI, it is recorded that WPI went up as high as 5.68 % in comparison to its last year rates in the month of June, 2018, whereas

the lowest % change was recorded in the month of January, 2019 as 2.76%. The CPI has recorded the maximum % change (year on year) in the month of June, 2018 whereas the lowest was recorded in the month if January, 2019 as 1.97%.

Chart 1.3: The inflation rate CPI & WPI years on year are shown below:

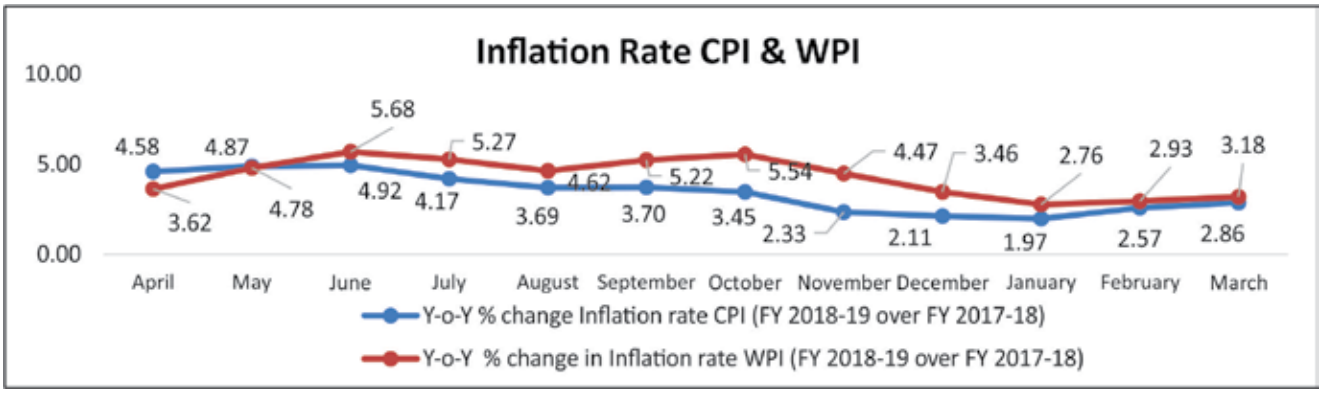

Source: CPI & WPI data source CSO,DIPP & www.data.gov.in

1.2.3 Monetary Management

The monetary policy formulated by the Reserve Bank of India relates to the monetary matters of the country. The policy involves measures taken to regulate the supply of money, availability, and cost of credit in the economy. In the First Bi-monthly Monetary Policy Statement for 2018-19, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.0 per cent. With the perceived risk to inflation from increase in crude oil prices as well as expectation of tightening of monetary policy by the Federal Reserve, the MPC in the Second and Third Bi-monthly Monetary Policy Statement, decided to increase the policy repo rate by 25 basis points (bps). The policy rates remained unchanged in the Fourth and Fifth Bi-monthly Monetary Policy Statement due to the persistence of unusually soft food price readings and its impact on the evolving headline inflation trajectory. However, the policy stance was changed from "neutral" to "calibrated tightening" in the Fourth Bi-monthly Monetary Policy Statement of October 2018.

Chart 1.4: A movement in the repo rate during FY 2017-18 & FY 2018-19 is presented below:

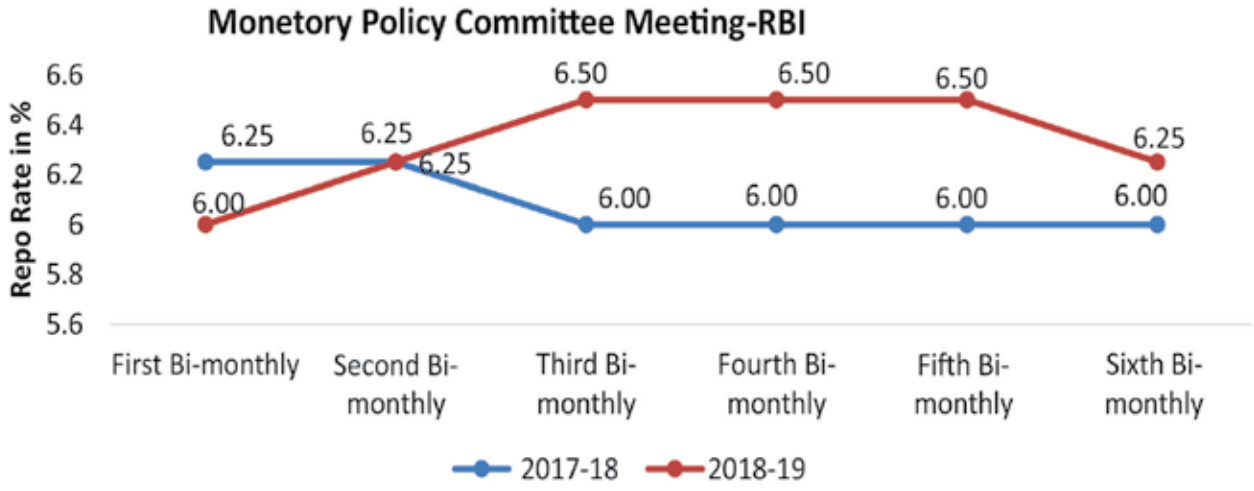

Data Source: RBI

1.3 Financial Markets

India has a diversified financial sector undergoing rapid expansion, both in terms of strong growth of existing financial services firms and new entities entering the market. The sector comprises commercial banks, insurance companies, non-banking financial companies, co-operatives, pension funds, mutual funds and other smaller financial entities.

1.3.1 G-Sec Market

During 2018-19, the 10-year benchmark G-sec yields were volatile and closely tracked the movement in oil prices, domestic liquidity and rupee exchange rate. It hardened in the first quarter but witnessed intermittent softening in the second and third quarters. The hardening of yields in the first quarter may be attributed to rising crude oil prices, the firming up of US treasury yields, concerns regarding the pace of rate hikes by the US Fed, upside risks to domestic inflation. Later, with the decline in crude oil prices in July 2018, and with the announcement of OMO purchases, the yields softened in July. However, the currency depreciation in August 2018 due to rising crude oil prices and rising US interest rates, caused the yields to harden,

Chart 1.5: 10 Year G-Sec Bond Yield (Percent)

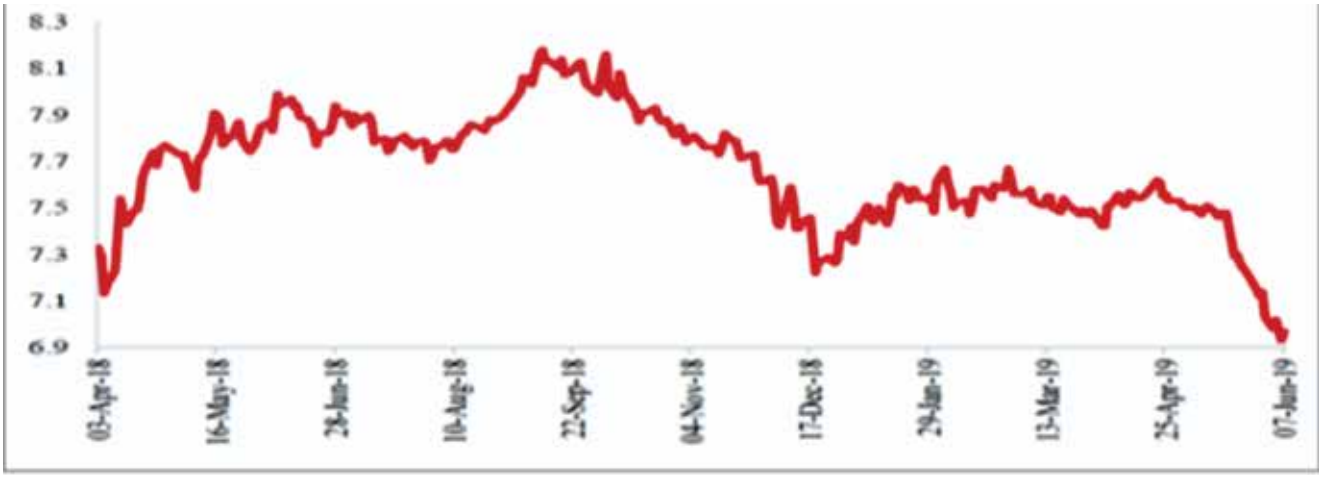

Source: Report of Economic Survey of India

taking the rise in yields from end-July to mid-September to 40 bps. Yields softened towards the end of September reflecting the measures taken for containing rupee volatility along with expectations of lower market borrowings by the central government in second half of 2018-19. The benchmark yield continued to trade with a softening bias in October 2018 as the RBI announced OMO purchases of higher amount. In the third quarter of 2018-19, the OMO purchase of `1.36 lakh crore along with the decline in crude oil prices and CPI inflation rates caused the yields to soften in general. During January 2019, however, the yields traded with a hardening bias amidst fiscal concerns, tightening liquidity and rise in crude oil prices.

1.3.2 Corporate Bond Market

Development of corporate bond market in India remains crucial for meeting the financing requirement of industry and infrastructure sector. Corporate bond market always supports in development of economy and is expected to be more beneficial for business having longer term cash flows. It has witnessed a shift in recent years and now the industry is gradually expanding its reach and reducing its dependency on other prevailing financial instruments. The gradual increase in proportion of market-based sources in total debt financing by non-financial companies is confined only to the larger sized firms. Though finance and infrastructure companies dominate the corporate bond market, mutual funds are

playing an important role in diversifying the issuance base of the market. The growth of the market was supported by the implementation of policies by the regulator and positive economic activity and interest cycle, the market in India remains small, it has accounted for nearly 17 per cent of GDP. As per SEBI, the financial year witnessed Rs. 6,10,318 crore raised through 2,358 issues by the way of private placement listed at BSE and Rs. 36,679 crore in 2018-19, depicting a manifold increase from the previous year.

1.3.3 Equity Market

Despite several challenges including the NBFCs-triggered liquidity crisis as well as global trade tensions and high crude oil prices, the Indian equities market emerged as one of the best performers globally in 2018-19. S&P BSE Sensex, the benchmark index of Bombay Stock Exchange (BSE), closed at 38,673 on March 31, 2019, witnessing an increase of 17.3 per cent from its closing value of 32,969 as on March 31, 2018. During this period, S&P BSE Sensex closed its highest level of 38,897 on August 28, 2018 and its lowest of 33,019 on April 04, 2018. In addition, Nifty 50, the benchmark index of National Stock. Exchange (NSE) closed at 11,624 on March 31, 2019, witnessing a gain of 14.9 per cent from its closing value of 10,114 as on March 31, 2018. During the period Nifty 50 closed at its highest value of 11,739 on August 28,2018 and its lowest level of 10,030 on October 26, 2018.

Chart 1.6: Sensex and Nifty movement

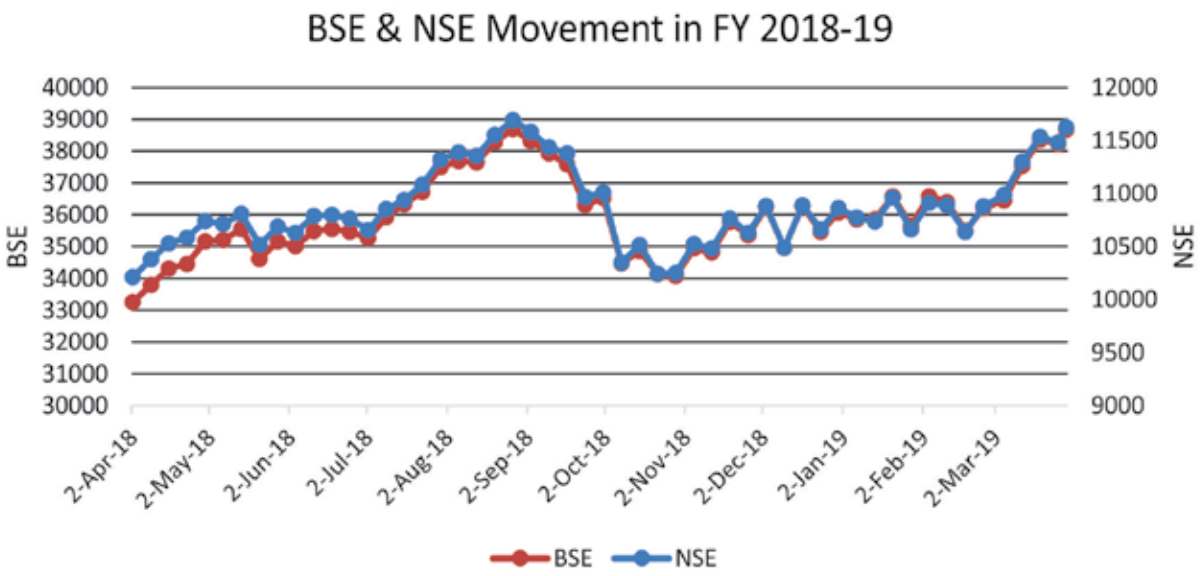

Data Source: BSE/NSE website.

1.4 Review of Global Pension Market

1.4.1 Pension fund assets in the OECD area in 2018

As per the OECD Pension Fund report May, 2019, the Preliminary data for 2018 show that assets in pension funds amounted to USD 27.6 trillion in the OECD area, close to 4% lower than in 2017. Pension fund assets declined in 12 out of 34 reporting OECD countries, including some of the largest pension markets: Japan (-1.1%), the Netherlands (-1.2%), Switzerland (-0.7%), the United Kingdom (-0.3%) and the United States (-5.0%). Poland experienced the most significant decline at -12.3%. Korea and Australia fared better with a 12.9% and a 9.2% increase respectively, although for the period from June 2017 to June 2018 for Australia (Calculated in national currencies).

Assets in pension funds rose in national currency during 2018 in nearly all reporting jurisdictions outside the OECD area. Pension funds experienced a growth in local currencies in all reporting non-OECD jurisdictions but Botswana (-3.7%) and Peru (-1.8%). The total amount of

Chart 1.7: Real investment rates of return of pension funds, Dec 2017 -Dec 2018 (preliminary)

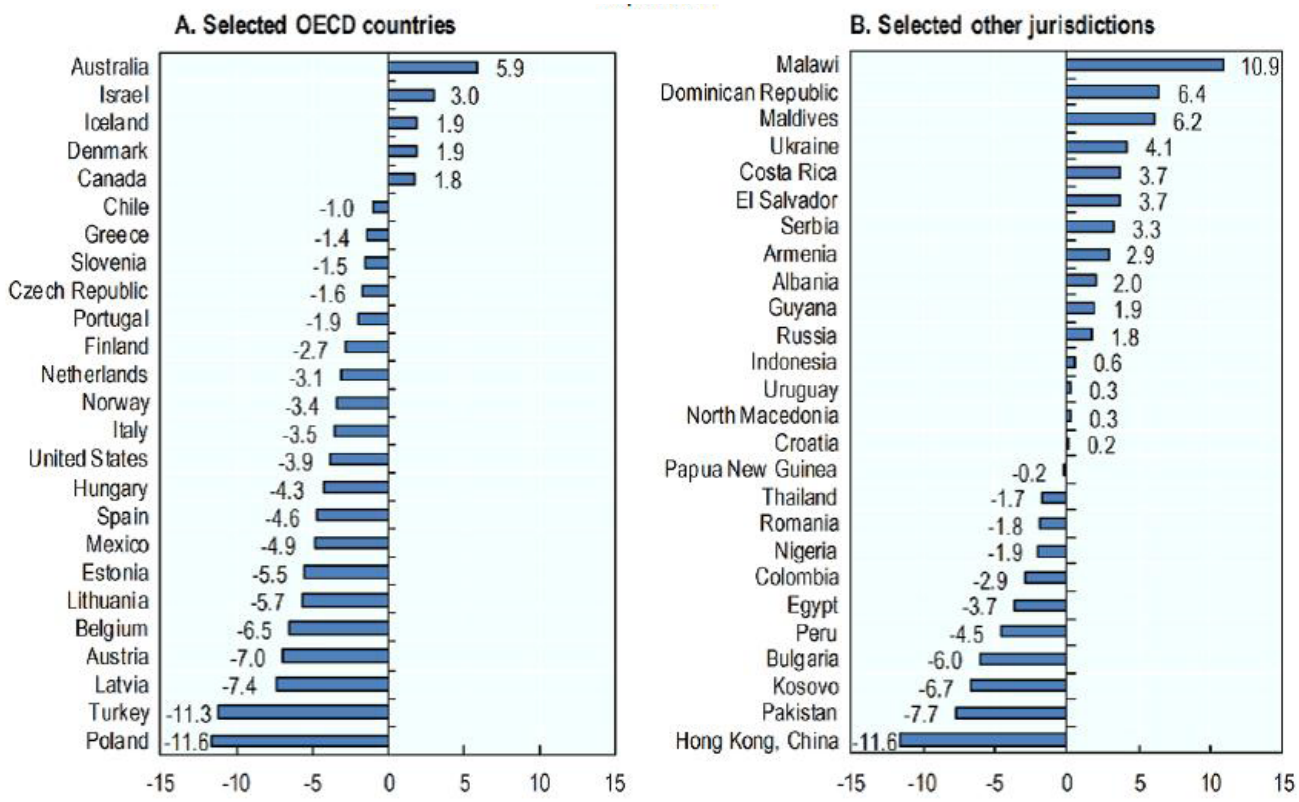

Source : OECD Pension Market Focus, May 2019.

pension fund assets outside the OECD area was, however, 4% lower in 2018 than in 2017, at USD 800 billion. Denmark has the largest amount of pension assets relative to GDP when considering the whole private pension system (twice the size of GDP) Pension funds experienced negative real investment rates of return in most countries in 2018, especially in the OECD area. Pension funds suffered financial losses in real terms in 20 out of the 25 reporting OECD countries, compared to 11 out of the 26 reporting non-OECD jurisdictions. The lowest investment rates of return were observed in Hong Kong (China) (-11.6%), Poland (-11.6%)and Turkey (-11.3%). Australian pension funds also Exhibited a relatively strong real investment return (5.9%), but this performance is calculated over the financial year (June 2017-June 2018) instead of the calendar year.

Poor financial results of pension funds in 2018 probably result from the downturn on equity markets in the last quarter of 2018. Some of the major stocks indices fell sharply in 2018 compared to 2017, This negative performance on equity markets contributed to the decline of pension fund assets in 2018 when these losses were not compensated by increases in contributions of plan members. Investment returns were positive in nominal terms but failed to grow as fast as prices in 2018 in some countries. This is the case for instance in Egypt, Nigeria, Papua New Guinea, and Romania, where investment returns were positive in nominal terms in 2018 but lower than inflation. Pension funds have a long-term horizon. Long-term trends therefore matter more than short-term results on these markets. Short-term results are also likely to improve given the recovery of equity markets in 2019 Q1.

1.4.2 Equities investments in 2018

The proportion of equities in pension fund investments fell in 2018 compared to 2017 in 24 reporting OECD countries (out of 32 in the OECD area) and 20 other reporting jurisdictions (out of 31 outside the OECD area). Equities remained the main investment of pension funds in Botswana, Hong Kong (China), Namibia and Poland where they accounted for more than half of assets invested in 2018. The proportion of equities in the asset

mix of pension funds remained high in Australia, Belgium, Finland, Lithuania and Netherlands among OECD countries and in Malawi, Pakistan, Papua New Guinea and Peru among non-OECD jurisdictions where they represented between 40% and 50% of their investments. Pension fund assets remained mostly invested in bills, bonds and equities in most jurisdictions. These instruments accounted for more than 75% of pension fund investments in 36 out of 63 reporting jurisdictions. Any developments in equity and bond markets therefore affect investment returns of pension funds.

Chart 1.8: Asset allocation of pension funds in selected investment categories in 2018(preliminary)

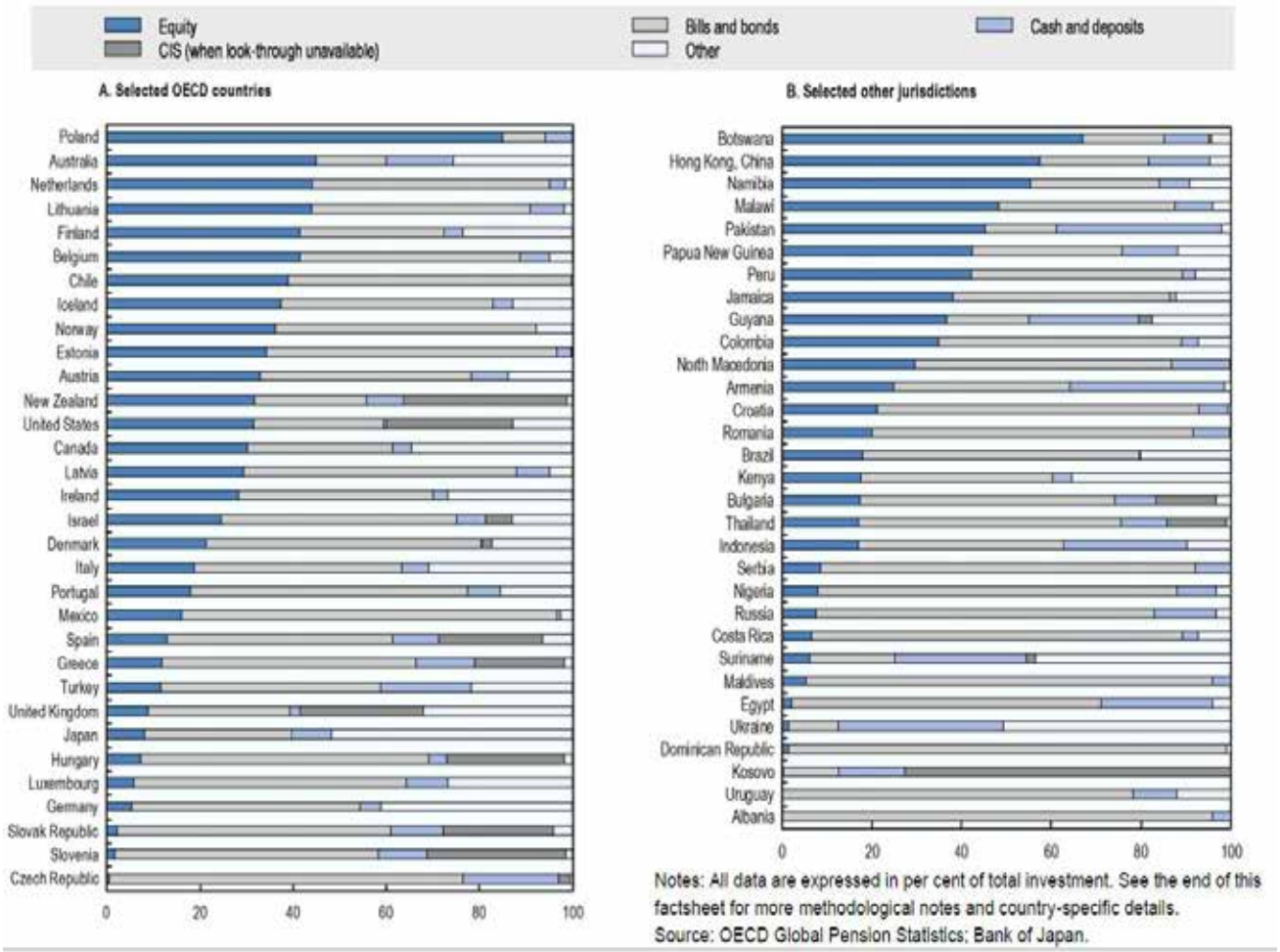

Source: OECD Pension Market Focus, May 2019.

1.5 Major Announcement for NPS in Budget 2019

1) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) implements and regulates the National Pension System (NPS) and Atal Pension Yojana through various intermediaries including, inter-alia, the NPS Trust. Keeping in view the wider interest of the subscribers and to maintain arm's length relationship of the NPS Trust with PFRDA, steps will be taken to separate the NPS Trust from PFRDA with appropriate organizational structure.

2) Incentives to National Pension System (NPS) subscribers: In order to give effect to the cabinet decision already taken to incentivise NPS, it is proposed to :

(i) increase the limit of exemption from current 40% to 60% of payment on final withdrawal from NPS;

(ii) allow deduction for employer's contribution upto 14% of salary from current 10%, in case of Central Government employee;

(iii) allow deduction under section 80C for contribution made to Tier II NPS account by Central Government employees for a fixed period of not less than three years.

3) Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee to be exempted from Goods and Service Tax.

1.6 Indian Demography and Old Age Income Security:

As the 7th largest country in the world, India stands apart from the rest of Asia, marked off as it is by mountains and the sea, which give the country a distinct geographical entity. India's rich demographic dividend makes the country young. About 50% the population was under the age of 25 years as per Census 2011, almost 90% of the population was below the age of 60 years and the working age population proportion stood at 44% in 2015. However, the population is also ageing with each passing day.

India is the second most populated country in the world. There are 29 states and 7 union territories in India the populations range massively in size – the largest, Uttar Pradesh, holds the highest population approximately 19.98 crore and the smallest state is Sikkim with approximately population of 6.10 lakh. India's demographic dividend makes it a young country and is expected to remain so for the next couple of decades. About 50% the population was under the age of 25 years as per Census 2011, almost 90% of the population was below the age of 60 years and the working age population proportion stood at 44% in 2015. The declining fertility rates, declining infant mortality and increasing longevity are the three dominant demographic processes that drive the growing share of older Indians.

As per WHO report, global life expectancy at birth in 2016 was 72.0 years (74.2 years for females and 69.8 years for males), ranging from 61.2 years in the WHO African Region to 77.5 years in the WHO European Region, giving a ratio of 1.3 between the two regions. Women live longer than men all around the world. The report reveals, India's life expectancy has also been on the rise – going from 62.5 in 2000 to 68.8 in 2016.

In India, traditionally, the pension was available mostly for the Government employees and to some organised sector workers. To extend the benefit of pension to the general public it was intended to have a pension system in place which can facilitate and spread the coverage of Pension in the Country to secure the old age income. The United Nations Population Fund (UNFPA) report has pointed that in India, persons above 60 would increase from existing 8.9 per cent of the population to 19.4 per cent of the population and persons above 80 would increase from the existing 0.9 per cent to 2.8 per cent by 2050.

The rise in proportion of old aged persons and Government pensioners has put increasing pressure on the fiscal. Higher government spending on pensions and old age security has often crowded out expenditure on other important public goods and services and developmental sectors like education, health, infrastructure etc. A number of countries

includes Greece have had to bear the impact of unstainable pension liabilities on their entire economy.

Due to rising and unsustainable pension liabilities, in keeping with the global practices and after deep deliberations on the issue, Government made a conscious move to shift from the defined benefit pension scheme to the defined contribution pension scheme. Initially for the Government employees. The New Pension Scheme, now renamed as National Pension System (NPS) was introduced by the Government through a notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22nd December, 2003 and it was made mandatory for Central Government employees (except armed forces) who join service w.e.f. 1-1-2004.

The National Pension System (NPS), which was introduced initially for the Central government subscribers, has now been adopted by all the state governments except West Bengal, and most of the Central and States autonomous bodies. NPS has also been extended to the private and unorganized sector on voluntary basis from May 2009.

Government of India vide notification dated 31.01.2019 has notified the increase in its contribution to central government employees NPS accounts from 10% to 14% with effect from April 1, 2019.As per the notification, "The monthly contribution would be 10 percent of the Basic Pay plus Dearness Allowance (DA) to be paid by the employee and 14 percent of the Basic Pay plus DA by the Central Government". Greater freedom in choosing pension funds and pattern of investment to central government employees has also been notified along with compensation for non/delayed deposit of NPS contribution.

1.7 Indian Pension Landscape

The landscape of Indian pension system includes non-contributory social pension schemes financed by the Government to provide minimum level of protection like National Social Assistance Programme (NSAP), mandatory defined benefit pension scheme on pay-as-you-go basis like Civil Service Pension for employees who joined service before 2004, Employees' Provident Fund (EPF) and Employees' Pension Scheme(EPS) under the EPFO, other Statutory Provident Funds like Coal Mines, Seamen's Assam Tea Plantations etc. schemes, the National Pension System (NPS) for the Central government employees joining on or after 1st January 2004 on mandatory basis, Employees of those State Governments who have joined NPS, NPS for all citizens on voluntary basis covering both employees and self-employed including those in the unorganised sector, Public Provident Fund, retirement and superannuation plans offered by insurance companies and mutual funds.

The fiscal stress of the defined benefit pension system was the major factor driving pension reforms for Government employees and introduction of NPS for Government employees. Owing to the financial and practical difficulties of extending coverage to the unorganised sector through the mandatory scheme like EPF (specially for organized sector workers), voluntary retirement savings are seen as an important policy tool to extend the coverage of pension provision in India. The important policy measure to achieve a higher coverage of the unorganised sector workers under the pension system (about 88% of the total labour force of 47.29 crore workers is without any formal pension provision) is the extension of the NPS, which is a financially self-sufficient, low cost and efficient system.

NPS introduced earlier for the government sector has also been extended to other segments, such as, autonomous bodies, State Governments and un-organised sector. NPS has been adopted resoundingly by the State Governments. Twenty Eight State Governments and Union Territories have notified adoption of NPS for their new employees. To encourage people from the unorganised sector to voluntarily save for their old age, Government had launched the co contribution scheme – NPS Lite/Swavalamban Scheme in September, 2010, Subsequently, Atal Pension Yojana (APY) was launched on 9th May, 2015 by the Prime Minister and the Scheme is being implemented with effect from 1st June, 2015 with the focus on unorganized sector. The Subscribers under APY shall get a Govt

guaranteed pension of Rs. 1000, Rswa. 2000, Rs. 3000, Rs. 4000 or Rs. 5000 depending upon the contribution level opted by them . APY, a defined benefit pension scheme has a total of about 149.53 lakh subscribers and AUM of Rs. 6860.30 crore as on 31st March 2019. As on 31st March, 2019, 406 Banks are registered as APY – Service Providers which include Public Sector Banks, Pvt. Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, District Commercial Banks, Schedule Commercial Banks, Urban Commercial Banks, Payment Banks, Small Finance Bank and Dept. of Post.

Till 31st March 2019, a total of 273.55 lakh members/ subscribers have been enrolled under the NPS and APY. Assets Under Management which includes the returns on the corpus, under the NPS and APY have witnessed an increase from Rs. 2,34,579 crore as on 31st March, 2018 to Rs. 3,18,214 crore as on 31st March, 2019, registering an increase of 36 per cent. The number of Subscribers and Assets Under Management under NPS are given in table below:

Table no 1.1: Number of Subscribers and Assets Under Management under NPS/APY

(As on 31st March 2019)

Sector	No. of subscribers	AUM (Rs. crore)
Central Government	19,84,564	1,09,010
State Government	43,21,325	1,58,491
Corporate	8,03,015	30,875
All Citizen Model	9,29,931	9,569
NPS Lite Swavalamban	43,62,538	3,409
APY	1,49,53,432	6,860
Grand Total	**2,73,54,805**	**3,18,214**

Source: NPS Trust

NPS and APY schemes have recorded a rapid growth over the period. Government support to these schemes in the form of tax benefits and guarantee for APY increases the appeal of these schemes but the schemes still require traction from the people, considering the vast population of the Country. The major challenge in extending the NPS to all citizens is increasing the awareness and financial literacy among potential subscribers. PFRDA has been taking several steps to increase the awareness through different mass media and capacity building programmes. PFRDA has also allowed registration of retirement advisors who have a responsibility to help the prospective as well as existing subscribers in deciding retirement plans and guide them toward a financially secure retirement.

Further, to ensure dissemination of NPS awareness, PFRDA has aggressively undertaken promotional and developmental activities by appointing a dedicated agency for imparting training and capacity building for officials of Service Providers.

To improve ease of access to NPS for the potential subscribers and service providers, PFRDA has leveraged technology across the value chain and launch of eNPS, Mobile apps, e-KYC etc. which are driving the efficiencies. Through e-NPS, a person can conveniently register & contribute online. Online contribution facility under NPS is also available for the existing subscribers. eNPS facilitates opening of Individual Pension Account under NPS and making initial and subsequent contribution to the Tier I as well as Tier II account online. This feature also enables the subscribers to change their Pension Fund Managers, Asset Class, Allocation Ratio, and Scheme options after authentication. NPS subscribers can initiate withdrawal request from Tier II account by using their login credentials and OTP authentication on registered mobile number.

1.8 A Brief on the review of the objectives of PFRDA during the year.

The preamble to the PFRDA Act 2013, lays down the objectives of the Authority as the promotion of old age income security, through regulation and development and protection of the interests of the subscribers to schemes of pension funds and for matters connected therewith or incidental thereto.

PFRDA has been actively engaged in the promotion and development of National Pension system (all its variants) and Atal Pension Yojana , regulation and supervision of all intermediaries under NPS towards the overall objective of

provision of old age income security and protection of subscriber's interest. While engaged in these activities, in keeping with the Preamble of PFRDA Act 2013 and the Best Global practices, the PFRDA endeavours to achieve the following broad objectives/outcomes:

- Increasing Coverage
- Security
- Efficiency
- Adequacy
- Sustainability

Increasing Coverage

Provision of the old age income security to all sections of the population has been one of the important objectives of the Authority. While PFRDA Act 2013 mandates regulation of NPS, a number of variants of NPS have been introduced to cover different sections of the population viz Central Government, State Government, corporate, All citizens, NPS Lite, Atal pension Yojana(a GOI scheme, administered by PFRDA). The Authority has been engaged in expanding coverage through creation of mass awareness through Print, electronic and social media, engaging a training agency for imparting training and capacity building for officials of banks, post offices, POPs, Nodal Offices etc., appointment of retirement advisors etc., facilitating ease of on-boarding and transaction through eNPS etc. Consequently, the subscriber base under NPS has grown from 211.78 lakhs in FY 2017-18 to 273.55 lakhs in FY2018-19 i.e. a growth of 36%.

Security

PFRDA has put in place an extensive framework of regulations under the PFRDA Act 2013 to ensure the security of pension assets to minimize the risk to the pension funds that have been accumulated to provide retirement benefits. These regulations include strenuous eligibility criteria for selection, detailed Corporate Governance frameworks, fit and proper criteria, extensive code of conduct, detailed roles and responsibilities, penalty structures for all intermediaries including pension funds to ensure the security of assets. These regulations have been reviewed and strengthened from time to time. In order to further strengthen the IT supervisory processes, the PFRDA, is focusing on implementation of cyber security, and will ensure the coverage.

Efficiency

It has been the Authority's endeavour to optimize the efficiency in the system through maximizing returns to the subscribers subject to acceptable risks. This has been done through review of the investment guidelines from time to time to optimize the returns. Introduction of two new life cycle funds viz LC 25 and LC 75 and introduction of a new Asset class "A" for private sector subscribers are some of the steps in this direction.

Efficiency also relates to the efficiency of the labor and capital markets, as each interacts with the pension system through direct contributions to pensions (through longer working lives and contributions, lower costs of capital, or greater financial inclusion) as well as through indirect contributions to jobs and investment. PFRDA has been actively engaged in financial inclusion through awareness creation for APY subscribers in particular & NPS in general.

For capital markets, efficiency relates to capital market depth through the development of non-bank financial capital to fund productive investment and maximize the benefits of wider capital market reforms. PFRDA has been parts of inter regulatory groups and committees in furtherance of these objectives.

The other endeavor of the Authority is to strengthen the intermediaries under NPS. The strengthening of intermediaries is very important as to have a fair and transparent system. Strengthening by the means of sharing and imparting correct knowledge to Intermediaries about the product and process, laying of proper guidelines enables the entire system to function properly. The disciplined system ensures and protects the subscribers' interest.

Adequacy

One of the important objectives of any pension system is ensuring that consumption smoothening of subscribers during their life cycle i.e. facilitating accumulation of retirement benefit entitlements to enable them for old age income security. While

NPS is a defined contribution scheme, without guarantee of any benefits, however, as a measure of Good practice, Authority's endeavour has been to work towards ensuring adequate pension wealth on retirement, through various measures including increasing the age of contribution to NPS beyond 60 years, review of investment guidelines for optimizing returns, increasing contributions through engaging with Govt for tax concessions etc. Further going ahead, under voluntary sector viz All Citizen Model, Corporate Model has been allowed to onboard NPS even after 60 years of age.

Sustainability

Sustainability is one of focal point of any contributory pension system. Through NPS, there is an effort to offer pension product to different segment of society of the country, which can sustain in a long run to achieve the ultimate goal of providing a secured old age income. NPS is a defined contribution scheme, with institutional framework and product design, it empowers itself to sustain in a long run. The continued savings habit and investment discipline has important role to play in achieving the endeavor of a sustainable pension system. PFRDA has initiated several steps to increase the awareness level of retirement saving/pension and to in furtherance of these objectives.

1.9 Intermediaries under NPS

1.9.1 Intermediaries and other entities associated with National Pension System and other pension schemes covered under the Act

The National Pension System (NPS) works under an unbundled architecture with each function assigned to specialized entities in the field. The NPS architecture consists of Points of Presence (POP), Govt. Department Nodal Offices, Central Recordkeeping Agency (CRA), Trustee Bank, Pension Fund Managers (PFM's), NPS Trust, Custodian, Annuity Service Providers & Retirement Advisers.

a) Points of Presence (PoPs)

Points of Presence are banks and non-banking financial companies etc registered with PFRDA for registration and servicing of the subscribers to the NPS. A PoP is the first point of interaction between the subscriber and the NPS. The registered PoPs have authorized branches called POP-Service providers (PoP-SP) to act as collection points and extend services to customers. The functions of the PoP include: Subscribers Registration, Processing subscriber contributions, change in personal details, change in investment scheme/fund manager, processing subscriber shifting from one model to the other, issuing printed account statement, processing of withdrawal/ exit request on superannuation etc.

b) Government Department Nodal Offices

Central Government Nodal Offices

PrAO, PAO and DDO

The Principal Accounts Office (PrAO), Pay and Accounts Office (PAO) and Drawing & Disbursing Office (DDO) under the Central Government or analogous offices under Central Government and Central Autonomous Bodies are intermediaries which interact with CRA on behalf of the Subscribers for purpose of NPS.

State Government Nodal Offices

DTA, DTO and DDO

The Directorate of Treasury and Accounts (DTA), District Treasury Office (DTO) and Drawing & Disbursing Office (DDO) under the State Governments or analogous offices under State Governments and State Autonomous Bodies are intermediaries which interact with CRA on behalf of the Subscribers for purpose of NPS.

Nodal Offices are the identified offices of Govt. agencies register under CRA system for various operational works under NPS. These offices are identified by a unique number, i.e., Pr.AO /PAO/ DDO registration number that is allotted to them by the CRA on successful registration. The office has major role to play few of them are as below:

- Submit Subscriber registration forms to PAO for subscriber registration
- Distribution of PRAN kit to Subscribers
- Providing timely and accurate information to PAO about Subscriber's contribution
- Forwarding Subscriber's request to PAO

for subscriber maintenance

- Resolving Subscriber's Grievances
- Forwarding subscriber's Withdrawal requests to PAO etc.

c) Central Record-keeping Agency (CRA)

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd. and Karvy Computer Share Pvt. Ltd. have been designated the CRAs for the NPS. Their main functions include:

- Maintaining subscriber records, administration and customer service functions.
- Issuing Permanent Retirement Account Number (PRAN) for each subscriber, maintaining the database of all PRANs and recording transactions relating to each PRAN.
- Acting as the interface between the various intermediaries of the NPS system. This includes monitoring contributions by each member and instructions and communication of the same to the pension funds. Periodically, they also send PRAN statement to each member.
- Providing a centralized grievance management system.
- Providing timely fund transfer related information to fund managers.
- Co-ordinate with the trustee bank for remitting withdrawal funds to subscriber's account and to annuity service provider for the annuity scheme.

d) Trustee Bank

The trustee bank handles the flow of funds between various intermediaries under NPS. Presently, Axis Bank Ltd is the designated bank to facilitate fund transfers across subscribers, fund managers and the annuity service providers based on the instructions received from the CRA. The trustee bank receives funds from the nodal offices/PoPs/Aggregators and reconciles it with the Subscriber contribution file. The trustee bank holds the funds in the name of the NPS Trust and the subscribers are the beneficial owners.

e) Pension Funds (PFs)

These are professional pension fund managers appointed to invest, judiciously and prudently, the pension corpus in a portfolio of securities and manage them. Currently the pension fund managers under NPS are –ICICI Prudential Pension Funds Management Company Ltd., LIC Pension Fund Ltd, Kotak Mahindra Pension Fund Ltd., Reliance Capital Pension Fund Ltd., SBI Pension Fund Pvt. Ltd., UTI Retirement Solutions Ltd, and HDFC Pension Management Co Ltd., Birla Sun Life Pension Management Limited. Their functions include:

- Ensuring investment as per investment guidelines
- Investing the contributions in the schemes as per the instructions provided by CRA.
- Constructing the scheme portfolio.
- Maintenance of books and records, reporting to authorities and making disclosures.

f) Custodian of Securities

The securities purchased from NPS corpus in the name of the NPS trust are held by the Custodian of Securities, who also facilitates securities transactions by making and accepting delivery of securities. The PFRDA has appointed the Stock Holding Corporation of India Ltd as the Custodian. The functions include:

- Having Custody of the Securities held in the name of NPS Trust, purchased out of NPS Corpus.
- Maintaining details of securities held.
- Collecting the benefits like dividend, rights, bonus etc. on securities.
- Informing about the actions of the issuers of securities held that may impact the benefits.

g) NPS Trust

NPS Trust is a trust set up under the Indian Trusts Act, which holds the assets of the NPS for the benefit of subscribers. The trust has the fiduciary responsibility of taking care of the funds and

protecting the subscriber interests. The NPS trust monitors and supervises the functioning of the Pension Funds and interacts with other intermediaries like the Central Record Keeping Agency (CRA), Trustee bank, Custodians and other entities.

h) Annuity Service Providers

Annuity Service Providers (ASPs) are insurance companies regulated by IRDAI, and empanelled by the PFRDA to provide the annuity to the NPS subscribers from the bouquet of annuities offered by them. Presently five ASPs have been empanelled which are Life Insurance Corporation of India, HDFC Life Insurance Co. Ltd, ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., SBI Life Insurance Co. Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

i) Retirement Advisers

Retirement adviser means any person being an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered trust or society, who desires to engage in the activity of providing advice on National Pension System or other pension scheme regulated by PFRDA to prospects/subscribers or other persons or group of persons and is registered as such under PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016. The list of Individual & other than Individual Retirement adviser are available on PFRDAs' website

1.9.2 Types of Account

Under NPS following two types of accounts are available:

1. Tier-I account: Under Tier-I account the subscriber contributes his savings for retirement/ pension into this partially-withdrawable account. Premature withdrawals are allowed subject to certain conditions.
2. Tier-II account: This is a voluntary investment account where the subscriber is free to deposit and withdraw the savings from this account whenever he/she wishes.

Beside NPS, PFRDA also administers and regulates the Atal Pension Yojana.

Table:1.2 Performance Highlights of National Pension System/Atal Pension Yojana during FY 2018-19.

(In numbers)

Measures	As on end of FY 17-18	As on end of FY 18-19	Growth (%)
Government Subscribers	57, 89,217	63,05,889	8.92
All Citizen + Corporate Subscribers	13,87,401	17,32,946	24.91
APY Subscribers	96,05,713	1,49,53,432	55.67
No. of POP-SPs	79,640	81,983^	2.94
No. of APY-SPs	399	406	1.75
No. of CABs	545	559	2.57
No. of SABs	1078	1154	7.05
No. of Corporates	4,559	5,964	30.82
No. of officials trained (FY wise)	65,520	36706*	56.02

^ Considered for NSDL CRA, as it has maximum number of registered POP-SPs.
* Incremental conducted by Hero Mindmine Institute Private Ltd.

- Government subscribers have increased from 57.89 lakh as end of March 2018 to 63.06 lakh subscribers as end of March 2019, registering an increase of 5.17 lakh (8.92%).
- Under Private sector, number of corporate subscribers have increased from 6.96 lakh as on end of March 2018 to 8.03 lakh as on end of March 2019, an increase of 1.07 lakh (15.37%) subscribers. The subscribers under UoS/All Citizen have increased from 6.91 lakh as end of March 2018 to 9.30 lakh as end of March 2019, an increase of 2.39 lakh (34.59%) subscribers.
- No. of APY subscribers have recorded steady growth, it has increased from 96.06 lakh subscribers at end of March 2018 to 149.53 lakh at end of March 2019. In percentage terms, it witnessed a growth of 55.67%.
- PoP-SPs increased from 79640 as end of March 2018 to 81983 as end of March 2019.
- The no. of Service Providers for APY has marginally increased from 399 as end of March 2018 to 406 as end of March 2019, registering a growth of 1.75 %.
- All employees of Central Government along with CABs and State governments along with SABs which have adopted NPS are to be mandatorily covered under NPS. This year 14 new CABs and 276 SABs have been brought under NPS taking total no. of CABs and SABs to 559 and 1154, respectively.
- Corporate sector offers NPS to their employees on mandatory or voluntary basis. As end of March 2019, as per CRAs reports total 5964 corporates are registered under NPS against 4559 corporates as end of March 2018.
- For fulfilling PFRDA's mandate of creating awareness about the need of saving for retirement and retirement planning, PFRDA undertakes various activities including imparting training through training agencies selected by PFRDA. These training agencies impart training to the Central and State Govt. nodal officers- Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Offices (DDOs), Points of Presence/ banks/ Post Offices aggregators, etc. involved in the registration of subscribers, about the salient features of the NPS / APY, the process of joining etc. Further, training workshops/ camps have been organized for subscribers across the sector and geography as a part of a wider financial consumer protection policy. Total 911 batches in four zones viz. East, West, North & South and a total of 36706 individuals were trained during the period (8/8/2018 – 31/03/2019). The total number of individual trained put together FY 2017-18 & FY 2018-19 is 102226. It has recorded growth of 56.02%.

Part II

Investment of Funds under NPS

This chapter deals with the investments of funds under NPS and other pension schemes covered under the Act, and the extent of exposure in the National Pension System, in different categories of investments including Government securities, debt securities and equities in accordance with Appendix II of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

2.1 Pension Funds (PFs)

Pension fund means an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub-section (3) of section 27 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations.

2.1.1 Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include, but are not limited to the points mentioned below:

a) Professional investment of assets under management as per investment guidelines prescribed by the Authority and in the best interest of subscribers.

b) Scheme portfolio construction as per laid out schemes by the Authority.

c) Maintenance of books and records of its operations.

d) Reporting to the Authority and NPS Trust at periodical interval.

e) Public disclosure.

f) Other activities as specified under Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 and amendments thereto.

2.1.2 List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes (i.e. CG and SG), and APY.

i. LIC Pension Fund Limited
ii. SBI Pension Funds Pvt. Ltd
iii. UTI Retirement Solutions Ltd

The investment management fee charged by Pension Funds for managing the Govt. sector schemes is presently 0.0102 per cent per annum of the assets under management.

2.1.3 List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes

i. HDFC Pension Management Co. Ltd.
ii. ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.
iii. Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.
iv. LIC Pension Fund Ltd.
v. Reliance Capital Pension Fund Ltd.
vi. SBI Pension Funds Pvt. Ltd
vii. UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd
viii. Birla Sun Life Pension Management Limited

The Investment management fee charged by Pension funds for the non-govt. sector schemes is 0.01 per cent per annum of the assets under management.

2.2 Schemes

Presently the following Scheme(s) under National Pension System are managed by the Pension Funds:

a) Scheme applicable to Central Government Employees and employees of Central Autonomous Bodies – This scheme is called as the CG scheme and has the following investment pattern:

Table No. 2.1 Allocation of assets in CG Sector

S.N.	Asset class / instruments	Maximum exposure
i	Government Securities and Related Investments including State Development loans *	50%
ii	Debt Instruments and Related Investments	45%
iii	Short term Debt Instruments and Related Investments #	5%
iv	Equities and Related Investments	15%
v	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments	5%

following changes have been affected w.e.f. April 01, 2019.
**for investments under Government Securities and Related Investments including State Development loans the limit has been changed to 55%.*
#for investments under Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments the limit has been changed to 10%.

The Assets under management are distributed across three pension funds viz LIC pension Fund LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt. Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd as per directions of the Authority in accordance with the last year returns. The Assets under management for the FY 2018-19 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 33.5:34.5:32(w.e.f 07/05/2018).

b) Scheme applicable to State Govt. employees and employees of State Autonomous bodies – This scheme is called as the SG scheme and it follows the same investment pattern and pension funds as the CG scheme. The Assets under management for the FY 2018-19 have been allocated in to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd in the ratio 33.5:34:32.5 (w.e.f 07/05/2018).

The details of the schemes wise asset under management is given in the table below: -

Table 2.2: Details of Asset under Management
(Rs. in Crore)

Scheme	Mar-18	Mar-19	% Growth
CG	84955	1,09,011	
SG	115989	1,58,881	
Subtotal	**200944**	**2,67,892**	**33%**
Cor.CG	14846	20683	
E-I	4308	7234	
C-I	2847	4422	
G-I	4243	6897	
A-I	7	20	
E-II	217	325	
C-II	162	209	
G-II	181	263	
NPS Lite	3006	3409	
APY	3818	6860	
Subtotal	**33636**	**50322**	**50 %**
Grand Total	**234579**	**3,18,214**	**36%**

**Source NPS-Trust*

Note: Corporate CG does not include AUM of Damodar Valley Corporation accordingly AUM of Rs. 309.69 cr. (last year Rs. 309.94 cr.) is shown under SG.

c) Schemes applicable to Individuals and Corporates: -

The following schemes are applicable to the individual and corporate subscribers: -

1. NPS- Lite Scheme - This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. However, the aggregators can choose any one pension fund from the eight pension funds.
2. APY Scheme: This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. The Assets under management are distributed across three pension funds viz LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt. Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd.
3. Corporate CG Scheme- This follows the same asset allocation as the CG scheme. However, the employer/ employee can choose one pension fund from the three public sector Pension Funds (i.e. to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.). This scheme has been closed for any fresh employees.
4. E-C-G-A pattern for Tier I & Tier II – The assets are invested in Equity, Corporate Bonds, Government Securities and Alternative Investment Funds SEBI Regulated 'Alternative Investment Funds' AIF (Category I and Category II only) as defined under the SEBI (Alternative Investment Fund) regulations 2012.

Table 2.3: Pension Fund wise and scheme-wise Asset under Management as on March 2019

(Amount Rs. in Crores)

Pension Fund Schemes	SBI	LIC	UTI	ICICI	Reliance	Kotak	HDFC	Birla	Total
CG	38453.66	33995.76	36561.29	-	-	-	-	-	**109010.71**
SG	53946.41	51995.69	52939.00	-	-	-	-	-	**158881.10**
Corporate- CG	18709.21	1973.58	-	-	-	-	-	-	**20682.79**
A-I	4.48	1.06	1.14	3.18	0.21	1.05	7.73	0.67	**19.52**
E-I	2421.64	556.63	378.21	1369.58	102.21	275.20	2081.86	48.88	**7234.22**
C-I	1557.26	351.06	216.34	830.39	64.97	171.76	1205.67	24.62	**4422.08**
G-I	2851.19	567.84	329.66	1069.07	104.77	237.11	1708.95	28.16	**6896.77**
E-lI	101.58	14.26	23.31	80.50	7.66	19.55	73.81	4.77	**325.44**
C-11	68.11	9.70	12.91	59.51	4.49	11.40	39.97	3.01	**209.08**
G-I1	92.60	18.77	16.85	63.73	5.03	15.90	46.69	3.11	**262.69**
NPS Lite/ Swavlamban	1411.57	980.32	964.68	-	-	52.67	-	-	**3409.24**
APY	2341.31	2254.55	2264.46	-	-	-	-	-	**6860.31**
Total	**121959.00**	**92719.22**	**93707.84**	**3475.97**	**289.35**	**784.64**	**5164.69**	**113.22**	**318213.94**

The table above indicate that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 33%, however the asset under management of the schemes other than these two schemes has grown by around 50%. In terms of absolute number, the government sector schemes grew by Rs. 66,948 crores whereas other than government sector schemes in aggregate grew by Rs. 16,687 crores.

As explained above, the different schemes are managed by different Pension Fund managers, the details of asset under managment of various schemes under the respective pension funds are given below:

2.3 Exposure of different categories of investments and various schemes regulated and administered by PFRDA.

A. The maximum prescribed exposure, as per the investment guideline of PFRDA in respect of the portfolio under CG, SG, Corporate CG and NPS Lite and APY scheme in various investment instruments has been provided in the table below:

Table 2.4: Allocation of assets in Asset class in Govt. Sector

Category	Asset class / instruments	Maximum exposure
i	Government Securities and Related Investments including State Development loans*	50%
ii	Debt Instruments and Related Investments	45%
iii	Short term Debt Instruments and Related Investments#	5%
iv	Equities and Related Investments	15%
v	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments	5%

following changes have been affected w.e.f. April 01, 2019

*for investments under Government Securities and Related Investments including State Development loans the limit has been changed to 55%

#for investments under Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments the limit has been changed to 10%

B. Subscribers opting for the schemes other than the Government sector schemes (CG and SG), NPS Lite, corporate CG and APY, can decide the allocation of their assets in Asset class E (Equity), asset class C (Corporate Debt), asset class G (Government Securities) and Asset class A (Alternate Assets) as per the table below:

Table 2.5: Allocation of their assets in Asset class other than the Government sector

Category	Asset class / instruments	Maximum exposure
i	Government Securities and Related Investments including State Development loans	100%
ii	Debt Instruments and Related Investments	100%
iii	Short term Debt Instruments and Related Investments	5%
iv	Equities and Related Investments	75%
v	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments	5%

In case of Tier - II accounts, no investment is permitted in Asset class A, other prudential ceilings remaining the same.

The asset class wise bifurcation of the assets under management as on March, 2019 vis a vis March 2018 is given below: -

Table 2.6: Asset Class wise bifurcation of Asset Under Management

Asset Class	31-Mar-18		31-Mar-19	
	Amount (Rs in Crore)	% of Investment	Amount (Rs. in Crore)	% of Investment
G-Sec	1,13,230	48.27%	1,50,576	47.32%
Corporate Bond	80572	34.35%	1,11,384	35.00%
Equity	32703	13.94%	45086	14.17%
Money Market	2760	1.18%	2802	0.88%
Cash & Net Current Assets	5314	2.26%	8366	2.63%
Total	**2,34,579**		**3,18,214**	

Source: As per reports received from NPS Trust

Chart : 2.1 Asset Class wise bifurcation of Asset Under Management

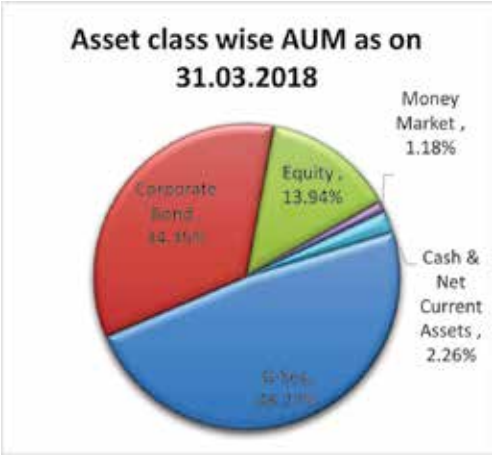

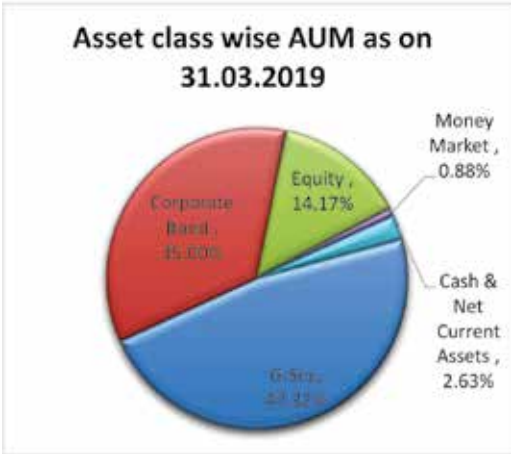

2.4 Regulations, Notification, issuance of major circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund.

1. Issuance of circular on Common Stewardship Code for the Pension Funds under NPS dated 04.05.2018

Pension Funds are expected to shoulder greater responsibility towards the subscribers/ beneficiaries by enhancing monitoring and engagement with the investee Companies. Such activities are commonly referred to as 'Stewardship Responsibilities' of the institutional investors and asset managers and are intended to protect the subscribers' pension wealth. In view of the same, the Authority has issued a circular on Common Stewardship Code to be followed by all the Pension Funds under NPS Architecture.

2. Revised rating criteria for investments under NPS schemes dated 08.05.2018

It has been decided by the Authority to allow Pension Funds to invest in corporate bonds/ securities which have a minimum of "A" rating or equivalent in the applicable rating scale subject to a cap on investments between A to AA- rated bonds to be not more than 10% of the overall Corporate Bond portfolio (Scheme/ Asset class C) of the Pension Fund referred in the subject investment guidelines.

The Pension Funds are required to submit a quarterly statement on the investments made in securities which have a minimum rating of 'A' and their performance including downgrades in this category, if any, to NPS Trust for monitoring of such investments.

3. Amendments to Investment guidelines for NPS schemes (other than Govt. Sector (CG & SG), Corporate CG, NPS Lite and APY) dated 22.05.2018

The cap on equity investments has been increased to maximum of 75% from the current permissible limit of 50% in active choice for private sector subscribers under NPS, with tapering off of the equity allocation after attaining the age of 50 years by subscriber.

In the interest of subscribers in the non-government sector, the CRA would monitor "the ceiling of exposure in Asset class E (equity) upto 75%, C (Corporate debt) upto 100%, G (Government Securities) upto 100% and Asset Class A (for tier I only) upto 5% respectively', to ensure that such limits are adhered to."

4. Change in Investment guidelines for NPS schemes w.r.t. investment in Equity Mutual funds by Pension Funds dated 20.08.2018.

It has been decided by the Authority to put a limit of 5% on investment in Equity Mutual Funds in a manner that the aggregate portfolio invested in such mutual funds shall not be excess of 5% of the total portfolio of the fund at any point in time and the fresh investment in such mutual funds shall not be excess of 5% of the fresh accretions invested in the year.

Further, it has been decided that the amount of investment in any mutual funds mentioned in any of the categories or ETFs or index Funds made by Pension Funds through professional fund / asset managers shall be excluded for the purpose of computing their management fee.

5. Clarification on Circular No. PFRDA/2018/56/ PF/2 dated 20th August, 2018, Change In Investment Guidelines for NPS Schemes w.r.t. Investment In Equity Mutual Funds by Pension Funds, circular dated 02.11.2018.

This circular provides clarification on the issues being faced by Pension Funds while implementing the revised guidelines for investment in Equity Mutual Funds, ETF or Index Funds as mentioned in the circular dated 20th August, 2018, below are the clarification issued:

i) Investment made by Pension Funds in Liquid Mutual Funds would not be excluded for payment of Investment management fee. Accordingly, Pension Funds shall be eligible for payment of IMF for investment in Liquid Mutual Funds.

ii) In order to protect the interest of the subscribers', PF may continue holding of the mutual funds units till they complete one year so that exit load is avoided.

iii) Investment Management Fee is allowed to

be charged on all investments including those in ETFs etc. when the PFs were allowed to charge IMF on such investment prior to issuance of the circular dated 20.08.2018. But IMF on Mutual Funds (excluding liquid mutual fund), ETFs or Index Fund investment made on or after the issuance of circular is excluded for the purpose of computing investment management fee.

6. Corporate Model NPS : Revision in the provisions for exercising PF and investment choices and bulk Authorisation of employees' NPS application by corporates, circular dated 14.11.2018.

This circular states that either the employer/ corporate or the employee/subscriber will have choice of selecting the Pension Fund and Asset Allocation. Also, the corporate/employer will have the option to authorize the NPS applications of its employees individually or separately on the corporate letterhead for bulk authorization for which Central Recordkeeping Agencies (CRA) has to be intimated in advance for enabling this option in the CRA system.

7. Including NPS Trust under the ambit of Stewardship Code, circular dated 16.11.2018.

This circular informs that, in the unbundled architecture of NPS, the NPS Trust is the intermediary which acquires, manages or disposes off scheme assets through Pension Funds on behalf of NPS subscribers and holds the assets in its name. NPS trust is the legal owner of the fund and Pension fund undertaking investment of such funds as per the investment guidelines approved by Authority. NPS Trust, thus acts as an institutional investor while Pension Funds act as asset managers on its behalf. In view of the above, it was decided to also bring NPS Trust under the ambit of Stewardship Code.

8. Clarification on Circular no. PFRDA/2018/56/PF/2 dated 20th August, 2018 issued by the Authority for change in Investment guidelines for NPS schemes dated 22.11.2018.

This circular provides clarification on the issues faced by the Pension Fund managers while implementing the circular on the revised guidelines for investments in Mutual funds, ETFs, indexed funds mentioned under point 4 above. Therefore, certain clarifications were issued by the Authority i.e the investments made by Pension Funds in liquid Mutual Funds would not be excluded for payment of investment management fee. Further, in order to protect the interest of subscribers, the Pension Funds may continue holding the mutual funds till they complete one year so that exit load is avoided. The PF shall redeem these units as soon as possible when the exit load ceases to adhere the provisions of the circular. Also, the exclusion of investments in any mutual funds mentioned in any of the categories or ETFs or index Funds made by Pension Funds would be excluded from the computation of investment management fee only from the date of circular.

9. Cyber security policy for Intermediaries registered with PFRDA dated 07.01.2019.

In reference to the circular no. PFRDA/2017/31/ CRA/5 dated 04.10.2017 regarding cyber security, the Authority has further issued another circular dated 07.01.2019 and added that the intermediary will also submit a certificate as per Annexure A on half yearly basis, declaring that they are following the Cyber Security Policy and also as mandated by their respective regulators. Annexure A, i.e. the certificate for compliance of Cyber Security Policy is attached with the circular.

10. Amendments to Investment guidelines for NPS schemes (applicable to scheme Govt. Sector (CG & SG), Corporate CG, NPS Lite and APY) dated 25.03.2019.

In order to provide flexibility to the Pension Funds to improve the scheme performance depending upon the market conditions, the cap on Government securities and related investments and short-term debt instruments & related investments by 5% each. The cap on Government securities and related investments would now be 55% from the earlier 50% and on short term debt instruments & related investments would be 10% from the earlier 5%. This circular would be effective from 1st April 2019.

Part- III

The chapter deals with duty, power and functions of the Authority for promotion and orderly growth of the National Pension System and pension schemes in accordance with Section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to protect the interests of subscribers of such System and schemes.

Functions of the Authority

3.1 Registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes

Section 14 of the PFRDA Act, 2013 lays down the duties, powers and functions of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes, and to protect the interests of subscribers of such system and schemes.

The National Pension System and any other Pension Scheme which are operationalized by PFRDA through large number of entities such as **Pay & Accounts offices / Treasury Offices** at the Central and State government , they are responsible for the registration and upload of the periodic NPS subscription of the Government employees on the NPSCAN, the **Point of Presence (PoPs)** which are banks, non-banking financial companies (NBFC), micro finance institutions (MFI) etc. which assist in the registration and upload of NPS subscription for the corporates, private sector and unorganised sector employers, the **aggregators** which help in the last-mile reach to the potential subscribers particularly in the informal sector, the **Central Record Keeping Agency (CRA),** which is responsible for the recordkeeping of individual pension accounts called PRAN of the subscribers and acts as a coordinator for the NPS architecture, **Trustee Bank,** responsible for the day-to-day flow of funds and banking facilities, the **Pension Funds (PFs),** mandated to invest and manage the pension assets of the subscribers covered under NPS as per the investment guidelines prescribed by PFRDA and annuity service providers **(ASPs),** empanelled with PFRDA to provide a monthly annuity pension to the subscriber.

As on 31st March, 2019, the number of PrAOs/ DTAs, No. of PAOs/DTOs and No. of DDOs are given in the table below:

Table 3.1 Number of PrAOs/ DTAs, No. of PAOs/DTOs and No. of DDOs

Sector	No. of PrAOs/ DTAs	No. of PAOs/ DTOs	No. of DDOs
Central Government	131	2,900	15,724
Central Autonomous Body	578	1,880	3,920
Total	**709**	**4,780**	**19,644**

Table 3.2

Sector	No. of DTA	No. of DTOs	No. of DDOs
State Government	72	1,955	2,23,204
State Autonomous Body	422	3,748	12,441
Total	**494**	**5,703**	**2,35,645**

Further, there are 268 PoPs, two Central Recordkeeping Agency, one Trustee Bank, eight Pension Funds and five Annuity Service Providers as on 31st March 2019.

Atal Pension Yojana (APY) is administered by PFRDA. To bring the APY Service providers under the ambit of PFRDA Regulations, the regulations managing different categories under NPS (Aggregator and POPs) were repealed and the unified regulations for POPs, Aggregators, APY i.e. PFRDA (POP) Regulations, 2018 were notified on 25.06.2018. On the date of notification of these regulations, PFRDA (POP) Regulations, 2015 and amendments made thereof were repealed. Categories of POPs under current regulations are as below:

i. National Pension System (NPS) – Distribution and servicing for public at large through physical as well as online platforms.

ii. National Pension System (NPS) – Distribution and servicing for citizens at large through online platforms only.

iii. National Pension System (NPS) – Distribution and servicing only for own employees and other personnel either through physical or online platforms. Provided that only such entities shall be permitted to function which has covered its employees for social security benefits under the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 or the Employees State Insurance Act, 1948 or under the Goods and Services Act, 2017 and is registered with authorities under the said enactments, for not less than a period of two years, from the date of the application.

iv. NPS-Lite-Swavalamban scheme

v. Atal Pension Yojana

vi. Any other scheme regulated or administered by Authority

Under POP Regulations, 2018, PFRDA has issued Certificate of Registration (CoR) to PoPs and PoP-SEs, number of CoR issued as on 31.03.2019 are as below:

(i) PoPs – 268 (ii) PoP-SEs – 28

During the FY 2018-19, 20 Individual Retirement Advisors & 1 other than Individual Retirement Advisors were registered under the NPS architecture. To expedite the registration process, online platform for registration was introduced where applicants can apply online.

PFRDA had issued extension to NSDL-CRA till 31.03.2020 or the date of grant of registration certificate under the first amendment to PFRDA (CRA) Regulations, 2015 whichever is earlier, in order to facilitate the implementation of the said regulations.

3.2 Approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes

Presently the following Scheme(s) under National Pension System managed by the Pension Funds are operative:

a) Scheme applicable to Central Government Employees and employees of Central Autonomous Bodies – This scheme is called as the CG scheme and has the following investment pattern:

Table 3.3: Allocation of assets in CG sector

Category	Asset class / instruments	Maximum exposure
i	Government Securities and Related Investments including State Development loans *	50%
ii	Debt Instruments and Related Investments	45%
iii	Short term Debt Instruments and Related Investments #	5%
iv	Equities and Related Investments	15%
v	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments	5%
following changes have been affected w.e.f April 01, 2019 *for investments under Government Securities and Related Investments including State Development loans the limit has been changed to 55% #for investments under Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments the limit has been changed to 10%		

i. The Assets under management are distributed across three pension funds viz LIC pension Fund LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd as per directions of the Authority in accordance with the last year returns. The Assets under management for the FY 2018-19 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 33.5:34.5:32 (w.e.f 07.05.2018), this ratio was 33:34:33 SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. during FY 2017-18 (w.e.f 06.11.2017)

ii. **Scheme applicable to State Govt. employees and employees of State Autonomous bodies –** This scheme is called as the SG scheme and it follows the same investment pattern and pension funds as the CG scheme. The Assets under management

for the FY 2018-19 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 33.5:34:32.5 respectively (w.e.f 07.05.2018), this ratio was 33:34:33 SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. during FY 2017-18 (w.e.f 06.11.2017)

b) Schemes applicable to Individuals and Corporates: -

The following schemes are applicable to the individual and corporate subscribers: -

1. NPS- Lite Scheme - This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. However, the aggregators can choose any one pension fund from the eight pension funds.
2. APY Scheme: This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. The Assets under management are distributed across three pension funds viz LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt. Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd.
3. Corporate CG Scheme- This follows the same asset allocation as the CG scheme. However, the employer/ employee can choose one pension fund from the three public sector Pension Funds (i.e. to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.). This scheme has been closed for any fresh employees.
4. E-C-G-A pattern for Tier I & Tier II – The assets are invested in Equity, Corporate Bonds, Government Securities and Alternative Investment Funds SEBI Regulated 'Alternative Investment Funds' AIF (Category I and Category II only) as defined under the SEBI (Alternative Investment Fund) regulations 2012.

3.3 Exit of subscribers from the National Pension System

3.3.1 As per PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015 and amendments thereto, following Withdrawal categories are allowed:

Table 3.4: PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015 and amendments

Sr. No.	Withdrawal Categories	Conditions in Government Sector	Conditions in Non-Government Sector
1	**Upon Normal uperannuation**	At least 40% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as lump sum to the Subscriber. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 2 lakh, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity.	At least 40% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as lump sum to the Subscriber. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 2 lakh, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity.
2	**Upon Death**	At least 80% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Spouse and the balance is paid as lump sum to the nominee/legal heir. If the accumulated pension wealth in the PRAN at the time of his death is equal to or less than 2 lakh, the nominee or legal heirs as shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity.	If subscriber before attaining the age of 60 years or superannuation dies, then the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee or nominees or legal heirs.

3	**Pre-mature Exit**	At least 80% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity.	At least 80% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity.
4	**Exit in case of Disability**	At least 40% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as lump sum to the Subscriber. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 2 lakh, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity. A certificate from a Government surgeon or Doctor is required: a) the affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties. b) Percentage of disability is more than seventy five percent.	**Exit from National Pension System by citizens, including corporate sector subscribers-** at least 40% out of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum. In case, the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh rupees, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity A disability certificate from a Government surgeon or Doctor is required: a) the affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties. b) Percentage of disability is more than seventy five percent. **Exit from National Pension System by NPS-Lite and Swavalamban subscribers-** A subscriber, attaining the age of sixty years, at least 40% of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum. If the accumulated pension wealth in the PRAN is equal to or less than 1 lakh, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity. A disability certificate from a Government surgeon or Doctor is required: a) the affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties. b) Percentage of disability is more than seventy five percent.

For the purpose of exit from the NPS, the subscribers are categorized and defined as: (1) Government sector, (2) All citizens including corporate sector and (3) NPS- Lite and Swavalamban subscribers. The exit regulations specified shall apply accordingly to the category to which the subscribers belong.

Table 3.5: No. of withdrawal reported, accepted & Settled during April 1, 2018 to March 31, 2019

Sr. No.	Sector	Online Withdrawal		
		Reported *	Accepted $	Settled#
1	Central Government	4,494	4,149	4,169
2	State Government	12,205	11,014	11,079
3	UOS	4,736	4,330	4,256
4	Corporate	1,528	1,404	1226
5	NPS Lite	19,927	19,688	19,671
	Total	**42,890**	**40,585**	**40,401**

(Source of Data: NSDL – CRA)

Note:

** Online Withdrawal Reported implies the cases authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office.*

$ Online Withdrawal Accepted implies the cases where Nodal Office has authorized the withdrawal request in CRA system.

#Some cases pertain to accepted cases of previous years.

Physical Withdrawal: No physical withdrawal cases were reported.

Table 3.6: Withdrawal claims outstanding as on March 31, 2018 & March 31, 2019.

Sr. No.	Sector	Physical Withdrawal Pending		Online Withdrawal Pending	
		As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019
1	Central Government	2	-	464	345
2	State Government	1	-	1,605	1,191
3	UOS	79	-	423	406
4	Corporate	19	-	70	124
5	NPS Lite	460	-	122	239
	Total	**561**	**-**	**2,684**	**2,305**

***(Source of Data:** NSDL – CRA)*

Note:

***Physical Withdrawal:** Withdrawal claims outstanding at the end of the year are the cases where Subscriber/ Nodal Office is yet to submit necessary documents to CRA.*

***Online Withdrawal:** Withdrawal claims outstanding at end of the year are the cases where Nodal Office is yet to authorize the withdrawal request in CRA system.*

It has been observed that in majority of the cases the withdrawal applications pending for processing is due to missing/ inadequate documents submitted by the subscribers or the Nodal Offices.

3.3.2 Partial Withdrawal under NPS

NPS subscribers can do partial withdrawals, not exceeding 25 percent of the contribution made by the subscriber for higher education and marriage of children, purchase / construction of a house and medical treatment of specified illnesses on completion of 3 years from the date of joining of the NPS. The subscriber ought to be subscribed to the National Pension System, at least for a period of three years from the date of his or her joining to such system, to be eligible to make partial withdrawals, under specific circumstances as specified in PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015. As per regulation 8, in sub-regulation (1) (A) sub clause (e) permits to meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber.

Table 3.7: No. of Partial withdrawal cases reported & Settled during the period from April 1, 2018 to March 31, 2019

Sr. No.	Sector	Partial Withdrawal		
		Reported *		Settled**
		Initiated By Nodal Office #	Approved By Nodal Office	
1	Central Government	6,686	5,911	5,954
2	State Government	10,020	8,915	8,937
3	UOS	206	74	75
4	Corporate	1087	586	605
	Total	**17,999**	**15,486**	**15,571^**

Note:

** Reported cases includes authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office.*

***Settled cases are where funds have been transferred to subscriber's bank account*

 # Cases Initiated by Subscriber is also added in Initiated by Nodal Office

^Some cases pertains to accepted cases of previous years.

3.4 Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes opted by subscribers

Annuity provides for a monthly payment of pension against deposit of a lump sum amount. The subscriber has to mandatorily purchase the annuity as specified in the exit rules of NPS, from a PFRDA empanelled Annuity Service Providers.

Annuity Service Providers are Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) licensed and regulated life insurance companies, transacting annuity business in India and these are empanelled by PFRDA for servicing the annuity requirements of the NPS subscribers.

Presently, the following 5 ASPs are providing the Annuity services to NPS subscribers.

a) Life Insurance Corporation of India
b) SBI Life Insurance Co. Ltd.
c) ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
d) HDFC Standard Life Insurance Co Ltd
e) Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

Under National Pension System (NPS), the subscriber has the option to choose the type of Annuity and the Annuity Service provider. The subscriber may choose the annuity type/scheme basing on his requirements from the available schemes offered by the respective ASPs.

Table 3.8: Online Annuity requests processed during April 1, 2018 to March 31, 2019

Sr. No.	Annuity Service Providers/Annuity Schemes	No. of Cases	Amount Transferred (in Rs.)
HDFC Life Insurance Co. Ltd			
1	Annuity for life	777	143,015,460.63
2	Annuity for life with return of purchase price on death	707	447,251,647.28
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	545	120,591,890.27
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	619	217,855,441.18
5	Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price in parts	1	196,152.13
6	Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price on diagnosis of Critical Illness	2	185,924.88
	Sub-Total	**2651**	**929,096,516.37**
Life Insurance Corporation of India			
1	Annuity for life	1131	278,195,374.30
2	Annuity for life with return of purchase price on death	770	226,040,771.34
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	1249	317,466,511.47
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	1287	382,203,760.30
5	NPS - Family Income Option	31	13,985,555.70
	Sub-Total	**4,468**	**1,217,891,973.11**
SBI Life Insurance Co. Ltd.			
1	Annuity for life	149	59,967,008.08
2	Annuity for life with return of purchase price on death	121	54,395,641.55
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	151	59,279,372.37
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	190	76,301,799.69
5	NPS - Family Income Option	39	13,131,803.05
	Sub-Total	**650**	**263,075,624.74**
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd			
1	Annuity for life	69	11,245,555.66
2	Annuity for life with return of purchase price on death	79	25,547,561.74
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	86	17,658,315.71
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	132	50,512,901.40
5	NPS - Family Income Option	14	6,999,158.12
	Sub-Total	**380**	**111,963,492.63**
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd			
1	Annuity for life	1	261,306.87
	Sub-Total	**1**	**261,306.87**
	Grand Total	**8,150**	**2,522,288,913.72**

3.4.1 Challenges faced in the purchase of annuity

i. Non – availability of correct contact details of subscribers with ASPs.

ii. Low financial awareness and literacy among the subscribers/nodal offices about annuity product.

The authority is regularly taking up the matter with empanelled annuity service providers and their regulator i.e. IRDAI for facilitating subscribers during the purchase of annuity, creating awareness on annuity products among subscribers and also bringing an online platform for making the annuity purchase process completely online.

3.5 Activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act

One of the major objectives of PFRDA is protection of subscribers' interest and PFRDA has been engaged in multifarious activities in furtherance of this cause.

Measures taken to protect subscribers' interest:

i) With a view to protect the subscribers' interest, PFRDA had revised Rating Criteria for investment under NPS schemes during FY 2018-19 alongwith the regular review of the Investment guidelines.

ii) Pension Funds are expected to shoulder greater responsibility towards the subscribers/ beneficiaries by enhancing monitoring and engagement with the investee Companies. Such activities are commonly referred to as 'Stewardship Responsibilities' of the institutional investors and asset managers and are intended to protect the subscribers' pension wealth. In view of the same, the Authority has issued a circular on Common Stewardship Code to be followed by all the Pension Funds under NPS Architecture.

iii) In the unbundled architecture of NPS, the NPS Trust is the intermediary which acquires, manages or disposes off scheme assets through Pension Funds on behalf of NPS subscribers and holds the assets in its name. NPS trust is the legal owner of the fund and Pension fund undertaking investment of such funds as per the investment guidelines approved by Authority. NPS Trust, thus acts as an institutional investor while Pension Funds act as asset managers on its behalf. In view of the above, it was decided to also bring NPS Trust under the ambit of Stewardship Code.

iv) To ensure the transparency and fairness in the interest of the NPS subscribers who intend to use online platform, it was decided by the Authority that the fees and settlement time for such transactions at the level of aggregator/payment gateways and POPs should specifically display by the POPs on their website along with NPS literature.

v) To ensure the protection of information system, networks and to adhere the policies and procedures, PFRDA has issued Cyber Security Policy for intermediaries registered with PFRDA

vi) Trustee Bank is appointed to facilitate transfer of funds from Nodal Offices to Pension Fund Managers. Intimation about return of remittances to the respective Nodal Offices is sent through emails as well as physical letters. Apart from reasons for rejection of the remittances, remedial action and precautions to be taken by the nodal office is provided to them to avoid repetition of the errors and avoid return. This ensures timely investment of the contribution made by subscribers.

vii) To reduce such fund return cases, a covering letter has been devised which is generated along with the SCF. The letter contains pre populated fields such as Tran ID, amount etc. which the Nodal Officer is to authorize and submit to its accredited banker for fund transfer to TB.

viii) PFRDA's website serves the subscribers and potential subscribers with information and guidance materials including information on the protection of subscribers' rights and interests, regulations, circulars, pension schemes products, pension funds, intermediaries, exit and benefits.

ix) The website of the NPS Trust also provide information regarding NPS that are useful for the subscribers at one place. NAV details, Returns of the schemes, Portfolio details of the schemes are disclosed for subscriber's information/comparison. Disclosure of Portfolio details are disseminated to the subscribers to ensure transparency.

x) As a pension literacy initiative of PFRDA, Pension Sanchay website (pensionsanchay.org.in) was launched. The website provides references to topics and fundamental elements and concepts related to money, financial planning and retirement planning and features a blog section that discusses topics related to Pension, Saving & Investing, Retirement Planning, Fundamentals of Money & Finance and Behavioral Aspects of Retirement Planning.

xi) Government of India vide notification dated 31.01.2019 has notified the increase in its contribution to central government employees NPS accounts from 10% to 14% with effect from April 1, 2019.As per the notification, "The monthly contribution would be 10 percent of the Basic Pay plus Dearness Allowance (DA) to be paid by the employee and 14 percent of the Basic Pay plus DA by the Central Government". Greater freedom in choosing pension funds and pattern of investment to central government employees has also been notified along with compensation for non/delayed deposit of NPS contribution.

3.6 Mechanism for redressal of grievances of subscribers and activities undertaken for redressal of such grievances

NPS has a multi-layered Grievance Redressal Mechanism centralized at Central Recordkeeping Agency (CRA), which is easily accessible, simple, quick, fair, responsive and effective. The Regulations have provided for four level escalation matrix for resolving subscriber grievance. Subscribers have the option of registering grievance/complaints through Call centre/ Interactive Voice Response System (IVR), web based interface, physical forms. Subscriber can check the status of the grievance at the CRA website www.cra-nsdl.co.in for the grievances logged in through Central Grievance Management System (CGMS) maintained by CRA or through the Call Centre by mentioning the token number. Subscriber can also raise a reminder through any one of the modes mentioned above by specifying the original token number issued. If subscriber does not receive any response within Thirty (30) days or is not satisfied with the resolution by intermediary, in such case subscriber can escalate the grievance to NPS Trust. Similarly, if the subscriber is not satisfied with the response or no response has been received within 30 days, subscriber can escalate the grievance to Ombudsman. The subscriber can also appeal to designated member of PFRDA if they are not satisfied with the order passed by the Ombudsman. Shri Vinod Kumar Pande was the Stipendiary Ombudsman.

The position of Grievances received during the year at CGMS as on March 31, 2019 and its status is furnished in the table below:

Table 3.9: Grievances received and closed in CGMS during April 1, 2018 to March 31, 2019.

Sr. No	Sector	Pending As on 31st March 2018	Received Till 31st March 2019	Resolved Till 31st March 2019
1	NPS Regular#	5,219	1,35,467	1,37,013
2	NPS Lite	193	2,688	2,837
3	APY	1,298	14,661	15,535
	Total	**6,710**	**1,52,816**	**1,55,385**

Source: As per CRAs reports

Notes: * *Referrals opted as Grievance by the subscriber in CGMS.*

\# *NPS Regular consists of CG/SG/SAB/CAB/ Corporate and All Citizen Sector*

The position of Grievances received to various intermediaries during the year at CGMS as on March 31, 2019 and its status is furnished in the table below:

Table 3.10: Grievances received and closed in different sectors in CGMS during April 1, 2018 to March 31, 2019.

Sr. No	Referrals Raised Against	Pending As on 31st March 2018	Received Till 31st March 2019	Resolved Till 31st March 2019
1	Central Government	777	4,035	4,166
2	State Government	579	6,164	6,196
3	POP	1,138	13,171	13,928
4	Corporate	21	93	88
5	Trustee Bank	205	24	27
6	NPS Lite	160	835	977
7	APY (APY-SP)	1,195	9,441	10,328
8	eNPS	363	18,591	18,448
9	CRA	2,103	99,304	99,975
10	NPS Trust	169	1,158	1,252
	Total	**6,710**	**1,52,816**	**1,55,385**

Source: As per CRAs reports

The major grievances received are related to Statement of Transactions related, Contribution amount not reflected in account, PRAN Card Related, Incorrect Processing of Subscriber Details, Delays in Uploading of Contribution Amounts etc. Grievances are registered in CGMS by the subscriber and are directly routed to concerned intermediaries for necessary action. Thus, it is for the concerned intermediaries to resolve and close grievance in CGMS raised against them. The periodic reminders are sent to concerned intermediary for resolving and closing grievances in CGMS.

3.7 Certification Programme for Retirement Advisers

Pension Fund Regulatory and Development Authority is registering Retirement Advisers for widening the coverage of NPS and providing advisory services to the subscribers for allocating assets under NPS and choosing PFMs. The scope of work and responsibility of the Retirement Adviser is to ensure orderly growth of pension sector.

During FY 16 -17, PFRDA started giving registrations to individuals as Retirement Advisers as per PFRDA (Retirement Adviser) Regulations 2016. PFRDA has accredited National Institute of Securities Market (NISM) as institute for certification of Retirement Adviser Certification Examination. Upto March 2019, total 423 candidates certified with NISM Series-XVII: Retirement Adviser Certification Examination. In FY 2018-19, 20 RAs, in the category of individual, were registered by PFRDA and 01 RA other than Individual category. A quarterly summary of the candidates enrolled and appeared vis a vis passed during the FY 2018-19 is as under:

Table 3.11 : Retirement Adviser Certification details

NISM Series-XVII: Retirement Adviser Certification			
Month	**Enrolled**	**Appeared**	**Passed**
Apr-June 2018	67	61	26
Jul – Sep 2018	90	64	32
Oct – Dec 2018	156	128	44
Jan – March 2019	159	161	70
Total	**472**	**414**	**172**

3.8 Collection of data by the Authority and the intermediaries including undertaking & commissioning of studies, research and projects.

Collection and compilation of a comprehensive data based on demographics, retirement savings and investments, the different financial products/ schemes issued by the different Organizations to cater to the old age income security of the

underlying subscribers, the returns generated thereon, the disclosure and protection provided to the subscribers etc. under different scheme are the on - going activities of PFRDA. Towards this end, PFRDA is compiling information on people covered under various pension schemes and also people receiving pensions under various schemes. PFRDA in the process of gathering information from other pension providers in the country.

3.9 Steps undertaken for educating subscribers and the general public on issues related to pension, retirement savings and related issued and details of training of intermediaries

3.9.1 Financial Literacy:

PFRDA as a member of Financial Stability and Development Council (FSDC), its sub-committee, working groups and various inter-regulatory forums viz. Inter Regulatory Technical Group (IR-TG),Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy (TGFIFL), Inter Regulatory Forum for monitoring Financial Conglomerates (IRF-FC), Working Group on resolution regime for financial institutions, Macro Financial Monitoring Group (MFMG), actively contributes to the furtherance of the objectives of these committee's/groups/forums.

As the pension regulator is assigned with the significant task of financial literacy of the masses in matters related to pension, retirement planning/savings along with the overarching mandate of developing the pension sector. As a pension literacy initiative of PFRDA, Pension Sanchay website (pensionsanchay.org.in) was launched on 28th February 2018 by the Hon'ble Finance Minister. The name Pension Sanchay as the mascot for pension literacy has relevance from the retirement planning perspective as accumulation phase is the most important part of retirement planning. The website provides references to topics and fundamental elements and concepts related to money, financial planning and retirement planning and features a blog section that discusses topics related to Pension, Saving & Investing, Retirement Planning, Fundamentals of Money & Finance and Behavioral Aspects of Retirement Planning.

पेंशन संचय
Pension Sanchay
A financial literacy initiative by PFRDA

PFRDA is also the co-promoter of National Centre for Financial Education (NCFE) along with RBI, SEBI and IRDAI which was incorporated as a Section 8 (Not for Profit Company) on 5th September 2018 for promoting financial education across the country to all sections of the society as per the National Strategy for Financial Education of Financial Stability and Development Council.

3.9.2 Programme for co-ordination with financial agencies and other agencies

PFRDA is promoting National Centre for Financial Education (NCFE), a Section 8 (Not for Profit) Company along with Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). NCFE's mission is to undertake massive Financial Education campaign to help people manage money more effectively to achieve financial well being by accessing appropriate financial products and services through regulated entities with fair and transparent machinery for consumer protection and grievance redressal.

A share capital of Rs. 100 crores has been envisaged for the company with 10% to be contributed by PFRDA. In the Board of NCFE, nomination from PFRDA has been done at the level of Chief General Manager.

The objective of the company is to promote Financial Education across India for all sections of the population as per the National strategy for Financial Education of Financial Stability and Development Council and create financial awareness and empowerment through financial education campaigns across the country for all sections of the population through seminars, workshops, conclaves, trainings, programmes, campaigns, discussion forums with/without fees by itself or with help of institutions, organisations and provide training in financial education and create financial education material in electronic or non-electronic formats, workbooks, worksheets, literature, pamphlets, booklets, fliers, technical aids and to prepare appropriate financial literature for target based audience on financial markets and

financial digital modes for improving financial literacy so as to improve their knowledge, understanding, skills and competence in finance. APY has been incorporated in the NCFE modules as one of the Government schemes providing guaranteed minimum pension. Further, NPS has also been incorporated in the NCFE modules as a solution to retirement needs.

3.9.3 NPS awareness, Communication and Social Media

Towards fulfillment of the Authority's mandate of undertaking steps for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issues, PFRDA has been leveraging on different media platforms - print media, electronic media, digital domain and social media to outreach the public at large for improving financial and pension literacy, dispersing the features and benefits of NPS and APY. PFRDA has released various advertisements over print media/electronic media and social media platforms on the NPS/ APY product features, eligibility for joining the schemes, benefits of starting at an early age, procedure of joining the schemes etc.

PFRDA had initiated a drive with the themes "NPS- Save Right, Retire Bright" and 'NPS- Retirement for Everyone' with the concept of stimulating the inquisitiveness of public at large to know more about NPS and consequently take an informed decision for their sunset years. Extensive print media campaigns were undertaken with these themes wherein - what is NPS, why NPS, who can join, tax benefits, contact details of NPS Help Desk, QR code for NPS Trust website were inscribed in these advertisements. The advertisements were carried out in Hindi, English and 11 other regional languages in over 130 newspapers pan India per print coverage considering that the messages need to be delivered to the general public of the country irrespective of language and region. In order to keep the citizens and subscribers aware about the fraudulent activities inimical to economic and social well-being of the general public - fraud and phishing in name of PFRDA/NPS, Television commercials and Radio (FM Channels) Ads were also released during the year.

PFRDA on Social Media

Unlike traditional media which is considered as a one-way communication to public at large and quantification of its effect is challenging, the social media platforms provide a multi-pronged channel of communication and delivery of message to target audience with feedbacks from the subscriber's side. Social media plays a vital role for outreach and engagement with the citizens and PFRDA in its effort of connecting and communicating with the subscribers has proactively engaged itself through social media platforms by activating and maintaining Twitter, LinkedIn, YouTube and Facebook pages for NPS, APY and Pension Sanchay – a financial literacy initiative of PFRDA. These specific social media handles are dedicated to NPS, APY and Pension Sanchay and the PFRDA social media handles have a cumulative followership of more than 1 lakh followers.

3.9.4 Public Relations Agency

Keeping in view the spread and scope of the regulatory and Development role of PFRDA, a PR Agency was engaged for designing and executing an ongoing public relations strategy and programme for PFRDA so as to ensure media visibility through a high impact communication strategy. The objective of engaging the PR strategy was to enhance awareness and disseminate information regarding the various policies, activities and schemes within the ambit of PFRDA to promote old age income security and empowering every citizen of the country to participate in securing his/her old age income.

3.9.5 Training

For furtherance of PFRDA's mandate to create awareness on pension, retirement savings and training of intermediaries, PFRDA has appointed a training agency for imparting training to the Central and State Govt. Nodal Officers - Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Offices (DDOs), Corporate, Points of Presence – Banks/ Non-Banks/Dept. of Post, APY Service Providers involved in the registration of subscribers, Business Correspondents of Banks, DCCBs (District Central Cooperative Banks), RRBs (Regional Rural Banks) etc. about the salient features of NPS/APY, the process of joining the schemes, option of annuity, resolution of grievances, etc. These training workshops/camps are organized, for the employees of nodal offices in the government sector and for subscribers in the non-government sector, across the country as a part of a wider policy for educating and empowering the subscribers.

The training agency has conducted a total of 911 batches in the four zones viz. East, West, North & South and a total of 36706 individuals were trained during the period (8/8/2018 – 31/03/2019). The Zone wise sector wise break and the state-wise distribution of the number of trainings conducted are as under :-

Table 3.12 : The state-wise distribution of the number of trainings

Sr. No.	NPS-Sectors	Training Sessions	Participants Count	Zone wise training sessions			
				South	East	North	West
1	CG	72	2955	6	20	28	18
2	SG	590	23612	155	151	134	150
3	CAB	30	1340	7	6	12	5
4	SAB	46	2147	0	4	4	38
5	Corporate	35	1083	9	1	10	15
6	POP	78	2871	11	3	20	44
	Total	**851**	**34008**	**188**	**185**	**208**	**270**

Table: 3.13: NPS and APY Information Helpdesk

3.10 NPS and APY Information Helpdesk

Sr. No.	APY-Sectors	Training Sessions	Participants Count	Zone wise training sessions			
				South	East	North	West
1	BC-APY	16	692	2	6	3	5
2	DCCB-APY	9	424	0	1	4	4
3	DOP-APY	3	86	2	1	0	0
4	PSBs	2	64	0	0	1	1
5	RRBs	15	697	1	6	1	7
6	Small Finance	15	735	2	1	6	6
	Total	**60**	**2698**	**7**	**15**	**15**	**23**

For spreading the concepts of old age income security and dissemination of information on NPS and APY, which can be accessible from across the country and would facilitate in enlightening citizens about latest developments in NPS/APY, PFRDA is operating a dedicated NPS/APY Information Helpdesk for providing information and responding to the queries from existing as well as potential subscribers in respect of NPS/APY product features, policies, regulations etc. PFRDA also makes utilizes the call center for making outbound call to subscribers for insisting persistency of APY contributions, gauging the awareness of NPS/ APY product features, popularity survey of the systems etc. across various sections of the Indian society. The NPS Information Helpdesk receives an increased number of calls during the periods of media campaigns and on occasion of PFRDA announcements being publicized by the media.

Presently two toll free numbers are being operated through the NPS information helpdesk i.e. 1800110708 for NPS and 1800110069 for APY. For call back services from NPS Help Desk, SMS facility is also available through- 'SMS NPS to 56677'. The NPS Information Desk is operational for 8 hours a day (9.30 a.m. – 5.30 p.m.), 7 days a week (including Sundays) throughout the year excluding National holidays.

3.11 Conferences held during FY 2018-19

3.11.1. International Level

1. IOPS Technical & Executive Committee Meeting (6th March 2019)

PFRDA has co-hosted IOPS meeting and Conference in coordination with IOPS on 06th & 07th of March, 2019. The meetings were chaired by Mr. Brendan Kennedy, CEO of the Pensions Authority, Ireland who is also the Chairman of the IOPS Technical Committee and was attended by the officials from 30 countries including India.

Important issues relating to the pension systems like supervisory guidelines on the integration of ESG factors in the investment and risk management of pension funds, projections of retirement benefits, solvency of defined benefit pension schemes – supervisory and policy responses and supervision of infrastructure investments, risk based supervision, cyber security in private pension supervision, international cooperation with other international organisations were discussed during the meeting.

The IOPS Technical Committee meeting and Executive Committee meetings was followed by an international conference on "Options for creating sustainable pension systems in emerging markets" on 07th March, 2019.

IOPS Technical and Executive Committee Meeting, New Delhi

2. International Conference on "Options for creating sustainable of Pension Systems in emerging markets" by PFRDA in collaboration with IOPS on 7th March, 2019 Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) in collaboration with IOPS (International Organisation of Pension Supervisors) organised International conference on "Options for creating sustainable pension systems in emerging markets" on 07th March, 2019 at New Delhi. The event was attended by more than 30 countries from all over the world in which deliberations were made on *Strategies to increase retirement savings, Role of pension supervisors in promoting cost-effective pension arrangements, Supervision of retirement options and Roundtable session on supervision of governance of pension arrangements.*

Conference Delegate addressing the audience on 07th March, 2019

3.11.2 National Level

For better implementation of NPS in the Country PFRDA had organized serval conference during the year. Under Government Sector which comprises of the majority of the of NPS subscribers, PFRDA sensitize the Government Nodal offices on various issues/matters to improve their performance. PFRDA undertakes various measures and also conducts review meetings/ video conferences with the Government Nodal offices in the Central / State Government sector. The following major conferences/workshops were held during the financial year 2018-19 :

Table: 3.14: Major conferences/workshops

Sl. No.	Month	Conference Theme
1	February' 2019	Conference for Central Government Ministries, New Delhi
2	10th September' 2018	Conference for State Government Sector, New Delhi
3	13th June'2018	Conference for Central Autonomous Bodies (CABs), New Delhi
4	12th June' 2018	National APY Conference, 2018, New Delhi

During the year 2018-19 PFRDA undertook following measures under CG & SG including autonomous bodies segment:

Table: 3.15: Review meetings conducted by PFRDA during the year 2018-19:

Head	Total Number	Name of Ministries/States/CABs/SABs
Review Meetings/ VCs With Central Government Ministries/ Departments	32	Deptt of Post (Postal Accounts) (3),Min. of NCT of Delhi (3) , CBEC (2) , Min of Water Resources (2) Min. of Home Affairs(1), Northern Railway, New Delhi (1),CDA (Border Roads) (1), Delhi Cantt (1), Deptt of Audits and Accounts(1), CBDT (1), CDA Pune (1), Southern Railway, Chennai(1), South Western Rly, Hubli(1), Western Railway, Mumbai(1), Central Railway, Mumbai(1), North Eastern Rly, Gorakhpur(1), Eastern Railway, Kolkata(1), East Central Rly, Hajipur(1), North Central Rly, Allahabad(1), PCDA (Navy) Mumbai(1), South East Central Railway, Bilaspur(1), Western Central Railway, Jabalpur(1), East Coast Railway, Bhubaneshwar(1), South Central Railway, Secundrabad (1) South Eastern Railway, Kolkata(1), North Frontier Railway, Maligaon (1)
Workshops For Central Government Ministries/ CABs	11	North Delhi Municipal Corporation (1), MHA workshop at Delhi (1), MHA workshop at Jammu(1), MHA workshop at Mumbai (1), MHA workshop at Shillong (1), Workshop organized for Andaman & Nicobar (1), MHA workshop at Hyderabad(1), MHA workshop at Kolkata(1), Training cum workshop for CGDA officials at Bangalore(1), Workshop organized for Postal Accounting Formation at Delhi(1), Workshop organized for PAOs of NCT Delhi (1)
Review meetings of CABs	14	KVS, New Delhi(3),CSIR (2), SDMC(2),AIIMS (1), EPFO (1), ICAR (1) New Delhi Municipal Corp. (1), EDMC (1), Navodaya Vidalaya Samiti, Noida(1), Prasar Bharati(1)
Review meetings / VCs & Workshops for States including SABs	52	State Governments: Bihar(4), Jharkhand(3), Goa(3), Telangana (3), Haryana (3), Gujarat(2), J&K(2), Meghalaya (2), Kerala (2), Maharashtra (2), MP (2), Rajasthan (2), Assam (2), Uttarakhand (2), Nagaland (2),Manipur(1), Puducherry (1) ,Karnataka (1), Punjab (1), Andhra Pradesh (1), Chandigarh (1), Mizoram (1), Sikkim (1), HP (1), UP (1), Odisha (1) SABs: DPI, MP (1), DTD, MP (1), KSRTC (1), BSP, UP (1), DSE, UP (1), DHE, UP (1) • Conduct of workshop with 3 SABs of UP i.e. Basic Shiksha Parishad, Directorate of Secondary Education and Directorate of Higher Education • Conference cum workshop for DTOs of State Govt of Punjab.

- Review meetings/ Concalls with top 5 CG/CABs/SG/SABs Nodal offices on monthly basis which have high number of grievances & exit count.

3.12 Performance of pension funds and performance benchmarks

NPS Schemes showed a robust overall growth of 36% in its AUM during the financial year, as shown in Table 3.14, all the schemes witnessed double-digit growth and APY had recorded growth of 80% in terms of AUM.

Scheme CG for central government employees posted 28% growth in its AUM during the year. On the other hand, Scheme SG's assets grew by 37 % during the year.

Table 3.16 : Asset Under Management (AUM) Break up in NPS - Growth Scheme Wise Position as on March 31, 2019

Asset Under Management (AUM) break up in NPS - Growth – Scheme Wise Position as on Quarter ended 31st March 2019				Amt. Rs. In Crore			
Schemes	Actuals-AUM as on 31st March, 2019			Growth in AUM			
	Mar-17	Mar-18	Mar-19	YoY Mar 18 over Mar 17		YoY Mar 19 over Mar 18	
				Amount	%	Amount	%
Equity Tier I	2538.98	4308.22	7234.21	1769.24	69.68	2925.99	67.92
Equity Tier II	125.90	217.78	325.44	91.89	72.99	107.66	49.43
Equity Total	**2664.88**	**4526.00**	**7559.65**	**1861.13**	**69.84**	**3033.65**	**67.03**
% Share in Total AUM	1.5	1.9	2.4		3.1		3.6
Bonds (C)Tier I	1684.95	2846.55	4422.07	1161.60	68.94	1575.52	55.35
Bonds (C)Tier II	101.33	162.16	209.08	60.83	60.03	46.92	28.94
Bonds (C) Total	1786.28	3008.71	4631.15	1222.43	68.43	1622.44	53.92
% Share in Total AUM	1.0	1.3	1.5		2.0		1.9
G Sec (G) Tier I	2506.93	4243.06	6896.75	1736.13	69.25	2653.69	62.54
G Sec (G) Tier II	112.43	181.47	262.69	69.04	61.41	81.21	44.75
G Sec (G) Total	2619.37	4424.53	7159.44	1805.17	68.92	2734.91	61.81
% Share in Total AUM	1.5	1.9	2.2		3.0		3.3
Scheme A Tier I	1.04	6.53	19.52	5.49	527.38	12.99	198.77
Scheme A Tier II	0.10	-	-	(0.10)	-100.00	-	-
Scheme A Total	1.14	6.53	19.52	5.39	470.87	12.99	198.77
% Share in Total AUM	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
Sub Total Tier I	6731.91	11404.37	18572.56	4672.46	69.41	7168.19	62.85
Sub Total Tier II	339.76	561.41	797.21	221.66	65.24	235.80	42.00
Tier I + Tier II	7071.67	11965.78	19369.77	4894.11	69.21	7403.99	61.88
NPS Lite	2639.21	3005.82	3409.23	366.61	13.89	403.42	13.42
APY	1885.00	3817.86	6860.30	1932.85	102.54	3042.45	79.69
Corporate CG	10753.47	14846.33	20682.83	4092.86	38.06	5836.50	39.31
Sub Total (Pvt Sector)	22349.35	33635.79	50322.14	11286.43	50.50	16686.36	49.61
% Share in Total AUM	12.8	14.3	15.8		18.8		20.0

Asset Under Management (AUM) break up in NPS - Growth – Scheme Wise Position as on Quarter ended 31st March 2019				Amt. Rs. In Crore			
Schemes	Actuals-AUM as on 31st March, 2019			Growth in AUM			
	Mar-17	Mar-18	Mar-19	YoY Mar 18 over Mar 17		YoY Mar 19 over Mar 18	
				Amount	%	Amount	%
Central Govt	67040.05	84954.60	109010.70	17914.54	26.72	24056.10	28.32
% Share in Total AUM	38.4	36.2	34.3		29.8		28.8
State Govt	85171.43	115988.48	158881.11	30817.05	36.18	42892.63	36.98
% Share in Total AUM	48.8	49.4	49.9		51.3		51.3
Sub Total (Govt.)	152211.49	200943.08	267891.81	48731.59	32.02	66948.73	33.32
% Share in Total AUM	87.2	85.7	84.2		81.2		80.0
Grand Total	**174560.84**	**234578.86**	**318213.95**	**60018.02**	**34.38**	**83635.09**	**35.65**

Source: NPS Trust Annual Report

Performance of Pension Funds

Table 3.17: The position of the AUM with the Pension Funds

PFM	AUM (Amt. In Rs. crore)		Increase in AUM	
	Mar-18	Mar-19	Amount	%
SBI Pension Fund Pvt. Ltd.	89283	1,21,959	32,676	37
LIC Pension Fund Ltd.	70130	92,719	22,589	32
UTI Retirement Solution Ltd.	69483	93,708	24,225	35
HDFC Pension Management Co. Ltd	2560	5,165	2,605	102
ICICI Prudential Pension Funds Management Company Ltd.	2326	3,476	1,150	49
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.	536	785	249	46
Reliance Capital Pension Fund Ltd.	231	289	58	25
Birla Sunlife Pension Management Ltd	30	113	83	277
Total	**234579**	**3,18,214**	**83,635**	**36**

Table 3.18: Scheme wise Pension Fund wise returns as on 31st March 2019

Since inception (in %).

Scheme	SBIPF	LICPF	UTIRSL	Kotak	ICICI	Reliance	HDFC	Birla
CG	9.96	9.67	9.65					
SG	9.57	9.66	9.62					
NPS-Lite	10.28	10.21	10.23	10.13				
APY	8.67	9.10	9.35					
Corporate CG	9.73	9.77						
E-I	10.01	12.25	11.79	10.74	11.74	10.74	15.10	10.85
C-I	10.48	9.98	9.29	10.29	10.50	9.26	10.24	9.13
G I	9.59	11.08	8.40	8.66	8.73	8.42	9.78	7.06
A-I	8.17	8.13	7.03	6.05	7.68	6.81	8.43	7.17
E-II	9.71	8.86	10.11	10.01	9.70	9.60	12.19	10.44
C-II	10.10	8.77	9.37	9.19	10.32	8.99	9.09	7.47
G-II	9.65	11.45	9.27	8.45	8.85	8.56	10.22	5.08

Source: NPS Trust Annual report. The date of inception is different for different schemes.
Returns above 1 year periods are annualized
Inception dates: LIC, SBI & UTI April 01,2008 for CG scheme
Inception dates: LIC, SBI & UTI June 25, 2009 for SG Scheme
Inception dates: Birla May 09, 2017, HDFC August, 01, 2013, ICICI May 18, 2009, Kotak May 5,2009, LIC July 03, 2013, Reliance May 21, 2009, SBI May 15, 2009 and UTI May 21, 2009 for (E-I)
Inception date : LIC October 04, 2010; Kotak Jan 30, 2012; SBI September 16 2010; UTI October, 04, 2010 (NPS-Lite)
UTI Scheme Corporate CG ended in the financial year 2013-14 (corporate CG)
Inception dates: Birla May 09, 2017, HDFC August, 01, 2013, ICICI Dec 21, 2009, Kotak Dec 14,2009, LIC August 12, 2013, Reliance Dec 21, 2009, SBI Dec 14, 2009 and UTI Dec 14, 2009 for (E-II)
Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May,9 2017 , ICICI May 18, 2009, Kotak May 15, 2009, Reliance May 21, 2009, SBI May 15, 2009 and UTI May, 21 2009 (C-I)
Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013); Birla May, 9, 2017, ICICI December 21,2009, Kotak December 14, 2009, Reliance December 21, 2009, SBI December 14, 2009 and UTI December 14, 2009 C-II
Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9, 2017, ICICI May 18,2009, Kotak May 15, 2009, Reliance May 21, 2009, SBI May 15, 2009 and UTI 21 May, 2009 (G-I)
Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May,9, 2017 ICICI December 30, 2009; Kotak December 14, 2009; Reliance December 23, 2009; SBI December 14, 2009 and UTI December 14, 2009 (G-II);
Inception dates: LIC October 13, 2016; HDFC October 10, 2016; Birla May 15, 2017 ICICI November 21, 2016; Kotak October 14, 2016; Reliance November 2, 2016; SBI October 13, 2016 and UTI October 14, 2016 (Scheme A-I)

3.13 Regulated Assets

"Regulated Assets" means and includes tangible and intangible assets created exclusively for the purpose of operations of CRA comprising bespoke software with all the components required for running the application, any third party software and component off the shelf specific to the CRA application system, all relevant CRA project data, dedicated specific hardware/software components of Data Centre and Disaster Recovery Centre, networks and all other facilities excluding physical infrastructure (building, air conditioners, power supply infrastructure, furniture).

On the expiry of the tenure of the registration or in the event of termination of the CRA, information and regulated assets held by CRA shall be transferred to another CRA registered with the Authority, within the time period and in the manner, as may be required under the PFRDA Act, rules or regulations or as may be directed by the Authority.

3.14 Fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year

Fees and charges are levied on the subscribers of the NPS at various stages by the intermediaries serving to the subscribers. At the entry to the NPS system, the intermediaries responsible for registration of the subscribers in NPS i.e. PoPs, charge fees which are collected upfront from the subscribers. The charge for registration of Atal Pension Yojana (APY) is borne by the government. In the next stage, CRA, the recordkeeping agency, levies fee for opening account and generation of PRAN, maintenance of account by cancellation of units. Thereafter, for each transaction involving contribution of the subscribers there is charge by both CRA and POP. Investment management fee is charged by the Pension Funds for managing the investment portfolio of the subscribers. The custodian of the securities charges for the assets under its custody and reimbursement of NPS Trust expenses are charged from the subscribers.

Table 3.19: Fees and charges to the subscribers at various stages

Intermediary	Fees / Charges	Private	Govt.*	NPS Lite/ APY
Central Recordkeeping Agency	PRA Opening charges	NSDL: Rs. 40.00	NSDL: Rs. 40.00	NSDL: Rs. 15.00
		Karvy #: Rs 39.36	Karvy : Rs 39.36	Karvy : Rs. 15.00
	Annual PRA Maintenance cost per account	NSDL: Rs. 95.00	NSDL: Rs. 95.00	NSDL: Rs. 25.00
		Karvy : Rs 57.63	Karvy : Rs 57.63	Karvy : Rs 14.40
	Charge per transaction	NSDL: Rs. 3.75	NSDL: Rs. 3.75	NA
		Karvy : Rs 3.36	Karvy : Rs 3.36	
Point of Presence	Initial subscriber registration and contribution upload	Rs. 200	NA	NA
	Any Subsequent Transactions	0.25% of contribution, Min. Rs 20 Max. Rs 25000	NA	0.25% of the total contribution in a financial year subject to a minimum of Rs. 20/-.
	All non-financial charges	Rs 20		Rs. 10/- per transaction
	Persistency Charge > 6 months & Minimum contribution Rs. 1000 p.a	Rs. 50 per annum	NA	NA
	Contribution through eNPS	0.10% of contribution** Min. Rs 10 Max.Rs.10000	NA	NA
Trustee Bank		NIL		
Custodian	Asset Servicing charges	0.0032% p.a for Electronic segment & Physical segment		
Pension Funds	Investment Management Fee	0.01% p.a	0.0102% p.a.	0.01% p.a
NPS Trust	Reimbursement of expenses	1. from 01.04.2018 till 24.01.2019 charges were @0.005% p.a. of the AUM on daily accrual basis. 2. Since 25.01.2019 charges were stopped. 3. The same charges (i.e. @0.005%p.a. of AUM, daily accrual basis) were again levied since 01.08.2019.		
Retirement Advisers	On Boarding	Rs. 200	NA	NA
	Subsequent transaction charges	Rs. 20 per transaction or max Rs. 100/- annually	NA	NA
	Advisory Fee	0.02% of AUM subject to a minimum Rs. 100/- and maximum Rs.1000/-per annum, for providing advice to the subscribers.	NA	NA

** In case of Government employees, CRA charges are being paid by the respective Governments.*
 # Karvy Computershare Pvt. Ltd has started operation wef 15th Feb, 2017.

The fees received by PFRDA from the various intermediaries during the Financial Year 20118-19 is provided in the table below:

Table 3.20: Fees received during the Financial Year 2018-19

S. No.	Intermediary	Fee receipt (Rs. in Lakh)
1	Trustee Bank- Axis Bank	2402.75
2	Pension Fund	1198.91
3	CRA- NSDL- E Governance Infrastructure Ltd	717.40
4	Custodian - SHCIL	107.15
5	Retirement Advisor / POP/Aggregator/ASP/EMD/RFP Processing Fee	17.25
6	CRA- Karvy Computershare Pvt Ltd	1.31
	Total	**4444.77**
Fee received from various intermediaries are accounted on realization basis.		

3.15 Information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organisations connected with pension funds`

3.15.1 Inquiries & Investigations

PFRDA and NPS Trust review the reports submitted by CRA, Trustee Bank and their auditors to ensure that the intermediary is following the turnaround time as defined in service level agreements.

3.15.2 Inspection & Audits

PFRDA, Central Recordkeeping Agency and Trustee Bank regulations also have provision to conduct audit and inspection of CRA and Trustee Bank to protect the interests of the subscribers. During FY 2018-19, internal Audit of all the Pension Funds were undertaken by the Internal Auditors appointed by Pension Funds as per the Guidance Note for the appointment of Internal Auditor issued by the Authority.

During the Financial Year 2018-19, inspection of 08 Pension Funds for the FY 2017-18 was conducted -namely;

- SBI Pension Fund Pvt Ltd
- LIC Pension Fund Ltd
- UTI Retirement Solutions Ltd
- HDFC Pension Management Company Ltd.
- Kotak Mahindra Pension Fund
- ICICI Prudential Pension Funds Mgmt. Co. Ltd
- Reliance Capital Pension Fund Ltd.
- Birla Sun Life Pension Management Ltd

The inspection was conducted as per the pre-defined scope of inspection and checking of compliance pertaining to the Regulations, Guidelines, Directives issued by the Authority.

The audit of the schemes managed by the respective Pension Funds was also done. Pension Funds are also subject to Statutory Audit.

PFRDA also undertakes supervision of Non-Government Sector such as Points of Presence under NPS, NPS-Lite and APY with respect to their compliance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018 and the operational guidelines issued thereunder.

Regular supervision through monitoring, analysis and in-depth inspection are often done through both offsite and on-site basis. POPs are registered for activities under NPS, NPS-Lite and APY and RAs are registered for activities under NPS.

(a) Offsite monitoring:

PFRDA examines and reviews the reports submitted by the intermediaries to PFRDA

and NPS-Trust w.r.t. their adherence to the regulations and operational guidelines issued by the Authority. The defaulting intermediaries are advised to take corrective action and adhere to the specified operational TATs and to pay compensation. While the repetitive defaulters are issued notices as per the prescribed procedure for ensuring the compliance in order to protect the interest of the subscribers, various remedial measures are suggested to intermediaries and NPS-Trust on concerns with respect to compliance of respective operational guidelines and regulations. The offsite monitoring and supervision includes the following:

Meetings with the defaulting intermediaries for ensuring operational compliance.

(b) Onsite monitoring:

PFRDA also conducts onsite inspections of the POPs based on certain parameters viz. the number of NPS subscribers enrolled, pending subscribers' requests and grievances. During the year 2018-19, 16 onsite inspections of POPs for activities under NPS, NPS lite and APY have been conducted. The intermediaries are followed up for the closure of their inspection reports after ensuring their compliance.

(c) Issuance of advisories/directions/notices under Regulation 14 2(o) of PFRDA Act to PoPs under NPS, NPS-Lite, APY and RAs

The department issues advisories / directions / notices to POPs to ensure the compliance and smooth functioning of activities carried out by intermediaries.

(d) Submission of preliminary report:

The supervision department, in the event of any alleged violations having been detected, which prima facie discloses any act of omission or commission covered under one or more sections of Section 28 of the Act, submits a formal preliminary report.

For all other intermediaries under NPS, similar mechanism exists for offsite/onsite inspections.

Further submission of other reports in respect of following matters:

i) Every case of violation of this Act or of any rule or regulation made thereunder: As per the Final order issued by designated member for imposing penalty under Sections 30, of the PFRDA Act, 2013 and PFRDA (Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015, violation of sub section 28(4) of the PFRDA Act, 2013 was observed against Alankit Assignments Ltd.(in capacity of Aggregator)

ii) the extent to which the decisions of the Authority have been complied with: Fully Complied.

3.16 Others

3.16.1 Subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act

a) Number of subscribers under NPS over the years

Enrolment of subscribers in NPS increased from 211.78 lakh in March 2018 to 273.55 lakh in March, 2019. The growth of number of subscribers during 2018-19 is 29 per cent. A year-wise number of NPS subscribers is provided in Chart 3.1.

Table 3.21: Sector wise number of Subscribers under NPS/APY

Sectors	Mar-18 (No. in lakh)	Mar-19 (No. in lakh)	Growth over year	
			Absolute increase (No. in lakh)	%
Central Government	19.22	19.85	0.63	3.28
% to total	9.08	7.25		
State Government	38.68	43.21	4.53	11.71
% to total	18.26	15.8		
Corporate	6.96	8.03	1.07	15.37
% to total	3.29	2.94		
UoS (All Citizen)	6.91	9.30	2.39	34.59
% to total	3.26	3.40		
NPS Lite/Swavalamban*	43.95	43.63		
% to total	20.75	15.95		
APY	96.06	149.54	53.48	55.67
% to total	45.36	59.66		
Total	**211.78**	**273.55**	**57.39**	**29.17**

*(No fresh registration permitted after 01st April, 2015, post launch of APY)

Chart 3.1: Year wise number of subscribers under NPS & APY

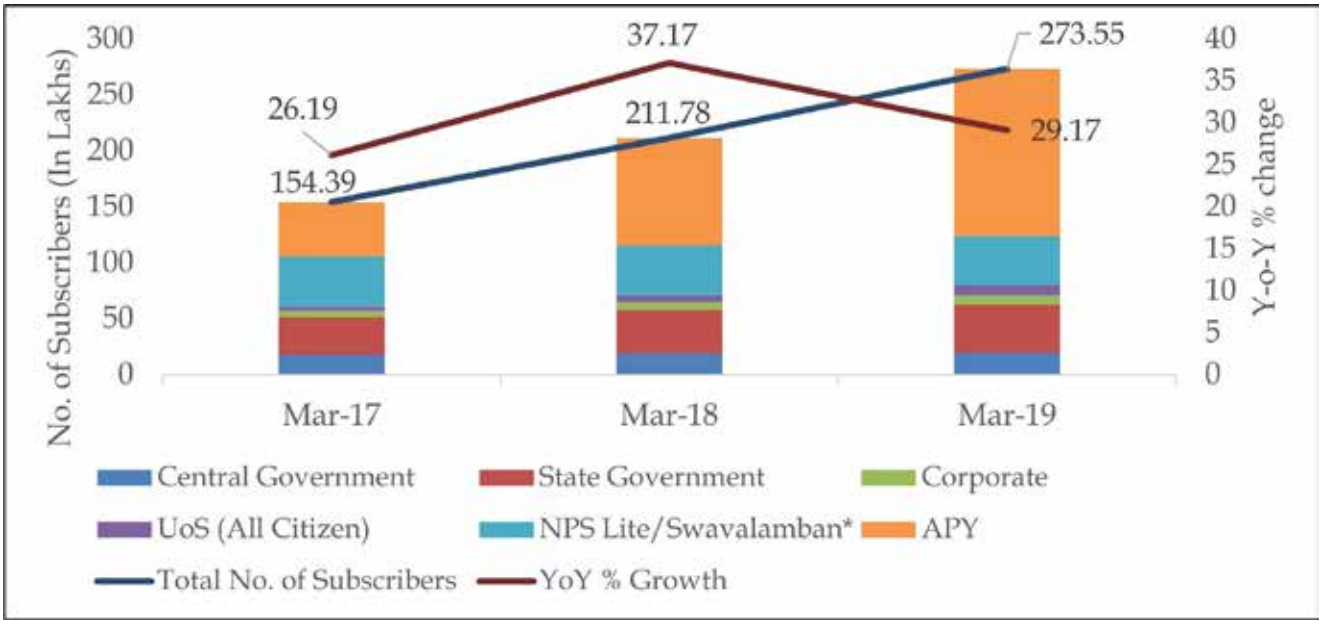

b) No. of subscribers – Sector wise

Government Sector

Table 3.22 No. of subscribers, contribution & AUM of Govt. Sector as on 31.03.2019

Sector	No. of subscribers (In Lakh)	Contribution (Rs. crore)	AUM (Rs. crore)
Central Government	19.85	78,379.20	1,09,009.55
State Government	43.21	1,24,190.66	1,58,491.37
Total	**63.06**	**2,02,569.86**	**2,67,500.92**

- Government subscribers have increased from 57.90 lakh as end of March 2018 to 63.06 lakh subscribers as end of March 2019, registering an increase of 5.16 lakh (8.91%).

Private Sector

Table 3.23: No. of subscribers, contribution & AUM of Private Sector as on 31.03.2019

Particulars	Subscribers (Nos. in Lakh)	Contributions (Rs. in Crs)	AUM (Rs. in Crs)
Corporate Sector	8.03	24436.77	30,874.79
UoS/All Citizen	9.30	9685.54	9568.50*
Total	**17.33**	**34122.31**	**40443.29**

*mainly attributed to shifting of PRAN from one sector to other sector.

- Under Private sector, number of corporate subscribers has increased from 6.96 lakh to 8.03 lakh, an increase of 1.07 lakh (15.37%) subscribers. The subscribers under UoS/ All Citizen have increased from 6.91 lakh as end of March 2018 to 9.30 lakh as end of March 2019, an increase of 2.39 lakh (34.59%) subscribers.

Unorganised Sector

Table 3.24: No. of subscribers, contribution & AUM of NPS Lite & APY as on 31.03.2019

Particulars	Subscribers (Nos.)	Contributions (Rs. in Crs)	AUM (Rs. in Crs)
NPS Lite/ Swavalamban	43.63	2555.18	3409.23
Atal Pension Yojana	149.53	6335.09	6860.30
Total	**193.16**	**8890.27**	**10269.53**

- Number of subscribers under NPS Lite and APY, together, has increased from 140.01 lakh in March 2018 to 193.16 lakh in March 2019, increasing by 53.15 lakh subscribers (37.96%).
- New entry into Swavalamban scheme has been discontinued w.e.f April 1, 2015 and APY was launched on 9th May, 2015 and it became operational from 1st July, 2015. APY is focused on the poor and the under-privileged citizen of India; it will provide a defined pension after 60 years of age.
- Under the APY, the subscribers would receive the minimum guaranteed pension of Rs. 1000 per month, Rs. 2000 per month, Rs. 3000 per month, Rs. 4000 per month, Rs. 5000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would be based on the subscriber's age on joining the APY. The minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years. Therefore, minimum period of contribution by any subscriber under APY would be 20 years or more.
- Scheme operates through all Bank Branches /Post Offices having CBS platform registered with Central Recordkeeping Agency (CRA).

During FY 2018-19, 149.53 lakh subscribers have been registered under APY, further 11.49 lakh subscribers were eligible for Government co-contribution. Under APY,

a. 21% of the subscribers have opted for Rs 5000 pension amount
b. 61 % of the pension aspirants are in the age group above 26 years

c. The ratio of female and male subscribers is 42 : 58

Table 3.25: Details of APY subscribers on the basis of Gender, Pension amount and Age.

Gender wise			
Sr. No.	**Gender**	**PRAN Count**	**Percentage**
1	Female	6,470,224	41.96
2	Male	8,944,417	58.01
3	Transgender	3,644	0.02
	Total	**15,418,285**	**100.00**

Pension Amount wise			
Sr. No.	**Pension Amount** (Rs. Per month)	**PRAN Count**	**Percentage**
1	1,000	10,465,175	67.88
2	2,000	979,412	6.35
3	3,000	500,754	3.25
4	4,000	206,278	1.34
5	5,000	3,266,666	21.19
	Total	**15,418,285**	**100.00**

Age wise			
Sr. No.	**Age Range**	**PRAN Count**	**Percentage**
1	Between 18 to 20 Years	1,977,639	12.83
2	Between 21 to 25 Years	3,968,264	25.74
3	Between 26 to 30 Years	4,028,629	26.13
4	Between 31 to 35 Years	3,394,552	22.02
5	Above 35 Years	2,049,201	13.29
	Total	**15,418,285**	**100.00**

APY scheme is managed by three public sector pension Funds namely LIC, SBI and UTI. The asset under management of this scheme as on 31.03.2019 is Rs. 6860.30 crores. The details of APY subscriber base is provided at Annexure 1.

3.16.2 Points of presence

Under POP Regulations, 2018, PFRDA has issued Certificate of Registration (CoR) to 268 PoPs. The overall registered list of POPs under the system is at Annexure II & III.

3.16.3 Asset under Management Scheme wise

The details of the scheme wise asset under management in given in the table below:

Table 3.26: Scheme wise Asset under Management (Rs. in Crores)

Scheme	Mar-18	Mar-19	% Growth
CG	84955	1,09,011	
SG	115989	1,58,881	
Subtotal	**200944**	**2,67,892**	**33%**
Cor.CG	14846	20683	
E-I	4308	7234	
C-I	2847	4422	
G-I	4243	6897	
A-I	7	20	
E-II	217	325	
C-II	162	209	
G-II	181	263	
NPS Lite	3006	3409	
APY	3818	6860	
Subtotal	**33636**	**50322**	**50 %**
Grand Total	**234579**	**3,18,214**	**36%**

*Source NPS-Trust
Note : Corporate CG does not include AUM of Damodar Valley Corporation accordingly AUM of Rs. 309.69 cr. (last year Rs. 309.94 cr.) is shown under SG.

The table above indicate that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 33%. The asset under management of the schemes other than these two schemes has grown by around 50%. Though in absolute terms government sector schemes grew by Rs. 66,948 crores whereas other schemes in aggregate grew by Rs. 16,687 crores.

3.16.4 The Central Recordkeeping Agency, its role and functions

a) Introduction

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd, was appointed by PFRDA, as the Central

Recordkeeping Agency and an agreement was executed on November 26, 2007.

After notification of the PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 with effect from April 27, 2015, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd was issued certificate of registration to work as Central Recordkeeping Agency effective from December 18, 2015 for the remaining period of the original contract dated November 26, 2007 effective from December 01, 2007 for 10 years.

CRA acts as an operational interface for all intermediaries. The role includes liasoning with all necessary external agencies and recordkeeping, administration and customer service functions for all subscribers of the NPS.

During the FY 2016-17, the Authority had registered M/s Karvy Computershare Private Limited as second CRA and allowed them to start its operations for servicing of accounts sourced through e-NPS module of NPS Trust wherein the subscriber was provided an option to choose between NSDL e-governance Ltd (1st CRA) and M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd (2nd CRA) with effect from February 15, 2017 and other distribution channels thereafter. M/s Karvy Computershare was allowed to service the new accounts till March 31, 2017 and thereafter it was allowed to function as a full-fledged CRA with interoperability functionality providing for option to shift for existing subscribers of NPS from April 01, 2017 onwards.

Under sub regulation 4 of regulation 3 the CRA regulations, the allocation of the subscribers between the existing central recordkeeping agency and the other central recordkeeping agency or agencies, if appointed, shall be based on a transparent criteria and process as may be notified by the Authority from time to time having regard to the subscribers' interest. Accordingly, the criterion for allocation of subscribers is mentioned as under:-

In case where there is employee- employer relationship, including corporate, if the CRA charges are being borne by the employer, the decision to select the CRA shall rest with the employer, unless they specifically delegates the option to individual employees and in all other cases, the choice of selection of CRA will rest with the employee/ subscriber under NPS. In case of voluntary subscribers (without existence of any employee-employer relationship) the option to choose a CRA rests with the subscriber in general. In case of subscribers registered under Atal Pension Yojana, the respective government will chose the CRA for rendering the services. In case of NPS-Lite subscribers the aggregator will have the option to choose the CRA.

b) Role and responsibilities of CRA

The major role and responsibilities of CRA are as follows:

i. Continuous Enhancements and developments of new functionalities

It is the responsibility of the CRA to create and establish facilitation centres network across country. They have to develop various new functionalities/utilities and do continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders.

ii. Services to Subscribers of all sectors

The primary role of CRA is of recordkeeping, administration, providing customer service functions for all NPS subscribers, issuance of unique Permanent Retirement Account Number (PRAN) and IPIN/TPIN to the subscribers. The various services to the subscribers includes sending SMS alerts and emails at the time of registration, credit/ debit of units, withdrawal, balance in the PRAN, conducting subscriber awareness programs and providing web based access to all the NPS stakeholders. CRA also provides Centralized Grievance Management System and call centre facility to the subscribers and Nodal offices. Besides these services all subscriber maintenance services such as change of scheme, change of demographic details, grievance handling etc. are being handled by CRA.

iii. Services to Intermediaries

a) PFMs:

It is the primary responsibility of CRA to timely intimate the position of the

funds to PFMs, prepare and send consolidated Investment Preference Scheme information, sending net fund transfer report to PFMs on the basis of confirmation of fund transfer report received from Trustee bank and to measure the Scheme performance reports using NAVs send by PFMs to CRA.

b) TB:

To reconcile pension fund reports received from Trustee Account with pension fund contribution information report and generate error/discrepancy report on fund reconciliation, sending instruction to Trustee Bank to remit withdrawal fund to subscribers' account and remit remaining amount to Annuity Service Providers' account against the annuity scheme

c) ASPs:

To collect physical application forms from the subscribers and forward them to ASPs and sending funds transfer details for the subscriber's annuity to ASPs. Transferring electronic data transfer to ASPs with respect to subscriber details and sending instruction on Annuity scheme.

iv. Others:

Provide periodic and ad-hoc MIS (including Grievance redressal) to PFRDA, State Governments, Central Government and Ministry of Finance, conduct periodic orientation programs for nodal offices and to provide seamless and error-free system operations involving CRA system, PFMs, TB and other entities in NPS

a) Annual fee

The Central recordkeeping agency will pay an annual fee at the rate of 0.05 times of the service charges as specified in regulation 22 of PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015.

b) CRA Service Charges

The charge structure for NPS regular and NPS Lite/APY subscribers is provided hereunder the information of all concerned:

Table 3.27: Charge structure for NPS regular and NPS Lite/APY

S. No.	Service Charge head	M/s NSDL e-governance Infrastructure Ltd (1st CRA)		M/s Karvy Computershare Pvt Ltd (2nd CRA)	
		NPS Regular (Rs.)	NPS Lite/ APY (Rs.)	NPS Regular (Rs.)	NPS Lite/ APY (Rs.)
1	PRA opening charges	40.00	15.00	39.36	15.00
2	PRA Annual maintenance charges	95.00	25.00	57.63	14.40
3	Transaction charges	3.75	NIL	3.36	NIL

c) Regulations

The PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, have been notified on 27th April, 2015. Subsequently, PFRDA (Central Recordkeeping Agency) (First Amendment) Regulations, 2018 have been notified on 25th June 2018.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity who wish to function as Central Recordkeeping Agency. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

Entity registered as Central Recordkeeping Agency through this regulation is required to establish an internal system that delivers compliance with standards for internal

organization and operational conduct, with the aim of protecting the interests of NPS subscribers and their assets.

d) Development of new functionalities

Continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders is one the main objective of CRA. Various functionalities were developed by CRA to ensure the seamless functioning of NPS system. Few of the major developments are as under:

Facilities available under NPS to Subscriber:

- **All Citizens of India sector** Subscribers have an option to shift to eNPS by initiating a shifting request in their CRA login.
- **Facility for instant generation of IPIN / TPIN** a feature has been enabled in the CRA system to facilitate the Subscribers to generate instant IPIN (Internet Personal Identification Number) on the same day of generation of PRAN. The facility is applicable for Subscribers who have registered their Mobile Number and/or email ID in the system. The Subscriber is required to access the CRA system to generate IPIN using OTP (One Time Password) on Mobile Number and/or email ID.
- The following functionalities have been made available 24*7 for Subscribers in the CRA system:
  a. One Way Switch
  b. Tier II Partial Withdrawal
  c. Conditional Withdrawal
  d. Scheme Preference Change
  e. FATCA Self Certification
  f. Aadhaar Seeding
  g. Aadhaar based address update
- **Change of PFM and Investment Option** At present, the option of Scheme Preference Change for Tier I account is available only to All Citizens of India (UoS) and Corporate Subscribers. Now, the Scheme Preference Change option will be made available to Central Government Subscribers for Tier I Account w.e.f. 01.04.2019 wherein following option will be allowed:
  a) The existing scheme in which funds are allocated by PFRDA among three public sector undertaking fund managers shall continue as default scheme for both new and existing subscribers.
  b) Auto Choice Moderate (LC 50)
  c) Auto Choice Conservative (LC 25)
  d) Active Choice G (100% G, i.e., funds will be invested in G-Sec only) scheme of any of the PFMs.
- **Increase in Govt. co-contribution from 10% to 14%** for Central Govt. subscribers w.e.f. 01.04.2019.
- **PAN based registration made available for Non Bank POPs** if the subscriber is already an existing customer of the non-Bank POP.
- **Addition of following sub-categories in CGMS for Withdrawal**
  1. Partial withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
  2. Exit not initiated / not authorised / amount not received
  3. Pre-mature withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
  4. Death withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
- **'NPS ki Paathshala' videos** on Youtube for making the subscribers and nodal offices more aware about the various functionalities and benefits of NPS.
- **CGMS** made available in Hindi- CGMS available for subscribers in eNPS has been provided the option to select the language Hindi or English by Karvy CRA.
- **Frequently Asked Questions (FAQs)** along with answers against respective query category are now available to Subscriber & Entity (raising grievance on behalf of NPS Subscriber) in CGMS. The Subscriber raising any query through CGMS will have a provision to view the FAQs & relevant answers based on the category of grievance selected.
- **For Facility of document (Exit Applications/ KYC documents) upload** (in .pdf format) to Subscribers /DDOs/ Nodal Offices for Superannuation, Premature and Death Exit

requests.

- Post Supreme Court Judgment on Aadhar, the Aadhar based registration and authentication has been stopped under NPS and APY.
- **Alerts:** CRA is sending alerts to the subscribers for various transactions under NPS. Now the alert will be send to the subscribers for whom fund receipt confirmation is received from Trustee Bank for investment under NPS. In this regard, an SMS will be sent to the subscribers that the confirmation for fund has been received and units for the same will be credited at the end of day. This will help subscribers to know in advance for investment under NPS
- As per PFRDA (Exit and Withdrawal) Regulations, 2015, a partial withdrawal of accumulated pension wealth under NPS, at any time before exit from NPS is permitted subject to terms and conditions, purpose, frequency and limits specified in the regulations. Now, as per Third & Forth Amendment to PFRDA (Exit and Withdrawal) Regulations, 2015, partial withdrawal will also be allowed for following purposes. These new options have been implemented in online withdrawal module of CRA system
  1. To meet medical & incidental expenses due to disability/incapacitation
  2. For skill development/re-skilling or any other self-development activities
  3. For establishment of own venture or any start-up

Enhancement in Central Grievance Management System (CGMS)

- Now, the following sub-categories have been added in CGMS for ''Withdrawal'' category.
  1. Partial withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
  2. Exit not initiated / not authorised / amount not received
  3. Pre-mature withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
  4. Death withdrawal not initiated / not authorised / amount not received
- CGMS available for subscribers in eNPS has been provided the option to select the language Hindi introduction by Karvy CRA.
- To facilitate Subscribers and Nodal Offices, Limited Access View has been enabled on CRA's website, to view the status of grievances. The Subscribers and Nodal Offices can check the status of grievance directly without logging to CRA system. Now, an additional check to provide mobile number has been included alongwith other details like Token No., Captcha code etc. in search criteria to view grievance status
- A pop-up of Frequently Asked Questions (FAQs) at the time of raising enquiries in CGMS of CRA has been enabled to ensure that requisite basic information becomes readily available to the Subscriber and grievance does not get raised in the CGMS.
- Under NPS, Subscribers/Nodal Offices have an option to raise grievances in Central Grievance Management System (CGMS). Now, a provision is made in CGMS such that at the time of escalating grievance to NPS Trust, the Subscriber will have an option to provide additional information for grievance or escalate the grievance to NPS Trust.

New features under eNPS

- In eNPS, the KYC details of Subscribers are verified by Bank POPs at the time of enrolment through PAN based registration. Now, as per PFRDA's guidelines, non-Bank POPs which are registered with any of the financial regulators have been allowed to verify the KYC of their customers while registering them under eNPS. Accordingly, PAN based Subscriber Registration through non-bank POPs has been enabled under eNPS.
- e-Sign functionality has been implemented under eNPS platform for PAN based Subscriber Registration and Tier II Registration. Now, Subscribers can directly eSign the application form for Registration and Tier II Activation instead of submitting physical form to CRA.

- The facility to download and/or print ePRAN Card and Transaction Statement is availbale to APY Subscriber. The APY Subscriber can access their ePRAN Card and Transaction Statement through CRA NPS Lite website (www.npslite-nsdl.com). The Subscriber have an option to search their ePRAN Card and Transaction Statement with/without PRAN details. The Subscriber are then required to provide minimum details like PRAN and Bank Account Number or Subscriber Name, Bank Account Number and Date or birth registered in the CRA system under APY.
- APY Subscribers have been given an option to have a physical APY PRAN Card through eNPS. The Subscriber is required to access eNPS platform and submit a request for physical PRAN Card by paying the applicable charges through Payment Gateway.

Features in NPS Mobile App

NPS subscribers can access their account through the NPS mobile application. This application provides various features and allows easy access to the subscriber's retirement funds. The following features have been added in NPS Mobile App:

- Request status view for Scheme Preference Change, Grievances.
- Option of providing mobile number while raising enquiry/grievances.
- Message notification in landing page, in case of server downtime.
- ePRAN View.
- The NPS Mobile App has been upgraded with the relevant changes with respect to the option of selecting the Pension Funds (PFs) and Investment Pattern in Tier I account.
- Mobile app has been made available for subscribers using IOS and Windows platform. An option to check FATCA compliance status has also been provided in limited access view at www.npscra.nsdl.co.in.
- Now, an additional option to submit FATCA declaration through NPS mobile app has been released for Subscribers. Subscriber can login in NPS mobile app using login credentials and select "FATCA/CRS Certification" option. The Subscriber is required to fill-up the requisite FATCA details and submit the same through duly authorisation by generating OTP on his/her registered mobile number.
- An additional option to view historical NAV has been made available in Mobile App.

APY Mobile app is available both for NPS Lite and APY subscribers.

Alert for Grievances

- An Email/SMS alert (along with Token No.) is sent to APY Subscriber on generation and resolution of a grievance in CRA system. A view facility has been enabled for CRA call center user to view the details of email and SMS sent to particular subscriber. This will help the CRA user to serve/resolve the subscribers query efficiently in less time.

PRAN/ePRAN for APY

APY Subscribers have been given an option to have a physical APY PRAN Card through eNPS. The Subscriber is required to access eNPS platform and submit a request for physical PRAN Card by paying the applicable charges through Payment Gateway. On receipt of request, physical PRAN kit is dispatched by CRA at the Subscriber's address registered in the CRA system.

Survey

Online Survey facility, this initiative, an online platform has been developed by CRA for conducting surveys wherein feedback/replies can be given online by Subscriber/target group engagement by accessing the relevant link. Various survey has been undertaken by the Authority to create/assess the awareness amongst the suscbribers.

Error Rectification Module (ERM)

An ERM request can be processed by the Nodal Office through whom the contributions were uploaded in CRA system. In addition, now in case of State Govt., the facility to perform a single

ERM transaction on behalf of all the underlying Nodal Offices is provided to the Oversight Office. This will save efforts and time of multiple ERM requests being captured by different Nodal Offices.

Online Corporate Registration

A facility for online registration is enabled for Corporates through eNPS platform. Corporate is required to provide the requisite registration details and select a POP for association and submission of the relevant documents for further processing. The registration details captured by the Corporate are to be authorized by associated POP.

Further, earlier there was one option where Corporate can choose the Pension Fund and Asset allocation can be provided by subscribers and if in case choice is given to subscribers, Pension Fund and Asset allocation was require to be selected by the subscribers. Now, in case of choice made by Corporate, the same has been changed for prospective corporates wherein corporate has to choose the Pension Fund as well as asset allocation while applying for registration under NPS.

Moreover, the choice of selecting the scheme preference under NPS will be either at Corporate level or at Subscriber level.

Retirement Adviser

The Retirement Advisers (RAs) are appointed by PFRDA to engage in the activity of providing advice on NPS thereby to extend the reach of NPS. The RAs can be an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered Trust or society. The online platform has been developed and released in the CRA systems to facilitate registration of an individual/ entity as RA.

The facility of Aadhaar based PRAN generation is also provided to RA's. RA is required to login in the CRA system (www.cra-nsdl.com) using its login credentials and click on 'Subscriber Registration' for generating PRAN under NPS.

CRA Toll Free Helpline

Dedicated toll free number (1800222081) is available to Nodal Offices for contacting CRA regarding their general queries / complaints. This is in addition to an existing toll free number (1800222080) available for NPS Subscribers.

3.16.5 Pension funds

The management of the assets under NPS and any other scheme regulated / administered by PFRDA is done by professional fund managers appointed exclusively for this purpose.

Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include:

a. Professional investment of funds as per investment guidelines prescribed by the Authority and in the best interest of subscribers.
b. Scheme portfolio construction as per laid out schemes by the Authority.
c. Maintenance of books and records of its operations.
d. Reporting to the Authority and NPST at periodical interval.
e. Public disclosure.

There are eight Pension Funds under NPS. The following three Pension Funds manage Government sector schemes and APY scheme

i) LIC Pension Fund Limited
ii) SBI Pension Funds Pvt. Ltd
iii) UTI Retirement Solutions Ltd

The investment management fee charged by Pension Funds for managing the Govt. employees NPS portfolio is presently 0.0102 per cent per annum of the assets under management.

The private sector NPS schemes are managed by the following Pension Funds:

i) HDFC Pension Management Co. Ltd.
ii) ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.
iii) Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.
iv) LIC Pension Fund Ltd.
v) Reliance Capital Pension Fund Ltd.
vi) SBI Pension Funds Pvt. Ltd

vii) UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd

viii) Birla Sun Life Pension Management Limited

3.16.6 The Trustee Bank

a) Trustee Bank:

Axis Bank Ltd. was selected Trustee Bank under NPS through an open bidding process with effect from 1st July 2015 for a period of 5 years, as per the terms of the PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015.

b) Roles and responsibilities of Trustee Bank:

1) Trustee Bank facilitates fund transfers across various entities of CRA system viz. Nodal Offices (uploading offices), Pension Fund Managers, Annuity Service Providers and subscribers.

2) Trustee Bank uploads a file containing the details of the funds received from various Nodal Offices to the CRA system. These details are then matched with contribution details provided by Nodal Office(s) to CRA system.

3) Trustee Bank receives fund transfer instructions from CRA system as a part of Pay-in Pay –Out process to transfer funds to various entities viz. PFMs, Annuity Providers, Withdrawal Account and may also receive funds from Pension Fund Manager(s).

4) Return of unidentified remittances or remittances with incomplete information to the concerned entity.

5) At the end of each settlement day, the balance funds at Trustee Bank account are reconciled with CRA system.

The following diagram depicts the role of Trustee Bank in the NPS architecture:

Chart 3.2: NPS architecture and intermediaries

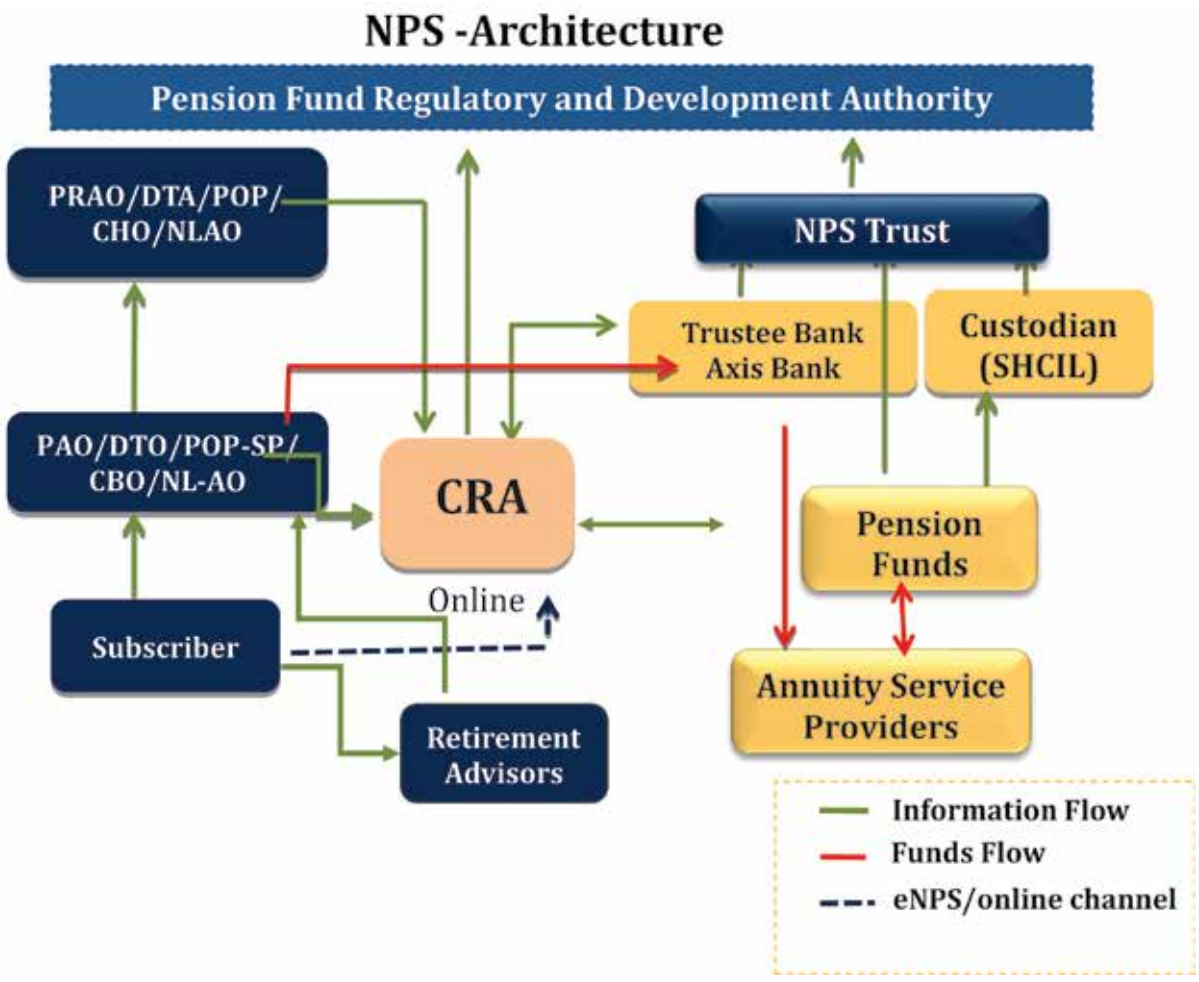

c) Timelines for Trustee Bank

The business activities of Trustee Bank are linked with the other processes at CRA. Therefore, bank ensures that the activities are completed within the timelines specified. The chart given below gives the basic idea of the core activities and time limit within which the same is carried out by the Bank:

Table 3.28: Core activities of the Trustee Bank

Nature of Activity	Timelines
Return of unidentified funds	T+1
Upload of Fund Receipt Confirmation file (FRC)	T+1 (by 9:00 a.m.)
Download Pay-in instruction files from CRA	Daily
Transfer of matched and booked funds to Pension Fund Managers	T+1
Upload of statements and closing balance of various accounts	Daily

Note: (Assumption- Fund realisation at TB on day T)

1. Challenges faced

i) **Pending SCFs-** Many Nodal Offices have uploaded SCFs twice or have not remitted funds corresponding to these SCFs. PFRDA tries its best to get these SCFs matched and booked within the prescribed timelines.

ii) Missing credit- At times many Nodal Offices are not regular in remitting funds timely. PFRDA has continuously taken up the matter of missing credits in the PRAN of the subscribers with the concerned organisations- PAOs, so that the subscribers do not lose on investment opportunity as a result of the delay.

iii) Funds remitted with incomplete details- Many Nodal Offices remitted funds to the Trustee Bank without complete details like PAO id, Transaction Id, etc. These funds received by the Trustee Bank prior to May 2012, are lying unidentified for which Nodal Offices have neither provided Fund Transfer Details (FTDs) nor uploaded SCFs. PFRDA is continuously following it up with the Nodal offices for resolution of the same.

iv) Return of Outward remittances by TB to Subscribers – The withdrawal funds remitted by TB to the subscribers gets returned due to various reasons, the most important of these being Incorrect bank details, Incorrect IFSC, mismatch in beneficiary name etc.

PFRDA (Trustee Bank) regulations, 2015 had been notified on 23rd March, 2015.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity who wish to function as Trustee Bank. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

Chart 3.3: Daily Average Balance (in Crs.) - Trend during FY 2018-19

3.16.7 The Custodian under the National Pension System

Custodian of Securities" means an entity which has been granted a certificate of registration under sub-section (3) of section 27 of the Act by the Authority as a custodian of securities for the purpose of providing custodial and depository participant services for the pension schemes regulated by the Authority;

"Custodial services" means safekeeping of securities or assets held under the National Pension System or any other pension scheme and providing services incidental thereto and includes-

(i) maintaining accounts of securities or assets held;

(ii) undertaking activities as a Domestic Depository in terms of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or as permitted by the Securities and Exchange Board of India;

(iii) collecting the benefits or rights accruing on the securities or assets;

(iv) informing about the actions taken or to be taken by the issuer of the securities, having a bearing on the benefits or rights accruing on the securities or assets held; and

(v) maintaining and reconciling records of the services referred to in sub-clauses (i) to (iv);

Presently, the Stock Holding Corporation of India (SHCIL) is acting as Custodian of Securities.

General obligations of Custodian of Securities

As per the Regulation no. 19 of the PFRDA (Custodian of Securities) Regulations, 2015, general obligations of Custodian of Securities are listed below:

(1) The custodian of securities shall exercise at all times reasonable care, prudence, professional skill and diligence while discharging its duties in the best interest of the subscribers.

(2) The custodian of securities shall facilitate adequate infrastructure information technology, systems and procedures that are required for enabling it to co-ordinate with other intermediaries and entities and adapt to future changes including changes on account of technology advancements, changes in system specifications and services and undertake functional obligations specified by the Authority.

(3) The custodian of securities shall take all necessary precautions to ensure that continuity of the record keeping is not lost or destroyed and that sufficient back up of records are available.

(4) The custodian of securities shall ensure at all times that transactions in the pension schemes accounts are put through according to the instructions of the pension fund or the National Pension System Trust and the securities held in such accounts are used only for transactions explicitly authorised by the pension fund or the National Pension System Trust.

(5) The custodian of securities shall ensure at all times that, the securities held on behalf of the National Pension System Trust are separate and clearly segregated in its books from its own holdings, other client accounts and separated from all other activities. The custodian of securities shall open a separate custody account for pension schemes regulated by the Authority and in accordance with the manner specified for registration of securities.

(6) The custodian of securities shall ensure that all the rights or entitlements on the securities held in its custody for pension schemes or the National Pension System Trust are received on time and in the manner specified by the Authority or the National Pension System Trust.

(7) The custodian of securities shall ensure that the individual holdings of securities in the pension scheme accounts are reconciled with the depository holdings and Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) account at the end of the day.

(8) The custodian of securities shall be continuously accountable for the movement of securities in and out of the

pension scheme accounts and shall provide complete audit trail whenever called for by the Authority or the National Pension System Trust.

(9) The custodian of securities shall create and maintain the records of securities held in its custody in such manner that the tracing of securities or obtaining duplicate of the documents is facilitated, in the event of loss of original records for any reason.

(10) The custodian of securities shall ensure that the securities handled by it under the National Pension System or any pension scheme regulated by the Authority are adequately insured.

(11) The custodian of securities shall have adequate systems for internal controls to prevent any manipulation of records and documents including audits for securities and rights or entitlements arising from the securities held under this agreement. The custodian of securities shall have appropriate safekeeping measures to ensure that such securities (assets or documents) are protected from theft or natural hazard.

(12) The custodian of securities shall not be entitled to setting off securities held in the pension scheme accounts regulated by the Authority or otherwise deal with them to extinguish partly or fully any amounts due to it from the pension fund or the National Pension System Trust without the prior consent in writing from the Authority or the National Pension System Trust.

(13) The custodian of securities shall not encumber the securities in any manner including by an act of pledging, hypothecating or creating any charge or lien on the said securities. The custodian of securities shall not convert the securities in any manner without the approval of the Authority or the National Pension System Trust.

(14) The custodian of securities shall transmit such reports and statements to the pension fund or the National Pension System Trust or the Authority or to such other intermediaries at such periodic intervals as may be specified by the Authority from time to time or as specified in the agreements

(15) The custodian of securities shall maintain proper books of accounts, registers, records, documents and have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating the custodian's controls, systems, procedures and safeguards.

(16) The custodian of securities shall have its books of accounts audited quarterly by an internal auditor and submit an extract thereof relating to the assets or business of the pension funds to the Authority or the National Pension System Trust, as specified, within thirty days from the date of audit.

(17) The custodian of securities shall adhere to all applicable rules, regulations, circulars or guidelines framed, recommended, mandated by any regulator, authority, clearing corporation, exchange or depository for various functions or services offerings to the National Pension System Trust.

Custodian Charges

Asset Servicing Charges	0.0032% per annum of asset under custody for electronic and physical segment

3.16.8 The National Pension System Trust

The NPS Trust was established in terms of the Central Government letter D.O. No 5(75)/2006-ECB & PR dated 24th April 2007. PFRDA is the settlor of the Trust and the execution of the NPS Trust Deed by PFRDA took place on 27th February, 2008. A memorandum of Understanding was signed between PFRDA and the NPS Trust highlighting the rights and obligations of both the parties on 1st July 2009.

The NPS Trust has been set up and constituted to hold the assets and funds under the NPS for the benefit of the beneficiaries (subscribers). Trustees have the legal ownership of the Trust Fund and the general superintendence, direction and management of the affairs of the

Trust and all powers, authorities and discretions appurtenant to or incidental to the purpose of the trust absolutely vest in the Trustees, subject nevertheless to the provision of the PFRDA Act-2013, Indian Trust Act – 1882, NPS Trust Deed and further subject to such directions or guidelines that may be issued by PFRDA from time to time. However, the beneficial interest shall always vest with the beneficiaries of the NPS Trust.

Authority appoints a person with appropriate background and experience as Chief Executive Officer of the Trust who is responsible for day-to-day administration and Management of the Trust subject to the superintendence, control and direction of the Board of The Board meets at least once in every three calendar months. The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2019 is provided in the table below.

Table 3.29: The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2019

S.No	Name	Designation
1	Sh. Ashvin Parekh	Chairman & Trustee
2	Sh. Sanjeev Chanana	Trustee
3	Sh. Atanu Sen	Trustee
4	Sh. Dinesh Kumar Mehrotra	Trustee
5	Sh. Radhakrishnan Nair	Trustee
6	Sh. Suraj Bhan	Trustee
7	Sh. Sanjiv Mittal	Trustee
8	Sh. Surendra Kumar Solanki	Trustee
9	Sh. Munish Malik	Chief Executive Officer

1. Management of NPS Funds by the NPS Trust

The NPS funds of subscribers held in the name of NPS Trust are managed by eight appointed pension funds on behalf of the Board of Trustees to realize and fulfill the objectives of the NPS Trust in the interest of the Subscribers. The Performance of the Pension funds are reviewed on a quarterly basis by NPS Trust and instructions/Guidance is being given to them for protecting the interest of the subscribers. In addition, PFRDA also monitors the performance of NPST & Pension Funds.

During the FY 2018-19, three (3) Trustees were also appointed on the Board of Trustees of NPS Trust, as per details given below:

i) Shri Suraj Bhan, Ex-IES, Former Additional Secretary (Labour), appointed on 11/12/2018

ii) Shri Sanjiv Mittal, IAS, Additional Chief Secretary, Finance Department, Government of U.P. (being largest State in terms of subscribers under NPS) appointed on 11/01/2019

iii) Shri S. K. Solanki, IAS, Secretary/ Special Secretary, Finance (Expenditure), Government of Rajasthan (being largest State in terms of AUM under NPS), appointed on 11/01/2019

3.16.9 Retirement Advisor

The Retirement Advisers (RAs) are appointed by PFRDA to engage in the activity of providing advice on NPS thereby to extend the reach of NPS. The RAs can be an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered Trust or society. The online platform has been developed and released in the CRA system to facilitate registration of an individual/ entity as RA.

With shift in the design of pension systems from defined-benefit plans to defined-contribution plans where individuals need to make financial decisions and bear greater financial risk, selection of an appropriate investment pattern is crucial for the pension plan participants. India, considered to be low in financial literacy, demonstrates a tangible need for financial advice with respect to retirement decisions. Retirement advisors are playing an important role in guiding and helping consumers to have a better understanding of investment and pay-out options. This necessitates development of a pool of human resources having right skills and expertise in retirement advice and choosing appropriate pension/savings product for retirement quality intermediation to market participants.

Taking into account international experience and the needs of the Indian system of organised and unorganised workers, with a view to protecting the interests of retiring population and more

importantly, for minimising risks of losses arising out of deficient understanding of the various options in the returns from the NPS, PFRDA has accredited National Institute of Securities Markets (NISM) as the accredited institute for Certification of the Retirement Adviser Certification Examination.

With the objective to provide a framework for eligibility, registration process, fees etc. of Retirement Adviser and to define the scope of work and responsibility of the Retirement Adviser to ensure orderly growth of pension sector, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 were notified by PFRDA.

3.16.10 Other functions carried out by the Authority in the area of pensions.

a) Implementation of Cyber Security:

PFRDA has constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security in August 2018 with a view to keep an eye on rapid technological change and its effect on the financial sector in order to safeguard the subscribers' interest. The terms of reference of the said committee are to advise on Information Systems, Technology & cyber security issues, development of Management Information Systems (MIS), Supervisory and Regulatory platforms, new opportunities and challenges of Financial Technologies, Regulatory Technologies, strengthen the processes of cyber security/system/information security audit of PFRDA and intermediaries under the NPS architecture.

PFRDA has also engaged Chief Information Security Officer (CISO), to manage all IT and Cyber issues within PFRDA and to coordinate with the intermediaries and other agencies like CERT-In, NCIIPC on matters related to cyber security.

b) Fin-Tech through Regulatory Sandbox

There has been tremendous change in the financial sector due to technological advancements and innovations. Regulatory sandbox approach could be utilised to experiment upcoming technologies and solutions in order to promote the development of Financial Technology (Fin Tech) for the pension sector in a safe and controlled environment. Accordingly, PFRDA has constituted a Group with representative from ReBIT, PFRDA, NPCI & NSDL to identify areas under NPS which could utilize financial technologies (Fin-Tech) through Regulatory Sandbox. The committee has submitted its report. The same has been posted on PFRDA's website for public comments/feedback Comments/ Feedback.

c) e-NPS Online Platform

In light of "Digital India" campaign on promoting e-governance for providing last mile connectivity through extensive use of Information and Communications Technology platforms, PFRDA has been pursuing the development and operationalization of online transaction facilities for the prospective as well as existing subscribers of NPS. Towards this end, an online platform for registration of subscribers and receipt of contribution under National Pension System (eNPS) through NPS Trust at www.npstrust.org.in has been developed. Through this platform, a prospective subscriber can register for NPS; contribute to his/her Permanent Retirement Account. Further, the subscribers who already have an NPS account can make contributions through eNPS directly. A prospective subscriber can visit NPS Trust website www.npstrust.org.in and select NPS Online menu to register and contribute to NPS. While registering, a Subscriber will provide his/ her name & Permanent Account Number (PAN) details which will be validated online with the Income Tax Department. Subscriber will then select the Bank (through which KYC verification to be done), fill up the personal details and upload photograph & signature. After filling up of details, the Subscriber will make contribution through net banking from the account of the selected Bank. Once payment is made, PRAN will be provided online to the Subscriber. The details submitted by the subscriber will be sent through CRA system to the selected Bank for KYC verification. After verification of KYC by the Bank, the PRAN will become active and operational. Subscriber will be required to print the form, paste photograph, affix signature

and submit the physical form to CRA within a specified period while continuing contributing online.

Subscriber can make subsequent contribution online through net banking /debit card/credit card at any time and the same will be credited in the subscriber's PRAN account on T+2 basis. The complete information about eNPS is available in PFRDA website www.pfrda.org.in and also on NPS Trust website www.npstrust.org.in . As per CRA-NSDL and Karvy website., As on 31st March 2019, 3.48 lakh Tier I accounts and 1.07 lakh Tier II accounts have been opened through eNPS.

d) APY Online Tools:

PFRDA has offered several online features to facilitate subscribers for access of APY features without visiting the bank/post branch, such as:

Table 3.30: Available APY Online Tools:

Sr. No.	Digital Utility	Benefits
1	APY Grievance Module	Module can be used for lodging a grievance and checking the status of grievances raised by the subscribers. The Subscribers can use the facility with or without PRAN.
2	APY Upgrade /APY Downgrade View	APY subscribers can upgrade/downgrade a pension amount once in a year. The feature enables the user to check the differential amount to be deposited/ to be received back as per the new guaranteed pension amount chosen. Higher amount needs to be deposited in case of upgrade and additional contributions would be returned to the subscribers in case of down grade.
3	ePRAN card/e SoT facility	Useful for downloading of transaction statement and ePRAN card. The option contains a search with PRAN and without PRAN. The subscriber can download Transaction Statement financial year wise.
4	APY@eNPS (Digital On boarding facility into APY)	Digital APY enrolment through eNPS ensures wider reach. It is a user friendly platform and makes enrolment under APY in a complete end to end digital interface without submission of physical form by the prospective subscribers and without visiting a bank branch.
5	Mobile Application	APY Mobile applications empower the subscribers to view Statement of Account and other details of their APY account. APY subscribers with smart phones can down load APY mobile applications from google store and install in their mobile phones for real time viewing of APY Accounts.

e) Small finance Banks and Payment banks

Payments banks and Small Finance Banks are a new model of banks conceptualized by the Reserve Bank of India (RBI). Small Finance Banks and Payment Banks are new age banks and given the strength of the bank, expertise and it reach, Small Finance Bank and Payment Bank can play a pivotal role in outreach of subscribers under APY.

To strengthen the existing channels of APY distribution, it was felt that these new Payments Banks and Small Finance Banks will provide a boost to the outreach of subscribers under APY.

As on Mar/31/2019, the following Small Finance Banks and Payment Banks are registered in CRA system.

Table 3.31: List of following Small Finance Banks and Payment Banks.

Name of the APY Service Provider	NLOO Reg. No.	Type of Banks	NLOO State Name	No. of Branches Regd. as NLCC	Subscribers Registered As on (March 31, 2019)
Airtel Payments Bank Limited	7004900	PAYB	Haryana	1	48,182
ESAF Small Finance Bank Limited	7004885	SFB	Kerala	445	9,190
Paytm Payments Bank Limited	7004863	PAYB	Uttar Pradesh	1	0
Suryoday Small Finance Bank Limited	7004896	SFB	Maharashtra	52	0
Au Small Finance Bank Limited	7004911	SFB	Rajasthan	306	0
Ujjivan Small Finance Bank Limited	7004981	SFB	Karnataka	0	0

Details with respect to the year on year performance in terms of subscriber registration is depicted in the tables at Annexure I.

Part IV

Pension Advisory Committee

4.1 Pension Advisory Committee

Section 45 of PFRDA Act provides for constitution of a Pension Advisory Committee with representations from employees, associations, subscribers, commerce & industry, intermediaries and organization engaged in pension research to advise the Authority on matter relating to the making of regulations or as may be referred to it. During the year under reference, the Pension Advisory Committee meetings took place i.e. on September 24, 2018, and March 18, 2019 at New Delhi.

The following agenda items were taken up for discussion in the Eleventh Meeting of PAC, 24th September, 2018:

- Proposal on Amendments to the PFRDA(Pension Fund) Regulations, 2015
- Exploring the possibility to increase the age of superannuation from 60 years to 70 years for subscribers covered under Individual capacity (All Citizen Model) and Corporate Model.
- Selection of default Pension Fund under NPS Private Sector
- Pension Funds providing Annuity under NPS

The following agenda items were taken up for discussion in the Twelfth Meeting of PAC, March 18, 2019:

- Engagement of Insurance Agents and Banking Correspondents as facilitators For Distribution of Pension Schemes Regulated And Administered By PFRDA - Amendment To Point of Presence Regulations, 2018.
- Provisioning of Non-Performing Assets.
- Other Pension schemes under PFRDA Act 2013.
- Transfer of Legacy Funds of Central Government Subscribers pursuant to opening of choices of Pension Funds and Asset Allocation to them.

Composition of Pension Advisory Committee (PAC) is at **Annexure IV.**

4.2 Regulations Made or Amended

The information pertaining to Regulatory Developments made during financial year 2018-19 are as under

1. New Regulations notified during FY 2018-19: NIL
2. Amendments in the Regulations during FY 2018-19:

Following amendments have been notified during Apr 2018 - Mar 2019:

Table 4.1: Amendment in regulations

Sr. No.	Amendment	Date of Gazette Notification
1.	Pension fund regulatory and development authority (exits and withdrawals Under the national pension system) (fourth amendment) regulations, 2018	18.05.2018
2.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (First Amendment) Regulations 2018	25.06.2018
3.	Pension Fund Regulatory And Development Authority(Point Of Presence) Regulations,2018	25.06.2018
4.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System)(Fifth Amendment) Regulations, 2019	19.02.2019
5.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) (First Amendment) Regulations, 2019	19.02.2019

4.3 Constitution of Committee for utilization of Subscriber Education and Protection Fund

As per Section 6 of PFRDA (Subscriber Education and Protection Fund), Regulations, 2015 a committee was re-constituted on 25th March 2019 for recommending subscriber education, awareness and protection activities and for utilization of the Fund. The Committee shall recommend utilization of funds for subscribers' education, awareness and protection.

The committee may recommend projects and initiatives in association with various institutions, associations and organization etc. which are engaged in activities, related to subscriber awareness, education and protection. Committee met once during the financial year.

4.4 Standing Committee on Information Technology and Cyber Security in PFRDA:

PFRDA has constituted a Standing Committee on Information, Systems & Technology and Cyber Security in August 2018 with a view to keep an eye on rapid technological change and its effect on the financial sector in order to safeguard the subscribers' interest. The terms of reference of the said committee are to advise on Information Systems, Technology & cyber security issues, development of Management Information Systems (MIS), Supervisory and Regulatory platforms, new opportunities and challenges of Financial Technologies, Regulatory Technologies, strengthen the processes of cyber security/system/information security audit of PFRDA and intermediaries under the NPS architecture. Committee has met twice in the financial year.

Part V

Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority

5.1 Constitution of PFRDA Board

Section 4 of the PFRDA Act provides for the composition of the Authority consisting of a Chairperson, three whole time members; and three part-time members to be appointed by the Central Govt. As on 31.03.2019, the composition was as under:

(i) Chairman

Shri Hemant G. Contractor is the first Chairman to head the statutory Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) after notification of PFRDA Act in 2014. He joined PFRDA on 7th October 2014. Prior to joining PFRDA he was a career banker & joined State Bank of India as Probationary Officer in 1974.

(ii) Whole-Time Members

1. Dr. B.S. Bhandari, Whole-Time Member (Economics) from 16.05.2014 till date.
2. Shri Supratim Bandopadhyay, Whole-Time Member (Finance) from 12.03.2018 till date.

(iii) Part-Time Members

1. Ms. Annie George Mathew, Joint Secretary, Department of Expenditure, Part Time Member from 12.12.2014 till date.
2. Shri Sanjiv Narain Mathur, Joint Secretary, DPPW, Ministry of Personnel, P G and Pensions, Part-Time Member from 11.08.2017 till date.
3. Shri Madnesh Kumar Mishra, Joint Secretary, DFS, Ministry of Finance, Part- Time Member from 03.11.2017 till date.

5.2 Meetings of the Authority

Meetings of the Authority

Eight Meetings which include matters decided through circulation of the Authority were held during financial year 2018-19

Table 5.1: Authority Meetings FY 2018-19

1.	70th	Authority Meeting Held on	18th April 2018 Wednesday
2.	71st	Authority Meeting Held on	28th May 2018 Monday
3.	72nd	Authority Meeting Held on	30th July 2018 Monday
4.	73rd	Authority Meeting Held on	By Circulation
5.	74th	Authority Meeting Held on	09th October 2018 Tuesday
6.	75th	Authority Meeting Held on	By Circulation
7.	76th	Authority Meeting Held on	17th December 2018 Monday
8.	77th	Authority Meeting Held on	19 February 2019 Tuesday

5.3 Staff Strength in PFRDA

As on 31st March, 2019 the staff strength of PFRDA is 58 out of which 56 are in officer cadre ,1 Junior Assistant & 1 Staff Car Driver. Further, 7 of its officers are presently stationed at NPST trust and are reporting to C.E.O, NPS Trust as per instructions of the Authority.

5.4 Setting up of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA

To implement Government instructions on welfare of SC/ST/PWD employees, a cell has been set up in PFRDA. A General Manager grade officer has been nominated as Liaison Officer for SCs/STs/PWDs. Also, a separate cell for welfare of OBCs has been set up in PFRDA. Further, officer in the grade of Deputy General Manager is Liaison Officer for OBCs.

5.5 Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace

A Committee for prevention of Sexual Harassment at workplace is in place for receiving complaints, holding enquiry etc. in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and meets on quarterly basis.

5.6 Staff Welfare Committee

A Staff Welfare Committee has been constituted in PFRDA to identify and organize various staff welfare activities. The Committee will help evolve measures for securing and preserving good relations amongst the employees and also between employees and the management. A General Manager grade officer has been nominated as Chairperson of the Staff Welfare Committee.

5.7 Training of employees in PFRDA

During the financial year 2018-19, officers were nominated by PFRDA for trainings/workshops on various subject areas like Reservation Policy (EWS and PwBDs) Implementation, RTI, Conference for Chief Compliance Officers, Leveraging Social Media for Business Intelligence and Managing Non-SLR investments organized by various institutes.

5.8 Promotion of Official Language

PFRDA has set up an Official Language Cell to implement the official language policy of Government of India and ensure the implementation of Rajbhasha Act, 1963 and Rajbhasha Rules, 1976 and to promote use of Official Language in day to day functioning of PFRDA. Communications received in official language are also replied in official language. All regulations framed by PFRDA are bilingual. Keeping in view the large subscriber base of NPS consisting of various sections of the society, the contents available in English are being translated into Official Language for the benefit of subscribers.

5.9 Right to Information:

There is a dedicated cell in PFRDA to implement the Right to Information Act, 2005 (RTI Act). This Cell processes the applications received under the Right to Information Act, 2005 and works under Central Public Information Officer (CPIO). As required under the RTI Act, PFRDA has designated an officer as the Appellate Authority (AA) with whom the appeals can be filed against an order of the CPIO.

As per RTI Act, any citizen can seek information under RTI by making an appropriate application in writing alongwith the prescribed fees to the Central Public Information Officer, Pension Fund Regulatory and Development Authority, First Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan, B-14/A, Qutab Institutional Area, New Delhi 110016 and/or can also file an RTI under RTI Act, 2005 on Online Portal available at www.pfrda.org.in.

During the year 2018-19, 686 RTI Applications and 59 First Appeals were received till 31st March, 2019 inter-alia regarding contribution under National Pension System (NPS), opening of individual pension account, transfer, withdrawal & exit under NPS, APY scheme etc. All the applications and appeals were replied/disposed of within the stipulated time as prescribed under RTI Act, 2005. Section 4 of the RTI Act casts an obligation on every public authority to make certain suo-moto disclosures on its website. PFRDA has also made such suo-moto disclosures on its website. The focus of the disclosure is to improve the level of transparency in the working and functioning of PFRDA. In this regard, information regarding various functions, powers and duties of PFRDA & its officers etc. has been provided on PFRDA's website. Further, the PFRDA Act, rules and regulations made thereunder, circulars and manuals issued by

PFRDA are also available on the website.

5.10 Parliamentary Questions

During 2018-19, PFRDA received around 72 Parliamentary Questions, referred by the Government of India, mainly from the Ministry of Finance on various aspects related to the old age income security comprising queries on NPS and APY. PFRDA has furnished information and material for reply/ replies in a time bound manner for facilitating replies to the same to the Parliament.

5.11 Information Technology activities

PFRDA's website serves the subscribers and potential subscribers with information and guidance material including information on the protection of subscribers rights and interests, regulations, circulars, pension scheme products, pension funds, intermediaries, exit and benefits.

1. PFRDA's website is built as per the Guidelines for Indian Government Websites. The website is bilingual. The website has been migrated to the NIC cloud along with Security Audit and SSL (Secure Socket Layer) implementation.
2. The NPS Trust website facilitates better dissemination of information regarding NPS that are useful for the subscribers at one place, NAV details, returns of the schemes, Portfolio details of the schemes are disclosed for subscriber's information/ comparison, to ensure transparency.
3. Karvy CRA (https://nps.karvy.com/) portal, NSDL CRA (https://npscra.nsdl.co.in/) portal and Mobile Apps of both CRAs provide information to all the stakeholders. This information inter-alia include knowledge center with Standard Operating Procedures (SOPs), Forms and Demos and also provides facility of login for Retirement Adviser, Nodal Officers and Subscribers.
4. E-Office: E-Office has been implemented in PFRDA to make fast file movement and process efficiently.
5. Leased Line connectivity: PFRDA is using 34 Mbps leased line each to provide Internet services in PFRDA.
6. Cyber / IT Audit: Cyber threats has increased more in recent times and therefore it is not only necessary but mandatory to protect IT systems against any Cyber threats. In this regard, PFRDA has conducted Cyber Security Audit of its systems to ensure maximum protection against Cyber threats.
7. Pension Sanchay Website: Pension Sanchay website is used to spread awareness and educate subscribers and general public about Pension, retirement saving plan, old age income security and NPS benefits to public large.
8. Monitoring and securing of PFRDA working environment has been done with the CCTV surveillance in the Authority.

5.12 Others

No case of theft or misappropriation of resources of the Authority by any person or abuse of powers of the Authority by its Chairperson, members or by any of its officers, employees or agent or violation of any decision of the Authority by any of its officers, employees or agents or promotion and development of the pension industry orInvestigation ordered by the Authority under section 16 have been reported.

5.13 Accounts of PFRDA

During the financial year 2018-19 PFRDA received a grant of Rs 12.60 crores from Government of India for its establishment expenses.

The Atal Pension Yojna (APY) was announced in the budget speech for the FY 2015-16. This pension scheme is meant for all citizens in the age group of 18-40 years, with a focus on persons belonging to unorganized sector. All subscribers under NPS-lite/Swavalamban between the age of 18-40 years are eligible to shift to Atal Pension Yojana. During the financial year 2018-19, PFRDA has received a grant of Rs. 155.00 crores under APY towards Government co-contribution, incentive to service providers and other promotional activities.

An amount of Rs. 10.39 crore was received as Grant from Govt of India for Swavalamban Scheme towards Government Co-contribution and Promotion.

The accounts of the Authority for the financial year 2018-19 have been finalized as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. The accounts were approved by the PFRDA Board in its 82nd Board meeting held on 01.10.2019. The Balance Sheet and Income & Expenditure Accounts of PFRDA along with Schedules forming part of the financial statements, as approved by PFRDA Board, are placed at Annexure V.

In accordance with the provisions of the PFRDA Act 2013 the accounts of PFRDA for the financial year 2018-19 has been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for audit and certification. After audit by C&AG, certified accounts of the Authority together with the audit report thereon shall be submitted to Central Government and thereafter Central Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

Part VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers

6.1 Age limit of 40 years for joining APY

NPS Swavalamban which was started for unprivileged unorganised sector workers has been discontinued from w.e.f April 2015. In place of Swavalamban scheme, APY has been has been launched which provides guaranteed benefits to the underlying subscribers. Subscribers of Swavalamban scheme have been given option to migrate to APY. However, APY scheme allows entry of subscribers till the age of 40 (from 18 completed to 40 running). This leads to barrier for the entry of the age group of 41 year – 60 years, which is also the period for surplus income in an individual's life cycle. Therefore, to make the scheme available to more people, the age of eligibility may be extended from present 40 years.

It is being pursued with the Authority. The same is still under examination and has not been notified yet.

6.2 Statutory obligations that the Authority has not complied

6.2.1 Minimum Assured Returns Scheme (MARS)

Under Section 20(2) (d)(b), sub section seeking in the subscriber, seeking minimum assured returns, shall have an option to invest his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the Authority. However, Sec 20(2) (d) (e) states there shall be portability of individual pension accounts in case of change of employment. Construing the two sub sections harmoniously, it is evident that a scheme providing minimum assured return has to be made available. However, the same has to be based on a market based guaranteed system, PFRDA in consultation with DFS, Finance Ministry is exploring the possibility of floating at least a Capital Protection Scheme, which would be market based and does not cast an onerous Capital solvency responsibility on the Govt. hitherto non capital intensive structure of pension Funds.

Efforts are being made to arrive at a feasible MARS scheme in consultation with the Pension Funds and other stake holders. The same is still under examination and has not been notified yet.

Part VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act.

7.1 In addition to the steps mentioned in previous paras, some other initiatives taken by the Authority to protect the interest of the subscribers are as below.

The following steps have been taken in recent past for the convenience of the subscriber:

- NPS Regular Subscribers have option in their CRA login to view/download Statement of Voluntary additional Contribution under NPS. The same can be used as investment proof under the applicable section(s) of the Income-Tax Act, 1961.
- The investment guidelines have been revised to have more choice to subscriber for Pension Funds and Investment Schemes. Amendments to Investment guidelines for NPS schemes (other than Govt. Sector (CG & SG), Corporate CG, NPS Lite and APY) dated 22.05.2018. The cap on equity investments has been increased to maximum of 75% from the current permissible limit of 50% in active choice for private sector subscribers under NPS, with tapering off the equity allocation after attaining the age of 50 years by subscriber. This step is towards the interest of subscribers in the non-government sector.
- Under NPS, Subscribers/Nodal Offices have an option to raise grievances in Central Grievance Management System (CGMS) of CRA. On registration of grievances, a unique Token Number is generated in CGMS. Now, functionality has been released in the CRA system wherein complete history of respective grievance token number is displayed to the User such as grievance raised, resolution, escalations (if any) etc.
- Select banks are offering the APY through their internet banking channel.
- Online withdrawal module has been implemented to facilitate Subscribers/ Nodal Offices to initiate exit requests under NPS by accessing CRA system. Various enhancements related to withdrawal module has been carried out in CRA system. To facilitate Subscribers/Nodal Offices to initiate Exit requests under NPS by accessing CRA system. Now, a text box explaining details of percentage allocation of withdrawal corpus between lump sum withdrawal and annuity is displayed to the User while initiating withdrawal request. The same will help the User to know corpus allocation and to decide annuity percentage to be opted for desired annuity scheme.
- Online registration of RAs has also been enhanced.
- SMS based alerts for account transactions; reminder for contribution payment etc. is done periodically.
- As per PFRDA (Exit and Withdrawal) Regulations, 2015, a partial withdrawal of accumulated pension wealth under NPS, at any time before exit from NPS is permitted subject to terms and conditions, purpose, frequency and limits specified in the regulations. Now, as per Third & Forth Amendment to PFRDA (Exit and Withdrawal) Regulations, 2015, partial withdrawal will also be allowed for following purposes. These new options have been implemented in online withdrawal module of CRA system.
  1. To meet medical & incidental expenses due to disability/incapacitation
  2. For skill development/re-skilling or any other self-development activities
  3. For establishment of own venture or any start-up

- Based on PFRDA advise and Supreme Court ruling dated September 26, 2018 (on suspension of Aadhaar for e-KYC services), various Aadhaar based services under NPS as mentioned below have been disabled in the CRA system from December 1, 2018. These services have been disabled in NPS Mobile App as well to protect the interest of the subscribers'.
  - Aadhaar based Subscriber Registration & eSign facilities under eNPS for NPS Regular and APY
  - Aadhaar based registration of Retirement Advisers
  - Aadhaar seeding
  - Aadhaar based Address update
  - Photo & Signature update by Subscriber
  - Nominee Details update by Subscriber
  - Self Authorization Withdrawal by Subscriber
- Revised FAQs were issued:
  - Central Government Sector (CG) and Central Autonomous Bodies (CABs)
  - State Government Sector (SG) and State Autonomous Bodies (SABs)
  - Exit from National Pension System by citizens, including corporate sector subscribers
  - Exit from National Pension System by NPS-Lite and Swavalamban subscribers

Annexure I

Table no. I: No. of subscribers registered (PRANs Generated) in APY by various distribution channels

Category of Banks	As on date (*March 31, 2016)	As on date (March 31, 2017)	As on date (March 31, 2018)	As on date (March 31, 2019)
Public Sector Banks	1,693,190	3,047,273	6,553,397	10,719,758
Private Banks	218,086	497,323	873,901	1,145,289
Small Finance Bank	-	-	-	9,190
Payment Bank	-	-	-	48,182
Regional Rural Banks	476,373	1,115,257	1,987,176	3,171,152
District Co-op Banks	21,222	29,791	33,880	38,863
State Co-op Banks	354	680	805	1,053
Urban Co-op Banks	327	3,507	10,936	14,469
DOP	75,343	189,998	245,366	270,329
Total	**2,484,895**	**4,883,829**	**9,705,461**	**15,418,285**

Source: CRA-NSDL

As on 31st March 2019, 1.54 Cr. subscribers have been registered under APY.

06 PSBs *(Indian Bank, Andhra Bank, Canara Bank, Bank of Baroda, Central Bank of India and Vijaya Bank)* **achieved the APY target for FY 2018-19 .**

27 RRBs (Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Kaveri Grameena Bank, Tripura Gramin Bank, Bihar Gramin Bank, Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Maharashtra Grameena Bank, Vidharba Konkan Gramin Bank, Karnataka Vikas Gramin Bank, Pragati Krishna Gramin Bank, Baroda Gujarat Gramin Bank, Prathama Bank, Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Madhya Bihar Gramin Bank, Gramin Bank Of Aryavart, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Punjab Gramin Bank, Purvanchal Bank, Uttrakhand Gramin Bank, Allahabad Up Gramin Bank, Pallavan Gramin Bank, Kerala Gramin Bank, Madhyanchal Gramin Bank, Chaitnya Godavri Gramin Bank, Andhra Pragati Grameena Bank, Sarva Up Gramin Bank, Puduvai Bharathiar Grama Bank have achieved the APY target for FY 2018-19 .

In case of Pvt. Banks- Karnataka Bank Limited has achieved the APY target for FY 2018-19.

Table no. II : Performance of Major Banks

S.No.	Name of the APY Service Provider	No of Accounts opened from 01.04.2018 till 31.03.2019	No of Active Branch till 31.03.2019	Average APY Acct/Branch (2018-19) as on 31.03.2019	Yearly Target Allotted To Banks (60 Accounts Per Branch)
1	Indian Bank	234160	2710	86	60
2	Andhra Bank	218252	2887	76	60
3	Canara Bank	431633	6094	71	60
4	Bank of Baroda	365885	5445	67	60
5	Central Bank of India	296219	4672	63	60
6	Vijaya Bank	115792	1898	61	60
7	United Bank of India	114689	2019	57	60
8	Bank of India	278760	5080	55	60
9	Allahabad Bank	171433	3241	53	60
10	Oriental Bank of Commerce	104064	2387	44	60
11	Dena Bank	74682	1765	42	60
12	State Bank of India	915550	21638	42	60
13	Union Bank of India	172765	4138	42	60
14	IDBI Bank Ltd	72498	1856	39	60
15	Syndicate Bank	129927	4039	32	60
16	Indian Overseas Bank	101775	3380	30	60
17	Punjab And Sind Bank	39964	1530	26	60
18	Uco Bank	78677	3107	25	60
19	HDFC Bank Ltd	106569	4884	22	60
20	Bank of Maharashtra	39173	1844	21	60
21	Axis Bank	71576	3672	19	60
22	Punjab National Bank	102154	6478	16	60
23	Corporation Bank	37111	2443	15	60
24	ICICI Bank Limited	46661	4191	11	60
25	The Jammu and Kashmir Bank Ltd.	1296	915	1	60
	TOTAL	**4321265**	**102313**		

Table no. III : :-Performance of RRBs

REGIONAL RURAL BANKS

S. No.	Name of the APY Service Provider	No of Accounts opened from 01.04.2018 till 31.03.2019	No of Active Branch till 31.03.2019	Average APY Acct/ Branch (2018-19) as on 31.03.2019	Yearly Target Allotted To Banks (50 Accounts Per Branch)
1	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	110431	924	120	50
2	Kaveri Grameena Bank	53705	499	108	50
3	Tripura Gramin Bank	15820	148	107	50
4	Bihar Gramin Bank	39873	376	106	50
5	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	79173	774	102	50
6	Maharashtra Gramin Bank	35501	410	87	50
7	Vidharbha Konkan Gramin Bank	27583	325	85	50
8	Karnataka Vikas Grameena Bank	51723	639	81	50
9	Pragathi Krishna Gramin Bank	50989	657	78	50
10	Baroda Gujarat Gramin Bank	18434	246	75	50
11	Prathama Bank	30320	413	73	50
12	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	32948	459	72	50
13	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank	9896	142	70	50
14	Madhya Bihar Gramin Bank	45741	702	65	50
15	Gramin Bank of Aryavart	42822	702	61	50
16	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank	50255	840	60	50
17	Punjab Gramin Bank	16829	285	59	50
18	Purvanchal Bank	33969	598	57	50
19	Uttarakhand Gramin Bank	15809	286	55	50
20	Allahabad Up Gramin Bank	35863	654	55	50
21	Pallavan Grama Bank	15388	289	53	50
22	Kerala Gramin Bank	33224	633	52	50
23	Madhyanchal Gramin Bank	23768	454	52	50
24	Chaitanya Godavari Grameena Bank	10870	210	52	50
25	Andhra Pragathi Grameena Bank	28510	551	52	50
26	Sarva Up Gramin Bank	26829	522	51	50
27	Puduvai Bharthiar Grama Bank	2131	43	50	50

S. No.	Name of the APY Service Provider	No of Accounts opened from 01.04.2018 till 31.03.2019	No of Active Branch till 31.03.2019	Average APY Acct/ Branch (2018-19) as on 31.03.2019	Yearly Target Allotted To Banks (50 Accounts Per Branch)
28	Utkal Grameen Bank	21716	441	49	50
29	Sutlej Gramin Bank	2060	42	49	50
30	Central Madhya Pradesh Gramin Bank	20272	456	44	50
31	Langpi Dehangi Rural Bank	2351	59	40	50
32	Uttar Bihar Gramin Bank	34722	1033	34	50
33	Himachal Pradesh Gramin Bank	8540	265	32	50
34	Telangana Grameena Bank	13291	414	32	50
35	Vananchal Gramin Bank	6440	203	32	50
36	Rajasthan Marudhara Gramin Bank	22025	701	31	50
37	Dena Gujarat Gramin Bank	7623	243	31	50
38	Saptagiri Grameena Bank	6415	213	30	50
39	Odisha Gramya Bank	15308	549	28	50
40	Narmada Jhabua Gramin Bank	10727	408	26	50
41	Jharkhand Gramin Bank	6257	239	26	50
42	Pandyan Grama Bank	7981	335	24	50
43	J&K Grameen Bank	4753	217	22	50
44	Paschim Banga Gramin Bank	3648	230	16	50
45	Saurashtra Gramin Bank	3772	260	15	50
46	Assam Gramin Vikash Bank	5208	413	13	50
47	Malwa Gramin Bank	1116	89	13	50
48	Bangiya Gramin Vikash Bank	6897	587	12	50
49	Chattisgarh Rajya Gramin Bank	6108	610	10	50
50	Mizoram Rural Bank	821	85	10	50
51	Manipur Rural Bank	226	25	9	50
52	Sarva Haryana Gramin Bank	4776	654	7	50
53	Meghalaya Rural Bank	350	93	4	50
54	Arunachal Pradesh Rural Bank	55	29	2	50
55	Nagaland Rural Bank	2	11	0	50
56	Ellaquai Dehati Bank Head Office	23	139	0	50
	TOTAL	**1161887**	**21824**		

Table IV :-Performance of Pvt Banks

S. No.	Name of the APY Service Provider	No of Accounts opened from 01.04.2018 till 31.03.2019	No of Active Branch till 31.03.2019	Average APY Acct/ Branch (2018-19) as on 31.03.2019	Yearly Target Allotted To Banks (25 Accounts Per Branch)
1	Karnataka Bank Limited	20496	835	25	25
2	City Union Bank Ltd	3738	648	6	25
3	IDFC Bank Limited	1101	203	5	25
4	Tamilnad Mercantile Bank Pvt Ltd	2177	509	4	25
5	The South Indian Bank Ltd	3320	915	4	25
6	The Karur Vysya Bank Ltd	2791	792	4	25
7	Dhanlaxmi Bank Limited	701	266	3	25
8	Kotak Mahindra Bank	2975	1487	2	25
9	The Federal Bank Ltd	2306	1250	2	25
10	RBL Bank Limited	368	244	2	25
11	The Nainital Bank Ltd	107	135	1	25
12	Bandhan Bank Limited	654	938	1	25
13	Yes Bank Limited	320	844	0	25
14	The Catholic Syrian Bank Limited	132	426	0	25
15	The Lakshmi Vilas Bank Ltd	118	542	0	25
16	DCB Bank Limited	11	198	0	25
17	Indusind Bank Limited	29	745	0	25
18	Citi Bank	0	0	0	25
19	Standard Chartered Bank	0	100	0	25
	TOTAL	**41344**	**11077**		

Table V:-Small Finance Banks

Name of APY- Service providers	No. of Branches	No of Accounts opened from 01.04.2018 till 31.03.2019	Average Account Per Branch	Target per branch for FY 2018-19
ESAF Small Finance Bank Limited	356	9190	26	50

Table VI:-Payments Bank

Name of APY- Service providers	No. of Branches	No of Accounts opened from 01.04.2018 till 31.03.2019	Average Account Per Branch	Target per branch for FY 2018-19
Paytm Payments Bank Limited	1	48182	48182	10000

Table VII :-Performance of DoP – State Circle Wise

Sr. No.	Name of the Circle	PRAN count in 2015-2016*	PRAN count in 2016-2017*	PRAN count in 2017-2018*	APY Accounts sourced in the FY 2018-2019#
1	Punjab (includes Chandigarh)	2,802	14,521	8,997	3,090
2	Rajasthan	30,889	24,711	9,762	1,766
3	Maharashtra(includes Goa)	22,386	16,130	4,405	4,008
4	Tamilnadu (includes Puducherry)	2,763	23,867	5,670	2,913
5	Karnataka	5,842	8,104	8,774	3,460
6	Haryana	792	757	129	48
7	Telangana	1,331	2,301	1,416	291
8	AndhraPradesh	1,683	1,979	760	542
9	Uttarakhand (as Uttaranchal)	1,580	8,381	3,363	672
10	Assam	200	703	443	77
11	Gujarat	2,189	4,130	3,305	1,044
12	West Bengal (includes Sikkim)	165	2,888	1,127	733
13	Jammu & Kashmir	111	42	7	31
14	Delhi	22	1,096	725	1,527
15	Jharkhand	182	134	1,401	184
16	Odisha	216	445	467	393
17	Madhya Pradesh	177	468	240	245
18	Bihar	98	595	1,523	392
19	UttarPradesh	1,390	824	463	165
20	North East (includes Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland & Tripura)	116	56	31	8
21	Chhattisgarh	39	866	396	168
22	Himachal Pradesh	315	764	789	349
23	Kerala	54	893	1,175	2,857
	Total	**75,342**	**1,14,655**	**55,368**	**24,963**

***Includes Active and Deactive PRANs**
#Active PRANs Only

Annexure II

Table no. I: List of Point of Presence registered with NSDL-CRA under NPS as on 31st March, 2019

Sr. No.	Name of POP	No. of POP-SP registered
1	Abhipra Capital Limited	69
2	Alankit Assignments Limited	288
3	Allahabad Bank	2,046
4	Andhra Bank	1,766
5	Angel Broking Private Limited	1
6	Arihant Capital Markets Limited	1
7	Asit C Mehta Investment Interrmediates Limited	1
8	Axis Bank Limited	3,536
9	Bajaj Capital Limited	83
10	Bank of Baroda	5
11	Bank of India	5
12	Bank of Maharashtra	1,851
13	Canara Bank	3,569
14	Central Bank of India	4,647
15	Computer Age Management Services Private Limited	227
16	Corporation Bank	2,292
17	CSC e-Governance Services India Limited	1
18	Dayco Securities Private Limited	29
19	DBFS Securities Limited	1
20	Dena Bank	1,449
21	Elite Wealth Advisors Limited	1
22	ESAF Small Finance Bank Limited	144
23	Eureka Stock And Share Broking Services Limited	11
24	Finwizard Technology Private Limited	1
25	Gujarat Infotech Limited	4
26	HDFC Bank Limited	3
27	HDFC Pension Management Company Limited	1
28	HDFC Securities Limited	2
29	ICICI Bank Limited	1,564
30	ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited	-
31	ICICI Securities Limited	34
32	IDBI Bank Limited	1,891
33	IL&FS Securities Services Limited	37
34	India Infoline Finance Ltd	1
35	India Post NPS Nodal Office	808
36	Indian Bank	1,834
37	Indian Overseas Bank	3,282

Sr. No.	Name of POP	No. of POP-SP registered
38	IndusInd Bank Limited	805
39	Integrated Enterprises (India) Private Limited	121
40	Karnataka Bank Limited	801
41	Karvy Stock Broking Limited	8
42	Kotak Mahindra Bank Limited	844
43	LICHFL Financial Services Limited	1
44	Marwadi Shares and Finance Limited	80
45	Monarch Networth Capital Limited	1
46	Muthoot Finance Limited	33
47	Narnolia Securities Limited	1
48	NJ India Invest Private Limited	1
49	Oriental Bank of Commerce	985
50	PAYTM Payments Bank Limited	1
51	Prudent Corporate Advisory Services Limited	1
52	Punjab and Sind Bank	914
53	Punjab National Bank	6,987
54	RBL Bank Limited	201
55	Reliance Capital Limited	140
56	Religare Broking Limited	13
57	SBICap Securities Limited	1
58	SMC Global Securities Limited	27
59	State Bank of India	22,640
60	Steel City securities Limited	48
61	Stock Holding Corporation Of India Limited	232
62	Syndicate Bank	3,501
63	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	510
64	The Federal Bank Ltd	1,073
65	The Karur Vysya Bank	710
66	The Lakshmi Vilas Bank Limited	542
67	The South Indian Bank Limited	918
68	Uco Bank	1,851
69	Union Bank Of India	3,872
70	United Bank of India	1,117
71	UTI Asset Management Company Limited	152
72	Ventura Securities Limited	1
73	Vijaya Bank	1,247
74	Way2Wealth Brokers Private Limited	3
75	Yes Bank Limited	86
76	Zen Securities Limited	27
	Total	**81,981**

Table no. II: List of Point of Presence registered with Karvy-CRA under NPS as on 31st March, 2019

Sr. No.	Name of POP	No. of POP-SP registered
1	Abhipra Capital Limited	69
2	Alankit Assignments Limited	288
3	Allahabad Bank	2,046
4	Andhra Bank	1,766
5	Angel Broking Private Limited	1
6	Arihant Capital Markets Limited	1
7	Asit C Mehta Investment Interrmediates Limited	1
8	Axis Bank Limited	3,536
9	Bajaj Capital Limited	83
10	Bank of Baroda	5
11	Bank of India	5
12	Bank of Maharashtra	1,851
13	Canara Bank	3,569
14	Central Bank of India	4,647
15	Computer Age Management Services Private Limited	227
16	Corporation Bank	2,292
17	CSC e-Governance Services India Limited	1
18	Dayco Securities Private Limited	29
19	DBFS Securities Limited	1
20	Dena Bank	1,449
21	Elite Wealth Advisors Limited	1
22	ESAF Small Finance Bank Limited	144
23	Eureka Stock And Share Broking Services Limited	11
24	Finwizard Technology Private Limited	1
25	Gujarat Infotech Limited	4
26	HDFC Bank Limited	3
27	HDFC Pension Management Company Limited	1
28	HDFC Securities Limited	2
29	ICICI Bank Limited	1,564
30	ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited	-
31	ICICI Securities Limited	34
32	IDBI Bank Limited	1,891
33	IL&FS Securities Services Limited	37
34	India Infoline Finance Ltd	1
35	India Post NPS Nodal Office	808
36	Indian Bank	1,834
37	Indian Overseas Bank	3,282
38	IndusInd Bank Limited	805

Sr. No.	Name of POP	No. of POP-SP registered
39	Integrated Enterprises (India) Private Limited	121
40	Karnataka Bank Limited	801
41	Karvy Stock Broking Limited	8
42	Kotak Mahindra Bank Limited	844
43	LICHFL Financial Services Limited	1
44	Marwadi Shares and Finance Limited	80
45	Monarch Networth Capital Limited	1
46	Muthoot Finance Limited	33
47	Narnolia Securities Limited	1
48	NJ India Invest Private Limited	1
49	Oriental Bank of Commerce	985
50	PAYTM Payments Bank Limited	1
51	Prudent Corporate Advisory Services Limited	1
52	Punjab and Sind Bank	914
53	Punjab National Bank	6,987
54	RBL Bank Limited	201
55	Reliance Capital Limited	140
56	Religare Broking Limited	13
57	SBICap Securities Limited	1
58	SMC Global Securities Limited	27
59	State Bank of India	22,640
60	Steel City securities Limited	48
61	Stock Holding Corporation Of India Limited	232
62	Syndicate Bank	3,501
63	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	510
64	The Federal Bank Ltd	1,073
65	The Karur Vysya Bank	710
66	The Lakshmi Vilas Bank Limited	542
67	The South Indian Bank Limited	918
68	Uco Bank	1,851
69	Union Bank Of India	3,872
70	United Bank of India	1,117
71	UTI Asset Management Company Limited	152
72	Ventura Securities Limited	1
73	Vijaya Bank	1,247
74	Way2Wealth Brokers Private Limited	3
75	Yes Bank Limited	86
76	Zen Securities Limited	27
	Total	**81,981**

Annexure III

Table no. I: List of POPs (Aggregator) under NPS as on 31st March, 2019

Sr. No.	Name of POP	No of Branches Registered (NLCC)
1	A.P. Building And Other Construction Workers Welfare Board	27
2	Abhipra Capital Ltd.	36
3	Adhikar Microfinance Private Limited	1
4	Alankit Assignments Ltd.	56
5	Allahabad Bank	301
6	Allahabad Up Gramin Bank	116
7	Andhra Bank	151
8	Assam Gramin Vikash Bank	375
9	Bandhan Bank Ltd	10
10	Banaskantha Dist. Co-Op Milk Producers Union Limited	1,954
11	Bandhan Konnagar	1
12	Bank Of Baroda	2
13	Bank Of Maharashtra	729
14	Baroda Gujarat Gramin Bank	25
15	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank	72
16	Building & Other Construction Workers Welfare Board Rajasthan	33
17	Bwda Finance Ltd (Bfl)	39
18	Canara Bank	3,081
19	Cashpor Micro Credit Head Office	343
20	Centre For Development Orientation And Training (Cdot)	52
21	Credit Access Grameen Limited	94
22	Csc E-Governance Services India Limited	32,211
23	Dena Bank	11
24	Department Of Women & Child Development	212
25	Esaf Small Finance Bank Ltd	246
26	Gujarat Infotech Limited	2
27	Idbi Bank Ltd	50
28	Ifmr Rural Finance Services Pvt. Ltd	4,510
29	Indian Bank- Banking Operations Dept	779
30	Indian Overseas Bank	64
31	Indur Intideepam Macs Federation Ltd	15
32	Jana Small Finance Bank Ltd	237
33	Jharkhand Building & Other Construction Workers Welfare Board Ranchi	36
34	Karnataka State Unorganised Workers Social Security Board Bangalore	1,040
35	Lic Housing Finance Ltd.	79
36	Life Insurance Corporation Of India	65
37	Madhya Bihar Gramin Bank	331

Sr. No.	Name of POP	No of Branches Registered (NLCC)
38	Oriental Bank Of Commerce	219
39	Punjab National Bank	441
40	Samhita Community Development Services	1
41	Sarva Haryana Gramin Bank	466
42	Shree Kshethra Dharmasthala Rural Development Project	123
43	Shri Mahila Sewa Sahakari Bank Limited	10
44	Society For Elimination Of Rural Poverty	22
45	State Bank Of India	17,950
46	Swavalamban-Nl	-
47	Swayamshree Micro Credit Services	45
48	Syndicate Bank	151
49	The South Indian Bank Ltd Marketing Department Nps Cell	631
50	Uco Bank	28
51	United Bank Of India	215
52	Vijaya Bank	560
	Total	**68,248**

Annexure IV

The reconstituted Pension Advisory Committee is as under:

1. Chief General Manager, Government Business Unit, State Bank of India, New Delhi
2. Managing Director & CEO, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd
3. Executive Director (Retail Banking), Axis Bank
4. Deputy Controller General of Accounts (Technical Advice), Department of Expenditure, Ministry of Finance
5. Chief Executive Officer & Whole Time Director, UTI Retirement Solutions Ltd
6. Chief Executive Officer, HDFC Pension Management Company Ltd
7. Vice President and Head Custodial Services, Stock Holding Corporation of India Ltd.
8. Shri Dinesh Pant, Appointed Actuary Life Insurance Corporation of India
9. Chairman, NPS Trust
10. Director, National Institute of Bank Management, Pune
11. Dr. Renuka Sane, Associate Professor, National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)
12. Shri Kulin Patel, Senior Actuary and Director – Client Account Management, Towers Watson, Gurgaon
13. President, Institute of Actuaries of India
14. Chief Executive Officer Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
15. Deputy Secretary (Establishment II), Department of Personnel & Training
16. Director (A/Cs), Department of Posts, New Delhi
17. Shri Rajiv Kapoor, Executive Director – Group HRM Minda Industries Ltd. representing CII
18. Chief Executive-Indian Banks' Association
19. Director, Budget, Department of Finance, Bhopal, Government of Madhya Pradesh

The Chairperson and the Members of the Authority are the ex officio Chairperson and ex officio members of the Pension Advisory Committee.

Annexure V

FORM A
[See Rule 3(a)]
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
BALANCE SHEET AS ON 31-03-2019

(Unit-Indian Rupee)

Liabilities	Schedule	Current year	Previous year	Assets	Schedule	Current year	Previous year
1. Corpus/Capital Fund	1	55,46,76,869	20,89,66,154	1. Fixed Assets	8		
				Gross block		2,34,73,725	2,11,92,797
2. Reserves and Surplus	2	-	-	Less: Depreciation		1,47,66,875	1,29,39,764
				Net Block		87,06,849	82,53,032
3. Earmarked/ Endowment funds	3	2,04,01,314	1,80,59,540				
				2. Investments from Earmarked/ Endowment Fund	9	1,93,23,162	1,70,21,896
4. Secured loans and borrowings	4	-	-				
				3. Investment-Others	10	36,18,40,229	27,00,00,000
5. Unsecured loans and borrowings	5	-	-				
				4. Current assets, Loans, Advances etc.	11	49,90,06,771	75,41,60,564
6. Deferred credit liabilities	6	-	-				
				5. Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
7. Current liabilities and provisions	7	31,37,98,828	82,24,09,799				
Total		**88,88,77,012**	**1,04,94,35,493**	**Total**		**88,88,77,012**	**1,04,94,35,493**
Significant Accounting Policy	**24**						
Contigent Liabilities and Notes on Accounts	**25**						

Note:- All Schedules to Balance Sheet shall form part of Account.

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

FORM B
[See Rule 3(b)]
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019

(Unit-Indian Rupee)

Expenditure	Schedule	Current year	Previous year	Income	Schedule	Current year	Previous year
1. Establishment Expenses	20	19,41,52,441	14,24,40,735	1. Income from Sales/ Services	12	-	-
2. Other Administrative expenses etc.	21	2,24,31,72,940	2,40,97,71,405	2. Grants/ Subsidies	13	1,77,99,37,800	2,25,75,78,000
3. Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	-	-	3. Fee/ Subscription	14	54,19,73,514	36,30,29,595
4. Interest	23	2,943	1,750	4. Income from Investments (Income on investment from earmarked/ endowment funds transferred to Funds)	15	-	-
5. Depreciation(Net Total at the year end- corresponding to Schedule 8)		20,57,488	16,94,998	5.Income from Royalty, Publications etc.	16	-	-
				6. Interest Earned	17	4,35,15,368	3,91,20,774
				7. Other Income	18	2,26,525	2,45,759
				8. Increase/ (decrease) in stock of Finished goods and Work-in-progess	19	-	-
TOTAL		**2,43,93,85,811**	**2,55,39,08,888**	**TOTAL**		**2,36,56,53,207**	**2,65,99,74,128**
Balance being excess of Income over Expenditure		**(7,37,32,604)**	**10,60,65,240**				
Transfer to Special Reserve (specify each)		**-**	**-**				
Transfer to/from General Reserve		**-**	**-**				
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**(7,37,32,604)**	**10,60,65,240**				
Significant Accounting Policy	**24**						
Contigent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Note:- All Schedules to Income and Expenditure Account shall form part of account.

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

FORM C
[See Rule 3(c)]
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2018 to 31-03-2019

(Unit-Indian Rupee)

Sl. No.	Receipts	Current year	Previous year	Sl. No.	Payments	Current year	Previous year
1.	Opening Balances			1.	Expenses		
(a)	Cash in hand	20,000	20,000	(a)	Establishment Expenses	18,55,95,984	15,44,36,867
(b)	Bank Balances			(b)	Administrative Expenses	29,73,44,838	27,29,70,411
	(i) In Current accounts	-	-	2.	Grants Utilised		
	(ii) In Time Deposit accounts	-	-	(a)	Swavalamban Contribution	18,18,55,819	34,84,88,000
	(iii) In Saving Bank deposit accounts	68,03,96,600	76,15,72,278	(b)	Swavalamban Promotion	4,84,000	2,46,15,900
2.	Grants Received			(c)	Grant to National Pension system Trust	-	-
(i)	From Government of India			(d)	APY Contribution	81,45,81,888	1,18,21,19,845
	(a) Grant-in-aid Salaries	12,60,00,000	10,50,00,000	(e)	APY Promotion and Development	1,09,49,45,670	44,86,67,343
	(b) Grant-in-aid-General	-	4,50,00,000	(f)	Refund of Grant	-	-
	(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	10,09,00,000	42,94,81,675	(g)	Others	-	-
	(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	30,37,800	8,96,325	3.	Investments and deposits made		
	(e) Grant-in-aid APY Contribution	75,00,00,000	87,72,00,000	(a)	Out of Earmarked/ Endowment funds	22,78,104	3,00,000
	(f) Grant-in-aid APY Promotion & Development	80,00,00,000	80,00,00,000	(b)	Out of Own Funds (Investments-Others)	8,83,00,000	27,00,00,000
	(g) Others	-	-	4.	Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-progress		
(ii)	From State Government			(a)	Purchase of Fixed Assets	4,41,518	7,89,671
	(a) Grant-in-aid Salaries	-	-	(b)	Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
	(b) Grant-aid-General	-	-	5.	Refund of surplus money/ Loans		
	(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	-	-	(a)	Recoverable from National pension system trust	-	-
	(d)Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	-	(b)	To the State Government	-	-
	(e) Others	-	-	(c)	To other providers of funds	-	-
(iii)	From Financial Institutions	-	-	6.	Finance Charges (Interest)		
3.	Income on Investments			(a)	Bank charges	2,943	592
(a)	Earmarked/Endowment Funds	12,25,042	20,868	(b)	Others	-	-
(b)	Own Funds (other investment)	-	-	7.	Other Payments (Specify)		
4.	Interest Received			(a)	Prepaid	11,61,179	18,11,050
(a)	On Bank deposits	4,36,17,399	2,61,60,198	(b)	Loan/ Advance to employees	2,50,000	2,44,000
(b)	Loans, Advances etc.	-	-	(c)	Advance against Expenses	4,86,04,303	5,33,48,792
(c)	Others (Interest on Loan)	-	-	(d)	Security Deposits		4,78,000
5.	Other Income (Specify)			8.	Closing Balances		
(a)	Annual Fees	44,27,52,732	36,13,45,095	(a)	Cash in hand	20,000	20,000
(b)	Fees from Miscellaneous Services	17,24,501	16,84,500	(b)	Bank Balances		
(c)	Miscellaneous Income	24,634	5,761		(i) In Current accounts		
6	Amount Borrowed	-	-		(ii) In Time Deposit accounts		
7	Any Other receipts				(iii) in Saving Bank deposit accounts	26,81,40,459	68,03,96,600
(a)	Security/EMD receipts	-	-				
(b)	Recovery of Advance	3,31,35,430	2,99,62,218				
(C)	Transfer of Assets	1,42,145	50,283				
(d)	Subscribers Education and Protection Fund	10,30,423	2,87,870				
	TOTAL	**2,98,40,06,705**	**3,43,86,87,071**		**TOTAL**	**2,98,40,06,705**	**3,43,86,87,071**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 1
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
CORPUS/ CAPITAL FUND

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Balance as at the beginning of the year	20,89,66,154	17,56,81,330
Add : Opening Balance of unutilized corpus fund	66,17,79,686	58,89,99,270
Less: Closing Balance of unutilized corpus fund	24,23,36,366	66,17,79,686
"Add/Deduct: Balance of net income/expenditure transferred from the Income and Expenditure"	(7,37,32,604)	10,60,65,240
"Add : Government Grant to be received from government/ transferred from the Income and Expenditure Account "	-	-
BALANCE AS AT THE PERIOD END	**55,46,76,869**	**20,89,66,154**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 2
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
RESERVES AND SURPLUS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Capital Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
3. Special Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
4. General Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
Total	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-3
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Subscriber's Education and Protection Fund	
	Current Year	Previous Year
1. Opening balance of the funds	1,80,59,540	1,64,05,649
2. Additions to the funds		
a) Donations / grants	-	-
b) Income on Investments made on account of funds	13,11,351	13,66,021
c) Transfer from NPS Trust Penalty A/c and NPS Trust Investor Awareness Fund A/c"	-	-
d) Receipts during the year	10,30,423	2,87,870
e) Other Additions (Specify nature)		
TOTAL (1+2)	**2,04,01,314**	**1,80,59,540**
3. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
a) Capital Expenditure		
i) Fixed assets	-	-
ii) Others	-	-
Total	**-**	**-**
b) Revenue Expenditure		
i) Salaries, wages and allowances, etc.	-	-
ii) Rent	-	-
iii) Other Administrative expenses	-	-
c) Others	-	-
Total	**-**	**-**
TOTAL (3)	**-**	**-**
NET BALANCE AT THE PERIOD END (1+2-3)	**2,04,01,314**	**1,80,59,540**

Notes
1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2) Plan Funds received from the Central/ State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-4
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Instituitions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)	-	-
- Interest accrued and due		
5. Other Instituitions	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others	-	-
TOTAL	**-**	**-**
Note:- Amount due within one year		

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-5
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Instituitions	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other Instituitions	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**
Note:- Amount due within one year		

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-6
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Acceptances secured by hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-	-
2. Others	-	-
Note:- Amount due within one year		

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-7
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Current Liabilities		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors & Payables	94,61,969	12,15,94,688
3. Advances Received	-	-
4. Interest Accrued but not due on:		
a) Secured Loans / Borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/ Borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others	-	-
6. Other Current Liabilities		
a) Unutilised grant payable to GOI	24,23,36,366	66,17,79,686
b) Others: IRDA A/C	-	31,988
c) Others: Security Deposites	66,46,000	66,71,540
TOTAL	**25,84,44,335**	**79,00,77,902**
Provisions		
1. For Taxation	3,34,545	27,30,079
2. Gratuity	2,07,11,598	1,83,81,621
3. Trade Warranties/ Claims	-	-
4. Accumulated Leave encashment	3,37,95,764	1,06,48,445
5. Pension Contribution Payable	2,79,151	3,23,808
6. Leave salary payable	2,33,435	2,46,392
7. NPS Employees Contribution	-	1,552
TOTAL	**5,53,54,493**	**3,23,31,897**
GRAND TOTAL	**31,37,98,828**	**82,24,09,799**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-8
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
FIXED ASSETS

(Unit-Indian Rupee)

Description	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Cost/ Valuation as at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ Valuation as at the year end	As at beginning of the year	For the year	On Deductions during the year	Total upto the year	As at the Current year	As at the previous year
Fixed Assets										
1. Land:										
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Buildings:								-		
a) On Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership flats/premises"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plant Machinery and Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Vehicle	10,37,399	6,88,822	-	17,26,221	8,16,093	84,858	-	9,00,951	8,25,270	2,21,306
5. Furniture & Fixtures	40,45,064	2,09,856	-	42,54,920	16,59,022	2,55,299	-	19,14,321	23,40,600	23,86,042
6. Office Equipments	54,35,411	10,70,129	1,81,899	63,23,641	24,49,106	5,18,705	66,065	29,01,746	34,21,895	29,86,305
7. Computer/ Peripherals	1,03,34,523	7,71,939	2,87,405	1,08,19,057	77,13,097	11,80,488	1,64,312	87,29,273	20,89,784	26,21,427
8. Electrical Installations	1,51,908	-	-	1,51,908	1,25,794	3,917	-	1,29,711	22,197	26,114
9. Liabrary Books	1,88,491	9,486	-	1,97,977	1,76,653	14,221	-	1,90,874	7,103	11,838
10. Other Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Of Current Year	**2,11,92,797**	**27,50,232**	**4,69,304**	**2,34,73,725**	**1,29,39,764**	**20,57,488**	**2,30,377**	**1,47,66,875**	**87,06,849**	**82,53,032**
Previous Year	**1,85,14,502**	**44,41,344**	**17,63,049**	**2,11,92,797**	**1,29,39,734**	**16,94,998**	**16,94,967**	**1,29,39,764**	**82,53,032**	**55,74,768**
Capital work-in-progress									-	-
Total									**87,06,849**	**82,53,032**
Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above.										

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-9
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	1,93,23,162	1,70,21,896
7. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	**1,93,23,162**	**1,70,21,896**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-10
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
INVESTMENT- OTHERS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	36,18,40,229	27,00,00,000
7. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	**36,18,40,229**	**27,00,00,000**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-11
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
(A) Current Assets		
1. Inventories :		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade		
Finished goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors :		
a) Debt outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others: Recoverable from IFCO TOKYO	-	30,585
3. Cash in hand	20,000	20,000
4. Bank Balances :		
a) with Scheduled Banks:		
i) On Current Accounts	-	-
ii) On Time Deposit Accounts	-	-
iii) On Savings Bank Deposit A/c	26,81,40,459	68,03,96,600
b) with Non- Scheduled Banks:		
i) On Current Accounts	-	-
ii) On Time Deposit Accounts	-	-
iii) On Savings Bank Deposit A/c	-	-
5. Post Office- Savings Accounts	-	-
6. Others	-	-
TOTAL (A)	**26,81,60,459**	**68,04,47,185**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-11
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2019
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
(B) Loans, Advances And Other Assets :		
1. Loans:		
a) Staff	2,98,000	1,48,881
b) Other Entities engagaed in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Others (specify)	-	-
2. Advances and Other Amounts Recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments (Prepaid exp)	11,61,179	18,11,050
c) Security Deposits	36,47,500	36,47,500
d) Others:	11,80,04,339	5,42,87,823
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment funds	9,20,697	8,57,550
b) On Investments- Others	93,18,316	1,29,60,576
c) On Loans and Advances	-	-
d) Others (includes income due unrealized: NIL)	9,74,96,282	-
4. Claims Receivable	-	-
Total (B)	**23,08,46,312**	**7,37,13,379**
Grand Total (A)+(B)	**49,90,06,771**	**75,41,60,564**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-12
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
INCOME FROM SALES/SERVICES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished goods	-	-
b) Sale of Raw Materials	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2. Income from Services		
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional/ Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services(Equipment/Property)	-	-
e) Others(specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-13
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
GRANT/ SUBSIDIES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Irrevocable Grants and Subsidies Received		
1. Central Government	1,77,99,37,800	2,25,75,78,000
2. State Government	-	-
3. Government agencies	-	-
4. Instituition / Welfares bodies	-	
5. International Organisations	-	-
6. Others : Govt. Contribution APY Scheme	-	-
Total	**1,77,99,37,800**	**2,25,75,78,000**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-14
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
FEES / SUBSCRIPTIONS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Entrance Fees	-	-
2. Annual Fees	54,02,49,013	36,13,45,095
3. Seminar/ Program Fee	-	-
4. Consultancy Fees	-	-
5. Licence Fees	-	-
6. Fees from Miscellaneous Services	17,24,501	16,84,500
7. Others (Specify)		-
Total	**54,19,73,514**	**36,30,29,595**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-15
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
INCOME FROM INVESTMENTS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Investment From Earmarked Fund		Investment- Others	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year
1. Interest				
a) On Govt. Securities	-	-	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-	-	-
c) Others	13,11,351	13,66,021	-	-
2. Dividend				
a) On Shares	-	-	-	-
b) On Mutual Funds	-	-	-	-
c) Others	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (specify)	-	-	-	-
Total	**13,11,351**	**13,66,021**	**-**	**-**
Less: Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	**13,11,351**	**13,66,021**	**-**	**-**
Net balance	**-**	**-**	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-16
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Income from Royalty	-	-
2. Income from Publications	-	-
3. Others (specify)	-	-
Total	**-**	**-**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-17
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
INTEREST EARNED

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. On Term Deposits Accounts		
a) with Scheduled Banks	2,10,30,324	1,29,60,576
b) with Non-Scheduled Bank	-	-
c) with Instituitions	-	-
d) Others	-	-
2. On Savings Bank Deposits Accounts		
a) with Scheduled Banks	2,24,83,560	2,61,60,198
b) with Non-Scheduled Bank	-	-
c) Post Office Savings Accounts	-	-
d) Others:		-
3. On Loans:		
a) Employee/ Staff	-	-
b) Others	-	-
4. Interest on Debtors and Other Receivables	1,484	
Total	**4,35,15,368**	**3,91,20,774**
Tax deducted at source to be indicated	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-18
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
OTHER INCOME

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Profit on Sale/ Disposal of Assets		
a) Owned Assets	-	-
b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2. Export Incentives Realized	-	-
3. Fees for Miscellaneous Services	-	-
4. Miscellaneous Income	2,26,525	2,45,759
Total	**2,26,525**	**2,45,759**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-19
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
A) Closing Stock		
1. Finished Goods	-	-
2. Work-in-progress	-	-
B) Less: Opening Stock		
1. Finished Goods	-	-
2. Work-in-progress	-	-
Net Increase/(Decrease) (A-B)	-	-

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-20
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
ESTABLISHMENT EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Salaries and Wages	14,86,29,812	11,70,68,575
2. Allowances and Bonus	-	-
3.Contribution to Provident Fund	-	-
4. Contribution to Pension	83,78,168	70,92,499
5. Staff Welfare Expenses	-	-
6. Expense on Employee Retirement and Terminal Benefits	-	-
7. Leave Salary	2,91,36,433	1,17,01,632
8. Tution Fees reiumbursement	-	-
9. Medical reiumbursement	21,04,990	18,00,128
10. Gratuity Contribution	59,03,037	47,77,901
11. Others(specify)		
Total	**19,41,52,441**	**14,24,40,735**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-21
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
OTHER ADMINISTRATION EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Purchases	-	-
2. Labour and Processing Expenses	-	-
3. Cartage and Carriage Inwards	-	-
4. Electricity and Power	16,20,901	13,20,231
5. Water Charges	4,29,465	4,06,722
6. Insurance	18,05,860	19,71,532
7. Repair and Maintenance	68,59,768	73,45,976
8. Excise Duty	-	-
9. Rent, Rates and Taxes	7,15,24,782	6,96,52,194
10. Vehicles Running and Maintenance	1,54,61,523	95,90,998
11. Postage, Telephone and Communication Charges	46,03,012	72,62,031
12. Printing and Stationary	15,23,073	6,97,632
13. Travelling and Conveyance Expenses	88,17,437	78,95,696
14. Expenses on Seminar/ Workshops/ Meetings and conferences	1,22,37,465	2,84,55,685
15. Subscription Expenses	-	-
16. Expenses on Fees	-	-
17. Auditors Remuneration	-	2,67,872
18. Hospitality Expenses	-	-
19. Professional Charges	1,94,86,772	1,68,82,427
20. Books and Periodicals	1,62,865	2,49,489
21. Recruitment Expenses	2,44,412	18,82,531
22. Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances	-	-
23. Incentive to Aggregator	4,84,000	2,46,15,900
24. Swavalamban Government Contribution	18,18,55,819	34,84,88,000
25. APY Government Contribution	81,45,81,888	1,18,21,19,845
26. Incentive to Point of presence	-	-
27. Irrevocable balances Written off	3,11,559	-
28. Packing charges	-	-
29. Freight and Forwarding Expenses	-	-
30. Distribution Expenses	-	-
31. Advertisement and Publicity Expenses	2,71,03,936	24,94,84,351
32. Membership fees	8,78,780	17,250
33. Staff Welfare expenses	12,01,134	8,14,511
34. Consultancy expenses	19,68,825	16,80,780
35. APY Promotion		1,94,11,083
36. Incentive under APY	1,06,99,45,670	42,92,56,260
37. Sitting Fees	30,000	-
38. Others (Website fee expense)	33,994	2,408
Total	**2,24,31,72,940**	**2,40,97,71,405**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-22
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
EXPENDITURE ON GRANT SUBSIDIES ETC.

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Grants given to Instituitions/ Organisations/National Pension System Trust	-	-
2. Subsidies given to Instituitions/ Organisations	-	-
3. Others : (Refund of Grants)	-	-
Total	**-**	**-**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-23
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
INTEREST

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. On Fixed Loans	-	-
2. On Other Loans	-	-
3. Bank charges	2,943	1,750
4. Other(specify)	-	-
Total	**2,943**	**1,750**

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-24
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Unit-Indian Rupee)

1. Basis of accounting and preparation of financial statements

The financial statements of the Authority have been prepared in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention except for Swavlamban scheme and Atal Pension Yojna (APY) maintained on payment basis, being the scheme of Government of India .

Fee from Trustee Bank and Central Record Keeping Agencies for the last quarter have been accounted on accrual basis for FY 2018-19.

2. Government Grants

Government grants are accounted on realisation basis.

3. Fixed Assets

Fixed assets are stated at their original cost including taxes and other incidental expenses related to acquisition.

4. Retirement benefits

Provision for Gratuity and Leave Encashment are provided as per the Actuarial Valuation for the FY 2018-19

5. Depreciation

5.1 Depreciation is provided on the written down value method as per rates specified in The Income tax Act 1961.

5.2 Assets costing Rs. 5,000/- or less each are fully provided.

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE-25
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2018 TO 31-03-2019
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

(Unit-Indian Rupee)

1. Contingent Liabilities

There is no contingent liability of the Authority as at 31.03.2019.

2. Current Assets, Loans & Advances

The Current assets, Loans and advances have a value on realisation equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. Taxation

In view of the clause 34 of The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013, the Authority shall not be liable to pay wealth-tax, income-tax or any other tax in respect of its wealth, income, profits or gains derived. Accordingly, no provision for the same has been provided in the books of accounts.

4. The unutilised Government grants as on 31.03.2019 has been shown under the head Current Liabilities and Provisions.

5. Corresponding figures for the previous year has been regrouped/rearranged, wherever necessary.

6. The schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance sheet as at 31-03-2019 and the Income and Expenditure account for the period 01-04-2018 to 31-03-2019.

Place: New Delhi
Date:12/09/2019

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Madnesh Kumar Mishra
Member

Ravi Mital
Chairperson

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

Pension Fund Regulatory & Development Authority

बी–14/ए, छत्तरपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थान क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Fax: 91-11-26517507 www.pfrda.org.in

Designed & Printed by : Sai Art Graphics, New Delhi, M. 9811936711, 7678135486